(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2) सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 25वां दिवस (संख्या 13

सोमवार

दिनांक 16 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म०पू० 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री नाथूसिंह, श्री हीरालाल आर्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी, सुश्री पुष्पा जैन।

नाथपा झाकड़ी परियोजना

260. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर), **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या हिमाचल प्रदेश नाथपा-झाकड़ी प्रोजेक्ट बना रहा है ? यदि हां, तो इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में पूर्व में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या तद्नुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? समझौते की क्या शर्तें हैं ?

(3) क्या यह सही है कि समझौते के अनुसार राज्य को बिजली में अभी तक कोई हिस्सा नहीं दिया गया है ?

(4) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री विद्युत, (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) राजस्थान के पास प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश द्वारा नाथपा-झाकड़ी प्रोजेक्ट पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ। राजस्थान के हिस्से के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(2) समाचार पत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के बीच में एक समझौता हुआ है जिसको अब परिवर्तित कर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कारपोरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। समझौते की शर्तों तथा इन समाचारों की अधिकृत जानकारी भारत सरकार से प्राप्त की गई है।

(3) समझौते के अनुसार राज्य कोई हिस्सा देय नहीं था परन्तु राजस्थान के प्रयासों के फलस्वरूप हाल ही में इंगित समाचारों के अनुसार राजस्थान व दिल्ली को भी बिजली दी जावेगी।

(4) राज्य सरकार ने उर्जा मंत्री, प्रधान मंत्री, योजना मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्य मन्त्री जी ने ऊर्जा मंत्री से मीटिंग

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
की तथा अधिकारियों के स्तर पर पत्राचार किया।

श्री नाथूसिंह : अभी मंत्री महोदय ने बताया है·········

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मुख्य मंत्री होते तो अच्छा होता। यह बड़ा ही अहम् सवाल है। वह उपस्थित होते तो स्थिति स्पष्ट हो जाती·········

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री को पूर्ण अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : राज्य मंत्री मुख्य मंत्री महोदय से ज्यादा जानते हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, 1974 में और 1979 में दो एग्रीमेंट हुए। इस एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि 1979 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन इस प्रोजेक्ट को बनायेगा और उसमें राजस्थान का भी हिस्सा होगा। अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि वह बनना शुरू नहीं हुआ है। राजस्थान का भी उसमें हिस्सा होगा। जैसा मालूम हुआ है, अध्यक्ष महोदय, अभी 12 फरवरी, 1981 को दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद हिमाचल के मुख्य मन्त्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया है उस मीटिंग में राजस्थान को नहीं बुलाया गया था। योजना आयोग ने परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए जो बैठक बुलाई थी उसमें भी राजस्थान को नहीं बुलाया गया था। हमारे मुख्य मन्त्री को नहीं बुलाया गया था। अध्यक्ष महोदय, उसमें उन्होंने अपने आप यह तय कर लिया उसके पहले ही हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने अपनी अपनी भागीदारी तय कर ली। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस मीटिंग के बाद हिमाचल के मुख्य मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 508 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा जिसमें से 25 प्रतिशत निगम, 25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश और 25 प्रतिशत हरियाणा उठायेगा। उसमें बिजली का हिस्सा भी बताया गया। 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, 37 प्रतिशत हरियाणा, 27 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश और 16 प्रतिशत पन बिजली निगम का हिस्सा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि वहां पर जो स्टाफ लगाया गया है प्रोजेक्ट को शुरू करने में उस स्टाफ में क्या हमारे व्यक्ति शामिल हुए हैं? उसमें इन्वेस्टमेन्ट किया जा रहा है उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट हम ने किया? बजट में हमने क्या प्रावधान रखा है? और रखा है तो कितना रखा है?

एक और मैं यह जानना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हो। आप पूरक प्रश्न करें। जो उत्तर आया है और जो प्रश्न पूछा है उसके प्रतिकूल आप कह रहे हैं। एक तरफ हिस्सा नहीं बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कितने लोगों को लगाया गया है, क्या इन्वेस्टमेन्ट किया गया है····

श्री नाथूसिंह : यह तो मन्त्री महोदय ने बताया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह सवाल उठाया है कि इसमें 508 करोड़ रु० की कास्ट होगी। इसकी जो पोजीशन है वह यह है कि हमारे पास जो कुछ सूचना है वह अखबारों के माध्यम से है। यह बात सही है कि फरवरी, 1979 में तत्कालीन

Page No. 3

(3)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

ऊर्जा मंत्री ने इस बारे में एक मीटिंग की थी जिसमें कि जम्मू, काश्मीर के मुख्य मंत्री, हरियाणा के मुख्य मन्त्री, पंजाब के मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री उपस्थित थे। फरवरी 1979 में इस बात का का टेन्टेटिव निर्णय लिया गया था कि इस प्रोजेक्ट को सेन्ट्रल सैक्टर के तहत बनाया जाये। लेकिन उसके बाद कोई अग्रिम कार्यवाही इसके ऊपर नहीं हुई। 1974 के अन्दर नार्थ जोनल कान्फ्रेन्स में सर्व प्रथम यह सवाल उठा था। उस वक्त यह बात हुई थी कि इसकी मोडेलिटीज क्या होगी ? इस के बारे में पन्द्रहवीं जोनल मीटिंग में विचार किया जाये। बदकिस्मती से 15 वीं मीटिंग नार्थ जोनल कान्फ्रेन्स की नहीं हुई। उसकी मोडेलिटीज के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका। फरवरी, 1979 के बाद स्थिति यथावत रही। भारत सरकार के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया गया। अखबारों से जो समाचार प्राप्त हुए हैं, उनके अन्दर यह छपा है कि एक द्वि-पक्षीय एग्रीमेंट हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में हुआ है। इसकी कास्ट के बारे में भी अलग अलग समाचार हैं। किसी अखबार ने इस प्रोजेक्ट की कास्ट 350 करोड़ रुपये आंकी है और किसी ने इस की कास्ट 400 करोड़ आंकी है। इकोनोमिक टाइम्स ने लिखा है कि यह प्रोजेक्ट कम्पलीट होने पर 700 करोड़ इसकी कास्ट होगी। अब इसके जो सही हालात हैं वे सामने नहीं आये हैं। अखबारों की सूचना के आधार पर जो कुछ अखबारों में आया है, क्योंकि राज्य के लिये राजस्थान राज्य के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है…………

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या इस पर आधे घंटे की चर्चा हो रही है ....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने इस प्रश्न का उत्तर देना उचित समझा और उसका उत्तर आपके सामने है ………

श्री नाथूसिंह : एक छोटा सा प्रश्न इस सम्बन्ध में है। हमारे मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में केन्द्र को कोई पत्र लिखा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यंग्यात्मक शब्द प्रयोग में न लें। इनको कार्यवाही से हटा दिया जाये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो उन्होंने स्वयं ने कहा है ....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह कहा है कि मैं फौलाद की तरह रहूँगा ....

श्री नाथूसिंह : उन्होंने कहा है माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्र को पत्र लिखे हैं और उन पत्रों का क्या जवाब आया है ? क्या मंत्री महोदय उनको सदन की मेज पर रखेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस सिद्धान्त के आधार पर दूसरे प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनमें भी हिस्सा नहीं मिलेगा और वे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो पूछा गया है नाथपा-झाकड़ी के बारे में पूछा गया है। इसलिए मैं इसमें अन्य प्रोजेक्ट को शामिल करना नहीं चाहूंगा। जहां तक प्रश्न है भारत सरकार को पत्र लिखने का तो मेरे पास काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ दूं। समय समय पर मुख्य मन्त्री जी की तरफ से, हमारे अधिकारियों की तरफ से इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को योजना मन्त्री जी को, प्रधान मन्त्री जी को एवं एनर्जी मिनिस्टर महोदय को बराबर लिखा गया है कि राजस्थान के, राजस्थान के हितों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये। जो

Page No. 4

(४)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पावर, जो बिजली पैदा होगी उसके अन्दर हमारा हिस्सा है और वह हमको मिलना चाहिये। इस प्रोजेक्ट को सैंट्रल क्षेत्र के अन्दर बनाया जाना चाहिये। हमारा इस मामले के अन्दर ...

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल) : आप तो यह बता दें कि कोई आशाजनक उत्तर आया क्या ?

श्री अध्यक्ष : पहले तो यह पूछें कि उत्तर आया है या नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दिसम्बर, 1980 के अन्दर मुख्य मन्त्री जो व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले थे और बात की थी तथा उन्होंने आश्वासन दिया था वे राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : लिखित में दिया था क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब योजना मंत्री जी यहां आये थे तो उनसे वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान ही उन्होंने आश्वासन दिया था। श्रीमान्, हमने जो पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा है उस के जवाब में उनका पत्र प्राप्त हुआ है कि उन्होंने हमारे पत्र को यूनियन ऊर्जा मंत्री के पास भेजा है कि राजस्थान के ....

श्री भगवानदास शास्त्री : आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : Not for necessaryaction बल्कि राजस्थान के हितों को कैसे पूरा कर सकते हैं उस पर विचार करके इसका उत्तर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : जो जवाब भेजा है उस को तो आप सदन की मेज पर रखेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार ने ऊर्जा मन्त्री, प्रधान मंत्री आदि को पत्र लिखा है और मुख्य मन्त्री ने ऊर्जा मंत्री से मीटिंग में बात की और समाचार प्राप्त किये। अध्यक्ष महोदय, यह सदन की स्पष्ट मांग थी कि जो भी कार्यवाही सरकार इस सम्बन्ध में कर रही है उसकी पूर्ण जानकारी इस सदन में रखें तो जो पत्र व्यवहार राज्य सरकार कर रही है उसकी कापी सदन के पटल पर रखनी चाहिये। एक बात।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान को इंगित समाचारों के अनुसार बिजली दी जायेगी। जब कि यह स्पष्ट हो चुका है कि हिमाचल सरकार ने 508 करोड़ का टोटल एक्सपेंडीचर तय कर लिया है और अपने अपने हिस्से भी तय कर लिये हैं। 25 प्रतिशत नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कारपोरेशन देगा, 25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश देगा और 50 प्रतिशत हरियाणा देगा। दूसरी तरफ जो पावर होगा उसका 20 प्रतिशत यू.पी. लेगा, 37 प्रतिशत हरियाणा लेगा, 27 प्रतिशत हिमाचल लेगा और 10 प्रतिशत कारपोरेशन लेगा। फिर भी आप कह रहे है कि राजस्थान को बिजली मिलने की गुंजाइश है तो आप यह किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान, मैंने अपने उत्तर में कहीं भी इस बात को नहीं माना है और न ही कही है। हमारे पास सूचना है कि 508 करोड़ का खर्चा होगा। मैंने कहा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कि अखबारों में जो विवादास्पद खबरें आ रही हैं कोई अखबार कुछ कह रहा है और कुछ अखबार कुछ बता रहे हैं। इस बात को मैंने एडमिट नहीं किया है। मैंने इस बात को नहीं माना है। इस बात के लिए मेरे पास सभी पेपर्स की कटिंग मौजूद है। मैं सदन का समय इन कटिंग को पढ़ कर बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन जो लेटेस्ट इन्फार्मेशन है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : बात काफी लम्बी कर दी। आप तो एक बात बता दें कि राजस्थान को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, असली बात तो यह है ?

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मंत्री महोदय यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप शान्त रहें। उत्तर आने दें।

(व्यवधान)

उत्तर तो पूरा करने दीजिये मंत्री महोदय को। उनको उत्तर पूरा करने दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उत्तर तो काफी लम्बा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर लम्बा होना स्वाभाविक है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है। श्री परसराम।

श्री नाथूसिंह : मुझे तो मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। श्री परसराम।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में सतलज के सरप्लस पानी और बिजली के लिए भाखड़ा नांगल एग्रीमेंट हुआ था, जिस पर उस वक्त के ऊर्जा मंत्री ने दस्तखत किये थे ? उस समझौते के अनुसार सतलज के सरप्लस पानी में राजस्थान का 15.9 प्रतिशत हिस्सा रखा गया था, क्या यह सही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हां यह····

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनें।

क्या यह सही है कि इस समझौते के बाद पंजाब के विभाजन के बाद पंजाब और हिमाचल सरकार ने एक नया एग्रीमेंट किया है उसके अनुसार गोविन्द सागर, थीन के पास हरिके में नाथपा में बिजली तैयार करना जारी किया है ? क्या यह सही है कि दो स्टेट एग्रीमेंट के बाद में नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक कारपोरेशन से एक एग्रीमेंट किया है और थ्री-पार्टी एग्रीमेंट किया है ? क्या यह सही है कि इस थ्री-पार्टी एग्रीमेंट में जो तीसरी पार्टी है उसका 37 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है और उसने उसमें से 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को देने का निश्चय किया है ? क्या यह सही कि उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना में बेक डोर से एन्टर हुयी है और नाथपा-झाकड़ी से उत्पन्न होने वाली बिजली को ले रही है? क्या यह बात भी सही है कि जो विवादास्पद मामले चल रहे हैं उनमें थीन बांध, अनंगपुर

(श्री परसराम मदेरणा)

साहब ग्रौर मुकेरिया इन मामलों पर पंजाब सरकार नाथपा भाकड़ी में क्या निर्णय हो रहा है उसके लिए गिद्ध की दृष्टि लगाये बैठा है ? अगर हम समझौते में पिछड़ गये तो पंजाब सरकार इन सब मामलों पर अगूंठा दिखा सकती है, क्या यह सही है ?....

श्री अध्यक्ष : बस बस । माननीय मंत्री भूल जायेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : थीन के मामाले में रावी नदी के पानी का मामला था, बिजली नहीं दी थी इस आधार पर कि समझौता पानी का हुग्रा था, बिजली का नहीं तो उस पर अटार्नी जनरल की राय ली गई । उसने कानूनी राय दी कि राजस्थान को बिजली मिलनी चाहिये, क्या यह सही है जैसा कि ग्राप कह रहे हैं? प्रश्न (3) के उत्तर में कि अपने स्त्रोतों से जो एग्रीमेंट हुग्रा है उसकी जानकारी मिल गयी है तो क्या सरकार उन स्त्रोतों को सदन की मेज पर रखने का विचार रखती है ? रखती है तो मैं कहना चाहूंगा कि ग्रापने कहा कि अभी तक उस नाथपा–भाकडी के पास थर्मल का निर्माण शुरू नहीं हुग्रा है, थीन डेम का निर्माण करना ग्रारम्भ कर दिया है जबकि मेरी जानकारी के अनुसार नाथपा में कन्सट्रक्शन का काम शुरू हो गया है । उसमें पानी जाने वाला है । उसमें पानी चला गया तो क्या उसको रोकने के लिए बराबर कदम उठा रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या स्वतन्त्र चार्ज मंत्री जी इसमें डुबकी लगाने का विचार रखते हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डुबकी लगाने का प्रश्न है भोपालगढ के माननीय सदस्य के साथ डुबकी लगाना ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष महोदय, बड़ा उपयुक्त सवाल माननीय सदस्य, जो भोपालगढ से आये हैं, ने उठाया है । हमारे ग्राधार पर भी जो क्लेम हमने किया है बिजली देने का वह यही है कि जो तय हुग्रा था 15.9 प्रतिशत देने का पंजाब री–ग्रोर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इस सतलज के पानी के ऊपर उसी आधार पर हम अपना क्लेम प्रस्तुत कर रहे हैं । हम भारत सरकार के सामने भी यही बात कह रहे हैं । इसलिए हमारी यह कोशिश है कि हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिये । यह हमारा अधिकार है ।

ग्रापने तीसरी बात कही है कि वहां पर टनेल्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है । मैंने काफी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, इसकी जानकारी हमको नहीं मिली है । यह बात ग्रौर तरीकों से पता लगी है कि अभी वहां निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुग्रा है । ग्रापने कहा है कि त्रिपक्षीय समझौते की सूचना प्राप्त हुई है ।

श्री परसराम मदेरणा : पहले द्विपक्षीय थी, अब इसमें कारपोरेशन को लिया गया है, इसलिए ट्रिपार्टी एग्रीमेंट हुग्रा है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पूर्व में द्विपक्षीय समझौते की खबर समाचार पत्रों में आई थी, ग्रौर लेटेस्ट खबर जो 'इण्डियन एक्सप्रेस' में आई है उसके अनुसार नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन को भी इसमें शरीक कर लिया गया है । लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, हमने पता लगाया है ग्रौर लोगों के मार्फत कि उसको न तो प्लानिंग कमीशन की तरफ से क्लीयर किया गया है ग्रौर न सैन्ट्रल अथोरिटीज ने क्लीयर किया है । मैं आपकी तरफ से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान अपने हिस्से के बारे में सजग है, सचेत है ग्रौर आवश्यक कदम उठाये जा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

रहे हैं। इस बारे में हमारा भरसक प्रयत्न होगा।

एक बात और जो आप कह रहे है, यह बात भी सही है कि यह शंका हो रही है कि पंजाब इस मामले में चुप क्यों बैठा है, क्योंकि पंजाब का भी इसमें शेयर है। लेकिन वह इस वजह से चुप बैठा है कि चार योजनाओं, जिनके ऊपर हमारा उनसे डिस्प्यूट चल रहा है, के बारे में पंजाब सोचता है कि इस मामले में अगर राजस्थान को हिस्सा नहीं मिला तो इन योजनाओं को मिला लेंगे, इसलिए यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। सरकार इस बारे में सजग है और कानूनी राय भी ले रही है। हमको कानून की लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इस बारे में भरसक प्रयत्न करेंगे। इस बारे में यही विश्वास सदन को दिला सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, विपक्ष के माननीय नेता।

(व्यवधान)

यह अन्तिम पूरक प्रश्न होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में समझौता हो गया है कि हरियाणा थीन डेम के मामले में और पंजाब नाथपा-झाकडी के मामले में किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करेगा ? क्या यह सही है कि नाथपा झाकड़ी में सतलज का पानी डाइवर्ट करके, नाथपा झाकड़ी से बिजली के उत्पादन का जो कार्यक्रम है, इस प्रकार का डाइवर्शन 1956 और 1959 के एग्रीमेंट में आब्स–ट्रेक्शन की परिभाषा में नहीं आता ? यदि आब्सट्रेक्शन की परिभाषा में आता है तो क्या इस दिशा में सरकार कोई कार्यवाही करने को तैयार है ?

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है अब आप इसको सही माने या नहीं माने, समाचार पत्रों में आया है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने विधान सभा में स्टेटमेंट दिया है। आखिर स्टेटमेंट दिये गये हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने विधान सभा में वक्तव्य दिया है, उसके हिसाब के उत्तर प्रदेश को 20 पर्सेन्ट बिजली मिलेगी, तो क्या उत्तर प्रदेश को बिजली का हिस्सा देना उस एग्रीमेन्ट का उल्लंघन नहीं है ? माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हमने अप्रेल में चिट्ठियां लिखीं, जुलाई में चिट्ठियां लिखी त क्या यह सही है कि भारत सरकार ने अभी तक मुख्य मन्त्रीजी की किसी भी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया है और भारत सरकार इस बारे में कोई-कमिटमेन्ट नहीं करना चाहती है ? क्या नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन बिना भारत सरकार की अनुमति से ऐसे किसी भी एग्रीमेन्ट में शरीक नहीं हो सकता, इस आधार पर भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को क्लियर किया है ? उस आधार पर मैं यह जानना चाहूंगा जितनी भी कास्ट होगी कास्ट के सम्बन्ध में, मैं अभी नहीं जाना चाहता, आप कह रहे हैं कास्ट अभी विवादास्पद नहीं है। कास्ट 570 हो सकती है, 580 हो सकती है, 586 हो सकती है, तीनों मुख्य मन्त्रियों ने अपनी अपनी विधान सभा में स्टेटमेन्ट दिया है, हरियाणा के मुख्यमन्त्री ने विधान सभा में स्टेटमेन्ट दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने विधान सभा में स्टेटमेंट दिया है कि हमारा इस प्रकार का एग्रीमेन्ट हुआ है। उसी आधार पर आज आप यह कह रहे हैं। इस बात का मुझे

Page No. 8

(8)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दुख है कि भारत सरकार से अभी तक हमें इस चीज की सिवाय समाचार पत्रों के कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय, से यह पूछना चाहूंगा कि इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? समाचार पत्रों से या अन्य प्रकार से जानकारी मिली है। नेशनल कारपोरेशन ऊर्जा मन्त्री जी की सलाह से शामिल किया गया आपको उस बैठक में नहीं बुलाया गया। क्या राजस्थान सरकार ने इस बात के लिए एक्शन लिया है कि उनको इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया?

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, यह 1960 की ट्रीटी का वायोलेशन है, इस बात को मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं। हमारा आधार तो यही है, उसी के आधार पर हमको बिजली मिलनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्ट्रप्शन के लिए मुझे क्षमा करें। मेरा निवेदन यह है कि सतलज के पानी का डाइवर्शन करने की बात है, यह एग्रीमेन्ट का उल्लंघन है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गये?

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, विरोधी दल के नेता माननीय नेता ने जो पांच छः सवाल उठाये हैं, मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं, माननीय भोपालगढ़ से आने वाले माननीयसदस्य ने भी प्रश्नों में इसकी विस्तार से चर्चा की है, यह बात सही है कि हमारे पास लिखित रूप में इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब नहीं आया, इससे शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप यह कहते हैं तो 77 में आपने क्या कर लिया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 79 का एग्रीमेन्ट आप पढ़ लीजिये, उसका लास्ट पैराग्राफ

श्री प्रद्युम्नसिंह : 79 का कोई एग्रीमेन्ट नहीं है, एक मीटिंग हुई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जब मुख्य मन्त्री थे, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता क्योंकि स्टेट के इन्ट्रेस्ट का सवाल है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सहयोग की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : बरबाद कर दो।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : बरबाद तो किसने किया और किसने नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, × × × शब्द ठीक नहीं है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि परोक्ष रूप से भारत सरकार ने स्वीकार किया है। बिना उर्जा मन्त्री की सहमति से हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन शरीक कैसे हुआ। दूसरा प्रश्न उन्होंने यह उठाया कि तीन मुख्य मन्त्रियों

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
ने विधान सभाओं में इस प्रकार के वक्तव्य दिये।

उन्होंने खास तौर से यू० पी० के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की चर्चा की है। श्रीमान्, जहां तक मेरी जानकारी है, यू०पी० के मुख्य मंत्री ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य विधान सभा में नहीं दिया। अगर आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं। यह उनका आब्जर्वेशन है। उन्होंने इस बात को कहा है कि हमें 20 प्रतिशत बिजली मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत, वहां के मुख्य मंत्री ने कहा है। यह जो नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कारपोरेशन का शेयर है, उसके अंदर से उत्तर प्रदेश को 20 प्रतिशत बिजली बेची जा रही है। इसका मतलब हुआ एस्योर्ड सेल पर। उसको मैं एस्योर्ड सेल मान कर चलता हूं। हमने भी यही कहा है कि आप उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से बिजली इसके अंदर दे रहे हैं? हमने इस पर बहुत स्ट्रांग आब्जेक्शन उठाया है। मैंने पूर्व में निवेदन किया कि इस मामले में हम बिलकुल सजग हैं और कानूनी राय ले रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 12 महीने से कानूनी राय ले रहे हैं? पिछली बार भी यही कहा था और अब भी यही कह रहें हैं। 12 महीने से कानूनी राय ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : 8 महीने तो सरकार को बने हुए, हुए हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 4 महीने बाद वाले भी शामिल कर दिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पिछली बार यूनियन एनर्जी मिनिस्टर से हमारे मुख्य मंत्री मिले थे। उन्होंने इस बात को साफ तौर से मुख्य मंत्री से कहा कि हम राजस्थान के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और उसके इन्ट्रे-स्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक भी पत्र का आपके पास में जवाब नहीं आया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अगर आपसे कहूं कि न भारत सरकार ने, न योजना आयोग ने, न ही सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने क्लीयर किया है, न ही लिखित रूप में भारत सरकार ने दिया है। अगर उनके वक्तव्य खाली आ जाते हैं इस आधार पर कि हिमाचल प्रदेश में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा तो वक्तव्य भी नहीं आया

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे सदन की भावनाओं से मंत्री महोदय अवगत हो गये।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप तो विश्वास नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैंने रेडियो में सुना है, दोनों विधान सभाओं में वक्तव्य हुये हैं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजना में और पंचवर्षीय योजनाओं में नाथपा-झाकड़ी के खर्च की व्यवस्था की है? क्या इसको प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव किया है?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । समय बहुत हो गया ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : मैं आपसे फर्म कमिटमेंट चाहता हूं before it is too late सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करने वाली है खास तौर से जब when the situation may be beyond our hands.

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता पड़ी और हमारे हितों की रक्षा नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने में भी नहीं हिचकेंगे ।

श्री राज बहादुर : When it is too late.

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा ।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है, कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री..........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है । यह महत्वपूर्ण प्रश्न था ।

इसलिए आधे घंटे का समय दे दिया । और भी महत्वपूर्ण सवाल समझते हैं या इसको ही महत्वपूर्ण समझते हैं । अगर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है..........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप क्या समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : This is Chair's secret. I will not say anything.

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे सदन की भावनाओं से मंत्री महोदय अवगत हो गये । अब दूसरा प्रश्न लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी देना चाहूंगा । इस प्रश्न का आज महत्व है । आज इसलिए महत्व है कि प्रधान मंत्री ने आज रावी व व्यास के पानी के बटवारे के मामले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई है । इसलिये बुलाई है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में 1976 में जो पानी का बंटवारा हुआ, उस मुद्दे को लेकर पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के खिलाफ दावा दायर किया और उसमें जिस दिन की तारीख में, उस तारीख के पहले गवर्नमेंट एडवोकेट की तरफ से आश्वासन दिया गया कि हम आपस में इस पर समझौता कर लेंगे । आज अगर वहां इस प्रकार का समझौता हो गया तो उस समझौते से सबसे बड़ा मुझे खतरा है वह है पंजाब सरकार की तरफ से जो रिट पेश की गई है उसका आधार यह है कि रावी–व्यास का जितना पानी है उसमें से 3 मिलियन हैक्टेयर पंजाब इस्तेमाल कर रहा है । इसके अलावा राजस्थान को उसमें पार्टी नहीं बनाया लेकिन राजस्थान को उस रिट में स्यू किया है कि राजस्थान पानी यूटिलाइज नहीं कर रहा है । आज इसके साथ थीन डेम का मामला चला गया । इसमें चाहे समय लगे, आज मंत्री महोदय की तरफ से कमिटमेंट माना जाना चाहिये । यदि किसी एग्रीमेंट, जिसमें 1976 की इंडसट्रीटी है, 1959 का सतलज वाटरट्रीटी है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब का 1966 का जो एग्रीमेंट है, वायोलेशन हो रहा है, उस वायोलेशन में यदि राजस्थान के हितों पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कुठाराघात किया गया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने हितों के लिये जायगी और संघर्ष करेगी। मैं चाहता हूं आज विधान सभा में गवर्नमेंट फर्मली कमिट करे, अपनी पोजिशन को क्लीयर करे ताकि दिल्ली में लोगों को मालूम हो जाय कि राजस्थान इस प्रश्न पर काफी एजीटेटेड है, अपने हितों को कभी भी नहीं छोड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : क्या सरकार समझती है कि सतलज नदी के पानी के बंटवारे का प्रश्न राजस्थान के लिये इतना ही महत्वपूर्ण है ? क्या सरकार महसूस करती है कि यह प्रश्न हमारे लिये जीवन मरण का है ? क्या आपने ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट की प्रति प्राप्त की है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने प्रतिलिपि कोई प्राप्त नहीं की। मैंने कहा जो अखबारों में शर्तें छपी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : शर्तों की जानकारी प्राप्त की है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या सरकार इस मामले की अहमियत को देखकर 25-10-80 के मुख्य मंत्री के नाथपा-झाकड़ी के विवादास्पद मामले में सदन में वक्तव्य के बाद........

श्री अध्यक्ष : 25–8, 25–10 नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : 25–8 के वक्तव्य के बाद राज्य सरकार ने कोई प्रभावशाली कदम उठाये हैं ? पत्राचार तो पहले हो चुका है। क्या राज्य सरकार इस मामले में कानूनी पहलुओं के संबंध में कोई लीगल एक्शन इनीशिएट करने का विचार रखती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें दो राय नहीं कि जो पानी हमारे शेयर में अवार्ड के रूप में मिला है, राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में हम सजग हैं। विपक्ष के नेता ने प्रश्न पूछा, मैंने कहा लीगल ओपीनियन ले रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो जायेंगे।

(व्यवधान)

आप इन्टरप्ट न करें मैं उत्तर दे रहा हूं।

दूसरी बात, विपक्ष के नेता ने कहा कि आज प्रधान मंत्री और तीनों प्रांतों के मुख्य सचिव और विद्युत सचिव की बैठक हो रही है उसके अंदर जो मैंने जानकारी प्राप्त की थी

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हरियाणा ने इस बात का दावा किया है कि उनको पानी का पूरा हिस्सा मिलना चाहिये। कल ही हमारे यहां के चीफ सैक्रेटरी साहब जब जा रहे थे तब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा कि इसमें क्या डिसकस होगा ? उन्होंने कहा, इसमें कोई निश्चित इश्यू नहीं हैं कि इसके बारे में ही डिसकस किया जावे लेकिन हैड वर्क जो चेन्ज किया है उसके बारे में है। तो, श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है और मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार सतर्क है। जब पिछले सेशन में भी इस सदन में बात चली थी तो यहां पर राज्य सरकार द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई थी। इसके बाद में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार में द्विपक्षीय समझौता हो गया। अब, अध्यक्ष महोदय, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें तो हमें क्या खबर देगीं पर जब हमें पता चला तो बाद में हमने कानूनी प्रेशर उन पर डाला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय मुझे माफ करेंगे बीच में इन्ट्रप्ट करने के लिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अखबारों में जो खबरें छपी हैं वह गलत खबरें छपी हैं ? यह बतावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अब दूसरा प्रश्न आसन की तरफ से है।

मन्त्री महोदय यह बतायें कि क्या हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में नाथपा–झाकड़ी प्रोजेक्ट के बारे में कोई समझौता पानी या बिजली के बारे में हुआ या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास तो लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार के बीच में कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अखबारों में विशेष तौर से हिन्दुस्तान टाइम्स में, इकानामिक टाइम्स में, इण्डियन एक्सप्रेस में इस बारे में समाचार छपे हैं कि हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है। एक बात मैं आपको यह निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पास में उनकी सरकारों से लिखित रूप से कोई सूचना नहीं आयी है और न ही भारत सरकार द्वारा उन अथोरिटीज को क्लीयरेन्स दिया गया है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। मेरा प्रश्न मन्त्री महोदय से यह है कि क्या अखबारों में इस द्विपक्षीय समझौता होने की खबर छपने के बाद राजस्थान सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार से व हरियाणा की सरकार से इसके बारे में उनके वक्तव्यों की आथोरिटेटिव व आथेंटिक कॉपी मंगाई गयी है या नहीं मंगाई है, अगर नहीं मंगाई है तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : यह तो मन्त्री महोदय जानते ही हैं कि अगर कोई भी सरकार पांच या सात अरब का किसी योजना के लिये प्रावधान रखती है तो मैं समझता हूं कि इसके लिये हरियाणा सरकार ने पहले से कोई क्लीयरेन्स तो जरूर लिया होगा। क्योंकि आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बिना क्लीयरेन्स लिये कोई भी इतना बड़ा प्रावधान नहीं रख सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न के बारे में इस सदन में पिछले सत्र में भी काफी चर्चा हुई थी। उस वक्त सदन में मुख्य मन्त्री जी ने यह अपने स्टेटमेन्ट में कहा था कि उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया है कि दोनों राज्यों द्वारा इसके क्रियान्वयन की तजबीज केन्द्र के निर्णय व हमारे विरोध के बावजूद की जा रही है। पत्र में लिखा है कि यदि दोनों राज्य सरकार को उनके द्विपक्षीय समझौते के आधार पर नाथपा–झाकडी परियोजना को क्रियान्वित करने से नहीं रोका गया तो हमारे हितों को बड़ी हानि होगी। इस प्रश्न को शीघ्र सुलझाने के लिये मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध भी केन्द्रीय सरकार में किया है। मेरा प्रश्न यही है कि क्या इन दोनों सरकारों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ ? अगर समझौता नहीं होता तो अखबारों में यह खबर कैसे छपती ? इसके साथ साथ में आपको और निवेदन कर दूं कि जनता पार्टी शासन में थीन बांध की जब बात थी उसमें भी प्राइम मिनिस्टर के इन्टरवेंन्शन करने के बाद भी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी। फिर अटार्नी जनरल ने जब सुप्रीम कोर्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में रिपोर्ट करने के लिए मूव किया तो कुछ कार्यवाही हुई। पर मैं यहां पर यह बात भी निवेदन कर दूं कि इस तरह सरकार खाली कबूतर की तरह आंख मून्द कर बैठ जाये। वह सोचता रहे कि बिल्ली उस पर नहीं झपटेगी तो चलने वाला नहीं है। आपको मन्त्री जी, हाउस में यह कहना पड़ेगा कि हम इस के प्रति जागरूक हैं। अगर राजस्थान के हितों का कहीं पर उल्लंघन हुआ तो भारत सरकार चाहे या न चाहे हम सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के उत्तर में शुरू में ही कह दिया था। हमने भारत सरकार के उर्जा मन्त्री जी को पत्र में लिखा है। हम इन दोनों सरकार के समझौते को मानने को तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न यह है कि आप तो मना कर रहे हैं पर यह साफ दृष्टिगोचर होता है कि उन्होंने समझौता कर लिया है। अब इस मर्ज की दवा आपके पास क्या है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दवा है हमारे पास अगर हमारे हितों की रक्षा नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जायेंगे, मगर पहले भारत सरकार से बात करेंगे। मैं यहां पर ज्यादा बात खोलना नहीं चाहता हूं पर इतना कह सकता हूं कि हमारे अधिकारियों ने इस के सम्बन्ध में बात की है और हमने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो हम जरूर जायेंगे।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसके माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर आ जायेगा। मेरा तो यह निवेदन है कि क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार के बीच में कोई करार हुआ है या नहीं ? दूसरे अगर करार हुआ है तो क्या वहां के मुख्य मन्त्रियों ने जो भाषण अपनी अपनी विधान सभाओं में दिये उनकी आथोरिटेटिव–आथेंटिक कापी आई या नहीं आई ? दूसरे जो अखबारों में छापा है कि यू०पी० के चीफ मिनिस्टर ने, हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने स्टेटमेंट दिये हैं उनकी प्रोसिडिंग्स की कॉपीज क्या आपने मंगायी हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने पहले ही यहां पर निवेदन किया कि किसी भी ने मुख्य मंत्री हाउस में स्टेटमेंट नहीं दिया है। अखबारों में जो आया है वह मैं यहां पर पढ़ देता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। माननीय सदस्यों को भ्रम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सबसे बड़ा भ्रम तो हमे हमारे मुख्य मन्त्री जी से है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें लिखा है।

U.P. to get 20% Share of Nathpa Jhakadi Power.

यह हैड लाइन है। इसकी कटिंग्स मैं ले आया हूं, अध्यक्ष महोदय। इसमें यह है Lucknow, 21st Febr, U. P. will get 20% from 533 Krore Nathpa Jhakadi Power Project being executed in Himachal Pradesh. यह लखनऊ की

Page No. 14

(14)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

एक खबर में है।

श्री परसराम मदेरणा : हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने हाउस में स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में आप बतावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो मन्त्री महोदय, आप कटिंग्स बता रहे हैं वह तो हमारे पास है ही मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है आप तो उसी की प्रतियां बतावें। क्या आपने वह प्रतियां प्राप्त की है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारा मुख्य मन्त्री इस हाउस को अन्धेरे में रखना चाहता है वह खुद अन्धेरे में है, हमें अन्धेरे में रख रहे हैं। पिछली बार भी कहा था पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इतनी महत्वपूर्ण सदन में चर्चा हो रही है और मुख्य मन्त्री जी सदन में हाजिर नहीं हैं। इससे ज्यादा खेद की बात क्या हो सकती है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री कहां है उनको जवाब देना चाहिये।

क्या वह आराम कर रहे हैं? वह राज्य के मुख्य मन्त्री होकर इस तरह आराम से नहीं सो सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा है। आप सभा में आपकी कार्यवाही को थोप रहे हैं। एक ही प्रश्न के ऊपर 50 मिनट हो गये हैं।

माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है कृपया बैठ जाय। अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य।....आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री देवीसिंह।

(व्यवधान)

श्री वी. डी. कल्ला

(व्यवधान)

अंकित न हो

कई माननीय सदस्य : ×××

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 15

(15)

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

कई माननीय सदस्य : × × ×

(व्यावधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। कोई भी प्रश्न पूछने के लिए इजाजत नहीं दी जायगी।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए''' आर्डर प्लीज

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर, आर्डर, आर्डर, आर्डर।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक घंटे का समय ले लिया है।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से उठा सकते है।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर, आर्डर।

आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्यों। अगला प्रश्न।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब किसी पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया जायेगा।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया आसन के आदेशों की अवहेलना न करें। कृपया विराजें जायें। माननीय सदस्य।

कई माननीय सदस्य : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अगली कार्यवाही ली जायगी। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर, बिराज जायें। माननीय सदस्य बिराज जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी तो मिल जाय। ववेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। एक तो जानकारी मिल जाय कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुख्य मंत्री जी को स्वयं को उपस्थित होना चाहिए। यदि मुख्य मंत्री जी इस हाउस में होते तो निश्चित रूप से उनकी भी कुछ जानकारी होती, जो कि जानकारी नहीं है और आज की जानकारी के आधार पर केन्द्रीय सरकार से वह बातचीत भी करते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के बारे में मुख्य मंत्री जी से विस्तृत रूप से चर्चा करके ही इस प्रश्न का उत्तर तैयार करके यहां दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कहां हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर और एक इन्टरडिस्प्यूट मसले को डिसकस कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी हैं कहां ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : इस सारे सवाल के उत्तर से मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप अपनी ओर से स्थगित कर दें····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित नहीं करूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जायें। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, हमारे मूल सवाल का जबाब नहीं आया पूरक सवालों का जबाब नहीं आया और इतने महत्वपूर्ण मसले पर मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं हो सकते तो इस सदन की क्या गरिमा है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राजस्थान के जागरूक सवाल पर····

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

राजस्थान के मुख्य मंत्री अयोग्य हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

हम वाक आउट करते हैं।

(व्यवधान)

(भा. ज. पा. के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री राजबहादुर : वाक आउट करते हैं।

(व्यवधान)

[कांग्रेस (अर्स) के सदस्यों का बहिर्गमन]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और न जवाब दे पा रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : इसलिए सरकार की नीति के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(श्री मेघराज तावड़ का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई मुख्य मंत्री भी है या नहीं?....

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो भरतपुर का ही है।

श्री यदुनाथ सिंह : भरतपुर का नहीं है।

(श्री यदुनाथ सिंह का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है अगला।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया और अगला प्रश्न पूछ लिया। मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान तो ग्रहण कीजिए। मंत्री महोदय, आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पूरक प्रश्न क्यों नहीं पूछने दिये जायेंगे, अध्यक्ष महोदय? कुछ सप्लीमेंट्रीज पूछना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मंत्री महोदय।

परिवहन निगम द्वारा बीकानेर में उपयुक्त स्थान पर बस स्टैण्ड की स्थापना करना

261. **श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में राज्य पथ परिवहन निगम के बस अड्डे पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए विश्राम स्थल छोटा है तथा बैंच कुल एक ही है, साथ ही पंखों की भी कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि स्टैण्ड के चारों ओर खड्डे व पानी कीचड़ भरा रहता है तथा पशुधन काफी संख्या में विचरण करता रहता है ?

(3) स्थानाभाव को देखते हुए बीकानेर बस स्टैण्ड को कब और कहां उपयुक्त स्थल पर स्थानान्तरित करने की सरकार की योजना है ?

(4) क्या बीकानेर के आसपास के इलाके अभी भी बस सेवा से वंचित हैं ? यदि हां, तो कब तक इन क्षेत्रों को बस सेवा से जोड़ दिया जायेगा ?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) जी हां। परन्तु ग्रीष्म ऋतु में पंखों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था कर दी जाती है।

(2) जी हां, बस स्टैण्ड निगम की स्वयं की भूमि पर स्थित नहीं है। इसलिए वांछित सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। दीवार निर्मित नहीं होने के कारण आवारा पशुओं के प्रवेश पर रोकथाम भी सम्भव नहीं है।

(3) बस स्टेण्ड का स्थानान्तरण उपयुक्त स्थान पर करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

(4) प्रश्न अस्पष्ट है। यदि किन्हीं विशेष मार्गों की जानकारी दी जाती है तो राज्य सरकार विचार कर निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष : एक एक प्रश्न पूछ लें। एक प्रश्न आप पूछ लें और एक प्रश्न दूसरे प्रश्नकर्ता पूछ लें।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिये जो सुविधायें दी जाती हैं यह बस स्टैण्ड जहां स्थित है वहां उपलब्ध नहीं हैं। उनके बैठने के लिए सुविधा होनी चाहिए। गर्मी में पंखों की व्यवस्था होनी चाहिये, विदेशी पर्यटक भी आते है····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। केवल प्रश्न पूछिये।

श्री देवी सिंह भाटी : प्राथमिकता के आधार पर जो सुविधायें दी जानी चाहिये, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ? यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री हनुमान प्रभाकर : पहले जो बस स्टेण्ड के लिये जगह ली गई थी वह तीन चार किलो मीटर दूर पड़ती है। लोगों ने कहा, शहर के नजदीक होना चाहिये। विधायक और जन प्रतिनिधि चाहे कि रोडवेज के पास जो जमीन है वहां बना दिया जाये तो मैं समझता हूं कि शीघ्र ही कार्यवाही

(श्री हनुमान प्रभाकर)

कर ली जायेगी। इस समय अन्यत्र जगह वहां नहीं है इसलिये विलम्ब हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अभी बीकानेर में जो बस स्टेण्ड की व्यवस्था कर रखी है उसके कारण बीकानेर का ऐतिहासिक महत्व कम हो रहा है। रोडवेज की जमीन के अलावा साइंस कालेज और जसूसर गेट के पास भारी जमीन पड़ी हुई है क्या वहां बस स्टेण्ड बना दिया जायेगा?

श्री हनुमान प्रभाकर : यदि शहर के समीप कोई स्थान उपलब्ध है, जैसा माननीय सदस्य ने बतलाया, उस संबंध में मैं जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही करूंगा। अब तक जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार शहर से तीन किलोमीटर दूर स्थान था इसलिये वहां नहीं बनाया।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री देवी सिंह भाटी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : जो सप्लीमेंट्री मैंने पूछा है उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा था यह जो प्राथमिक सुविधायें दी जानी चाहिये उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?

श्री हनुमान प्रभाकर : यह मैंने खुद ने स्वीकार किया है जो व्यवस्था वहां होनी चाहिये वह नहीं है। जो वहां स्थान है वहां जो सुविधायें देना चाहते हैं वह भी नहीं दे सकते, म्यूनिसिपैलिटी की जमीन है। इसलिये कहा है कि हम स्थान की खोज में हैं। अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थान इंगित किया है और मैंने विश्वास दिलाया है कि उस पर विचार करके निर्णय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं० 265 बहुत ही इम्पार्टेंट है।

श्री अध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये, माननीय सदस्य।

श्री श्री राम गोटेवाला : इसको स्थगित करने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील लाडनू के ग्रामों में ट्यूब वैल खोदने हेतु लगी मशीनें

271 श्री रामधन (लाडनूं) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील के ग्राम रताऊ एवं जरड़िया में पी.–20 और पी.-7 मशीनें ट्यूब वैल खोदने के लिए लगी थीं? क्या गत 6 माह से इन्होंने एक भी ट्यूब वैल पूरा नहीं किया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि रताऊ की मशीन पी.–20 को वहां से हटा लिया गया

Page No. 20

(20)

(श्री रामधन)

है ? यदि हां, तो क्यों जब कि ट्यूब वैल अधूरा पड़ा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सीलन्वाद और हुडास में ट्यूब वैल खोदे गये थे ? क्या उस कार्य को वापस बंद कर दिया और करीब 6 माह से आगे कोई कार्य नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब तक सरकार इनको कार्यरूप देगी ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील लाडनूं के ग्राम रताऊ में परकूशन रिग संख्या पी.–20 को दिनांक 17–5–80 को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के नलकूप निर्माण हेतु लगाया गया था। इस नलकूप का कार्य दिनांक 30–6–80 को समाप्त हुआ तथा यह नलकूप असफल रहा, तत्पश्चात दूसरे नलकूप के निर्माण हेतु मशीन जुलाई, 80 में लगाई गई। वेधन कार्य करते समय मशीन के इन्जन की क्रेन्क शाफ्ट टूट गई। इन्जन की क्रेन्क शाफ्ट न तो बाजार में और न ही विभाग के केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध हो सकी। जिसके कारण मशीन के इंजन की मरम्मत नहीं हो सकी। इसके फलस्वरूप नलकूप निर्माण का कार्य बन्द रहा।

ग्राम जरड़िया में परकूशन ड्रिलिंग रिग संख्या पी –7 को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के लिये नलकूप निर्माण हेतु दिनांक 16-8-80 को लगाया गया। 49 मीटर की गहराई तक वेधन करने के पश्चात् दिनांक 17–9–80 को, मशीन का बिट (बरमा) नलकूप में फंस गया। अतः मशीन को इस स्थान से हटाकर इसी ग्राम के दूसरे स्थान पर दि० 17–1–81 को लगाया गया। दूसरे स्थान पर कुल 125 मीटर की गहराई तक नलकूप का निर्माण दि० 26–2–81 तक पूरा करके इस नलकूप को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है।

(2) जी हां। ग्राम रताऊ में कार्यरत परकूशन मशीन संख्या पी.–20 को दिनांक 24–1–81 को हटा दिया गया है। ग्राम रताऊ के नलकूप में किये गये वेधन कार्य के पश्चात जिओलोजिकल स्ट्रेटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परकूशन ड्रिलिंग रिग द्वारा आगे वेधन कार्य करना सम्भव नहीं है। अतः भू-जल वैज्ञानिक, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग एवं जिलाधीश नागौर से विचार विमर्श करने के पश्चात् इस मशीन को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के लिए नलकूप निर्माण हेतु लाडनूं में दिनांक 24–1–81 को लगा दिया गया।

( ) जी हां। ग्राम सोलन्वाद में रोटरी ड्रिलिंग रिग संख्या आर–19 को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के लिये नलकूप निर्माण हेतु दिनांक 26–7–80 को लगाया गया था। इस नलकूप का कार्य दिनांक 10–8–80 को समाप्त हुआ तथा यह नलकूप असफल रहा।

ग्राम हुडास में रोटरी ड्रिलिंग रिग सं० आर–19 को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के लिये नलकूप निर्माण हेतु दिनांक 27–6–80 को लगाया गया था। तथा 58 मीटर की गहराई तक वेधन के पश्चात् नलकूप का कार्य दिनांक 22–7–80 को समाप्त हुआ। इस नलकूप में पानी नहीं मिलने तथा केवेटी निर्मित हो जाने के कारण असफल हो गया।

उपरोक्त दोनों ग्रामों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा अन्यत्र स्थान चयन नहीं किये जाने के फलस्वरूप आगे

(भू० जल मन्त्री)

नलकूप निर्माण कार्य नहीं किया गया।

तहसील सोजत का क्षतिग्रस्त बोरीनाड़ा बांध

272 श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1979 में जो बाढ़ आई थी उससे सोजत तहसील में स्थित बोरीनाड़ा बांध क्षतिग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या उसी वर्ष उसकी मरम्मत कराने हेतु रु, 30 हजार की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो तो उसे कब खर्च किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि यदि इस बांध को इसी वर्ष ठीक नहीं किया गया तो लूणी नदी से आने वाले पानी से ग्राम अवकाई की ढाणी वह सकती है ? यदि हां तो इस पर कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि बोरीनाड़ा बांध सन् 79 में क्षतिग्रस्त हो गया था। बाढ़ बचाव की स्वीकृति में से 50,000/- रुपये उसी वर्ष, उक्त बांध की मरम्मत पर खर्च किया था।

(2) बोरीनाड़ा बांध पर इस वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, एवं मरम्मत कार्य इसी वर्ष में पूर्ण किये जाने की संभावना है।

जिला सवाई माधोपुर में सिंचाई बांध

273. श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर सिंचाई विभाग के कितने तालाब है तथा उनका कितना–कितना सिंचित क्षेत्र है तथा प्रत्येक बांध से कितनी–कितनी जमीन में पानी दिया जाता है ? कृपया प्रत्येक की अलग–अलग तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तालाबों की उंगाल से हजारों बीघा भूमि खराब हो गई है ? यदि हां, तो किस–किस तालाब से कितनी–कितनी भूमि खराब हुई है ?

(3) क्या खराब हुई भूमि का मुआवजा दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि बांधों के पास सीपेज से हजारों बीघा जमीन खराब हो गई है ? यदि हां, तो किस–किस ग्राम की कितनी–कितनी जमीन ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीनों का अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो अब कब तक दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 197 तालाब है। सूची पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अजमेर नगर में बरसात व बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना

274. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर नगर में बरसात होने पर बाढ़ के उद्गम स्थल कौन कौन से हैं ?

(2) बाढ़ के पानी का बहाव किन किन मोहल्लों में कहां कहां होकर जाता है ?

(3) बाढ़ के पानी के बहाव वाले रास्ते के दोनों ओर बसी हुई बस्तियों को सुरक्षित रखने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) बाढ़ के पानी का बहाव धीमा व सन्तुलित करने हेतु अभी तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर में बरसात होने पर बाढ़ के उद्गम स्थल निम्न हैं :—

फाईसागर, आंतेड़, पलटन बजार, लोहाखान, शास्त्रीनगर, नाला मदार, कल्याणीपुरा, भगवानगंज, पहाड़गंज, इन्दर कोट

(2) बाढ़ के पानी का बहाव निम्न प्रकार है :—

आनासागर से कालाबाग, ब्रह्मपुरी, तोपदड़ा पाल बिछला, जादूगर, नगरा, भजनगंज. बिहारी गंज होता हुआ, खानपुरा तालाब में जाता है और इन्दर कोट से नला बाजार मदारगेट तोपदड़ा होता हुआ पाल बिछला में आनासागर के लेवल में मिल जाता है।

(3) बाढ़ के पानी के बहाव वाले रास्ते के दोनों ओर बनी हुई बस्तियों को सुरक्षित करने हेतु पक्की दीवारें बनी हुई हैं।

(4) आनासागर के वेस्टवीयर पर स्पिलवेगेट लगाये गए हैं एवं नगर परिषद द्वारा कुछ स्थानों पर नालों की दीवारों को ऊंचा किया गया है एवं सिंचाई विभाग द्वारा इन्दर कोट के ऊपर पानी के उद्गम स्थल पर बांध बनाकर पानी का निकास कन्ट्रोल करने हेतु स्पिलवेगेट लगाया गया है। अजमेर शहर को बाढ़ से बचाने हेतु 870 लाख रु० की योजना सरकार के विचाराधीन है।

जन सम्पर्क निदेशक का पद

276. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या जनसम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनसम्पर्क निदेशक के पद पर नियुक्त व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित किया हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त पद पर पद स्थापित किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए जनसम्पर्क अथवा पत्रकारिता में निश्चित प्रशिक्षण प्राप्त होना अत्यावश्यक नहीं है ?

(3) क्या उक्त पद पर कार्यरत व्यक्ति जनसम्पर्क निदेशक के पद पर संतोषजनक कार्य कर रहे हैं ?

(4) क्या उक्त पद के लिये सरकार विशेष योग्यता का मापदण्ड कायम करेगी ?

उत्तर

(1) विभागीय स्तर पर जन सम्पर्क

(जन सम्पर्क मंत्री)

निदेशक के कार्य और उत्तरदायित्व निर्धारित हैं।

(2) आवश्यक नहीं है।

(3) वर्तमान व्यक्ति पत्रकारिता में ज्ञान रखता है।

(4) जी हां।

(5) आवश्यक नहीं है।

नई बस्ती, भजनगंज अजमेर में जल प्रदाय व्यवस्था

277. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुधार समिति नई बस्ती, भजनगंज, अजमेर की ओर से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर के स्थानीय अधिकारियों को कई बार इस नई बस्ती में पीने के पानी का प्रबन्ध करने हेतु पाइप लाइन बिछाने या हैण्ड पम्प लगाने हेतु निवेदन किया गया है ?

(2) यदि हां, तो इस बस्ती में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस बस्ती में पर्याप्त व्यवस्था हेतु एक हैण्ड पम्प के लिये बोरिंग कार्य कराया गया लेकिन वह धंस गया तथा अब पाइप लाइन के विस्तार हेतु तखमीना बनाया गया है जिसकी अनुमानित लागत 5,600 रु. है। चूंकि अजमेर शहर में कई नई बस्तियों का विकास हुआ अतः ऐसी समस्त बस्तियों में पेयजल व्यवस्था हेतु तखमीना विचाराधीन है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर कार्य कराना सम्भव होगा।

ग्रामीण पेयजल योजनायें

278. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष पांच हजार गांवों को पेयजल सुलभ कराना तय किया है ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1980–81 में राज्य के कितने गांवों को पेयजल सुलभ करवा दिया जायगा ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) ग्रामीण पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति हेतु वर्ष 1980–81 के लिये बजट प्रावधान क्या रखा गया और अब तक बजट के अनुसार कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1981–82 में 2700 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य घोषित किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य के सभी 24037 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

(2) वर्ष 1980-81 में 2500 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जिलेवार लक्षित ग्रामों की संख्या संलग्न है।

(3) वर्ष 1980–81 में विभिन्न कार्य-

Page No. 24

(24)

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)
कर्मों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुल 26.35 करोड़ रु. का प्रावधान है। जनवरी 1981 तक लगभग 12.98 करोड़ रु. व्यय किये जा चुके हैं।

(संख्या के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

राज्य में लगाये गये हैण्ड पम्प्स

279. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980–81 में सरकार का कितने हैंड पम्प्स लगाने का लक्ष्य था? इसमें से कितने हैंड पम्प्स लगा दिये गये हैं तथा कहां-कहां?

(2) क्या सरकार ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? यदि नहीं, तो इसमें विफलता के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 में राज्य सरकार द्वारा 4000 हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य है। माह जनवरी, 1981 के अन्त तक कुल 2236 हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। इस संख्या की जिलेवार सूची संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

चेजा के पत्थर से विभाग को प्राप्त रॉयल्टी

280. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर):- क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चेजा के पत्थर की रॉयल्टी से प्रदेश में कितनी राशि वसूल की जाती है?

(2) क्या प्रदेश में किसानों एवं हरिजनों के लिये चेजा पत्थर की रॉयल्टी में किसी प्रकार की छूट या माफी है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी?

(3) क्या विभाग या ठेकेदारों द्वारा प्रदेश में किसानों एवं हरिजनों से रॉयल्टी वसूल नहीं की जाती है?

उत्तर

(1) चेजा पत्थर रॉयल्टी से वर्ष 1979–80 में विभाग को 44.78 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई।

(2) अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 के नियम 55 के तहत ऐसे किसान जो खनिज मैसेनरी स्टोन (चेजा पत्थर) का उपयोग स्वयं के कार्य हेतु अपनी ही भूमि जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है या नियमित खान के अलावा मकान, कुआं, बाउन्ड्रीवाल, सिंचाई, नाली आदि बनाते हैं तो उनसे रायल्टी वसूल नहीं की जाती है। यह छूट दिनांक 2–5–1963 से लागू है।

नियमों में हरिजनों को इस प्रकार की छूट या माफी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) उक्त नियम के अन्तर्गत विभाग या ठेकेदारों द्वारा केवल किसानों से उक्त वर्णित परिस्थितियों में रायल्टी वसूल नहीं की जाती है।

निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर की निर्माणाधीन सड़कें

281. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर)-: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर के निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले गांव छालेवाला, ढींगावली जाटान व ढींगावाली राठान को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क कब तक पूरी होगी ?

(2) इस सड़क का निर्माण किस कारण से रोक दिया गया है ?

उत्तर

(1) उक्त निर्माणाधीन सड़क छालेवाला से ढींगावाली सार्वजनिक निर्माण द्वारा नहीं अपितु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा रही है और जो सूची मिली है उसके अनुसार सितम्बर, 1981 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार काम रोका नहीं गया है अपितु धीमी गति से चल रहा है।

प्रतापगढ़ से नीमच सड़क

282. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)-: क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ से नीमच सड़क पर गत दो वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गयी? आवंटित शि में से अब तक कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या सरकार राज्य सीमा तक पक्की सड़क बनवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 में इस सड़क हेतु किसी राशि का आवंटन व व्यय नहीं हुआ। वर्ष 1980–81 में अकाल राहत के अन्तर्गत 1.40 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी अब तक कुल व्यय 1.75 लाख रुपये का हो चुका है. अब इस सड़क का कार्य जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत 19.20 लाख की लागत से माह फरवरी, 1981 में स्वीकृत हो चुका है व कार्य प्रगति पर है और इसके पेटे 49,000 हजार का खर्चा हो चुका है।

(2) जी हां। अभी 19 20 लाख की लागत से उक्त कार्य स्वीकृत हो चुका है और प्रगति पर है।

तहसील प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन

283. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):-- क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 1979-80 एवं 1980–81 में किस-किस विभाग के भवनों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त विभागीय भवनों में से किन किन भवनों का कार्य टेण्डर की शर्तों के अनुसार पूर्ण हो गया है और शेष अपूर्ण कार्यों के लिये कौन–कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने

(श्री नन्दलाल मीणा)
समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया है और विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 विभिन्न विभागों के कार्य जो हाथ में लिए गये की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। कुछ कार्यों को ठेकेदारों ने समय पर नहीं किया किन्तु यह सही नहीं है कि विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई, कार्यवाही का विवरण सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

रामगंज मण्डी क्षेत्र की सड़कें

284. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा झालावाड़ सड़क के लखावा, के रावठा तक की सड़क पर गिट्टी बिछी हुई है किंतु डामरीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब डामर कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि डण्डवा से छत्रपुरा सड़क को पक्का करना दो जिलों के जनता के लिए हितकर होगा ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक पक्का कर देगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि रामगंज मण्डी से जुल्मी सड़क की दो बड़ी पुलियाएं एवं तीन छोटी पुलिया अभी तक भी नहीं बनवाई गई हैं ? यदि हां, तो अब कब तक बनवा दी जावेंगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि चेचट से एकलिंगपुर तक की सड़क का डामरीकरण होना भी अत्यावश्यक है ? यदि हां, तो कब तक इस सड़क का डामरीकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सड़क पर एक लेयर की मेटल्ड सड़क कार्य क्रेश योजना के अन्तर्गत किया गया था। डामरीकरण हेतु कोई स्वीकृति नहीं है।

(2) जी हां। परन्तु जनसंख्या व अन्य मापदण्डों के आधार पर यह सड़क अभी वरीयता सूची में नहीं आती है और निकट भविष्य में इसको पक्का करना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। अभी इस विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता चूंकि यह मापदण्डों के अनुसार वरियता में नहीं आते हैं।

(4) जी नहीं। चूंकि निकट भविष्य में यह मापदण्डों के अनुसार वरीयता में नहीं आती है, अतः इस विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

जयपुर शहर के स्टाम्प विक्रेता

285. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में कमीशन बेसिस पर कितने स्टाम्प विक्रेता (जुडिशियल व नान-जुडिशियल स्टाम्प के) नियुक्त हैं ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) वर्ष 1961 में इन्हें कितना कमीशन दिया जाता था तथा अब कितना दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1961 की अपेक्षा अब स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना व क्यों ?

(4) क्या सरकार कमीशन बेसिस पर नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसीलों में नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं को जयपुर में नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं की अपेक्षा अधिक कमीशन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर में नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन तहसील के स्टाम्प विक्रेताओं के बराबर करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? जयपुर शहर तथा तहसील में नियुक्त समान व्यवसायी में यह असमानता क्यों ?

उत्तर

(1) 41 (जयपुर जिले में)

(2) वर्ष में 1961 में कमीशन निम्न प्रकार दी जाती थी। प्रत्येक एक सौ पर

नान जुडिशियल स्टाम्पस :

1.	जिला मुख्यालयों पर	रु. 3.10
2.	उप जिला मुख्यालय पर	रु. 4.70
3.	अन्य जगहों पर	रु. 6.25

जुडिशियल स्टाम्पस :

समस्त मुख्यालयों पर रु.1.55

वर्तमान में जो कमीशन दिया जाता है। निम्न प्रकार है :-

(क) नान जुडिशियल स्टाम्पस:-

1.	जिला मुख्यालय पर	रु. 2.75
2.	उप जिला मुख्यालय पर	रु. 4.25
3.	अन्य जगहों पर	रु. 5.60

(ख)-जुडिशियल मुद्रांक:-

समस्त मुख्यालयों पर रु. 1.50

(3) जी हां। कितनी कमी की गई इसके लिये प्रश्न के भाग दो का उत्तर देखें। वर्ष 1951 में मुद्रांक बिक्री की अधिकांश सीमा 100.00 रुपये थी जब कि वर्तमान में इसमें वृद्धि कर 400-00 रुपया तक की सीमा कर दी गई है। इस कारण कमीशन में कमी की गई है।

(4) जी नहीं। मुद्रांक बिक्री की सीमा 100-00 रुपये से बढ़ाकर 400-00 रु० करने के कारण स्टाम्पस विक्रेता की कुछ आय में कमी नहीं होती।

(5) जी हां। शहर के मुद्रांक विक्रेताओं की कमीशन तहसील के मुद्रांक विक्रेताओं के बराबर करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। शहर में मुद्रांकों की बिक्री अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है और मुद्रांक विक्रेता कमीशन अधिक पाते हैं।

पंचायत समिति दांतारामगढ़ के ग्राम भूमां का मुख्यालय

286. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):- क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
(1) क्या पंचायत समिति दांतारामगढ़, जिला सीकर के ग्राम पंचायत भूमां का मुख्यालय चिड़ासरा बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चिड़ासरा ग्राम इस पंचायत का सबसे बड़ा गांव है और पंचायत के तीनों गांवों के बीच में है ?

(3) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा तथा कब तक पूरी हो जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत भूमां का मुख्यालय चिड़ासरा बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) यह सही नही है कि ग्राम चिड़ासरा ग्राम पंचायत भूमां का सबसे बड़ा ग्राम है। वर्ष 1971 की गणना के अनुसार चिड़ासरा ग्राम की जनसंख्या 872 है जबकि भूमां ग्राम की जनसख्या 1611 है। ग्राम चिड़ासरा पंचायत के तीनों गावों के बीच में पड़ता है।

(3) ग्राम पंचायत भूमां द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय भूमां के बजाय चिड़ासरा बदलने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास कर प्रस्तुत किया। पंचायत समिति दांतारामगढ़ ने भी सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव की सहमति दी। इन प्रस्तावों के अनुसार पंचायत का मुख्यालय बदलने की सिफारिश के साथ पत्रादि, उनके पत्र दिनांक 6-4-79 द्वारा सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग में प्राप्त हुए थे। उप जिला विकास अधिकारी, सीकर को विभाग द्वारा दिनांक 28-7-80 को निर्देश दिए गए है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए पुनः जांच कर नवीनतम प्रस्ताव के साथ मामला पुनर्सीमा निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

जिला चित्तौड़गढ़ के निलम्बित सरपंचों के विचाराधीन प्रकरण

287. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चितौड़गढ़ जिले में जून, 1980 के पश्चात् कितने सरपंचों को निलम्बित किया गया ? क्या राज्य सरकार के पास इन प्रकरणों से पूर्व के मामले निर्णय हेतु विचार राधीन हैं ? यदि हां, तो कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले में जून, 1980 के पश्चात्, एक सरपंच श्री शान्तीलाल बापना ग्राम पंचायत, भोपालसागर को दिनांक 3.2.81 को निलम्बित किया गया है।

इस प्रकरण से पूर्व राज्य सरकार के पास 2 मामले एक श्री चुन्नीलाल भू.पू. सरपंच ग्राम पंचायत थडा पं.स. प्रतापगढ़ एवं श्री भूरालाल भ.पू. सरपंच ग्राम पंचायत कश्मोर पं.स. चित्तौड़गढ़ के निर्णय हेतु विचाराधीन हैं।

अजमेर नगर बस सेवा

288. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में नगर बस सेवा के अन्तर्गत कितनी बसें चलाई जा रही हैं व उनके क्या क्या रूट्स हैं ? कृपया बसों के रूट्स की तालिका सदन के पटल पर रखें।

(2) नगर के फैलाव एवं बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए नगर बस सेवा में बसों की संख्या बढ़ा कर रूट्स के पुर्नानिधारण का क्या सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में नगर बस सेवा के अन्तर्गत 10 बसें चल रही हैं। बसों के रूट्स की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बस सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से बसों के स्कोप की संख्या 12 से बढ़ा कर 28 एवं मार्गों की संख्या 6 से बढ़ा कर 12 करने का निर्णय लिया हुआ है। रिक्त स्थानों पर परमिट देने के लिये आवेदन पत्र मांगे गये हैं। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्हें नियमानुसार प्रकाशित करवा कर स्वीकृत करने का निर्णय लिया जायगा।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बाड़मेर शहर में बस स्टेण्ड निर्मित कराना

289. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :- क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर में राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के रुकने का कोई सुनिश्चित व समुचित स्थान नहीं है तथा जहां बसें खड़ी होती हैं, वह स्थान रेलवे की सीमा में दो मार्गों के बीच एक बहुत ही असुरक्षित व अपर्याप्त स्थान है ?

(2) क्या निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु, जिले के मुख्यालय शहर बाड़मेर में बस स्टेशन का निर्माण करना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसे क्रियान्वित करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। निगम द्वारा बस स्टेण्ड के निर्माण का कार्य उपयुक्त स्थान मिलने पर निर्भर करता है जिसके लिए प्रयास जारी हैं।

लोकराज बहुद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, सरदारगढ़

290 श्री महावीर प्रसाद (टोंक) :- क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या लोकराज बहुद्देशीय सहकारी समित लि., सरदारगढ़ तहसील ग्रामेट, जिला उदयपुर के अध्यक्ष, श्री गिरवर जोशी के खिलाफ 30,375 रुपये के गबन का आरोप साबित हुआ है ?

(2) यदि हां, तो क्या श्री जोशी के विरूद्ध विभाग द्वारा पुलिस में केस दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या इन निर्देशों की पालना की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।
(2) प्रश्न ही नहीं उठता
(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी संस्थाओं में प्रशासकों की नियुक्ति

291. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सहकारी संस्थाओं के प्रशासकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधीश भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 10 फरवरी, 1981के अनुसार भूमि विकास बैंक, भरतपुर, उपभोक्ता सहकारी भंडार, भरतपुर, नदबई क्रय विक्रय सहकारी समिति, नदबई के प्रशासकों को परिवर्तित किया और क्या यह नियमानुसार है?

(2) क्या यह भी सही है कि बार एसोसियेशन भरतपुर ने जिलाधीश भरतपुर के विरूद्ध कोई निंदा प्रस्ताव पास किया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिलाधीश भरतपुर के विरूद्ध बार एसोसिएशन का किसी प्रकार का निन्दा प्रस्ताव सहकारी विभाग को नहीं मिला है।

जिला सीकर मे घटित अग्निकाण्ड

292. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सीकर में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक विभिन्न तहसीलों में किस-किस स्थान पर कितने कितने अग्निकांड हुए हैं तथा इनमें कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है ?

(2) इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी सहायता किस किस रूप में दी गई है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में अब तक विभिन्न तहसीलों में 290 अग्निकाण्ड हुये हैं तथा इसमें 11,88,970/— रु. की अनुमानित क्षति हुई है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" (1–6) व "ख" पर उपलब्ध है।

(2) इस संबध में जिला प्रशासन द्वारा 258 अग्नि पीडितों को 51,835/— रु. की नकद सहायता स्वीकृत की गई है। व्यक्तिवार विवरण परिशिष्ट "क" (1–6) में अंकित है।

परिशिष्ट "ख" में अंकित 32 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र अब तक प्राप्त हुए हैं जिनको नियमानुसार नकद सहायता दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(परिशिष्ट 'क' व 'ख' के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

घानी बाड़ी बस्ती (अजमेर)

293. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् सीमा अजमेर में घानी बाड़ी बस्ती में गरीब अनुसूचित जाति के लोग निवास करते है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

बस्ती में सड़क व गलियां कच्ची हैं तथा नालियां भी बनी हुई नहीं हैं ?

(3) इस स्थिति में कब तक सुधार कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस बस्ती में एक सड़क कच्ची है उस पर निर्माण कार्य नाली सहित चालू है । शेष अधिकांश सड़क व गलियां पक्की हैं ।

(3) प्रश्न का उत्तर भाग 2 में आ गया है ।

केसरीसिंहपुर की हरिजन बस्तियों में सड़क निर्माण

294. श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगरपालिका केसरीसिंहपुर (जिला गंगानगर) द्वारा हरिजन बस्तियों की सड़कों को बनाने के टेण्डर हो जाने के बावजूद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अब कब तक सड़कें निर्माण करवा दी जावेंगी ?

उत्तर

जी नहीं । कार्य दिनांक 21.2.81 से प्रारम्भ कर दिया गया है ।

नगरपालिका लाडनू में गबन से सम्बद्ध विचाराधीन प्रकरण

295. श्री रामधन (लाडनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनू के 6 कर्मचारियों पर गबन के मुकदमे चल रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि 6 कर्मचारी पहले निलम्बित किये गये थे जिनमें से तीन को बिना फैसले ड्यूटी पर ले लिया गया और तीन अभी तक निलम्बित हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) पांच कर्मचारियों पर गबन के मुकदमे चल रहे हैं ।

(2) कुल 6 कर्मचारी गबन के आरोप में निलम्बित थे, जिनमें से तीन कर्मचारियों को पैंडिंग इनक्वायरी कुछ शर्तों के साथ बहाल किया गया एवं तीन कर्मचारियों के विरूद्ध मुन्सिफ कोर्ट मे केस चलने के कारण अभी वे निलम्बित हैं ।

कोटा डिवीजन की नगरपालिका एवं नगर परिषद्

296. श्री गोपाल पचेरवाल(पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा डिवीजन में कुल कितनी नगरपालिकायें तथा नगर परिषदें हैं ? जनवरी, 1980 से अब तक इनमें कुल कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

कोटा डिवीजन में एक नगरपरिषद एवं 20 नगरपालिकाएं हैं, जनवरी, 1980 से फरवरी, 81 तक नगरपालिकाओं द्वारा जो नयी नियुक्तियां की गई हैं उनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)।

तहसील प्रतापगढ़ में केरोसिन वितरण की एजेन्सीज

297. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रतापगढ़ तहसील के गांवों में राशन कार्डों पर केरोसिन वितरण किया जा रहा है ? यह व्यवस्था कहां तक कारगर सिद्ध हुई है ?

(2) माह जनवरी, 1981 में किस-किस पंचायत में कितना-कितना केरोसिन आवंटित किया गया तथा कितना-कितना वितरण हुआ ? कृपया प्रत्येक पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) केरोसिन का वितरण किन एजेन्सीज द्वारा करवाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ तहसील के गांवों में उपलब्धता के आधार पर उपभोक्ताओं को प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड 5 लीटर केरोसिन तेल दिये जाने के निर्देश हैं।

(2) माह जनवरी, 81 में अरनोद स्थित 5 केरोसिन डीलरों को 9,900 लीटर केरोसिन को आवंटन किया गया। उक्त डीलरों के माध्यम से अरनोद चुपना, नौगांवा, मोहडो, झांझली, सांखथली, थाना, लालगढ़, अचलावदा, बेडमा, कोटडी, फतहगढ़ कुल 12 पंचायत क्षेत्रों को केरोसिन तेल वितरण किया गया।

अचलपुरा लैम्पस को 4,400 लीटर केरोसिन तेल आवंटित किया गया जिसके माध्यम से अचलपुरा, बसाड़, अमलावद, मनोहरगढ़, सुहागपुरा, कचोटिया, वीरपुर रामपुरिया, पंडावा, खरोट, कुल 10 पंचायत क्षेत्रों को केरोसिन वितरण किया गया।

दलोट में केरोसिन डीलर द्वारा दलोट निनोर, अम्बीरामा, रायपुर, उठेल, बोडी, सांखथली, सेवना, चाकुण्डा, सालमगढ़, अचनारा पंचायत क्षेत्र में केरोसिन वितरण किया जाता है। इस क्षेत्र में जनवरी, 81 में थोक विक्रेता को टैंक प्राप्त नहीं होने से जनवरी, 81 में केरोसिन वितरण नहीं हुआ। माह फरवरी में करा दिया गया है।

बारवरदा स्थित केरोसिन डीलर के माध्यम से बारवरदा मधुरातलाव, नारायण खेड़ा कुल्मीपुरा, धमोतर, देवगढ़, चीकलाड़, पंचायत सर्कल में केरोसिन का वितरण कराया जाता है। थोक विक्रेता को केरोसिन टैंक उपलब्ध नहीं होने से इस क्षेत्र में वितरण नहीं हुआ। अब उपलब्ध होने पर वितरण कराया जावेगा।

प्रतापगढ़ कस्बे में 35,600 लीटर केरोसिन का आवंटन किया जाता है। जिसमें से 50% केरोसिन तेल उपरोक्त 39 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त शेष पंचायतों में से आने वाले गांवों के लोगों को रविवार

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) को लगने वाली हाट के दिन वितरण किया जाता है।

(3) केरोसिन का वितरण लैम्प्स एवं निजी लाइसेंसधारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है।

जिला सीकर के राशनिग डीलर्स

298. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)—क्या रसद एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1980 से लेकर जिला सीकर में राशन के कितने डीलर्स नियुक्त किये गये ? इनमें सहकारी समितियां एवं प्राईवेट डीलर्स कितने-कितने हैं ?

(2) कितनी सहकारी समितियों और प्राइवेट डीलर्स के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई एवं क्या-क्या कार्यवाही हुई?

जिला सीकर के राशनिग डीलर्स

298. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) क्या रसद एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1980 से लेकर जिला सीकर में राशन के किनने डीलर्स नियुक्त किये गये ? इनमें सहकारी समितियां एवं प्राईवेट डीलर्स कितने-कितने है ?

(2) कितनी सहकारी समितियों और प्राईवेट डीलर्स के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई एवं क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 1 अप्रेल, 1980 से निम्नांकित संख्या में सहकारी समितियां एवं प्राइवेट डीलर्स राशन वितरण के लिए नियुक्त किये गए:—

शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र		
सहकारी समितियां	निजी विक्रेता	सहकारी समितियां	निजी विक्रेता	कुल योग
68	5	132	158	363

(2) सहकारी समितियां एवं प्राइवेट डीलर्स के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई :—

क्र. सं.	सहकारी समितियों की सं.	निजी डीलर्स की सं.	कार्यवाही का विवरण
1.	5	9	शिकायतें तथ्य हीन होने के कारण दाखिल दफ्तर की गई।
2.	3	9	शिकायतें सही मिलने पर अभियोग दर्ज किये गये।
3.	8	27	शिकायतें जाच अधिकारी के पास विचाराधीन हैं।
योग—	16	45	

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी

299. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

(श्री नन्द लाल मीणा)

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में कितने आदिवासी बालक कक्षा 6 से 11 तक अध्ययन कर रहे हैं ? कृपया विद्यालय वार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या अनुसूचित जनजाति के उक्त छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कितने छात्रों ने आवेदन किया था तथा कितने छात्रों को भुगतान किया गया ? भुगतान से वंचित छात्रों को भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) इनकी संख्या लगभग 24 हजार है । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) 15290 छात्रों ने छात्रवृति हेतु आवेदन किया था । इनमें से 12291 को छात्रवृति प्रदान की गयी है । बजट प्रावधानों की कमी से शेष को छात्रवृति नहीं दी जा सकी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम सेवाड़ी (बाली) में रिक्त पदों की पूर्ति

300. श्री असलम खां (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम सेवाड़ी, पंचायत समिति, बाली के उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य विषय का कोई भी वरिष्ठ शिक्षक नहीं है ? यदि हां, तो कितने माह से ? अब कब तक पदस्थापन कर दिया जायगा ?

उत्तर

दिनांक 27-11-80 से कनिष्ठ व्याख्याता (वाणिज्य) का पद रिक्त था । जिसके लिए दिनांक 10-3-81 को पदस्थापन आदेश प्रसारित कर दिये हैं ।

बालिका हायर सैकन्डरी स्कूल, चित्तौड़गढ़

301. श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ के एक मात्र बालिका हायर सैकन्डरी स्कूल में छात्राओं की संख्या 1200 है ?

(2) यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ के एक मात्र बालिका हायर सैकन्डरी स्कूल में छात्राओं को लाने ले जाने के लिए एक बस की कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(3) प्रतापनगर के वर्तमान स्कूल को कब तक क्रमोन्नत कर सैकन्डरी स्कूल बना दिया जायेगा ?

(4) गाड़िया लुहार उच्च प्राथमिक शाला, जिला मुख्यालय चितौड़गढ़ को कब तक सैकन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) यह व्यवस्था वित्तीय साधनों पर निर्भर करेगी ।

Page No. 35

(55)

(शिक्षा मन्त्री)

(3) 81-82 वर्ष में मिडिल स्कूल को सैकन्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्राव-धान नहीं है।

(4) 81-82 वर्ष में मिडिल स्कूल को सैकन्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्राव-धान नहीं है।

भाषायी अल्प संख्यक अध्यापकों के पद

302. श्री तकीउद्दीन (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या भाषायी अल्प संख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 1975-76 में निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर को भाषायी अल्प संख्यक अध्यापकों के तृतीय वेतन श्रृंखला के 500 पद स्वीकृत किये थे ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) इन 500 पदों का जिलेवार बंटवारा किस नीति के आधार पर किया गया तथा प्रत्येक जिले को कितने कितने पद दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन 500 पदों में से कुछ जिलों में भाषायी अल्पसंख्यक अध्यापकों के स्थान पर सामान्य अध्यापकों को नियुक्त कर समायोजन कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस नीति के आधार पर ? यदि नहीं, तो वर्तमान में जो भाषायी अल्पसंख्यक अध्यापक विभिन्न जिलों में तृतीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत हैं, कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने जिला अजमेर को इन 500 पदों में से 51 पद भाषायी अल्पसंख्यक तृतीय वेतन श्रृंखला के दिये थे ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा किन कारणोवश ? भविष्य में राज्य सरकार इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) इन 51 पदों में से अजमेर जिले को उर्दू तथा सिंधी अल्प भाषा के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का बंटवारा किस प्रकार किया गया ?

(6) क्या सरकार भविष्य में विभिन्न जिलों में तृतीय वेतन श्रृंखला के भाषायी अल्पसंख्यक अध्यापकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए नए पद आगामी वर्षों में और सृजित करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो किस नीति को आधार मानकर तथा कितने पद ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभिन्न जिलों में इन अध्यापकों की मांग नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति संलग्न हैं। इन पदों में 500 पद भाषाई अल्प संख्यक अध्यापकों के पद भी सम्मिलित हैं।

(2) जिलों में आवश्यकता के अनुसार पदों का आवंटन किया गया है। प्रत्येक जिले में कितने पद आवंटित किये उनकी सूची संलग्न है।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

(4) जी हां, कोई पद रिक्त नहीं है।

(5) आवश्कतानुसार इन 51 पदों का

(भाषायी अल्प संख्यक मन्त्री बंटवारा 9 उर्दू व 42 सिंधी भाषा के अध्यापकों में किया गया।

(6) मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार भाषाई अल्प संख्यक अध्यापकों के पद सृजन करने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ठ 10 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर

303. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के 'उपहार" द्वारा विक्रय करने हेतु स्टेशनरी का सामान किन-किन फर्मों से कितना-कितना खरीदा गया? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सामान खरीदने में निविदायें आमंत्रित की गई थीं? यदि हां, तो किस-किस विक्रेता ने किस-किस भाव की निविदा प्रस्तुत की? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन निविदा प्रस्तुत करने वाली सभी फर्मों के मालिक एक ही हैं और उसने "उपहार" के व्यवस्थापकों के साथ मिलकर षडयंत्र करके बड़े ऊंचे भाव पर स्टेशनरी विक्रय की, जब कि सामान्य बाजार भाव कम थे?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। परिशिष्ट (अ)

(2) जी हां। सूचना संलग्न परिशिष्ठ (ब) में अंकित है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ठ 11 देखें)

मेवाड़ शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड भोपालसागर

304. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेवाड़ शुगर मिल प्राईवेट लिमिटेड, भोपालसागर के विस्तार हेतु निर्माण कार्यों के लिये लोहा, स्टील व सीमेन्ट आदि के विशेष परमिट दिये गये हैं?

(2) यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी मात्रा के परमिट किस-किस सामग्री के जारी किये गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(अध्यक्ष)

(1) सर्व श्री दाऊदयाल जोशी व रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से लाड़पुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खांडगावड़ी क्षेत्र को 1958 में ही नगरपालिका क्षेत्र कोटा में सम्मिलित करने के बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा पुरानी तारीख में उसके कुछ भूखण्डों का बेचान करने के विषय में।

(2) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर नगर परिषद, द्वारा शहर के गंदे पानी का ठेका दिये जाने पर ठेकेदार द्वारा उस पानी से सब्जी उगाने के कारण बीकानेर शहर में आंत्रशोथ की बीमारियां होने के विषय में।

(3) श्री गुलाबचन्द कटारीया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि कालेज उदयपुर में गत 14 मार्च को छात्रों में झगड़ा हो जाने के कारण एक छात्र की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(4) सर्वश्री ललित किशोर चतुर्वेदी, डा० उजला अरोड़ा, व कुमारी पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गगांनगर में राजस्थान विश्व विद्यालय को विधि विभाग की पूरक परीक्षाओं की कुछ उत्तर पुस्तिकायें जयपुर में रद्दी में बेची गई—इस घटना के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर के मेडिकल कालेज........

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) अजमेर मेडीकल कालेज।

श्री अध्यक्ष : अजमेर के मेडिकल कालेज के सहायक कर्मचारी संघ द्वारा धरना, अनशन व आम हड़ताल करने की घटना के विषय में।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है फिर भी इसे आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

(6) सर्वश्री बालचन्द आर्यवीर, अनंगकुमार जैन, राम किशोर मीणा व हरीश शर्मा, सदस्य. विधान सभा की ओर से राज्य में विभिन्न स्थानों में दहेज को लेकर विवाहित युवतियों की हत्या तथा उनको यातना देने की घटनाओं के विषय में।

(7) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्या, विधान सभा की ओर से पंचायत लनियावास जिला जयपुर के ग्राम लखेसरा से बगराना जाने का रास्ता किसी व्यक्ति द्वारा बंद किये जाने की घटना के विषय में।

(8) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर जिले के बांदनवाड़ा क्षेत्र में श्री रामराय निलंबित थानेदार के परिवार पर किये गये कातिलाना हमले के विषय में।

(9) सर्व श्री चुन्नी लाल व हंसराज शर्मा. सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर में डकैती, बलात्कार व चोरियां आदि की घटनाओं के विषय में।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और स्थगन प्रस्ताव के विषय भी

Page No. 38

(38)

(श्री अध्यक्ष)

नहीं हैं, अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

पूर्व में प्राप्त कुछ स्थगन प्रस्तावों पर मेरा निर्णय इस प्रकार है :

(1) श्री **कैलाश मेघवाल** :

पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ से राइफलों के गायब होने की घटना।

(2) श्री अगंनकुमार जैन व श्री बालचन्द आर्यवीर :

झालावाड़ पुलिस की जीप द्वारा टक्कर मारकर दो व्यक्तियों की मृत्यु की घटना के विषय में।

इन विषयों पर सरकार की ओर से वक्तव्य किये जावेंगे, जिनकी तिथि बाद में घोषित की जावेगी।

(3) **श्री घनश्याम तिवाड़ी** :

सीकर जिले की पीपराली कस्बे में की गई एक डकैती के विषय में।

(4) सर्व श्री लच्छूराम व भगवानदास शास्त्री :

गत 7 मार्च को लुहारू–सवाई माधोपुर रेलगाड़ी को डाकुओं द्वारा लूटने के विषय में।

(5) श्री हरीश शर्मा :

ग्राम सलावद तहसील रामगंज मंडी में कुछ ईसाइयों द्वारा हरिजनों को परेशान करने के विषय में।

(6) श्री नंदलाल मीणा :

तहसील प्रतापगढ़ के गन्धेर तालाब पर कुछ आदिवासियों पर गोली चलाने तथा एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में।

(7) डा० उजला अरोड़ा :

गत 28 फरवरी को रोड़ पर लखेसरा ग्राम में ईटों के भट्टों को डाकुओं द्वारा लूटने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त तथ्यों के अध्ययन से यह प्रकट है कि इनमें लिप्त अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके अन्वेषण किया जा रहा है।

(8) **श्री यदुनाथ सिंह व कुछ अन्य माननीय सदस्य** :

गत 27 फरवरी को नदबई जिला भरतपुर में महात्मा गांधी की मूर्ति खण्डित करने के विषय में।

इस घटना का सम्बन्ध तीन नाबालिग बच्चों से होना पाया जाता है और पुलिस द्वारा इसका मुकदमा दर्ज करके अन्वेषण किया जा रहा है।

(9) **श्री गुलाब चन्द कटारिया** :

गंगानगर जिले के दधिमति कालेज में बी० एड० की कक्षायें अनियमित रूप से प्रारम्भ करने के विषय में।

इस विषय में विश्वविद्यालय द्वारा एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है जो अपनी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करेगी।

(10) **श्री मोहन लाल शर्मा** :

सरदारशहर में अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका द्वारा कुछ जमीनों के फर्जी पट्टे बनाकर बेचने के विषय में।

इस मामले में जिलाधीश चूरू द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिये गये हैं और उनके द्वारा जांच की जा रही है।

(11) श्री रघुवीर सिंह कौशल व दाऊदयाल जोशी :

राजस्थान के विभिन्न भागों में एक विशेष प्रकार की घास बढ़ने के विषय में।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर पाया गया कि पशुओं में कोई बीमारी नहीं फेल रही है, फिर भी इस विषय में राज्य सरकार को चाहिये कि वे विशेष सतर्कता बरतें।

इन स्थगन प्रस्तावों को मैं देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर भी राज्य सरकार से मंगाई गई जानकारी प्राप्त हो गयी है :—

(1) **श्री अनंग कुमार जैन**– झालावाड़ में पिछले तीन माह से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध न होने के विषय में,

(2) **श्री कैलाश मेघवाल**– गत 28 जनवरी को श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, तहसील सरदारशहर में हुई हत्या के विषय में,

(3) **श्री जीत मल जैन**– अलवर में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सड़ा गला अनाज वितरण करने के विषय में,

(4) **कैलाश मेघवाल**– सामुदायिक विकास विभाग द्वारा 20 लाख रुपये का सामान अल्पकालीन निविदा सूचना के आधार पर खरीदने के विषय में,

(5) **श्री दाऊदयाल जोशी**– थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोटा द्वारा मंगाये गये माल पर भारी मात्रा में डेमरेज देने की घटना के विषय में,

(6) **ललित किशोर चतुर्वेदी**– सतपुड़ा ताप बिजली घर से राजस्थान को मध्य-प्रदेश सरकार द्वारा बिजली न दिये जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त सूचना पर अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने पर निर्णय लिया जायेगा।

वे प्रस्ताव जिन पर व्यवस्था नहीं दी जा रही है।

श्री रतन लाल ताम्बी : धात्री उपवैद्यों के आन्दोलन के विषय में।

इस पहले एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी जो सरकार को आवश्यक जानकारी देने के लिये भेजी गई हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार—

श्री गुलाब चन्द कटारीया : (उदयपुर) अध्यक्ष महोदय, मेरा जो आज स्थगन प्रस्ताव था, वह इतनी एक अजीब घटना है, फिर भी आपको जानकारी प्राप्त नहीं हुई मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तीसरा दिन होने जा रहा है, लड़कों की मृत्यु हो गई है। सरकार को स्वयं अपनी तरफ से जानकारी प्राप्त करके इस पर बयान देना चाहिए। इसके कारण वातावरण कितना

उग्र हो रहा है। यह कोई स्थगन प्रस्ताव का ईश्यू नहीं है, या भाषण करने की बात नहीं है लेकिन यह सरकार की गलती के कारण हुग्रा है।

श्री ग्रध्यक्ष भाषण नहीं———

श्री गुलाब चन्द कटारीया : ग्राप सरकार से तुरन्त जवाब दिलावें ग्रध्यक्ष महोदय, नहीं तो वहां ग्रौर भी खून खच्चर होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा ? इसके पहले भी मैंने उसे उठाया।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। इस पर जानकारी मंगवायी जा रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारीया : मैं ग्राप की बात का स्वागत कर रहा हूँ........

श्री ग्रध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लीजिए, बस। मेरा यही निवेदन है। जल्दी लगवायेगें जानकारी। मैंने निवेदन किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारीया : यह साधारण इश्यू नहीं है। ग्राप इसको लाइटली ले रहे हैं। इसके कारण ग्रौर कोई मर जायेगा यह स्थिति वहां बनी हुई है ग्रौर सरकार उदासीन है। यहां तक कि सरकार ने मिल करके किया है। यह सरकार की गलती के कारण हुग्रा है लड़कों की मृत्यु होने वाली है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य। ग्रार्डर प्लीज। ग्रंकित न हो।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा :

श्री ग्रध्यक्ष: मुझे जवानी याद नहीं है। माननीय सदस्या जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, उन पर मैंने ग्रपनी व्यवस्था ग्रापके समक्ष रख दी। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों के विषय में मैंने जानकारी सरकार से चाही है वे कृपया जानकारी ग्राने तक इंतजार करें। उसके बाद जैसी व्यवस्था होगी, यदि स्थगन प्रस्तावों को ग्रासान स्वीकृत कर देता है तो ग्रापको ग्रवसर दिया जायेगा, वरना सरकार की ग्रोर से उत्तर दिया जावेगा। ग्रब कौन सा विवाद का विषय रह जाता है।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मान्यवर, मैं एक बात कहती हूँ, विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा की बेची गयी–

श्री ग्रध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मैं भाषण नहीं दे रही हूं मान्यवर, मैं जानकारी दे रही हूं। 11 मार्च को परीक्षायें हुई हैं, उनकी कापियां जयपुर के बाजार में किस तरह से ग्रायी। विश्वविद्यालय उत्तरदायित्व वहन नहीं कर रहा है। ये गोपनीय उत्तर पुस्तिकायें, जिस पर—

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रंकित न हो।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा :

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे ग्रपना थोड़ा माइन्ड तो लगाने दीजिए मैंने निवेदन कर दिया। ग्रार्डर प्लीज। ग्रंकित न हो।

श्रीमति उजला ग्ररोड़ा :

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रासन पैरों पर है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उदयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में

× × × माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर में एक लड़के की हत्या हो चुकी है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है, उदयपुर में। सरकार ने उत्तर नहीं दिया तो और भी उत्तेजनापूर्ण स्थिति हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मामला है। मैंने अविलम्ब इसकी जानकारी चाही है। जल्दी जानकारी प्राप्त करके मैं आपके समक्ष निवेदन कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं इस समय करने में असमर्थ हूं। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। ये प्रस्ताव श्री बाल चन्द आर्य....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने सवाल किया है। सरकार ने कौन कौन से कदम, आगे घटना न हो, इसके लिए उठा लिये हैं। यह बात वे कह दें। इसमें कोई बात नहीं है। सरकार से पूरी जानकारी बाद में मँगवा लें लेकिन सरकार ने प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से लिये हैं? वहां आग लग रही है, जातिवाद की, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार के केवल प्रोटेक्शन के तरीके हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से, कोई––

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर एक दफा ही आयेगा। पूरी जानकारी अपन यहां मँगवा रहे हैं, उसके बाद ही––

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : जयपुर में गंदा पानी, जो घरों में आता है––

श्री अध्यक्ष : कोई विचारणीय विषय नहीं है आज। यह समय के पश्चात आया है। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : मान्यवर, 28 तारीख को हुई दुर्घटना के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया, आज आपने कहा, उत्तर आया है। उसके बाद दोबारा जानकारी लेनी चाही तो यहां मिली नहीं। विद्या जी ने भी इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया। अभी भी उसका अध्ययन किया जा रहा है? इस तरह से कब अध्ययन होगा, कब परिणाम होगा, क्या सुरक्षा है? मैं जानना चाहती हूं। क्या इस सदन का महत्व....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं। हम जानकारी करके, पूरा अध्ययन करके, उसके पश्चात उस पर व्यवस्था देते हैं। इसलिए आप कह रही हैं कि आप अभी तक उसका अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन तो करना पड़ता है। अध्ययन करके मैंने निवेदन किया, मैं कल उस पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतना विलम्ब अपेक्षित नहीं था, जल्दी उत्तर आना चाहिए जिससे कम से कम टाइम पर रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : मेरी यही कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उत्तर आये। रोज 15-15 उत्तर आते हैं इसलिये मैं भी अध्ययन नहीं कर सकता तो उत्तर भी किसी सीमा तक आने चाहिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। व्यर्थ में समय ले रही हैं। माननीय सदस्या। अंकित न हो। श्री अनंग कुमार––

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप फर्मा रहे हैं, मैंने सुन लिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय जानबूझ कर इसको करा रहे हैं। माननीय सदस्य जनता पार्टी के वहां से जीतकर आए है इसलिए उदयपुर की शांति को भंग करवाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज उत्तर नहीं दिला सकता, माननीय सदस्य। आज उत्तर नहीं दिलाऊंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय मंत्री महोदय यह तो बतावें कि उदयपुर में क्या व्यवस्था की जा रही है। क्या इस व्यवस्था को इसी तरह से चलने देंगे....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस सारे झगड़े का कारण हनुमान प्रभाकर है इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर....

श्री नन्दलाल मीणा : जानबूझ कर इसको दबाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं कि आपने इस पर चर्चा कर ली है इसलिए इस प्रकरण की यहां पर चर्चा समाप्त की जाती है। कोई सूचना नहीं मंगाई जाएगी।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चार्ज लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत काम नहीं करने देना चाहते हैं तो मैं अगला कार्य लेता हूं। इसका मतलब यह है कि मैंने एक फ्रीडम दे दी, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए तो इस पर नई बहस की जरूरत ही नहीं है। मैंने व्यवस्था दे दी है, इसके बाद आगे का कार्य लेता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अकलेरा की घटना के बारे में....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का हाथ विश्वविद्यालय में जो हत्या हुई है उसके अन्दर है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण। आर्डर, आर्डर आर्डर....

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, दहेज प्रथा के विषय में ...

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य घण्टे भर से बाधा उपस्थित कर रहे हैं इसलिए मेरे पास सिवाय इसके कोई उपाय नहीं है कि मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूं। डेढ घण्टे का समय हो गया। प्रश्नकाल में केवल एक प्रश्न आ सका। मैं आपकी उत्सुकता को समझता था, प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने काफी उस पर समय दिया। उसके बाद मैं फिर....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

उसके बाद स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी तो वही की वही कार्यवाही वापस शुरू हो गई। मेरा स्थगन प्रस्ताव पहले लिया जाय, मेरा बाद में लिया जाय, मेरा बाद में लिया जाय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि यहां जितने भी प्रश्न आते हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए समय को ध्यान में रख करके उन पर व्यवस्थायें दी जाती हैं। माननीय सदस्य यदि स्थगन प्रस्तावों के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं अथवा बाधा उपस्थित करते हैं तो मैं अपना अगला विषय जो कार्य सूची के अन्दर है उसको लेता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इतने नाराज मत हों, साहब दो-दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : नाराज होने की क्या बात है ? मैं नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। मेरे स्थगन प्रस्ताव का उत्तर आया है। मुझे मालूम पड़ा है कि खेतड़ी के बारे में जवाब आ गया है इसलिए मुझे जवाब दिलाया जावे। जहां पर जाकर मैं आया हूं, हालात बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर वही बात शुरू कर दी। खेतड़ी का मंगवाया मैंने। उसके लिए तारीख फिक्स अब कर रहा हूं और आप आज ही जवाब चाहते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : सरकार को आज जवाब देने के लिए कहा जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं तारीख मुकर्रर कर रहा हूं और आपने फिर ज़ुबानी शुरू कर दिया है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दहेज प्रथा के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा वही बोलेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : मेरा नाम पुकारा है, साहब।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर। मैं नाम पुकारूं वही बोलेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक सांगानेर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव दिया था कि सांगानेर में अन–अयो-

(श्रीमती विद्या पाठक)

राइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं माफी भूमि पर। सरकारी अधिकारियों के बड़े छोटे अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी, और कांग्रेस के माननीय सदस्य और नेताओं के माध्यम से उनके संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में इस तरह से माफी, मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या !

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कहना चाहती हूं। मैं एक सैकण्ड में अपनी बात खतम करती हूं। मुझे यह विश्वास है कि एक तो सरकार की ओर से जवाब नहीं आयगा। और आयेगा तो इस तरह का आयगा, जैसा हमारे पास प्रश्नों का जवाब आता रहा है जो पढ़ा नहीं जा सकता है, न मायने रखता है, या फिर कुवड जवाब आयगा। फलस्वरुप जितना डेमेज होना है वह हो चुकेगा और अधिकारी इनको यह जवाब पेश करेंगे कि इतना बन चुका है और इसके बाद अब कुछ नहीं कर सकते है। मैं चाहती हूं, इसका जवाब आए या न आए, आप मुझे इस पर चर्चा करने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्य।

श्री बालचन्द आर्यवीर (5ग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दहेज प्रथा के ऊपर मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि यह अंधी बहरी सरकार जो है, इसको पता नहीं है कि अभी वर्तमान में दहेज प्रथा को लेकर के कितनी हत्यायें कितनी युवतियों की हुईहैं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक घटना बताना चाहता हूं जो कि जहाँ मैं मेरे मुहल्ले में रहता हूं श्री पूर्ण सिंह जी हैं, उन्होंने लड़की की शादी रतलाम में की थी। छः महीने भी उसको नहीं हुए उस लड़की को पूर्ण दहेज नहीं देने पर आग में झुलसा करके जान से मार डाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय भी माननीय सदस्य कटारियाजी ने और नन्दलालजी ने एक घटना दहेज के बारे में बताई थी कि किस तरह से उसको लोहे की जंजीरों से बांध कर कड़ी सजा दी गई। यह सारी बात पूर्ण विवरण सहित सरकार के कानों में डाली गई थी लेकिन इस अंधी सरकार को पता नहीं इसकी क्या जांच की ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जो दहेज प्रथा के बारे में युवतियों को कष्ट दिया जाता है और मृत्यु की शिकार होती हैं उसके कारण लोगों को कुछ नियम बना कर कुछ सजा देने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के अन्दर दहेज प्रथा को लेकर विभिन्न प्रकार की घटनायें घटित हो रही हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से इन घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता रहा है। इसके पूर्व के उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही हृदय विदारक घटना पर यहां प्रकाश डाला था। मेरे पास भी वैसे तो इन घटनाओं की काफी लम्बी लिस्ट है, इस लिस्ट को पढ़कर मैं इतना समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री अनंगकुमार जैन)

दहेज प्रथा समाज का एक कोढ़ है । राजस्थान प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की घटनायें दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं । कई बार दहेज नहीं देने के कारण युवतियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनको प्रताड़ना दी जाती है, यहां तक कि कई बार उनकी हत्यायें भी की जाती हैं और हत्यायें भी बड़े दर्दनाक तरीके से की जाती हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अभी तक जो कानून बनाया गया है कोई इफेक्टिव यूटिलाईजेशन उस कानून का नहीं हुआ है और इसके प्रावधान है वे इतने सक्षम नहीं हैं जो दहेज प्रथा को रोक सकें । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह इतनी भयंकर प्रथा है जिसकी वजह से नारी समाज को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है । यातनाओं का शिकार होना पड़ता है । इसलिए इस कानून के अन्दर संशोधन किया जावे, इस कानून का एजीक्यूशन सख्ती से किया जाय और विधान सभा के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से जो यह यह सरकार की निगाह में या सरकारी एजेंसी की निगाह में इस प्रकार के मामले लाये जायें तो सरकार की ओर से जो उनके अधिकारी बैठे हुए हैं उनको निर्देश होना चाहिए कि इस प्रकार के मामले जब भी प्रकाश में आएं, इस प्रकार की रिपोर्ट की जावे, इस प्रकार के मामलों की शिकायतें प्राप्त हों, इस प्रकार के मामले प्रकाश में लाये जावें उनके ऊपर बहुत गंभीरता से निर्णय लेकर उन पर अविलम्ब रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए तथा जो इस प्रकार के कृत्य, कु-कृत्य करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जावें ताकि समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत हो कि इस प्रकार के कुकृत्य किये जावेंगे तो उसके अन्दर कानून में प्रावधान है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे ही समय ज्यादा नहीं लेता हूं । दो–तीन मिनट ही बोलता हूं ।

श्री अध्यक्ष : दो दो मिनट का समय है ।

श्री अनंग कुमार जैन : दो मिनट में खत्म कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब इस प्रकार के मामले सरकार के सामने लाये जावें तो सरकार को अपने अधिकारियों को आदेश प्रसारित करना चाहिए कि इन मामलों में सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति रिपीट न हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नाम है ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम जरूर पुकारूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं भी तभी बोलूंगी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह तो इस बात पर है कि त्रि–पक्षीय समझौता हो जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा ।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दहेज प्रथा कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पनपी है । जितने भी सुख के साधन, आराम के साधन हैं जितनी भी घर गृहस्थी का देने वाली चीजे हैं यह उम्मीद की जाने लगी है कि लड़की अपने बाप के घर से लायेगी । सुन्दर भी हो, सुशील भी हो, पढ़ी लिखी भी हो और साथ में लड़की तो आये ही लेकिन घर से सामान पहले आये । कुरूपता सुरूपती नहीं आंकी जाती सुशीलता, उसका सु–गृहपत्नीपन नहीं नापा जाता है, नापा जाता है वह साथ में क्या लाती है ? यह परम्परा ज्यादा प्रचलित हुई है । इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

पिछले दिनों जयपुर में एक लड़की की बारात आई । उस समय कहा गया कि पचास हजार रुपये दो, नहीं तो शादी नहीं करेंगे । उस लड़की का पिता अपमानित होकर अन्दर गया । दूल्हा लौट कर नहीं आया । दूल्हा गायब कर दिया गया । इस बात के लिये कि पचास हजार रुपया पहले मिलेगा तब वापस आयेगा । पचास हजार रुपया वह रेलवे मे काम करने वाला पिता कहां से लाता ? लड़की छत पर गई और छत पर से कूद पड़ी । तीन दिन बाद मर गई । क्या यह दहेज के कारण मृत्यु नहीं थी ? आज तक उस लड़के के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं आगाह करना चाहूंगी कि क्या हो रहा है ? देश का कानून बना हुआ है ।

अभी 10–2 की बात है । एक लड़की थी जरमन देवी अरोड़ा । जोधपुर के खचरों के मोहल्ले की हमारी कास्ट की लड़की थी । वह नागौर की लड़की थी, ब्याही जोधपुर में थी । उसको हर बार यह कह कर दबाया गया कि दहेज कम लायी है । जब भी वह जाती इस कंडीशन पर भेजा जाता कि तू अबकी बार पांच दस हजार रुपये लायेगी तो तुझे घर में सुख मिलेगा । उसके बाद इस लड़की को काफी मारा, दस तारीख की रात को मारा । वह पीहर से केवल इसलिये आई थी कि मैं कुछ कपड़े ले आऊं । उसकी बहन की शादी थी वह वापस लौटना चाह रही थी, उसको पति ने मारा, मैं तुझे अब कपड़े नहीं ले जाने दूंगा, तुझे अब जाने नहीं दूंगा । जब तू मेरे लिये पांच हजार, और लायेगी ? कब तक मां बाप दहेज देते रहे यह कुछ समझ में नहीं आता । साल दो साल, तीन साल हर बार दहेज देते रहें? लेकिन यह परम्परा जो पड़ गई है, यह गलत है । उस लड़की ने कहा कि मैं अब कैसे कहूं, मेरे पिता की क्षमता नहीं है । उसको रात भर मारा, फिर सुबह मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया । आज तक उसके मां-बाप के बयान नहीं लिये गये । मान्यवर, यह बड़ी गंभीर घटनाएं हैं ।

एक राधा नाम की लड़की छोड़ दी गई । यह कह कर छोड़ दी गई कि तू लायेगी तो तुझे घर लायेंगे । मां-बाप ने सोचा चलो इसको कुछ देकर भेजो । इज्जत भी समझते हैं लोग अपनी लड़की को कब तक घर में रखें ? तो उन्होंने कुछ सामान देकर भेजा रात वह गई एक बहुत बड़े अधिकारी की बहन है, मैं उसका नाम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं लेना चाहूंगी । वह व्याकुल होकर जब भी मेरे पास आया, मैंने सरकार को, यहां के पुलिस वालों को आग्रह किया कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये, जिसने ऐसा जघन्य कार्य किया । कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, उसको पानी में डुबाकर मार डाला गया । उसे बुरी तरह से मारा गया, मैं आपको क्या बताऊं और फिर यह कहा गया कि यह तो कूद कर मर गई । यह मामले गंभीरता पैदा करते हैं । हर मां बाप की चिन्ता का विषय है कि लड़की कैसे ब्याही जाय । ब्याह की परम्परा जो हमारे समाज में हैं या तो उसी को समाप्त कर दिया जाये, या फिर इस तरह इतनी रक्षा तो की जाये कि लड़कियों की इस तरह से जीवन लीला समाप्त न हो । उन्हें निरन्तर इस तरह मान-अपमान के बीच जीवित न रहना पड़े । एक लड़की वंश बढ़ाने के लिये जाती है और वंश बढ़ाकर उनकी जीवन भर बिना पैसे के चाकरी करती है । मैं पूछती हूँ, सरकार का उत्तरदायित्व है इस सामाजिक कुरीति पर ध्यान देने का । जो कानून बनाया गया है वह कानून केवल कानून बना देने के लिये कानून नहीं है, उसकी पालना की जानी चाहिये । सरकार इस पर ध्यान दे और इसको अपराध घोषित करे कि जो दहेज देगा उसके खिलाफ और जो दहेज लेगा, मांगेगा, कंडीशन रखेगा उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी । जो इस तरह की घटनाएं नजर में आती हैं, उनकी समय पर जांच न होना, समय पर उनके बयान नहीं लेना, जैसा मैंने जरमन देवी का यह मामला बताया 10–2 का, अभी तक उसके मां-बाप का पुलिस वालों ने बयान नहीं लिया जब कि लड़की तीन दिन बाद मरी है । वह सबको बता कर गई है कि मुझे इंसानों के बीच किस तरह से दलित रूप से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से मारा गया, किस तरह से रोटी नहीं दी गई है ? मान्यवर, यह अपने समाज में क्या हो रहा है ? सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं करे ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यही बात करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ । यह चिन्तनीय विषय है । सरकार के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये । हम यहां जन कल्याण के लिये बैठे हैं । यह जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, न सास लेने की मांग करे, न मां देने की तैयारी करे, जिसको लेनी है लड़की मांग कर स्वाभिमान से जीवित रह सके उस घर में, इस तरह की बात होनी चाहिये । मान्यवर, इस तरह के अपराध भविष्य में न हों, इस तरह की आप कोई व्यवस्था सरकार से करायें । मैं महिला हूँ, मैं समझती हूँ इस तरह से एक महिला को जो यहां राजधानी के लोग पहले गले पर पैसा रख कर मान देते थे, मान्यवर, यह सम्मान दिलाना मैं समझती हूँ सरकार का भी काम है । उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनके प्राणों की रक्षा हो । किसी से भी एक प्रकार का आश्वासन महिला समाज को आज के रोज मिलना चाहिये । सरकार इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करें ।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन यह है कि लड़कों को परण कर लड़की के घर चले जाना चाहिये ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, केरल में ऐसा होता है ।

श्री उजला अरोड़ा : मान्यवर, मेरा गंभीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो, आपने मेरा सुझाव पूछा है इसलिए निवेदन किया कि सब से अच्छा तो यह है कि लड़के परण कर लड़की के घर रहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मातृ सत्तात्मक राज्य में ऐसा होता था, लेकिन अब पुरुष प्रधान राज है। इसमें मैं यह चाहती हूँ कि जो व्यवस्था हो सके वह ठीक हो।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सामाजिक कोढ़ है। इसको हम तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक जो कानून है वह सब पर लागू नहीं हो। मान्यवर, मैं अगर करता हूं तो मेरा कुछ नहीं होगा। गांव का कोई आदमी जाता है तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। आज जो कानून है उसको लागू नहीं कर सकते तो कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आप जानते हैं कि जनता का लोकतन्त्र से विश्वास उठ रहा है। अध्यक्ष महोदय, पैसे वाले पूँजीपति हैं या मन्त्री लोग हैं उनके लिये कानून लागू करें तो कुछ नहीं होगा। गरीब लोगों के लिए कानून लागू हो, गरीबों के लिए सोचें क्योंकि गरीब लोगों के बच्चों को मरना पड़ता है, आत्म हत्या करनी पड़ती है। उन्हें पशुवत जीवन जीना पड़ता है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। अखबारों और पत्रिका में हम रोज पढ़ते हैं। लेकिन आप सुनते नहीं हैं। मेरा निवेदन है आप राज्य सरकार से कहें या तो कानून नहीं बनायें और कानून बनाये तो उसको लागू करें सबके लिए और समान रूप से पालन करायें चाहे वह कोई हो राजा हो या महाराजा या गरीब हो।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती विद्या पाठक। पंचायत लूनियावास जिला जयपुर के ग्राम लखसेरा से बगराना जाने का रास्ता किसी व्यक्ति द्वारा बन्द किये जाने की घटना के विषय में।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में भी मेरा प्रस्ताव है, दहेज के विषय में।

श्री अध्यक्ष : इसके विषय में फर्मा दीजिये। यह साथ ही है विषय, इस लिए अर्ज कर दिया। पहले दहेज के विषय में।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले कुछ वर्ष मे सरकार और प्रशासन का भय कम होने की वजह से दहेज के कारण बहुत ही हत्यायें हो रही हैं। लड़कियों और महिलाओं को इतना हरेस किया जाता है कि या तो वह आत्म हत्या कर ले या वह जला दी जाती है। फिर चाहे वह उदयपुर की कांता हो, चाहे नसीराबाद की विमला, पीलीबंगा की बाली हो, चाहे श्रीमती पूनम जयपुर की हो, कहीं की भी लड़की हो, राजस्थान में भारत वर्ष में इस तरह की घटनायें बहुत बढ़ रही हैं। मान्यवर, यह सही बात है, यह सामाजिक समस्या है और इसके निराकरण का उत्तरदायित्व समाज पर भी बहुत है परन्तु यह भी बात सही है कि हमारे प्रदेश में एन्टी डावरी एक्ट चल रहा है, प्रचलित है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन सीरिअसली नहीं होने के कारण इस तरह की घटनायें बढ़ रही हैं और इस तरह के समाज विरोधी कृत्यों में लोगों का हौंसला बढ़ रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह के केसेज है इनके डिसीजन्स और डिस्पोजल

(श्रीमती विद्या पाठक)

बहुत जल्दी होना चाहिए चाहे उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स की और अन्य स्पेशल व्यवस्था करनी पड़े । यह सराहनीय कहा जा सकता है कि अभी पिछले महीने ही केन्द्र में इस तरह का एक सेल बनाया गया है जिसमें दहेज विरोधी इस तरह की शिकायतों का रजिस्ट्रेशन होता है और उनके अन्दर कार्यवाही भी की जाती है । परन्तु, मान्यवर, एक पक्ष को और भी नहीं नकारा जा सकता है और वह पक्ष है पुलिस पक्ष । इसके विषय में पुलिस को शिकायत तो की जाती है परन्तु इसमें एक छोटा सा उदाहरण, मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री के शब्दों में ही दे दूं, जैसा उन्होंने जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या के जवाब में कहा था कि बरातियों की मार पिटाई हुई, हमला हुआ पर गवाह कोई नहीं है । उन्होंने माननीय सदस्या से यह कहा था कि आप शनाख्त तो दिलवा दीजिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वयं में इस बात का जवाब है कि गवाही दी ही नहीं जा सकती । एक प्रश्न है क्यों नहीं दी जा सकती, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं ने अपरोक्ष रूप में स्वीकार किया है कि आप गवाह तो दिलवा दीजिये, फिर तो पुलिस वाले स्वयं ही उसे देख लेंगे । यही आज वास्तविक स्थिति है । इसीलिये कोई रिजल्ट नहीं निकलता है और गैर सामाजिक तत्वों के हौंसले बढ़ रहे हैं । दूसरा मैं निवेदन करूंगी कि केन्द्र और राज्य सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि दहेज के झगड़े को डाइवोर्स का ग्राउण्ड बना दिया जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव है ग्राम लखेसरा से बगराना जाने वाला रास्ता किसी व्यक्ति द्वारा बन्द किये जाने की घटना के विषय में । अध्यक्ष महोदय, यह रास्ता बहुत वर्षों से खुला हुआ था और इस रास्ते पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने जमीन खरीदी और उस जमीन को खरीदने की वजह से रास्ता रोक दिया गया जिस पर विवाद पिछले डेढ़ साल से चल रहा है, बार बार रास्ता बन्द कर दिया जाता है । कलेक्टर और एस. डी. एम. लेवल से हिदायत दी जाती है कि मामला कोर्ट में ले जाओ । यह बड़ी खराब परम्परा है अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट में जो रास्ता है, कागजों में जो रास्ता है उसके किये अनजान सीधे गांव के लोगों के लिए कहें कि अदालत में ले जाओ तो यह मामले को खींचने से अधिक कुछ भी नहीं । इसलिये मैं निवेदन करूंगी, अध्यक्ष महोदय, जो रास्ता पिछले डेढ साल से रोका हुआ है उसको खुलवाने के लिए । उसको रोकने वाले जो हैं वह स्वयं से बहुत असामाजिक तत्व हैं यह कहा जाता है कि सरपंच और उसके साथ के लोगों ने इस प्रकार के अन्य कई अवैध कब्जे कर रखे हैं । उनकी जानकारी में उनके पक्ष के साथ मिलकर रास्ते को रोका हुआ है जिससे गांव वालों को कोई रास्ता है ही नहीं । एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी रास्ता नहीं है तो लोग जायेंगे कहां से ? जहां से चूने के भट्टों को रास्ता जाता है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी यह रास्ता खुलवाने का प्रयास करें ताकि गांव वालों को रास्ता मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें

(श्रीमती विद्या पाठक)

तो अभी मैंने निवेदन किया कि राजस्व की जो बजर भूमि है उस पर अवैध कब्जे के बारे में अगर आप बाद मे कहें तो बाद में बोलूंगी, अभी कहें तो........

श्री अध्यक्ष : अभी बोल दीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, सांगानेर में वायरलेस आफिस के पास में दो भूमिया हैं जो बहुत पुरानी माफी मंदिर की भूमि है, एक सांगा बाबा के मन्दिर और, दूसरी गोविन्ददेव जी के मन्दिर के अन्तगत है। सांगा बाबा का मन्दिर की 18 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं. 550 एव 548, अब जो बदल कर 550 कर दिया गया पिछले रिकार्ड में खसरा नं. 318 था और जो पिछले रिकार्ड में दूसरी भूमि 317 खसरा नं. थी उसको बदल कर 548 कर दिया गया। यह भूमि स. 1967 के पहले यहां के पुजारी घासीराम ने एक महिला रमा देवी पत्नी नवीन जौहरी, घी वालो का रास्ता, जयपुर को बेच दी। इस भूमि को बाद में पिछले वर्ष जनवरी 80 मे 48 हजार रुपये में अवैध रूप से अनआफिशियली एक सलीम कास्वी ने खरीदी जिसको बाद में एक अपोलो सोसायटी को बेच दिया गया। यह सोसायटी इसको टुकड़े करके बेच रही है और आवासीय भूखण्ड अलाट कर रही है। पहली बात तो एग्रीकल्चर लैण्ड के टुकड़े करके बेच ही नहीं सकते दूसरे यह जो हाउसिंग सोसायटी है यह फर्जी है इसका आडिट नहीं होता है। इस सोसायटी में घासीलाल, सूरजमल अग्रवाल, मोहनसिंह मेहता मालपुरा टीलावाला इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीन लेकर इस तरह अनआफिशियली कब्जा कर रखा है। इससे जमीन खसरा नं. 552 सांगा बाबा और 557 गोविन्ददेव जी के मन्दिर के नीचे थी इस पर इस तरह से अवैध रूप से अपोलो हाउसिंग सोसायटी ने कब्जा कर रखा है। इन्हीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सुराणा फार्म अजमेर रोड पर, सोडाला रोड पर और अन्य कई जगहों पर कब्जे कर रखे हैं। तो इस संबंध में निवेदन है, खसरा 552 सांगानेर में 557 गोविददेव जी के माफी मंदिर के नीचे थी उस पर भी इसी तरह से अवैध रूप से इसी हाउसिंग सोसायटी ने कब्जा कर रखा है। वहीं प्रोसेस है, दोनों भूमियां एडजाइनिंग हैं और मंदिरों के अन्तर्गत है। जनवरी 80, में किसी तरह से फिर इन्हीं व्यक्तियों ने जमीनें काट दी है। ऐसा बताते हैं कि 80 हजार में खरीदा और इस सोसायटी को ढाई लाख में बेच दी। इसमें, अध्यक्ष महोदय, सोचने की बात यह है कि इसके अन्तर्गत जो सड़क और मकान बनाये जा रहे हैं उसके लिये एस.डी.एम. से स्टे भी आया हुआ है इसके बावजूद वहां के स्थानीय तहसीलदार की देख रेख में सड़कें बन और नींव खुद रही है। जो लोग इसके विरोध में आवाज उठाते हैं उनको डराया धमकाया जाता है या प्रलोभन दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की सांठ गांठ में, जिनको जानकारी भी हो फिर भी अगर पटवारी द्वारा रिकार्ड चेंज किया जाय, ठीक इंद्राज न हो, अगर इस तरह से माफी मंदिर की भूमि पर एन्क्रोच करें, सोसायटी बन जाय तो यह बड़ा शोचनीय, चिन्ता का विषय है और, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अराजकता का सूचक है। स्टे के बावजूद स्वयं तहसीलदार की देखरेख यह कार्यवाही हो रही है तो मैं सोचती हूं यह सरकार के लिये भी परेशानी की बात है। मैं सरकार से,

Page No. 51

(51)

(श्रीमती विद्या पाठक)
संबंधित मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हू कि इस तरह की घटना को तुरन्त रोका जाय ताकि लोगों में अराजकता की भावना और अराजकता न फैले।.

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री, अजमेर जिले के बांदनवाड़ा क्षेत्र में श्री रामराय निलंबित थानेदार के परिवार पर किये गये कातिलाना हमले के विषय में।

श्री भगवानदास शास्त्री (**अजमेर पश्चिम**) : अध्यक्ष महोदय, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण घटता घटी है, एक निलंबित थानेदार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही दयनीय थी, अचानक तीसरे पहर, 10 मार्च की रात्रि को उनकी माता तुलसी बाई उदयपुर से अपने घर भिनाय जा रही थी। अपने बेटे और उनके बच्चों से मिलने के कारण वह रात को वहां पर ठहरीं। भले ही इसको कुछ भी रंग दिया जाय, चोरी कहा जाय या रंजिश किन्तु यह डकैती है। कारण यह है कि अगर यह डकैती नहीं होती तो तुलसी बाई ने कौन सा अपराध किया था कि घर में घुसते ही गला काट दिया। गला कोई चाकू से काट सकते हैं? अगर चाकू से गला काटा तो कम से कम खून की धारा तो कपड़ों पर लगी होती, चाहे वह वृद्ध हो। इसके पश्चात् राम राय जी अरोड़ा स्वयं और उनकी पत्नी अचेत हो गयीं, 10 वर्ष की बच्ची थी उसने यह सारी घटना देखी। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो घटना घटी, अगर यह डकैती नहीं होती, मामला चोरी का होता तो उनको बेहोश करके सारा माल ले जाते किन्तु उन्होंने माताजी तुलसी बाई को जान से मारा है। अरोड़ा दम्पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी पत्नी को होश आया किन्तु वह स्टेटमेंट देने की सामर्थ्य नहीं रखती कुछ बोल नहीं सकती है और अचेतावस्था में हैं। अध्यक्ष महोदय, लोगों में असुरक्षा की भावना यहां तक है कि कुछ भी बोलेंगे तो जान का खतरा है। यहां जब विधान सभा में बोलते हैं तो कहा जाता है कि विरोधी मसाला मिलाकर कहता है। मैं यह विश्वास से कहता हूँ, अजमेर जिले में यह दूसरी घटना है। पहले 3 माह पूर्व लीला पोल्ट्री फार्म फायसागर रोड पर हैं वहां भी डकैती पड़ चुकी है जो एक कास्मोपालिटन सिटी कहलाता था, राजस्थान का केन्द्र था, अंग्रेजों के जमाने में, वहां दुर्भाग्यपूर्ण डकैतियां हों यहां तक कि कुए में कुछ कपड़े और सरिया मिला। पुलिस अभी तक जिसको अनुसंधान इन्वेस्टीगेशन कहें, आज तक जितनी डकैतियां हुई। उनका पता नहीं लगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : ....ठीक है डी०आई०जी० तफतीश करने गये। यह सराहनीय कार्य हुआ है। किन्तु आज तक जो फरार हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं, जिन्होंने माल लूटा है जिन्होंने अरोड़ा साहब के घर को बर्बाद किया है जो कि अभी तक अचेत अवस्था में हैं, वे बच सकते हैं या नहीं किन्तु कम से कम राजस्थान में कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं। आज जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। अजमेर कास्मोपोलिटन सिटी है। इसलिए मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि वहां पर पुलिस सक्षम हो। बान्दरवाड़ा बिलकुल सेन्टर में पड़ता है। उसके एक तरफ भिनाय है और एक तरफ अजमेर है। 24

Page No. 52

(52)

(श्री भगवानदास शास्त्री)

घंटे वहां पर ट्रैफिक रहता है, चाहे दस ट्रक हों। ऐसे क्षेत्र में डकैती हो तो जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम जान माल की सुरक्षा का प्रबन्ध करे। इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल। सवाई माधोपुर जिले में डकैती, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरियां आदि की घटनाओं के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा। संक्षेप में। माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : मैं आपके माध्यम से इस निकम्मे प्रशासन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सवाई माधोपुर जिले में आये दिन बड़े बड़े काण्ड हो रहे हैं। पुलिस जागरूक नहीं है, यह सही है। इसके उदाहरण के रुप में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 9 तारीख को हमारे जिले सवाई माधोपुर में हिन्डौन नगर बंद रहा और इस बंद का एक ही कारण था- वहां पर जितने भी पत्थर के ट्रक हैं उनको आये दिन डकैत लूट लेते हैं और पैसा देने पर सामान वापस लौटा देते हैं। यह चर्चा होती रहती है। कई बार पुलिस के लिये निवेदन किया किन्तु पुलिस निष्क्रिय है और डाकुओं को, डकैतों को किसी प्रकार से पकड़ने में सफल नहीं हुई है। इस प्रकार से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो भी सवाई माधोपुर जिले में होती है वे सब पुलिस की निष्क्रियता के कारण होती हैं। एक प्रश्न का राज्य सरकार ने जवाब दिया था जनवरी, 1981 तक सवाई माधोपुर जिले में 897 चोरियां हुई जिसमें से 127 मुलजिमों को पकड़ा गया है। 12 लाख से ऊपर की चोरियां हुई। यह चोरियां हुई उनमें 34 डकैतियां हैं और 24 मर्डर हो चुके हैं और 14 बलात्कार के केस हो चुके हैं। पुलिस ने इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि डकैती में कितना माल गया है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार इस प्रकार के निकम्मे प्रशासन के खिलाफ कदम उठाने का प्रयास करेगी? क्या यह सही है कि दिशाहीन सरकार इस कु-प्रशासन पर पर्दा डाल रही है और सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण हैं, वे अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा न हो कि मंत्रिमण्डल में बैठे हुए मंत्री कहीं इन डकैतों को संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं? मुझे यह सन्देह है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रिमण्डल में बैठे हुए लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। आम जनता में इस प्रकार की धारणा जोर पकड़ रही है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार हो रहा है और मंत्रियों की इन से सांठगांठ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो मैंने चार्ज लगाया है, यदि हमारे सरकार का नैतिक साहस है, हिम्मत है तो वह इसकी जांच करावे और जिन अधिकारियों का निकम्मापन साबित हो उनको सस्पेन्ड किया जाये, और उनको हटाया जाये। इसके साथ मैं आपसे यह निवेदन करूंगा.... ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और वह एक पहाड़ी इलाका है आये दिन वहां पर डकैतियों की वारदातें होती रहती हैं। जो वहां पर पुलिस चौकियां हैं वे 20 मील, 25 मील, 40 मील, 50 मील की दूरी पर हैं। वहां पर छोटी छोटी कोतवाली हैं और साधन उनके पास नहीं हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में जहां इस प्रकार की वारदातें होती हैं, डकैती, मर्डर होते हैं, जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहां पर पुलिस की चौकियां कायम की जायें और पुलिस के पास उचित और पूरे आवागमन के साधन मुहैया कराये जाये तभी उस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं इतना ही कह कर अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनता परेशान है। यह जिम्मेदारी किस की होगी ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना है........

श्री अध्यक्ष : किस के बारे में ? यह हमारे सामने विचारणीय नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है। आपने कहा है सरकार से जानकारी मांगी है और वह जानकारी अधूरी आई है।

श्री अध्यक्ष : यह कौन सा है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो श्री हरीश शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और जिस पर आपने व्यवस्था दी है, और उसको रिजेक्ट कर दिया है........

श्री अध्यक्ष : इन स्थगन प्रस्तावों में जिन तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई थी उस पर यह जानकारी आई है कि अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज किया जाकर आगे अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें अनुसन्धान हो रहा है। गिरफ्तारी की जा चुकी है........

श्री दाऊदयाल जोशी : अनुसन्धान अधूरा हो रहा है। एक व्यक्ति पकड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : अब हम क्या कर सकते हैं हमने जानकारी दी और इसका यह उत्तर आ गया है। इसमें घनश्याम तिवाड़ी, भगवान दास शास्त्री, श्री लच्छूराम, श्री हरीश शर्मा, श्री नंदालाल मीणा, डा० उजला अरोड़ा इन सब के बारे में जानकारी आ गई है और सरकार ने यह सूचना दी है कि मुकदमे दर्ज करके जितने मुलजिम बताये हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद में यदि गलत पकड़ा है या सही पकड़ा है उसकी कार्यवाही होती रहेगी। यहां क्या ....?

श्री दाऊदयाल जोशी : जिनका अपराध था उनमें केवल एक व्यक्ति को ही पकड़ा गया है। ......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ आर्डर। मेरा निवेदन यह करना है कि स्थगन प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने मूव किये हैं जिन पर राज्य सरकार से जानकारी चाही गई थी और राज्य सरकार ने चूंकि जानकारी दी है और कुछ लोगों

Page No. 54

(54)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

को गिरफ्तार किया है। इसका मतलब यह है कि जो तथ्य दिये गये हैं और जो सरकार से जवाब आया है उससे सेटिसफाय होकर आपने इनको रिजेक्ट किया है। इस लिये दो दो मिनीट बोलने का अवसर दें।

श्री **अध्यक्ष** : यह सवाल नहीं है। इन पर दो दो मिनट चाहे बोल लें। मैंने निवेदन किया इन सब में एक कैटेगरी नहीं है। यह शिकायत थी कि ट्रेन को लूट लिया गया। इसमें जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से दूसरे, तीसरे में भी यही है। चूंकि सरकार ने इनको पकड़ लिया है इसलिये इनको अस्वीकार कर दिया है। इसके बावजूद भी दो दो मिनट बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जिन मुद्दों को यहां पर उठाया जाता है—यह 9 तारीख को स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी गई है डकैती के सम्बन्ध में और सरकार से जानकारी मंगवाई जा रही है, यह व्यवस्था आपने दी। यह आश्चर्यजनक बात है कि तीन दिन पहले ही सारे तथ्य, जानकारी अखबारों में आ गई और सरकार से जानकारी आने में इतना विलम्ब हो जाता है तो स्थगन प्रस्ताव का महत्व समाप्त हो जाता है। इसके पहले ही अखबारों के माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है कि कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है। सदन को जानकारी देरी से दी जाती है तो इसके लिए आप सरकार को कहें........

श्री **अध्यक्ष** : दो दिन की छुट्टी हो गई थी।

श्रीमती विद्या पाठक : छुट्टी से दो दिन पहले अखबारों में पढ़ा है........

श्री **अध्यक्ष** : हमारे यहां से जाते हैं तभी तो सरकार जानकारी भेजती है........

(व्यवधान)

स्थिति क्या है ? हमारे पास इत्तला आ गई है।

श्री लच्छूराम एवम् भगवान दास शास्त्री, गत 7 मार्च को सवाईमाधोपुर रेलगाड़ी के लूटे जाने के विषय में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में जरा व्यवधान डाल रहा हूं। अभी मैंने उदयपुर टेलीफोन से बात की है। सारा उदयपुर बंद है। ढाई सौ तीन सौ लड़के हाथों में हथियार लेकर चिल्ला रहे हैं 'खून का बदला खून' नारे लगा रहे हैं। सारी दुकाने बंद हैं। तोड़ फोड़ हो रही है। असंतोष फैला हुआ है। और सरकार एक शब्द भी कहने की स्थिति में नहीं है तनाव रहना महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कभी भी आपसे इतना आग्रह नहीं किया है, आपने कहा उसको स्वीकार किया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीन चार घंटे बाद एक वक्तव्य दिला दें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जो उदयपुर की स्थिति है उसके बारे में क्या आज आप वक्तव्य दे सकते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं कि दे सकता हूं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य : अधिकारियों से पूछ कर बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : जो भी स्थिति है वह आप रख दें। उदयपुर के बारे में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : घंटे दो घंटे बाद रख दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करके आपको निवेदन कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको ही निवेदन करूंगा।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सदन से जानकारी मांगी गयी है तो वह सदन में ही रखी जानी चाहिये। यह आम कायदा है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात। वे पहले मुझे सूचित करेंगे और फिर मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। इसमें ऐसी कौनसी बात हो सकती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो आपको लगता होगा इसमें कुछ बातें हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा। श्री दाऊदयाल जी आप बोलेंगे उनकी तरफ से ईसाइयों वाले मामले पर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सलावद तहसील रामगंज मंडी जहां पर 95 प्रतिशत ईसाई रहते हैं और बाकी शत प्रतिशत शिडयूल्ड कास्ट के लोग हैं उनमें विशेष कर कोली चमार जाति के लोग रहते हैं वहां पर एक चमार पन्ना की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद उन ईसाइयों ने कुछ लोगों को कहा कि यहां पर ईसाइयों को दफनाते हैं इसलिये तुम इस मुर्दे को दफनाओ, जलाओ मत, उन्होंने कहा कि हमारी यह परम्परा नहीं है हम हिन्दू हैं हमारी परम्परा मुर्दे को जलाने की है। वह नहीं माने परन्तु उन्होंने जैसे तैसे करके चिता चुनी और उस पर मुर्दे को रख दिया। उसको रखने के बाद में कुछ आदमी कुछ गुण्डे वहां पर आये उसमें सोमान नाम का एक इसाई नवयुवक था और उसके चार साथी थे। उन चारों ने उस चिता को फैला दिया और कहा कि कुत्तों को लाओ और उस अधजली लाश को कुत्तों के सामने फैंक दिया गया। कुत्ते खाने लगे तो एक बुड्ढा उन ईसाइयों के पास गया उनके पादरी के पास गया और कहने लगा कि आज तक इस गांव में ऐसा जुर्म नहीं हुआ है, हम हिन्दू हैं हिन्दू परम्परागत के अनुसार उसको जलाने देना चाहिये हमारे इस बाबा को कुत्तों के सामने फैंक दिया गया है और थोड़ी देर में उसको कुत्ते खा जायेंगे भगवान के नाम पर उनको रोकें। और हमें उस शव को जलाने दो। उसके बाद में उन्होंने उसके शव को जलाने दिया।

बाद में पुलिस कार्यवाही हुयी पुलिस ने कार्यवाही की लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह से लाश को कुत्तों के सामने फैंक दिया उनके अभियुक्तों का जो चालान किया

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गया है वह 107 और 151 में किया गया है, अशांति के नाम पर जबकि एक व्यक्ति विशेष को कुत्तों के सामने फेंक देना, धर्म के प्रति अनादर करना दफा 295 के अन्तर्गत जुर्म माना जाता है जिसके तहत 7 साल की कैद होती है। तो उस अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है पुलिस पर दबाव पड़ रहा है। ईसाइयों को न पकड़ा जाय इस बात के लिये चर्च से टेलीफोन आ रहे हैं। इस प्रकार सारे काण्ड को दबाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आज से 3 महीने पहले इस ग्राम में एक कोली की बरात आयी थी। कोली दुल्हा घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तो उसको कहा कि तुम घोड़े पर बैठ कर नहीं जा सकते हो और उस गरीब चमार को घोड़े से उतार दिया गया उसको पैदल चल कर तोरण मारना पड़ा। इस प्रकार के जुल्म गांव में हो रहे हैं। माननीय गृह राज्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे बड़े प्रगतिशील हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज कोली जाति के लोगों के साथ जैसा अन्याय हो रहा है इससे बड़ी कोई शर्म की बात और क्या हो सकती है इससे बड़ी कोई गन्दी बात क्या हो सकती है ऐसा कांग्रेस शासन में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस अभियुक्त को गिरफ्तार करें और उपयुक्त सजा दिलायें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 बजे से मांगों पर वाद विवाद शुरू हो जायगा और अभी तक एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और दो स्थगन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से वक्तव्य देना बाकी है। इसलिये कृपया समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री अनंगकुमार जैन : कल आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार का उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष : फिर वापस से बहस शुरू नहीं होगी। यह अभी मेरे समक्ष विचाराधीन नहीं है। श्री नन्दलाल मीणा संक्षेप में।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वैसे ता सम्पूर्ण देश में चोरी, डकैती, बलात्कार की ज्वाला भड़क रही है लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में जबसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार आयी है जिसको आये हुये 10–11 महीने हो गये हैं यह स्थिति है कि आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। उस गांव की बात निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23 फरवरी, 1981

(श्री नन्दनलाल मीणा)

को जो गंधेर गांव में दुर्घटना हुई है। अध्यक्ष महोदय, सारा उदयपुर जिला अकाल से ग्रस्त है माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैंने पत्रों के जरिये से यह निवेदन बार बार किया है कि प्रतापगढ़ तहसील को अकाल ग्रस्त घोषित जाय परन्तु उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है भरतपुर की दुबारा गिरदावरी की गयी परन्तु मेरी प्रतापगढ़ की दुबारा गिरदावरी कराने की मांग को मुख्य मन्त्री जी ने अस्वीकार कर दिया इसके कारण वहां पर जो 60 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं वे राजस्थान से मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरात की ओर पलायन कर गये और जो बाकी बचे तो आदिवासी थे वे क्या करते हैं कि किसी के घर में डाका नहीं डालते हैं उसकी यह हिम्मत नहीं कि किसी राह चलते की जेब नहीं काट लेता और उनसे यह काम हुआ गंधेर में जो तालाब में मछलियां मर रही थी उनको ले आवो और पेट भर लो सब लोग इकट्ठे होकर वहां गये और जब रात को मछीयां मार रहे थे तो एक गणपत नाम का युवक वहा पहुंचा इसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था उसने कहा कि तालाब की मच्छी मत मारो तो उन मीणाओं ने कहा कि तालाब में जो मच्छीयां हैं वे ऐसे भी मर जायेंगी अगर हम खायेंगे तो जो भूख की ज्वाल धधक रही है वह तो शान्त होगी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में ही कहना चाहता हूं इसके साथ क्या हुआ गंधेर गांव के सरपंच के पास वह आदमी पहुंचा और सरपंच से कहा कि कुछ मीणे 50-60 तालाब में मच्छियां मार रहे हैं इसके बारे में क्या करना चाहिये। सरपंच ने आदेश दिया कि 'तुम निपट लो'। वह गणपत किसी अज्ञात व्यक्ति की बन्दूक ले गया। अध्यक्ष महोदय वह भगवान लाल आजना से बन्दूक ले गया और गोली मारकर के वहां पर हत्या कर दी। जब मैं वहां पर पहुंचा 28 तारीख को तो मैं उसके घर पर गया तो वहां क्या देखता हूं कि मृतक के छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नि फूट फूट कर रो रही थी इस बात के लिए कि क्या कसूर था।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा : हमने तो रोटी मांगी थी रोटी नहीं दी यह हालत हो रही है जो रोटी मांग रहे थे उनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद क्या हुआ ? हुआ यह कि हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है परन्तु उसके साथ में जो दूसरा व्यक्ति था उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और जिसकी बन्दूक थी भगवान लाल आंजना की उसको आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति हो रही है। प्रतापगढ़ तहसील की सदन के समक्ष यह बात रख रहा हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है सरे आम लोगों को मारा जा रहा है सरे आम लोगों को मारा जा रहा है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति में सारा इलाका.... .. ....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। समाप्त कीजिये।

Page No. 58

(58)

श्री नन्दलाल मीणा : आई० जी० साहब भी वहां पर गये....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : ऐसी स्थिति में उन लोगों को सजा दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : किस संबंध में है, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : गत 27 फरवरी को नदबई, जिला भरतपुर में महात्मा गांधी की मूर्ति खण्डित करने के विषय में पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों पर मुकदमा दायर किया है, के विषय में।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने की 27 तारीख को जब से आरक्षण का मामला राजस्थान में शुरू हुआ, उसके बाद में हमें ऐसी आशंका हुई। जब महात्मा गांधी की मूर्ति खण्डित करने के बारे में पुलिस ने तीन नाबालिग हरिजन बच्चों पर मुकदमे दायर किये, तो यह मालूम हुआ कि अनुसन्धान जारी है। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह निश्चित मान्यता है कि इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ है क्योंकि वे लोग महात्मा गांधी को इस मामले में दोषी मानते हैं। इस बारे में जब मैंने एडजॉर्नमेन्ट मोशन दिया तो उन्होंने छोटे-छोटे आठ-आठ, दस-दस साल के, हरिजनों के बच्चों से हां करवाने की कोशिश की। आप इन बच्चों पर डाल दीजिये, नाबालिग बच्चे हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अध्यक्ष महोदय यह जो अन्वेषण किया जा रहा है, यह बिलकुल गलत किया जा रहा है, और जो दोषी व्यक्ति हैं, मैं उनके नाम यहां पर नहीं लेना चाहता क्योंकि उससे अन्वेषण पर असर पड़ेगा। लेकिन इसकी जाँच सी० आई० डी० से कराई जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान के इस भाग में भी आरक्षण का मामला भड़कने लगे, इसलिए मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से कि इसकी जाँच सी० आई० डी० के द्वारा कराई जाय, यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है अगर इसकी आग चारों तरफ भड़क गई तो इसको सम्भालना कठिन हो जायगा। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : किस सम्बन्ध में है, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : गंगानगर जिले के दधिमति कालेज में बी० एड० की कक्षायें अनियमित रूप से प्रारम्भ करने के विषय में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, यह दधिमति महाविद्यालय गंगानगर में फरवरी के पहले सप्ताह में खोला गया है । यह हिन्दुस्तान का और राजस्थान का एक इतिहास बनायेगा कि मात्र केवल ढाई महीने में राजस्थान का शिक्षक बी. एड. की डिग्री प्राप्त कर लेगा । उसके कारण अध्यक्ष महोदय, जिन विद्यालियों में विद्यार्थी लोग दस महीनों में डिग्री प्राप्त करते हैं, उनके मन में भारी असन्तोष व्याप्त है । इसकी कोई प्रारम्भिक जांच ही नहीं की गई । यह जो विद्यालय प्रारम्भ किया गया, यहां न भवन है, न स्टाफ है, न पुस्तकालय है, न कुर्सियां हैं । केवल पैसा कमाने की दृष्टि से, अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत इतमिनान से कह रहा हूं, केवल ढाई महीने के कोर्स में 1600-1600 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से फीस ली जा रही है । इनमें से 80 पर्सेन्ट लड़कों से दो-दो हजार का चन्दा लिया गया । इस तरह से अब तक ढाई महीने के पीरियड में कहते हैं, लगभग तीन लाख रुपयों का कलेक्शन किया गया । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार को ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई यदि 120 छात्र बी० एड० की परीक्षा, डिग्री नहीं लेते तो कौन सी आफत आ जाती ? जबकि दूसरी ओर हजारों शिक्षक ट्रेनिंग करके बी० एड० की डिग्री प्राप्त किये बैठे हैं और इन्तजार कर कर रहे हैं, नौकरी के लिए । इसमें, ऐसा लगता है, श्रीमन्, किसी की मिलीभगत है, इसको इनकम का सोर्स बनाया गया है । इसके बारे में जो मेरे पास पत्र आया है, उसमें राधेश्यामजी एम० एल० ए० हैं, पता नहीं ये कौन हैं, मैं तो उनकी शक्ल से भी वाकिफ नहीं हूं, उनके प्रयास से और शिक्षा मन्त्री महोदय ने मिल कर यह व्यवसाय प्रारम्भ किया है और वहां के लोगों में चर्चा है कि लगभग × × × । श्रीमन्, आपने कहा कि वाइस चान्सलर इसकी जांच करायेंगे, मेरा निवेदन करना है, श्रीमन्, कि वाइस चान्सलर इसकी जाँच नहीं करा सकेंगे, कुछ तथ्य सामने आए हैं जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । वहां पर कुल 120 सीटों का प्रावधान है लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 120 सीटें भर जाने के बाद भी वाइस चान्सलर ने पच्चीस लोगों का नामीनेशन उसमें किया है, किस ढंग से किया, किस ढंग से एडमिशन दिया है ? कानून में प्रावधान है कि 40 प्रतिशत कम अंक वालों को बी० एड० में एडमिशन नहीं दिया जा सकता लेकिन इस महाविद्यालय में ऐसी पैसे की दुकानदारी चल रही है. मैं आपको नाम बताना चाहता हूं, जयकृष्ण जोशी 39 पर्सेन्ट नम्बर है, रमेशचन्द्र व्यास 39 पर्सेन्ट, कैलाश 39 पर्सेन्ट ।

(1 · 15 . म. प.)

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन]

श्रीमन्, यही नहीं, लास्ट एडमिशन मार्च के पहले सप्ताह में हुआ है, यह राजस्थान में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है । वाइस चान्सलर को आदेश दिया गया है, जांच करने का लेकिन इनसे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी । श्रीमन्, आपको जान कर ताज्जुब होगा कि 120 सीटें भरने के बाद भी 25 एडमिशन हुए हैं । कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बी० सी० किसी

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई ।

Page No. 60

(60)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को नामीनेट कर सके या एडमिशन दिला सके। सीटें भर जाने के बाद किसी का एडमिशन नहीं कर सकते। चूंकि इसमें कई लोगों का शेयर है, इसमें दुकानदारी है। मैं भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी पर आरोप लगा रहा हूं, श्रीमन् यह मैं उन पर चार्ज लगा रहा हूं, अगर मैं दोषी पाया जाऊँ, तो आप मुझे जो भी सजा देंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी का इसमें शेयर है। राजस्थान में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, केवल ढाई महीने में वहां पर बी० एड० की ट्रेनिंग होती है, जहां पर बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, उसी भवन में प्राइमरी स्कूल चलता है, उसी में हाइ स्कूल चलता है और वहीं पर बी० एड० की ट्रेनिंग होती है। वहाँ के लोगों का पत्र आया है, आपको जान कर ताज्जुब होगा कि केवल वहां पर तीन लोगों का स्टाफ है,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक प्रिन्सिपल है, दो टीचर हैं और तनख्वाह के हिसाब से एक अध्यापक अंशकालीन है। केवल चार लोगों के आधार पर ही, ढाई महीने में विद्यालय चलाया जा रहा है, राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। इस तरह का शर्मनाक काण्ड है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा अगर यह सरकार थोड़ी भी लज्जा अनुभव करती हो। यदि माननीय मन्त्री महोदय के हृदय में थोड़ा-सा भी शिक्षा के प्रति लगाव है, थोड़ी-सी भी इन्सानियत कहीं छिपी हुई है तो इसकी जाँच होनी चाहिये। ढाई महीने में बी० एड० का कोर्स करवाया जा रहा है, मन्त्री महोदय जो भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिये, हिन्दुस्तान में उसके मुंह को उजागर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री दुलाराम (वन मन्त्री) : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, न तो वहाँ के मन्त्री को पता है, न वहाँ के विधायक को पता है।

(व्यवधान)

कांग्रेस पार्टी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, आप जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए तैयार हैं ?

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : चार्ज हनुमान प्रसाद प्रभाकर पर लगाया है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : श्रीमन्, मुझे ताज्जुब है, माननीय सदस्य ने साफ कहा था, गंगानगर के मन्त्री का नाम लिया।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हनुमान प्रसाद प्रभाकर को बर्खास्त किया जाय।

उस समय के शिक्षा मन्त्री श्री हनुमान प्रभाकर ने, वहाँ के लोगों में चर्चा है, × × यह महाविद्यालय खुलवाया है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : सभापति महोदया, माननीय अध्यक्ष ने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी कि इसकी जाँच हो रही है। अगर

× × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसरा अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री दुलाराम)

ऐसे तथ्य होंगे तो जांच में आयेंगे । मगर आप इस तरीके से विधायक और मन्त्री का नाम········ ।

(व्यवधान)

आप इस जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, वह प्रभावित नहीं होगी ।

श्री अनंगकुमार जैन : जो नामीनेट कर रहे हैं, माननीय दुलारामजी, आप में थोड़ी-सी भी शर्म है तो आप जुडिशियल इन्क्वायरी करायें, तब पता लगेगा ।

श्री माधूसिंह : जुडिशियल इन्क्वायरी करायें जो दोषी होगा········ ।

श्री दुलाराम : यह मुख्य मन्त्री का काम है, मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह : कहां है मुख्य मंत्री ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : गंगानगर से मन्त्री महोदय आए हैं उनका नाम नहीं लिया है, कहीं नहीं है । इस तरीके से खड़े होकर वह चाहते हैं कि किसी तरह से शिक्षा मन्त्री पर चार्ज लगाया जाय, मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री दुलाराम : उन्होंने कहा है, तब मैंने कहा, उन्होंने नाम लिया विधायक का । आप सुनिए, आपके कान बहरे हैं तो क्या करूं ।

श्री गुलाबचंद कटारिया : गंगानगर के मन्त्री का नाम नहीं लिया । भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री माननीय श्री हनुमान प्रभाकर, वहां के लोगों का कहना है कि × × ×

इस कालेज को फरवरी माह में प्रारम्भ किया और वहां के विधायक को जिनको मैं शक्ल से अभी भी नहीं पहचानता उन्होंने कहा घनश्याम. वहां के विधायक राधेश्याम जी उनकी मिलीभगत के आधार पर यह कालेज खुला है, न बैठने की व्यवस्था है न और कोई व्यवस्था है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप काफी बोल चुके । सरदारशहर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा कुछ जमीनों के फर्जी पट्टे बना कर बेचने के विषय में । इस मामले में जिलाधीश चूरू द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिए गए हैं और उनके द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : सभापति महोदया, इस सरकार के प्रति जो एक योजनाबद्ध तरीके से प्रश्नों व स्थगनों प्रस्तावों के जवाब आ रहे हैं, उसके लिए मेरा निवेदन करना था कि यह सरकार अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने में असमर्थ रही है तो इस प्रकार के कम से कम जवाब तो न दें । 12 महीने से अधिशासी अधिकारी हरिश्चन्द्र गर्ग, नगरपालिका सरदार शहर थे । उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जितनी भी सरकारी भूमि आज तक थी उस पर नाजायज कब्जे बड़े लोगों से करवाए और 2000-3000 गज जमीनों पर नाजायज कब्जे करवा कर अब उनको योजनाबद्ध तरीके से फर्जी पट्टे बनवा कर जिस प्रकार से पुराने जमाने में फर्जी पट्टे ठाकुरों और राजाओं के होते थे उन पर निर्माण आज्ञा दी जा रही है । शर्म की बात है सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करने में यह सरकार, जिलाधीश और अधिकारी

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई ।

(श्री मोहनलाल शर्मा)

असमर्थ हैं फिर भी मेरे को आपसे यहां पर निवेदन करना है कि जो अधिशासी अधिकारी हैं, उन्होंने सैंकड़ों पट्टे इस प्रकार से सरकारी भूमि पर कायम कर दिए हैं और कहते हैं कि वहां पर जिलाधीश जांच कर रहे हैं। जांच किस बात की कर रहे हैं ? दो पट्टों को मैंने स्वयं ने इस प्रकार से पकड़वाया है कि न तो उनके पास कोई पट्टे हैं न और उनके पास कोई कब्जा है और जिस प्रकार उन्होंने इजाजत दी है, अधिशासी अधिकारी ने, न आफिस की रिपोर्ट ही ली, न किसी प्रकार से सर्वे कराया और न किसी प्रकार के उनके पास कोई पट्टे है लेकिन उनको इजाजत दे दी फर्जी पट्टों के आधार पर। तो मेरा निवेदन है कि सरदार शहर में इस समय एक भी इंच सरकारी भूमि नहीं रही है और अधिशासी अधिकारी धीरे-धीरे जो उन्होंने 12 महीने से योजनाबद्ध तरीके से नाजायज कब्जे करवाए, उनको फर्जी पट्टों के आधार पर इजाजत दे रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से कितना सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग है ? इसके लिए मैंने दो केसेज : एक ओमप्रकाश बनवारीलाल अग्रवाल और दूसरा भागीरथ रावतराम ब्राह्मण, को मौके पर निमाण की इजाजत दी, उनको मौके पर पकड़वाया। उसकी जांच चल रही है। जांच क्या है ? फर्जी पट्टा है। रिकार्ड कार्यालय ने लिख कर दिया कि फर्जी पट्टा है, तहसीलदार प्रशासक ने अपील में तय कर दिया कि फर्जी पट्टा है और इसकी इजाजत तामीर की, बिलकुल गलत थी, उसकी अपील नहीं हुई लेकिन आज तक जांच हो रही है, आज 6 महीने हो गए।

दूसरा फर्जी पट्टा है उसके लिए मालिक ने कह दिया कि मेरा पट्टा नहीं है। मौके पर इस जमीन को तीन बार नगरपालिका द्वारा तीन आदमियों को किराये पर दी गई और अब उस आदमी को जिसने फर्जी पट्टा तैयार किया उसी आदमी को उसी भूमि पर इजाजत दी। अब जांच की जा रही है। तो सभापति महोदया आपके मार्फत ध्यानाकर्षण का मतलब है कि इस प्रकार से 12 महीने तक अगर सरकारी सम्पत्ति की जांच होती रही, सरकारी सम्पत्ति के लिए आज भी मैं चुनौती देता हूं कि लाखों गज भूमि पर इन 12 महीने में नाजायज तौर से कब्जे किए हैं और इसी प्रकार से जिले में भी किया जा रहा है। तो मैं आपको उदाहरणों के साथ निवेदन करता हूं अगर गलत हो तो मैं चुनौती देता हूं सरकार को अगर दोनों बातें—फर्जी पट्टों के आधार पर इस अधिशासी अधिकारी ने सरकारी भूमि पर इजाजत नहीं दी हो तो मैं सदन से स्तीफा देने को तैयार हूं फिर भी अगर यह गूंगी बहरी सरकार अपनी सम्पत्ति की रक्षा न करके फर्जी काम करने वालों को बचाने की कोशिश करनी है, 12 महीने से कार्यवाही नहीं की जा रही है, मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और सरकारी सम्पत्ति बचाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री सभापति : राजस्थान के विभिन्न भागों में एक विशेष प्रकार की घास बढ़ने के विषय में। प्राप्त तथ्यों के आधार पर पाया गया है कि पशुओं में कोई बीमारी नहीं फैल रही है फिर भी इस विषय में राज्य सरकार को चाहिए कि विशेष सतर्कता बरतें।

स्थगन प्रस्ताव को मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : सभानेत्री महोदय, मैंने इस घास के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया था और उत्तर मिला है कि पशुओं में बीमारी नहीं फैल रही है। मुझे ऐसा लगता है पशुओं में बीमारी फैलने के बाद ही सरकार सजग हो गई। राजस्थान सरकार को शायद इसकी जानकारी न हो। मैंने इसलिए स्थगन प्रस्ताव रखा था कि विभाग से जानकारी लेकर इस घास की भयकरता के बारे में सरकार सजग रहे। हैदराबाद में समूचे देश के प्लांट प्रोटेक्शन अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब देने में सरकार इसलिए कतरा रही है कि इस घास का नाम कांग्रेस घास है और उनकी पार्टी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए शायद उन्होंने उत्तर देना उचित नहीं समझा है। हैदराबाद का मीटिंग में जिसमें प्लांट प्रोटेक्शन अधिकारी थे इस घास पर चर्चा चली है। यह घास पी. एल. 480 के बाद आज से 15 वर्ष पूर्व भारत वर्ष में आये। दक्षिण भारत में सबसे पहले फैली। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब हरियाणा में घास पहुंच गई। राजस्थान में घास आ गई। उदयपुर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चरल प्लान्ट्स पर यह घास बहुतायत में है। मैंने स्वयं आंखों से यह घास देखी है। गाजर के पौधे की तरह ही होती है, इसके फूल सफेद होते हैं सफेद टोपीनुमा, इसका नाम कांग्रेस घास पड़ा हुआ है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में इस घास का नाम कांग्रेस रखा हुआ है जिसके एक पौधे में लाखों बीज होते हैं, कई वर्ष तक यह बीज अपनी अंकुरण शक्ति नहीं खोते और इसके फूल के पड़ाव से कई बीमारियां होती हैं —एसथमा, इससे खुजली पैदा हो रही है, पशुओं में गर्भपात हो रहा है। इसी लाइब्रेरी में मैंने एक पत्रिका में पढ़ा है।

श्री जगतार सिंह (श्री करणपुर) : यह कहीं जनसंघी घास तो नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सरदार जी, यह आपके बस की बात नहीं है आप बैठ जाइये। आप नहीं समझ सकते इसको।

सभापति महोदय, यह घास आज अधिकाधिक पनप रही है। खास तौर से कोटा में इसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी फैलती जा रही है। यह उदयपुर में भी बहुतायत में पायी जा रही है। सभापति महोदया, यह घास दक्षिणी भारत में भी बहुत बुरी तरह से फैल रही है। वहां पर कई पशु मर गये हैं जहां जहां पर यह घास है वहां वहां खेती बर्बाद कर रही है। इस घास को चरने से पशुओं में गर्भपात हो रहा है। यह मेरी कही हुई बात बात नहीं है। सभापति महोदया, यह बात मैं आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रिकार्ड की बता रहा हूं। हैदराबाद की मीटिंग में तय हुआ था। मुझे इस बात का धन्यवाद देना चाहिये कि मैं जानकारी की बात राज्य सरकार के ध्यान में ला रहा हूं। राज्य सरकार को जो मैंने जानकारी दी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है उसको नंग्लेक्ट कर रही है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस घास पर काबू पाया जाय अगर इस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो जैसे कांग्रेस ने हमारे देश की स्थिति बना दी वह यह पौधा भी बनायेगा। इस कांग्रेस घास के बहुत भारी खराब परिणाम होंगे। इतना ही नहीं यह पौधा खेती और जानवर दोनों के लिये ही खराब है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, कहीं नाम के कारण तो इसका उन्मूलन नहीं रुक जायगा।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : उस पर दवा छिड़क दी गयी है और वह साफ हो गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, इस घास का नाम कांग्रेस घास इसलिये है कि यह कांग्रेस राज में सबसे पहले पी० एल० 480 के अन्तर्गत जब अमरीकी गेहूं हमारे भारत वर्ष में आया था तब यह भी घास इसके साथ साथ आ गयी थी, इससे पहले यह पौधा भारत वर्ष में नहीं था। यह घास सर्वप्रथम हमारे देश में कर्नाटक में पैदा हुई उसके बाद में यह बीमारी हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों में बढ़ी आज तक यह हिन्दुस्तान के 9 राज्यों में फैल गयी है। अभी जो सदन में रघुवीर सिंह जी कौशल ने जानकारी दी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका क्षेत्र भी सिंचाई वाला है और मेरा क्षेत्र भी सिंचाई वाला है। दोनों ही जगह यह घास बहुतायत में पैदा हो रही है। इस पौधे के फैलाव के कारण कई बीमारियां फैलती हैं जिससे श्वांस की बीमारी फैलती है, इससे एलर्जी की बीमारी फैलती है, इससे खुजली की बीमारी जिसे बगड़ कहते हैं, फैलती है। जानवरों में तो यह इतने भयंकर रूप से फैलती है कि इसको खा जाने से जानवर भयंकर रूप से बीमार हो जाते हैं तथा उनका गर्भपात हो जाता है और कई तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं मेरा निवेदन है कि अगर राज्य सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इस बीमारी को नहीं रोका गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। यह पौधा ऐसी बीमारियां हमारे देश में फैला देगा जो कि पहले हमारे देश में नहीं थीं इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार के पशु पालन विभाग के मन्त्री और कृषि मन्त्री जी बैठ कर इस बारे में विचार करके इसके लिये तुरन्त कार्यवाही करें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, कहीं यह पौधा चिकमंगलूर से तो नहीं आया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज

समिति का प्रतिवेदन

नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री हरिदेव जोशी, संयोजक उप समिति, नियम समिति 1980–81 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी (संयोजक उप समिति, नियम समिति): सभापति महोदया, मैं नियम समिति, 1980–81 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

थर्मल बिजली ताप परियोजना कोटा पूर्ण न होने से कृषि एवं उद्योग के विकास की क्षीण सम्भावना

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत, श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा, थर्मल बिजली ताप परियोजना कोटा पूर्ण न होने से कृषि एवं उद्योग के विकास की सम्भावनायें क्षीण हो जाने की ओर से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे। मन्त्री का वक्तव्य होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, सिंचाई) आप बोलेंगे या मैं बोलूं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं बोलूंगा, पहले आप ध्यान से सुनें।

सभापति महोदया, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 की तरफ से राज्य सरकार का ध्यान कोटा थर्मल बिजली ताप परियोजना की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि मार्च, 80 में शुरू होने वाला था, शुरू नहीं हुआ। सभापति महोदया, पहले के बजट भाषण में भी मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मार्च, 81 में शुरू कर दिया जायगा वह शुरू नहीं हुआ। यह भी कहा था, इसका प्रकरण सितम्बर, 1981 में पूरा हो जायगा। पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी का भाषण था, उसमें और इस भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि यह थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है पर इस बार मार्च 82 का उल्लेख नहीं किया गया। इसमें यह है कि आगे आने वाले वर्ष से इसका उत्पादन शुरू हो जायेगा सभापति महोदया, यह जो कोटा थर्मल पावर का काम, जैसा कि बजट में प्रस्तुत किया गया था, मार्च, 81 में प्रारम्भ नहीं हुआ। वह प्रारम्भ नहीं हो सका, यह सब लापरवाही सरकार की है, सरकार की उपेक्षा वृत्ति है। सरकार ने जानबूझकर इस थर्मल पावर को शुरू करने में ध्यान नहीं दिया है। दोनों ही स्थान पर 82 तक भी कार्य शुरू होने वाला नहीं है। वहां पर स्थिति ऐसी है, ठेकेदार काम छोड़ कर चले गये हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य मन्त्री जी तो अभी यहां पर नहीं हैं मन्त्री महोदय जो भी हैं वह आज भी यहां पर घोषणा नहीं कर सकेंगे कि कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट 82 में शुरू हो जावेगा। सभापति महोदया, इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने 1980 81 में 45 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा था।

(1.36 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

पता नहीं किन कारणों से फरवरी के अन्त तक काट कर सिर्फ 38.5 करोड़ रुपये ही कर दिया गया। यह तो किसी को जानकारी नहीं है कि यह किस कारण काट कर कमी की गयी, अध्यक्ष महोदय, 45 करोड़ से घटा कर 38 करोड़ कर दिया गया लेकिन वास्तव में जो खर्च हुआ है वह फरवरी एण्ड तक 18 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। अप्रेल से सितम्बर तक पांच करोड़ रुपये खर्च करने के लिये प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सितम्बर से दिसम्बर तक 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, फस्ट यूनिट, जो कि 1981 के मार्च में शुरू होने वाला था, 110 मेगावाट बिजली दी जाने वाली थी और दूसरी सितम्बर 1981 में शुरू होने वाली थी इस प्रकार की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। उसमें 110 मेगावाट बिजली पैदा होने वाली थी लेकिन वह नहीं हुई। यहां पर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार ने 79-80 में 27 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा था। जनता पार्टी सरकार ने 79-80 में 27 करोड़ रुपये ही खर्चकर दिये थे। पिछली सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया इस पर तो नहीं जाना चाहूंगा पर मुख्य मंत्री महोदय ने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मार्च, 1981 तक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
प्रारम्भ कर देगी किन्तु वह शुरू नहीं हो सका इसकी सारी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री महोदय पर है। यह कोटा के थर्मल पावर का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत ही संक्षेप में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि बहुत हो संक्षेप में कहें क्योंकि आज दो बजे तक सारी चर्चा समाप्त हो जायगी इसके पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और जो स्थगन प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा समाप्त हो जावेगी। इसलिये आप संक्षेप में कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब थोड़े समय में आप अपनी बात किस प्रकार कहेंगे यह तो मैं सुझाव नहीं दूंगा जल्दी ही समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्लान्ट के इरेक्शन के लिये जो मैटोरियल की जरूरत थी वह भी सप्लाई नहीं हो सका और काम में दिक्कतें आनी शुरू हो गयी। इससे सरकार की क्रेडिट कम हो गयी इसके अलावा साइड पर काम करने वालों को पेमेन्ट नहीं होने के कारण और जो ठेकेदार काम कर रहे थे उन्हें पेमेन्ट नहीं होने के कारण वह अपने डोरे डन्डे लेकर वहां से काम छोड़ कर चले गये वहां सारा काम बन्द है। स्थिति यह हो गयी, अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 81 तक वहां पर 8. 48 लाख रुपये का माल नहीं छुड़ाये जाने के कारण वारफेज लग गया। अध्यक्ष महोदय, अभी भी इस समय डेढ़ करोड़ रुपये का माल नहीं छुड़ाने के कारण 6.4 लाख रुपये के वारफेज चढ़ चुके हैं। आज कोटा के बाजार में ऐसी स्थिति हो गयी कि सरकार को दिवालिया घोषित करने की स्थिति आ गयी थी और राजस्थान सरकार के माल को वहां पर नीलाम कर रहे थे। यह तो मन्त्री जी यहां से गये और इन्होंने जाकर वहां पर बातचीत की और सरकार की इज्जत बचायी वरना आप का माल वहां के बाजार में नीलाम होता। इसके अलावा मैं आज सदन को यह भी निवेदन करना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, अभी मदेरणा साहब आप भी बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, आप भी बैठे हैं, आज की सदन की कार्यवाही इस बात की गवाही होगी आने वाले समय में जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर, और श्री गंगानगर जिलों की 82 के साल में यह हालत होने वाली है बिजली के अभाव में कि राजस्थान के इन जिलों में अन्धेरे की काली रात्रि हो जायगी। वहां बिजली नहीं होगी। उसका कारण यह है कि 220 के०वी० लाइन की जो बिजली लाइन शुरू होने वाली थी वह लाइन वहां पर नहीं पड़ी है। साथहीबिजली में कटौती 61 प्रतिशत होगी क्योंकि थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता, बिजली की और कटौती हो जायगी। बार बार बिजली जायगी। खेती के लिये बिजली नहीं मिलेगी, उद्योगों के लिये बिजली नहीं मिलेगी। तो, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति होने वाली है मुख्य मन्त्री जी की बदौलत कि राजस्थान में काली रात्रि होगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को आज की स्थिति में 1614 मेगावाट बिजली की जरूरत है जबकि 1158 मेगावाट बिजली

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ही उपलब्ध हो सकेगी। तो इससे तो न तो उद्योगों को बिजली मिलेगी न खेती के लिये ही बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल यह स्थिति कर दी थी कि लघु उद्योगों को बिजली नहीं मिलने से वह बन्द पड़े रहे। नये उद्योग अब बिजली के अभाव में राजस्थान में नहीं लगेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि प्रॉडक्शन नहीं होगा उद्योगों में ब्रेक डाउन आयेगा। तो ऐसी स्थिति होने वाली है जिसकी कल्पना अभी यहां पर बैठ कर हम नहीं कर सकते। यहां अन्धेरा रहेगा, पुराने उद्योग बन्द हो जायेंगे, नये उद्योग लोग लगायेंगे नहीं क्योंकि बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यहां इस बात का आश्वासन चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय घोषणा करें कि 1981 को तो खो दिया लेकिन 1982 के अन्दर जो मेरा मानना है कि प्रारम्भ नहीं करा सकते आज मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1982 में वह नहीं करा सकते। वी. एच ई. एल. को आर्डर दिये थे वह केन्सिल कर दिये क्योंकि उनको रुपये नहीं दिये। अन्य ठेकेदार जो थे उनके ठेकों को निरस्त कर दिया गया है। एक आर्डर निकाला गया है:

"The Supplies against our Purchase order under vekvencemay may not k)ndly be des Patchecly till further instructions from this office."

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक कार्यवाही और की गयी है और वह कार्यवाही यह की गयी है कि यह जितने भी आर्डर्स थे वह आर्डर्स केन्सिल हो गए। उन्होंने माल सप्लाई करना बन्द कर दिया और सरकार ने इस साल के बजट में बिजली के विकास में खर्चा कम किया है, पिछली साल के मुकाबले कम खर्च किया है और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रेवेन्यू की 32 पर्सेन्ट की इनकम कम होगी और किसी तरह से कहीं से भी पैसा काट कर लगाने की स्थिति में नहीं है आगे साल बजट में पैसा नहीं मिलेगा और न माल मिल रहा है और न पैसा, हमारी राजस्थान सरकार किसी भी तरह से पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से राजस्थान नहर का निर्माण कार्य बन्द किया आगे आने वाले सालों में राजस्थान में ब्लैक आउट करने के लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी और मैं अपनी साक्षी में कहना चाहूंगा कि जो आज की प्रोसिडिंग्स पढ़ेगा आगे आने वाली सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। आज की प्रोसिडिंग्स इस बात के लिए गवाह होगी कि सरकार जिसकी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो रही है।

श्री अध्यक्ष : इज्जत नीलाम हो रही है, शब्द एक्सपन्ज किये जायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ....बिजली के विकास को बन्द कर दिया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन से अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं? एक्सपन्ज तो वही होंगे जो कि अनपार्लियामेंट्री हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो मेरे सोचने की बात है।

श्री राजबहादुर : अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो मैं इस पर ठन्डे दिल

(68)

(श्री अध्यक्ष)
से और विचार कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आपने तो कह दिया कि एक्सपन्ज किये जायें ।

श्री अध्यक्ष : तो मैंने फिर यह भी तो कह दिया है कि विचार कर लूंगा । जिस तरह के उत्तेजक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और मैं अन्दर से कार्यवाही सुन रहा था तो इसमें बंदिश रखने की आवश्यकता है । शब्द ऐसे कहे जायें जो कि मानहानिकारक नहीं हों, उत्तेजक नहीं हों ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस की मानहानि? व्यक्ति की हो तो समझ में आता है । यह सरकार के लिए कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : इन शब्दों के लिए मैंने निवेदन कर दिया कि इस पर मैं पुनर्विचार करूंगा । अब समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सारा निवेदन करने का एक ही कारण है कि टेल-एण्ड पर पड़ने वाले जितने भी जिले हैं……

श्री अध्यक्ष : वह कह दी आपने पहले ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत सारी और सारी बातों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ थर्मल पावर प्लांट को लेकर बहुत बड़ा धोखा किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक आश्वासन मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि जो भी मन्त्री जवाब दें विश्वास के साथ दें कि इस मार्च, तक काम शुरू हो जायगा और नहीं होगा तो मन्त्री महोदय स्तीफा देंगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त रूप में प्रथम तो वस्तुस्थिति है उससे सदन को अवगत कराना चाहूंगा । तत्पश्चात् जो पाइन्ट्स माननीय सदस्य ने रेज किये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, परियोजना की स्वीकृति के समय ताप बिजली घर कोटा की पहली इकाई के चालू करने का लक्ष्य मार्च, 81 रखा गया था, परन्तु कई कारणों से इस परियोजना का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाया जैसे कि परियोजना स्थल के बारे में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करना, रेलवे द्वारा स्पेशल वैगन उपलब्ध नहीं कराये जाना, ठेकेदारों द्वारा काम में देर लगाना तथा उनके मजदूरों की हड़ताल होना तथा इस्पात का समय पर उपलब्ध न होना आदि ।

विद्युत मण्डल द्वारा मई, 80 में हुई बैठक में इस परियोजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई तथा सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रथम इकाई के चालू होने का लक्ष्य मार्च, 82 रखा गया तथा वित्तीय इकाई का इसके छह माह बाद परियोजना की अनुमानित लागत 132 करोड़ रुपये है तथा मार्च, 80 तक 54.58 करोड़ रु. व्यय किया जा चुका था । चालू वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 127.27 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था जिसमें से 45 करोड़ रुपया ताप बिजली घर कोटा के लिए रखा गया था ।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

परन्तु राज्य सरकार के वित्तीय साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए पावर सैक्टर के लिए वार्षिक प्रावधान में 12·5 करोड़ रुपये की कटौती करनी पड़ी। तदनुसार ताप बिजली घर कोटा के लिए इस वर्ष का प्रावधान घटा कर 38·50 करोड़ रुपये कर दिया गया। अब तक इस परियोजना पर इस वर्ष में 12·30 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

राज्य सरकार व विद्युत-मण्डल उपरोक्त निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है तथा ऐसी सम्भावना है कि कोटा तापीय विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई निर्धारित लक्ष्य यानि मार्च, 82 तक कार्य प्रारम्भ कर देगी।

अध्यक्ष महोदय, अब तक टोटल एक्सपेन्डीचर 74 करोड रुपये का हुआ है। दो सवाल माननीय सदस्य ने खास तौर से उठाये कि बी. एच. ई. एल. ने हमारे आर्डर्स को केन्सिल कर दिया। यह बात सही नहीं है कि उन्होंने हमारे किसी आर्डर को कैंसिल किया। जैसे मैंने जानकारी प्राप्त की, काम इस समय वहां पर चालू है। एक प्रश्न माननीय सदस्य ने डेमरेज के बारे में उठाया। यह बात सही है कि डेमरेज के रूप में हमको रुपया वहां देना पड़ा। उसका कारण यह है, अध्यक्ष महोदय········

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : कितना देना पड़ा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : 25,156 रुपया।

श्री घनश्याम तिवाडी : इसके अलावा वारफेज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसकी इनफार्मेशन मेरे पास नहीं है। आपने दूसरा प्रश्न वारफेज के बारे में उठाया था। पूर्व में श्री दाऊदयाल जी जोशी ने डेमरेज के बारे में प्रश्न उठाया था कि 1½ करोड़ रुपये का माल बाहर पड़ा है और सरकार को नीलामी का नोटिस दे दिया गया है तो जो इनफार्मेशन मेरे पास थी, वह मैंने दे दी। अगर आप कहें तो मैं वारफेज के बारे में भी जानकारी करके बता दूंगा। अभी मेरे पास वारफेज के बारे में जानकारी नहीं है। श्रीमन्, जहां तक काम में देरी का प्रश्न है मैंने एक बात निवेदन की है और पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सजग है कि प्रान्त में विद्युत की आवश्यकताओं को देखते हुए इस कार्य को शीघ्र पूरा कराना चाहती है। लेकिन, श्रीमन्, कुछ कारण ऐसे हुए जिनके बारे में सोचा भी नहीं था कि यह दिक्कतें सामने आयेंगी। इसकी वजह से हमको रिवाइज्ड शिड्यूल इसके कंस्ट्रक्शन का काम में लेना पड़ा। सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन उठाया फिर इस प्रकार के वेगन रेलवे ने उपलब्ध नहीं कराये जिससे इतने बड़े बाइलर को वहां लाया जा सकता और कुछ कान्ट्रेक्टर्स की लेबर की हड़ताल हो गयी। इसकी वजह से भी काम मे देरी हुई लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किये हैं उस लक्ष्य के अनुसार कार्य चल रहा है और उसी के अनुसार हमारी प्रथम इकाई का काम पूरा हो जायगा।

श्री घनश्याम तिवाडी : कब ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कहा न कि in March, 1982.

अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि हम यहां कह रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे अन-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

फोरसीन सरकम्स्टान्सेज जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो कि सरकार के बूते से बाहर हो कोई हड़ताल हो जाय और रेलवे वैगन का मिलना उपलब्ध नहीं हो, समय पर तो नहीं कर सकते । डेमरेज का भी सवाल आया कि 1½ करोड़ रुपये के बारे में श्री दाऊदयाल जी जोशी ने जो कहा था कि आपको नीलामी का नोटिस दे दिया है उसमें थोड़ी-सी दिक्कत यह आई कि जो रुपया हमको आई० बी० आई० से प्राप्त होना था । इस मामले में उन्होने डायरेक्ट पेमेन्ट कर दिया था और जो डाकूमेंट्स थे वह समय के ऊपर बैंक वालों के पास आर० एस० ई० बी० ने नहीं भेजे इस कारण से डेमरेज की रकम हमको देनी पड़ी। वारफेज की रकम हमें देनी पड़ी है तो इसके लिए हम कानूनी रूप से बी० एच० एल० से वापस लेने के हकदार हैं । जो हमारे अकाउन्ट्स का एडजस्टमेन्ट होगा उस समय इस बात का ध्यान रखा जायगा कि वारफेज के रूप में जो हमको चुकारा करना पड़ा है उसकी वसूली कर लेंगे । यही बात कह कर, श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल एक यह करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि बाइलर और टरबो-जनरेटर इसके दो इम्पार्टेन्ट पार्ट्स हैं जो कि लगाये जाते हैं और इन पार्ट्स के आर्डर्स बी० एच० ई० एल० को दिये हुए हैं। क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च, 81 में इन दोनों पार्ट्स का जो आर्डर दिया था उस आर्डर को बी० एच० ई० एल० ने केन्सिल कर दिया है।

थोड़ी-सी चर्चा माननीय मन्त्री महोदय ने की कि मजदूरों ने हड़ताल की । मैं पूछना चाहूंगा क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि मिनिमम वेजेज 7 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूर को मिलनी चाहिए जिसमें अभी तक 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है incontravention Government orders थोड़ी-बहुत जो झंझट हुई है इस कारणसे हुई है । तीसरा सवाल, अभी तक जो 20·8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, प्रोविजन 38·8 करोड़ का है । आज 16 मार्च है और केवल 13 दिन शेष हैं । 18 करोड़ रुपया, क्या 1¼ करोड़ के हिसाब से प्रतिदिन पैसा देंगे और वह खर्चा कर सकेंगे ? यह चार सवाल आपसे करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, जहां तक मैंने जानकारी प्राप्त की है कि बी० एच० ई० एल० ने कोई आर्डर्स केन्सिल नहीं किये हैं। आपने जो स्पेसिफिक पूछा था उसके आधार पर मैं कह रहा हूं । दूसरा प्रश्न आपने इसमें यह उठाया मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में । इस विषय में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है । जानकारी प्राप्त करूंगा और जैसी भी कानूनी कार्यवाही होगी, करनी पड़ेगी, मिनिमम वेजेज एक्ट की अवहेलना हो रही है। तीसरी बात आपने कही कि अभी 20 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसमें क्या करेंगे ? उसके आर्डर्स हमारे हो चुके हैं इसलिए एक्स-पेन्डीचर होकर सामान आ जायगा ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक प्रश्न है । बी० एच० ई० एल० ने कितना रुपया मांगा था और कितना दिया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मार्च, 82 में यदि थर्मल प्लांट चालू नहीं किया तो उस समय उद्योगों के विकास के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और कितनी बिजली उपलब्ध होगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल पानी पीने के लिए गई थी। मुझे अनुमति दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : सम्भव नहीं होगा, माननीय सदस्या।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे प्रश्न का उत्तर दें माननीय मन्त्री जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो वर्तमान में बिजली का संकट है उस बारे में आपने ध्यान आकर्षित किया था, जो चल रही है, उसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की। भविष्य में कितनी खपत होगी, कितनी उपलब्ध होगी, यह कहने में असमर्थ हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बी० एच० ई० एल० की ड्यूज........।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि माल आने के चार दिन बाद से डेमरेज चालू हो जाता है ? तीन बार नोटिस दिया गया परन्तु राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। 25-2-81 को जब दसवीं बार नोटिस प्राप्त हुआ, विधान सभा में चर्चा उठाई। क्या माल का डेमरेज देकर माल को छुड़ाया गया ? 9 बार जब नोटिस मिला, राज्य सरकार ने और सम्बन्धित विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया, माल छुड़ा दिया गया है, डेमरेज दे दिया गया है। कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं। आज की तारीख में 1½ करोड़ का माल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वहां के जो ठेकेदार हैं उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। क्या मन्त्री महोदय इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे ? मैं उन लोगों के नाम बता सकता हूं यह छोड़ कर चले गये........।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राज्य की प्रगति की दृष्टि से जो आवश्यक है हमको बिजली की आवश्यकता है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ठेकेदारों का पेमेन्ट पूरा नहीं हुआ है........।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे रिवाइज्ड शिड्यूल के मुताबिक जो रखा है उसके मुताबिक काम चल रहा है। It will be completed by that time.

Page No. 72

(72)

शासकीय व्यक्तव्य

बेरी वेतन आयोग के विलंबित प्रतिवेदन के कारण अन्तरिम राहत

श्री अध्यक्ष : मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ।

श्री कैलाश मेघवाल ने स्थगन प्रस्ताव दिया था बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट के विलम्बित होने, अन्तरिम राहत की कोई व्यवस्था नहीं करने आदि के सम्बन्ध में । मन्त्री जी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी गई ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्यमन्त्री, कार्मिक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की अधिसूचना सं० प० । 4 । 23 । कार्मिक (क-5) । 79 दिनांक 31-5-1979 द्वारा एक सदस्यीय वेतन आयोग का गठन भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बी० पी० बेरी की अध्यक्षता में किया गया था । उक्त वेतन आयोग को एक वर्ष की अवधि में अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना था । आयोग के विचारार्थ विषयों में नियुक्ति के तरीके, (मैथेड आफ रिक्रूटमेण्ट), योग्यतायें (क्वालिफिकेशन्स) और कर्त्तव्यों व दायित्वों की प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए समस्त राज्य कर्मचारियों के वर्तमान वेतन दावों का पुनरावलोकन (रिव्यू) और यदि नये वेतनमान बनाये जावें तो वेतन निर्धारण के लिये मानदण्ड का सुझाव करना तथा सभी प्रकार के क्षतिपूर्ति भत्ते, मँहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता इत्यादि की वर्तमान दरों का परीक्षण कर सिफारिश करना सम्मिलित है । इसके अलावा विभिन्न सेवाओं, संवर्गों में पदोन्नति की वर्तमान नीति और प्रक्रिया की परीक्षा कर इनमें परिवर्तन हेतु सुझाव करना भी आयोग के कार्य-क्षेत्र में है । आयोग द्वारा कर्मचारी संघों से प्रतिवेदन प्राप्त कर उनके प्रतिनिधियों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विभागाध्यक्षों तथा प्रशासनिक विभागों से तथ्यात्मक विवरण और उनके विचार प्राप्त कर अपना मानस बनाने के पश्चात् प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा । इस आयोग का कार्यक्षेत्र पूर्व के वेतन आयोग से काफी विस्तृत होने के कारण एक वर्ष की अवधि में आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव न हो सका है । अतः आयोग के अनुरोध पर अधिसूचना संख्या प० 4 । 23 (कार्मिक) (क-5) । 79 दिनांक 24-5-80 तथा 18-2-81 द्वारा क्रमशः दिनांक 31-12-80 तथा 30-2-80 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई गई ।

राज्य कर्मचारियों की अन्तरिम राहत स्वीकृत करने सम्बन्धी मांग को प्रस्तुत परीक्षण उपरान्त राष्ट्रपति शासन के दौरान अस्वीकृत कर दिया था । अन्तरिम राहत कर्मचारियों की मांग के अनुसार यदि 60 रुपये प्रतिमाह की दर से स्वीकृत की जाय तो राज्य कोष पर लगभग 42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अर्थ भार पड़ेगा और यदि 20 रुपये प्रतिमाह की दर से अन्तरिम राहत स्वीकृत की जावे तो लगभग 14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि वेतन आयोग वर्तमान वेतनमानों में किस सीमा तक लाभ प्रस्तावित करेगा तथा आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू की जायेंगी ।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

ग्रतः अन्तरिम राहत की राशि को वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित लाभों में समायोजित करने में कठिनाई होगी । इन परिस्थितियों तथा राज्य की विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए अन्तरिम राहत स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

1–9–76 से पुनरीक्षित नवीन वेतन-मान लागू करते समय राज्य सरकार ने अपने मंहगाई भत्ते के पैटर्न को केन्द्र सरकार के मंहगाई भत्ते के पैटर्न से पृथक करने का निर्णय लिया था । तत्पश्चात् राज्य सरकार ने स्वयं के मंहगाई भत्ते के पैटर्न के अनुसार मंहगाई भत्ते की एक किश्त दिनांक 1-9-76 से स्वीकृत की थी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की दो किश्तों के लगभग थी । इसके अतिरिक्त जब-जब केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई, राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दिनांक 1-9-77, 1–1–78, 1-12-78, 1-8-79, 1-11-79, 1-2-80, 1–5–80, 1–7–80 से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया है ।

केन्द्रीय सरकार ने अब अपने कर्मचारियों को 1–9–80 से मंहगाई भत्ते की एक किश्त स्वीकृत की है । राज्य-कर्मचारियों को भी 1–9–80 से मंहगाई भत्ते की एक किश्त स्वीकृत करने सम्बन्धी घोषणा मुख्य-मन्त्री ने अपने बजट अभिभाषण में दिनांक 6–3–81 को सदन में कर दी है ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर मसला है और मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में, राजस्थान के कर्मचारियों के दो महासंघ, सरकारी संघ जो एक तो बिशनसिंह शेखावत के नेतृत्व वाला है, उसने राज्य सरकार को इस बात का नोटिस दे दिया है कि वो 5 अप्रेल से हड़ताल पर जायेंगे । हो सकता था कि एक ही महासंघ देता तो कोई कमजोरी रहती, आन्दोलन में । आन्दोलन के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा महासंघ है, मोहन लाल जैन के नेतृत्व वाला, उसमें भी संघर्ष समिति का निर्माण करके और आन्दोलन पर आने की घोषणा की है । राजस्थान के·······

श्री अध्यक्ष : एक करता है तो दूसरे का करना स्वाभाविक ही था ।

श्री कैलाश मेघवाल : मसला गम्भीर हो गया । इधर विधान सभा का सत्र समाप्त होगा, उधर कर्मचारी आन्दोलन पर चले जायेंगे और जिस तरह का जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे लगता है कि कर्मचारी निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आन्दोलन पर जायेंगे क्योंकि इस जवाब में उसको कुछ दिखता नहीं है । इस स्टेटमेंट में । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के 3 लाख 64 हजार कर्मचारी और 3 लाख 64 हजार कर्मचारियों में से 50 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो स्टेगनेन्सी पर आ गये हैं, ठहरे हुए हैं, एक इन्क्रीमेन्ट नहीं, बराबर उनका वेतन रुका हुआ है । उनके काम करने की प्रेरणा नहीं । जयपुर जैसे शहर में भत्ते की जो बात थी, जो प्रोटेक्शन होता है, जनसंख्या के अनुसार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जयपुर की आबादी 10 लाख होने वाली है और शहरी भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है और अभी एक बात कही गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जो चीजें अफसोस की होती हैं, माफी मांगने की होती हैं, उसमें सरकार वाहवाही लूटना चाहती है । बजट भाषण में एक इन्क्रीमेन्ट देने की घोषणा की । यह राज्य कर्मचारियों के साथ एक समझौता है और

(श्री कैलाश मेघवाल)

समझौता यह है कि केन्द्रीय सरकार जब भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ेंगे, 8 अंक, एक इन्क्रीमेन्ट देगी। केन्द्र सरकार ने दिया था। एक सितम्बर से, आपने देर से दिया। इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए थी, राजस्थान के कर्मचारियों से। इसके बजाय आप वाहवाही लूट रहे हैं। और, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं, दूसरा इन्क्रीमेन्ट ड्यू हो गया है, 1 दिसम्बर 80 को। क्यों हो गया है कि 376 हो गया है, मूल्य सूचकांक जब 376 पर आया। दिसम्बर, 1980 को मूल्य सूचकांक 384 पर आ चुका और एक ड्यू हो गया जिसके लिए फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े दस करोड़ की व्यवस्था है। दूसरा और ड्यू हो चुका है, 1 फरवरी, 81 को। 1 फरवरी, 1981 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 392 तक आ गया है। यह दो महगाई भत्ता बन चुके हैं उनके आगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 21 करोड़ की व्यवस्था कहीं पर भी इस बजट में नहीं की गयी है। यह समझौता राज्य कर्मचारियों के साथ है, ये उनको देना पड़ेगा। तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब आप कहते हैं, जल्दी से जल्दी, एक साल के लिए वेतन आयोग को आपने समय बढ़ा दिया और आपने स्वीकार किया कि वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें 67 को राणावत आयोग की 68 में सिफारिशें लागू हुई और 76 में माननीय जोशी जो जब मुख्य मन्त्री थे तो गुप्ता कमेटी के आधार पर कर्मचारियों को सारे वेतनमानों का पुनर्निधारण करना पड़ा। ये इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ये असंगति है, वेतनों में, मकान किराये की बात थी। ये महत्वपूर्ण मसले है, कर्मचारियों के और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक साल का जो वेतन आयोग बैठा उसको अवधि बढ़ा दी और ये दो साल में भी पूरा होगा कि नहीं इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह कि भूमि सम्बन्धी विवादों का आयोग भी उनकी अध्यक्षता में, माननीय बेरी साहब के दो आयोग हैं उनके पास। एक भूमि सम्बन्धी विवादों का, एक वेतन आयोग का। दूसरा बेरी साहब की सम्बन्धित रिपोर्ट दुर्भाग्य से बीमार भी रहना प्रारंभ कर दिया है। तीसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किये हैं कि कोई भी हैड आफ द डिपार्टमेन्ट कर्मचारियों की मूल रूप में मांगें समझने वाले, जो कर्मचारियों से काम लेते हैं, जो वेतनमानों को समझते हैं, जो उनकी कार्यक्षमता को समझते हैं, उनको आदेश दिया है कि कोई भी सीधे वेतन आयोग को सिफारिशें नहीं भेजे, वित्त मन्त्रालय के, राजस्थान के वित्त मन्त्रालय के, उनसे सहमति से, उनसे राय करने के बाद फिर वेतन आयोग के पास भेजे। आखिर क्या मन्शा है, इस सरकार की? क्या वेतन आयोग को वेतन आयोग के रूप में काम करने देना चाहती है या नहीं? यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वेतन आयोग है लेकिन उस वेतन आयोग के बहाने राज्य सरकार कर्मचारियों के असन्तोष को दूर नहीं कर पायेगी। आपने ये आदेश दिये वित्त मंत्रालय से राय करके आओ, फिर वेतन आयोग के पास जाओ। वेतन आयोग क्या कर रहा है, हैड आफ द डिपार्टमेन्ट, सचिव आपके जा नहीं रहे वहां पर और वेतन आयोग के सामने आपका प्रतिवेदन प्रस्तुत करे नहीं। तो मैं ये

(श्री कैलाश मेघवाल)

बातें इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। मैं दो बातें चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय एक तो यह है कि अन्तरिम सहायता दिलायी जाय और इसलिए दिलायी जाय, क्योंकि 78 या 79 में हरियाणा दे चुका, पंजाब में 79-80 में वेतन आयोग की रिपोर्ट आयी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वेतन आयोग की सिफारिशें थीं उसमें सौ रुपये हरियाणा सरकार ने ज्यादा दिये। अब आप क्या सोचते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय.......।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि अन्तरिम राहत दी जाय। वेतन आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट लेकर मकान किराये की बात तय की जाय, राजस्थान में जो स्टेगनेन्सी पर आ गये हैं उन्हें लाभ दिया जाय। बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। जो आपके 31 जून, 1980 के बाद सेवा-निवृत होने वाले कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा? दूसरी तरफ इन कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से सरकार इस बात की घोषणा करे कि इस वेतन आयोग की रिपोर्ट 30 तारीख तक आ जायगी। अगर यह घोषणा आप कर दें तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान के कर्मचारियों को थोड़ा आश्वासन होगा, वे आन्दोलन की राह नहीं जायेंगे। अन्यथा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बजट पास कीजिए, यह आधार भूमि है, ये नींव के पत्थर हैं कर्मचारी। ये तो ऊपर दिखने वाले गुम्बज हैं मंत्रिमण्डल, बीच की इमारत के अधिकारी हैं, आधार भूमि तो यह है। अगर यह आधार भूमि संतुष्ट नहीं रही, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आपका बजट पास करना, इसके सारे प्रोविजन पास करना, इनका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। असंतुष्ट कर्मचारी आपको सारी गतिविधि और सारे कार्यक्रमों को फेल करने की क्षमता रखता है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अंतरिम राहत की घोषणा, ये जो दो ड्यू हो चुके महंगाई भत्ते, एक दिसम्बर और एक फरवरी से, इनको देने की घोषणा और बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आ जायगी, इसकी प्रमाणिक घोषणा आप सदन में कीजिए जिससे राजस्थान के कर्मचारियों को कुछ राहत महसूस हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में जो देरी हुई है इसके 3-4 कारण हैं। एक तो अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने उनको भूमि सुधारों की जांच का काम भी दे दिया था, मैं आपको बता दूं यह कमीशन हमारे समय में अपाइंट नहीं हुआ था, यह आपकी सरकार के टाइम में अपाइंट हुआ था, ये आपको उस समय सोचना चाहिए था कि इसको दो-दो काम सौंपने हैं या नहीं सौंपने हैं। फिर, अध्यक्ष महोदय, उस वक्त तो सोचा नहीं, दोनों कमीशन उन्होंने दिये। फिर इसके टर्म आफ रेफरेन्स जो हैं वे राणावत वेतन आयोग के मुकाबले में बहुत बड़े हैं। आपको मैं निवेदन करूं कि टोटल पिटीशन जो बेरी आयोग ने रिसीव किये, वे 1754 हैं। जो करीब 21 हजार पेज के अन्दर हैं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

1754 उन्होंने पिटीशन रिसीव किये, इन्डीविजुअल से, विभाग से, महासंघों से और उसके आधार पर, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्रश्नावली तैयार करके दे दी, कर्मचारी संघों को 305, हैड आफ द डिपार्टमेंट्स को भेजी 155 और सैक्रेट्रीज को 21 प्रश्नावली भेजी। अध्यक्ष महोदय, बीच में अनफोरचुनेटली 2 महीने के लिए गवर्नमेंट प्रेस में हड़ताल हो गयी। वह प्रश्नावली तैयार नहीं हो पायी। अब, अध्यक्ष महोदय, एक हजार करीब प्रतिनिधियों से उन्होंने बात की और 258 व्यक्तियों से उनको 3896 पेजों के अन्दर उनके रिप्लाई, प्रश्नावली के अलावा, उनको फरदर रिप्लाई प्राप्त हुए। सबको स्क्रूटनाइज करना पड़ा। टर्म एण्ड रेफरेंस भी काफी वाइड थे राणावत वेतन आयोग के मुकाबले में। इसलिए इस वेतन आयोग को सिफारिशें देने में देरी होना स्वाभाविक है।

एक बात अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने डी० ए० के बारे में कही कि आपका समझौता हो चुका है कि आपको केन्द्रीय पैटर्न के अनुसार ही राजस्थान के कर्मचारियों को भत्ता देना चाहिए। श्रीमन्, यह बात सही है कि जब-जब केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता बढ़ाया उसी तरह से हमने अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया, मंहगाई भत्ते से मेरा अभिप्राय है। लेकिन एक बात साफ कर देना चाहूंगा कि हमारा उनसे इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि जब-जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाएगी तो हमको भी उसी के अनुसार देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे नहीं हुआ था? हाउस में डिक्लेयर हुआ था। इस प्रकार का एग्रीमेंट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुनिये, श्रीमन्, 67 में जब गजेन्द्र गडकर कमीशन अपाइंट हुआ था उस समय इस तरह की बात चली थी जिसमें कि तत्कालीन मुख्य सचिव ने उनको कहा था कि गजेन्द्र गडकर कमीशन का पैटर्न अपनाया है डी० ए० का उसको अपनायेंगे। लेकिन उसके बाद ही वह खतम हो गया। उसके बाद दूसरा पे-कमीशन अपाइंट हुआ उसके तुरन्त बाद ही हमने उस पर कह दिया कि आगे के लिए इसको मानने को बाध्य नहीं हैं। मैं पूर्व में कह चुका हूं कि हम देते तो वैसे भी आ रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार के मंहगाई भत्ते को मानने को बाध्य नहीं हैं। 76 में डी० ए० और सैलेरी मर्ज कर दिये और हमारा डी० ए० का पैटर्न 76 के अन्दर ही बदल गया था। इसके बावजूद भी मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि जब जब भी केन्द्र सरकार ने दिया हमने कर्मचारियों को दिया है लेकिन कोई बाध्य नहीं हैं। क्योंकि हमारा डी० ए० का पैटर्न बिलकुल डिफरेंट है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये मैंने उनके बारे में जानकारी दे दी, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या सरकार इस स्थिति में है कि बेरी कमीशन अपना प्रतिवेदन निर्धारित समय में नहीं दे सके तो बेरी कमीशन को अंतरिम राहत दिये जाने के सम्बन्ध में, अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए लिखने का राज्य सरकार

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

तैयार है क्या ? एक बात ।

बेरी कमीशन की मियुक्ति कितने दिनों के लिए हुई थी और उसमें कितनी बार एक्सटेंशन किया गया और उसमें कितना पीरियड़ ऐसा गया कि बेरी कमीशन बिना किसी आदेश के काम कर रहा था और उसके कार्यकाल में किसी प्रकार की अवधि की वृद्धि नहीं हुई थी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा मैंने कहा कि दो दफा कार्यकाल बढ़ाया गया था । उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिये उन्होंने कब मंजूरी चाही सरकार से और सरकार ने कब मंजूरी दी इसकी डेट्स तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन पोजिशन जो है वह यह है कि छठे महीने तक, 81 के छठे महीने तक का कार्यकाल बढाया है । आपने दूसरा प्रश्न यह किया ... ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आदेश तो कोई था ही नहीं, काम नहीं करने का । मेरा प्रश्न यह था कि बिना आदेश के तो वह काम कर नहीं सकते थे । आपने जो कारण बताये हैं कि इतनी पिटिशन्स आई, इतने रिप्रेजेण्टेशन आए, इतनी विटनेसेज आई, दो महीने तक बीमार हो गये, इनके कारण बेरी कमीशन समय पर अपना काम पूरा नहीं कर सका । क्या एक कारण यह भी है कि बेरी कमीशन के कार्यकाल की अवधि में समय पर वृद्धि नहीं हुई और इस कारण से भी बेरी कमीशन काम नहीं कर सका ?

श्री भंवरलाल शर्मा : छुपाने की बात नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं छुपाने वाली बात रखता ही नहीं हूं । मैं छुपाता नहीं, जो जानकारी मुझे होती है सदन के अन्दर रख देता हूं ।

जैसा आपने कहा कि काम रुका पड़ा रहा, काम रुकने का प्रश्न ही नहीं था आदेश नहीं निकलने से काम चालू था ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने आर्डर निकाला एक्सटेंशन के लिए उसमें टाइम गैप था या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे पास जानकारी नहीं है अध्यक्ष महोदय । फिर यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कि अगर दो दिन, चार दिन देरी भी हो गई, दस पांच दिन की देरी हो गई....

श्री भैरोंसिह शेखावत : दो चार दिन का सवाल नहीं है। आप बता दीजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुनिये, मैं........

श्रीमती उजला अरोड़ा : देरी का आधारभूत प्रश्न यही है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न नहीं हुई है यही विश्वास दिलाना चाहता हूं । कामकाज के अन्दर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : कामकाज कैसे करते जब कि उनके पास आर्डर ही नहीं था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसका ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : बेरी कमीशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
का कार्यकाल समाप्त हो गया। जब तक कोई एक्सटेंशन नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : उनको फैसला तो लिखना नहीं था तुरन्त में, कि उनका एक्सटेंशन नहीं था इसलिये फैसला नहीं लिख सकते। वे काम कर सकते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे कर सकते थे ? अध्यक्ष महोदय, जब बेरी कमीशन नियुक्त किया गवर्नमेंट ने एक आदेश से और उस आदेश का कार्यकाल समाप्त हो गया तो बेरी कमीशन न रिप्रजेण्टेशन ले सकता है, न कोई हियरिंग दे सकता है, न कोई विटनेस की एवीडेंस रिकार्ड कर सकता है। दो तीन महीने तक अवधि नहीं बढ़ी तो उस अवधि तक चुपचाप बैठे रहें तो समय तो उसमें लगेगा ही।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि, आपके पास सूचना नहीं है इसको जाने दें, क्या आप बेरी कमीशन को यह लिखने को तैयार हैं या नहीं कि अंतरिम राहत देने के बारे में बेरी कमीशन अगर छः महीने तक फाइनल रिपोर्ट नहीं दे तो बेरी कमीशन को अंतरिम रिपोर्ट देनी चाहिए ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकार को उम्मीद है कि छठे महीने तक रिपोर्ट आ जाएगी। उनका हैड आफ दी रिपोर्ट और सेक्रेटरी से कन्वरसेशन बाकी रह गया था। सरकार को उम्मीद है कि छठे महीने तक रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें आशंका किस तरह से है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कैसे कह दिया आपने। क्या बेरी कमीशन ने सरकार को सूचना दी है कि इस अवधि में मैं रिपोर्ट नहीं दे सकता ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब छठे महीने तक के लिये टाइम बढ़वाया है तो छठे महीने तक रिपोर्ट दे देंगे,....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टाइम बढ़ाने के बाद क्या बेरी कमीशन ने सरकार को यह सूचना दी है कि छठे महीने तक मैं फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकूंगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस प्रकार की सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री कैलाश मेघवाल : एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : यह सवाल बहुत इम्पार्टेन्ट है। सवाल यह था कि क्या वित्त विभाग ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट स्वतन्त्र रूप से अपनी राय न दें, वित्त विभाग को कंसल्ट करके दें। इतना जवाब दे दें कि क्या वे इसको विदड्रा करेंगे ? क्योंकि बिना इसके तो वेतन आयोग का सारा मकसद बेकार हो जाएगा। आखिर राय कौन देगा ? किसको मालूम है कि कर्मचारियों की क्या स्थिति है और उनके लिये कह दिया कि वित्त विभाग की राय लेकर ही उसके सामने जाइये ? तो उसको विदड्रा करने को तैयार है सरकार ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हैड आफ दी डिपार्टमेंट को इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं कि वे अपनी राय प्रस्तुत नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी . प्रश्न यह है कि क्या हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट को यह ग्राज्ञा भिजवाई गई है कि रिप्रेजेण्टेशन्स को थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजा जाय ? यह मूल प्रश्न है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह . मैं ग्रापकी इस बात को रिफ्यूज करता हूं । इस प्रकार के कोई ग्रादेश नहीं दिए गये हैं कि वित्त विभाग के मार्फत ही कोई रिप्रेजेण्टेशन भेजा जाय ।

ग्रायुर्वेद होम्योपैथिक कालेज को हड़ताल

श्री ग्रध्यक्ष . चर्चा समाप्त हुई । श्री घासीराम यादव राज्य मंत्री, ग्रायुर्वेद होम्योपैथिक कालेज की हड़ताल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री घासीराम यादव (राज्य मंत्री, ग्रायुर्वेद) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी ग्रनुमति से यह वक्तव्य पढ़ रहा हूं ।

राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज जयपुर के छात्रों द्वारा हड़ताल के संबंध में सदन के माननीय सदस्यों के सूचनार्थ निम्न तथ्य प्रस्तुत हैं ।

छात्रों की मुख्य मांगें हैं कि राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं ग्रस्पताल को राज्य सरकार ग्रपने ग्रधीन लेवें । इस विषय में विचार-विमर्श के पश्चात् मंत्री मण्डल द्वारा दिनांक 21.4.77 को निर्णय लिया गया था कि उक्त कालेज एवं ग्रस्पताल को तुरन्त प्रभाव से राज्य सरकार के ग्रधीन लिया जाकर भविष्य में उसका समस्त कार्यकलाप एवं व्यय राज्य सरकार वहन करेगी तथा उक्त संस्था में कार्यरत समस्त स्टाफ कर्मचारी प्रचलित नियमों के ग्रन्तर्गत राज्य सरकार के ग्रधीन लिये जायेंगे ।

इसके पश्चात् नव निर्वाचित जनता पार्टी की सरकार के ग्रा जाने पर इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा सका तथा पुनः मंत्रिमण्डल द्वारा विचार किये जाने हेतु कार्यकलापों का ग्रध्ययन कराने का तय किया गया । इसी में काफी समय लग गया तथा सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई । मौजूदा सरकार ने इस विषय पर फिर से विचार करने का निश्चय किया है तथा मामला ग्रभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है । जहां तक कालेज को विश्वविद्यालय से एफिलियेट कराने तथा विश्वविद्यालय में होम्योपैथिक फैकल्टी खोलने की मांग है, राज्य सरकार ने कालेज के ग्रावेदन पत्र पर एफिलियेट (सम्बद्ध) करने हेतु सिफारिश दिनांक 16.2.81 को विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिया है । एफिलिएट होते ही विश्व विद्यालय फैकल्टी खोलने व परीक्षायें लेने की कार्यवाही शुरू कर देगा । छात्रों की तीसरी मांग है कि 29.1.81 को वहिष्कृत पूरक परीक्षाग्रों की तिथि घोषित कर परीक्षा केन्द्र राज्य में चल रहे होम्योपैथिक कालेजों में ही रखे जावें । जहां तक वहिष्कृत पूरक परीक्षा की यह तिथि घोषित करने का प्रश्न है इस पर वोर्ड द्वारा तिथि शीघ्र ही घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है । जुलाई, 1980 में जो परीक्षायें ली गई थीं, उसके विषय में परीक्षकों ने ग्रपनी ग्रसेसमेंट रिपोर्ट में ग्रंकित किया था कि तीनों कालेजों में (ग्रलवर, भरतपुर व जयपुर में) नकलें बड़े पैमाने पर की गई थी । होम्योपैथिक कालेज जयपुर के प्रिंसिपल ने भी ग्रपने पत्र दिनांक 27.7.80 में सूचित किया था कि जयपुर छात्रों ने काफी नकल की व पकड़ने पर ग्रभद्र व्यवहार किया इस प्रश्न पर विचार करने हेतु वोर्ड के प्रशासक व तीनों कालेजों के प्रिंसिपलों की एक बैठक दिनांक 9.10.80 को हुई जिसमें यह तय किया तो परीक्षायें

(श्री घासीराम यादव)

जयपुर में ही रखी जावें या होम्योपैथिक कालेजों के अलावा अन्य केन्द्रों पर हों। इस निर्णय को क्रियान्वित करने पर छात्रों ने पूरक परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। राज्य सरकार के पास बोर्ड द्वारा यह मामला भेजने पर राज्य सरकार ने भी यही उचित माना कि परीक्षायें अन्य केन्द्रों पर ही रखी जायें। इस निर्णय से राज्य सरकार ने दि. 21-2-81 को बोर्ड को सूचित कर दिया।

होम्योपैथिक पद्धति का अलग से बजट निर्धारित करने तथा पृथक निदेशालय खोलने के बारे में 1980-81 के बजट में होम्योपैथिक औषधालय के लिए 8.87 लाख रुपये का अलग से प्रावधान है। आयुर्वेदिक पद्धति तथा यूनानी पद्धति के साथ होम्योपैथिक पद्धति भी निदेशालय के अन्तर्गत ही रखा गया है ताकि इससे वित्तीय भार अधिक नहीं पड़े। इस पद्धति का विकास हो जाने पर अलग से निदेशालय के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

होम्योपैथिक डाक्टरों का चयन व नियुक्तियां राज्य में प्रचलित सेवा नियमों के आधार पर ही की जाती है तथा वेतन आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सों के बराबर ही दिया जाता है। अभी हाल ही में सहायक निदेशक होम्योपैथिक का एक नया पद दि. 2. 12. 80 को सृजित किया गया है। सेवा नियमों में इसे सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

राज्य सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने हेतु जागरूक है इसी कारण इस 1980-81 के वर्ष में 17 होम्योपैथिक औषधालय खोले गये हैं। वर्तमान में राजस्थान में 63 होम्योपैथिक औषधालय हैं। समय समय पर वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर औषधालय खोले जा सकेंगे। इन्टर्नशिप कर रहे छात्रों को स्टाइपेंड देने का प्रस्ताव बोर्ड से दिनांक 5.2.81 को ही प्राप्त हुआ है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। जहां तक मेडिकल बिल्स के पुनर्भरण का प्रश्न है, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के अधिकार प्रदान करने का प्रश्न भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस तथ्यों से यह प्रकट होता है कि राज्य सरकार इस पद्धति को पूरा प्रोत्साहन दे रही है तथा उचित मांगों को वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्वक मानने का प्रयत्न कर रही है। राज्य सरकार छात्रों के प्रतिनिधियों से कई बार वार्ता कर चुकी है तथा उनसे आग्रह किया है कि वे हड़ताल बन्द कर अपनी कक्षाओं मे जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला। सबको अवसर दूंगा माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : इसमें हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का भी इसमें प्रस्ताव है । इसलिए इधर से शुरू किया है, भाषण नहीं होंगे, एक दो प्रश्न स्पष्टीकरण के तौर पर करेंगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : स्पष्टीकरण नहीं करूंगा, कोई भाषण-वाषण तो देना ही नहीं आता । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा । जैसा आपने बताया कि 21.4.77 को राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हम होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल को ले लेंगे और आपने इस वर्ष 8.87 लाख का बजट भी इसके लिए रखा है । फिर क्या दिक्कत आ रही है कि आप इसको नहीं ले रहे हैं और अनावश्यक रूप से इतनी लम्बी हड़ताल चल रही है ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि विचाराधीन क्या प्रश्न था ? 21-4-77 को, आप स्वयं फर्माते हैं कि केबिनेट ने निर्णय ले लिया कि इसको ले लिया जाय । 4 लाख रुपये का बजट होम्योपैथिक कालेज वालों को दे रहे हैं, उसके बाद दो लाख आप दे चुके उनको पहले और साढ़े चार लाख रुपये भारत सरकार अनुदान के रूप में दे चुकी है । आप स्वयं मानते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है । इसके अनुसंधान के लिए यहां पर सारे कार्य किये जा रहे हैं, फिर कौनसी दिक्कत आ रही है ? आप दुबारा फैसला करने के बाद पुनः यह कहते हैं अभी विचाराधीन है ।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, जनता पार्टी की सरकार ने····

श्री श्रीराम गोटेवाला : जनता पार्टी की सरकार तो डूबो गई सारी । । मैं तो अपनी सरकार की बात पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री घासीराम यादव : रोक दिया । इस पर एक कमेटी बैठायी । कमेटी ने रिपोर्ट दी, ढाई साल तक कोई फैसला नहीं कर पाये । दुबारा हमारी पार्टी की सरकार आई तो अब वह विचार कर रही है ।

श्री अध्यक्ष . मामला इतना ही है कि जनता पार्टी की सरकार 26–28 महीने में कुछ फैसला नहीं कर सकी । आपकी तो खुद की सरकार के केवल नौ महीने हुए हैं, आपने भी किफायत पेश कर दी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह केबिनेट का निर्णय है माननीय अध्यक्ष महोदय, केबिनेट के निर्णय के बाद····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष . आर्डर प्लीज

श्री **नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने यह सिद्ध करने की कोशिश की जनता पार्टी की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ।

क्या यह सही है कि 21 अप्रेल, 77 को कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लेने का डिसी-

Page No. 82

(82)

(श्री नाथूसिंह)

जन किया था, उसके बाद भी इसको नहीं लिया गया। उसके बाद जनता गवर्नमेंट बनी और जनता गवर्नमेंट ने पैनल बैठाया जांच करने के लिए कि क्या स्थिति है। पैनल ने ज्यों ही रिपोर्ट दी उसके पश्चात् जनता गवर्नमेंट ने हैल्थ सेक्रेटरी ने एक नोटिंग भेजा कि अप्रेल, 80 से सरकार ने आदेश दिये उस समय जनता सरकार ने जो। अप्रेल, 80 से·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपस में बोलें नहीं।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** . एक अप्रेल को जनता पार्टी की सरकार थी ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री **नाथूसिंह** : क्या यह सही है कि जनता गवर्नमेंट ने राजस्थान सरकार के हैल्थ सेक्रेटरी ने उस फाइल पर यह नोटिंग करके भेजा कि एक अप्रेल, 80 से इस कालेज को टेक ओवर किया जाय, पहला?

दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं जब आपकी सरकार आयी उस समय फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने धन की कमी बता करके इसको टाल दिया और फाइल मुख्य-मन्त्री जी को भेज दी और मुख्य मन्त्री जी ने अक्टूबर, 80 में आदेश दे दिया कि धन की कमी के कारण इस कालेज को टेक ओवर नहीं किया जा सकता है? क्या यह सही है?

श्री **अध्यक्ष** : इतने लम्बे प्रश्न नहीं होंगे, माननीय सदस्य।

श्री **नाथूसिंह** . अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्ताव ठीक है। आर्डर, आर्डर, आर्डर, इतनी चर्चा अलाउ नहीं करूंगा, माननीय सदस्य, कृपया एक दो सवाल पूछना चाहें। तो कह सकते हैं।

श्री **नाथूसिंह** : अण्डर रूल 57.

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। एक दो सवाल पूछ सकते हैं, आप बहस करने जा रहे हैं।

श्री **नाथूसिंह** : बहस नहीं कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। आप सवाल करने नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस कालेज को टेक ओवर करने से सरकार को तीस और चालीस लाख का फायदा होगा और एक साल में टेक ओवर करने का खर्चा तीन लाख रुपया होगा?

अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है। क्या यह सही है कि इसी तरह क्या केन्द्र सर-कार ने राजस्थान सरकार को इस तरह की डायरेक्शन दिये हैं कि हर किस्म की पद्धति, हर किस्म के कालेज हर स्टेट के अन्दर होने चाहिये। उसके तहत अभी तक राज्य सर-कार ने कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या यह सही है····

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आप तो लम्बा भाषण दे रहे हैं, माननीय सद-स्य।

श्री **नाथूसिंह** : सवाल कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

क्या यह सही है कि केवल

(श्री नाथू सिंह)

एलोपैथिक के एक डाक्टर पर एक लाख तीस हजार रुपया खर्च होता है ? आयुर्वेद वाले पर 35 हजार रुपया और होम्योपैथिक के एक डाक्टर के तैयार होने में केवल दो हजार रुपया खर्च होता है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 16 मेडिकल कालेज होम्योपैथिक के यू. पी. में हैं और उनका पांच करोड़ का बजट है। आपने बजट में इतना बजट रखा है, जैसे आपने पहले डिस्पेन्सरीज बतायीं इसी तरह से कई स्टेट्स में हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में, केरल में है, देहली में है तो क्या इसको देखते हुए और केन्द्रीय सरकार के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप अविलम्ब इस होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को टेक ओवर करेंगे और इसका बजट बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष : एक साथ प्रश्न पूछ लें फिर जवाब देना।

श्री नाथूसिंह : पहले मेरे प्रश्नों का जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : मदन प्रताप खूंटेटा धर्मार्थ संस्थान द्वारा यह होम्योपैथिक कालेज चलाया जा रहा है। 1976 में उन्होंने मांग की और मांग के साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक एक होम्योपैथिक कालेज अनिवार्य रूप से चलायें। उसी आधार पर तत्कालीन श्री हरिदेव जोशी की सरकार ने यह निर्णय लिया। राज बदला, जनता पार्टी सरकार ने फरवरी, 80 श्री डोडियाल ने यह निर्णय लिया....

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस की सरकार ने जब यह .. हो गया था कि सरकार जा रही है उस वर्ष निर्णय लिया और आपकी सरकार ने भी जब जा रही है उस वक्त निर्णय लिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय आयुर्वेद मंत्री जी इस बात को एग्री कर रहे हैं, 2 लाख का अनुदान देना चाहते हैं, कालेज पर 3,84,600 खर्चा होगा उसमें से 74 हजार बच्चों की फीस में से प्राप्त हो जायगा फिर रहा कुल 3.14 लाख। दो लाख अनुदान देने की बात मंत्री जी ने स्वीकार की है। इनमें कुल असेट्स मिलाने के बाद 70 लाख रुपये की संपति विभाग को प्राप्त होगी। तो यह नीति की बात है इसको तुरन्त राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिये। जहां बंगाल में 5, उत्तर प्रदेश में 14 और बिहार में 3 होम्योपैथी के कालेज हैं वहां राजस्थान में एक भी कालेज नहीं चल रहा है। जब एलोपैथी के डाक्टर्स को पूरी सुविधाएं दे रहे हैं तो होम्योपैथी के डाक्टर को पुनर्भरण की सुविधा न दें, रोगी प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र का अधिकार न दें तो यह विचार करने की बात है। उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं इसीलिए तो आज 26 दिनों से विद्यार्थी सरकार को मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। और मन्त्री महो उनसे बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें 4-5 मांगें तो महत्वपूर्ण हैं जो तुरन्त सरकार को मान लेनी चाहिये। बच्चों को इन्टर्नशिप नहीं दी जाय फोकट में बच्चों से बेगार कराई जाती है सबसे बड़े दुख की बात है कि इनके लिए

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अलग से मन्त्रालय नहीं है। इसके अलावा आश्चर्य यह है कि आयुर्वेद के कम्पाउण्डर को होम्योपैथी की डिस्पेंसरी में लगा दिया जावे वह क्या खाक समझेगा, वह होम्यो- पैथी की गोलियों को टिचर्स, नहीं समझता है। यह स्वागत योग्य बात है कि आपने सहायक निदेशक की नियुक्ति की है तो कम से कम इसका अलग से विभाग खोला जाना चाहिये और आज सवेरे एक अद्- भुत आन्दोलन मैंने देखा। काला पट्टा माथे पर, गले में फांसी का फन्दा, हाथ बन्धे हुए। या तो हमें फांसी दो या हमारी बात मानो— इस प्रकार का अद्‌भुत आन्दोलन विधान सभा के आगे आयुर्वेद के लोगों द्वारा हो रहा है। मैं समझता हूं लगातार उनको····

(व्यवधान)

उन गरीबों ने क्या किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में 3-4 प्रस्ताव आ चुके हैं। इस पर कृपा करके ध्यान दें। आयुर्वेद मन्त्री जी, थोड़े दयालु हैं उनको फांसी पर न लटकाएं।

श्री अध्यक्ष : ठीक करेंगे वह श्री घन- श्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महो- दय, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है वह काफी हद तक सन्तोषजनक है लेकिन यह मालूम नहीं पड़ता कि कौन से पूर्वाग्रह हैं। उन पर तुरन्त कार्यवाही करावें ताकि हड़ताल समाप्त हो जाय।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : 9 महीने विचार में लगा दिये। आज मन्त्री जी घोषणा करें।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : जो सरकार का निर्णय है उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? लागू होना चाहिये इसमें कोई खर्चा भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बच्चों को सताने से कोई लाभ तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मान- नीय मन्त्री महोदय।

श्री बनवारी लाल (राज्य मन्त्री, जन सम्पर्क) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सद- स्यों ने जो विचार प्रकट किये कि जनता पार्टी की सरकार ने इसको अटकाया नहीं फैसला कर दिया था। मैं सदन की जान- कारी के लिये बताना चाहूंगा कि 21-4-77 को जाने वाली कांग्रेस सरकार ने फैसला किया था और 9-9-77 को यह देखते हुए कि पहले के फैसले को दुबारा देखना चाहिये, उन्होंने एक कमेटी अपाइन्ट की जिसमें आयुर्वेद सैक्रेटरी और उप सचिव, वित्त ने सब बातों को देख कर फैसला कर लिया। मैं बताना चाहूंगा, उस कमेटी को दो साल बीत गये, नवम्बर, 77 से 4.10.79 को उसके बाद मामला फाइनेंस में गया। जनता पार्टी की सरकार के जमाने में, उसके बाद में लॉ डिपार्टमेंट में भी गया और वित्त विभाग ने एतराज किया कि वर्तमान साधनों को देखते हुए इसको लेना उचित नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट ने बताया कि जब फैसला ही

(श्री बनवारी लाल)

ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एग्रीमेंट के बारे में क्या राय दें। एग्रीमेंट के बारे में तब बतायेंगे जब आप फैसला करोगे। उसके बाद यह बात सही है कि जनता पार्टी की सरकार उस वक्त चली गई थी उसके जमाने में हो सकता है इसको केबिनेट में भेजा, उसके बाद सरकार चली गई। अब दुबारा यह सरकार के सामने प्रश्न पैदा हो रहा है। इस पर विचार हो रहा है। यह बात सरकार को नाथूसिंह जी ने कही, विचार हुआ, फिर यह मामला एफ. डी. में गया और फाइनेंस की राय आज भी यह है कि वित्तीय भार बढ़ेगा इसलिये इसको लेना उचित नहीं है। लेकिन इस पर अभी भी केबिनेट में विचार होना है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसके बाद तो फाइल मुख्यमन्त्री के पास चली गई····

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बनवारीलाल : इसके अलावा जैसा कि नाथूसिंह जी ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देश हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के कोई निर्देश नहीं हैं। एलोपैथी डाक्टरों के बारे में उन्होंने जो जानकारी दी कि उन पर इतना खर्चा होता है तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, न इसका हड़ताल से कोई सम्बन्ध है। इसके अलावा जोशी जी ने फर्माया कि दो लाख के अनुदान की बात है, रोगी प्रमाण पत्र और बिलों का पुनर्भरण होना चाहिये और ये उचित मांगें हैं जिनको माना जाना चाहिये। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन सब बातों पर राज्य सरकार मन्त्रालय स्तर पर विचार करेगी और इन पर सहानुभूतिपूर्वक जल्दी से जल्दी विचार होगा और यह सारा फैसला केबिनेट की मीटिंग के बाद....

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि वित्त मंत्रालय से फाइल आने के बाद रुटीन में मुख्य मन्त्री जी ने दस्तखत कर दिये कि कालेज नहीं खोला जाय।

श्री बनवारी लाल : उन्होंने मुख्य मन्त्री की नहीं, वित्त मंत्री की हैसियत से दस्तखत किये हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। प्रश्नों पर उत्तर देने के बाद दुबारा चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : केन्द्र से डायरेक्शन आये हैं क्या ?

याचिका का उपस्थापन

कोटा जिले के ग्राम काचरी में सिंचाई के तालाबों की मरम्मत

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं (1) कोटा जिले के ग्राम कांचरी में सिंचाई के तालाबों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

कोटा जिले की अन्ता से कांचरी तक की सड़क का निर्माण

(2) जिला कोटा की अन्ता से कांचरी तक की सड़क निर्माण करवाने के संबंध में 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित—

दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल प्रदाय के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के साथ बरती जाने वाली धांधली

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं, जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल प्रदाय के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के साथ बरती जाने वाली धांधली को समाप्त करवाने के सम्बन्ध में चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

आय व्यायक बजट 1981-82 की द्वितीय अवस्था। अनुदानों की मांगों पर विचार

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30, जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

निम्नांकित मांगों पर विचार किया जाकर उन पर मतदान होगा। मांगों का प्रस्तुतिकरण। मन्त्री महोदय।

श्री हरसहाय मीणा (समाज कल्याण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19 करोड़ 26 लाख 99 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13 करोड़ 93 लाख 81 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री **बद्री प्रसाद गुप्ता** (नगर आयोजना मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5 करोड़ 94 लाख 63 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़)

1- प्रतापगढ़ तहसील के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले एस0टी0 व एस0सी0 के छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने

(श्री नन्दलाल मीणा)
बाबत एवं कन्या आश्रम सालमगढ़ को बजट प्रावधानें के बावजूद न शुरू करने हेतु चर्चा के लिए ।

2– जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित तहसील प्रतापगढ़ को वर्ष 19-80-81 में विकास कार्यों में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने से क्षेत्र के लोगों में निराशा की स्थिति पर विचार पर चर्चा के लिए ।

3– प्रतापगढ़ से जनजाति उप परियोजना अधिकारी के कार्यालय को हटाने के सम्बन्ध में एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रतापगढ़ में कोई विकास कार्य हाथ में न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)

4– उप योजना क्षेत्र में भू-प्रबन्धक द्वारा कार्य सुचारू ढंग से सम्पन्न नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

5– जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम द्वारा वन उपज पर आदिवासियों को स्वामित्व न कराने पर चर्चा के लिए ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

6– जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सिकराय क्षेत्र में ग्राम नाहर खोहरा में औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

7– सिकराय क्षेत्र के जनजाति उप-खण्ड में जनजाति के और गांवों को सम्मिलित किए जाने पर चर्चा के लिए ।

8– जनजाति उपयोजना के कार्यों को समय पर व सही ढंग से लागू न करने पर चर्चा के लिए ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

9– सरकार जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं को सक्षम तरीके से लागू नहीं कर पाई है इस पर चर्चा के लिए ।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

10– बूंदी जिले के जनजाति परिवारों की आबादी 50% से जिन गांवों में कम है उनको चयनित गांवों की सूची से हटा कर जिन गांवों में 50% से अधिक आबादी जनजाति के परिवारों की है । उन गांवों को चयनित गांवों की सूची में सम्मिलित किया जावे इस पर चर्चा के लिए ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

11– जनजाति क्षेत्र में निर्धारित

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)
योजना को निर्धारित समय में क्रियान्वित की जावें इस पर चर्चा के लिए।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

12 जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति के व्यक्तियों को वनों से जलाऊ लकड़ी लाने पर रोक न लगाये जाने हेतु चर्चा के लिए।

13 मत्स्य उद्योगों में वृद्धि और उसकी सुरक्षा की पूरी जानकारी के लिए जनजाति के व्यक्तियों की सेवायें लेने हेतु चर्चा के लिए।

14 जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियो की आर्थिक दशा सुधारने हेतु दुधारू पशु उपलब्ध कराने एवं डेयरी विकास को पनपाने हेतु चर्चा के लिए।

15 बैंकों द्वारा दी जाने वाली रकम को सुरक्षित एवं उपयोगी बनाने के लिये जनजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने पर चर्चा के लिए।

16 जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत आदिवासियों को सहकारिता का समुचित लाभ दिये जाने पर चर्चा के लिए।

17 योग्य जनजाति के युवकों को सर्विस न मिलने पर 100) से 200) रुपये बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये।

18 जनजाति की बस्तियों में चिकित्सकों को सुविधा दी जाने पर चर्चा के लिए।

19 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा की सुविधा के लिये वस्त्र, पुस्तकें पौष्टिक आहार की सुविधा पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला (सागवाड़)

20 जनजाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भ्रष्टाचार को समाप्त किया जावे एवं इस विभाग को गतिशील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

21 आदिवासी क्षेत्रों में 1000 आबादी वाले ग्रामों में पेयजल की सुविधा हेतु नल योजना लगायी जावे न कि हैण्ड पम्पस इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

22 जनजाति क्षेत्रीय को जनता की सुविधा के लिए स्कूल और चिकित्सा खोल कर उनके बौद्धिक विकास एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखने पर चर्चा के लिए।

श्री समरथलाल (राजगढ़)

23 राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम के 36 मिनी ब्लाकस के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त सड़के बनवाने के क्रम में चर्चा के लिये।

24 जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम द्वारा 36 मिनी ब्लाकस में स्वीकृत ऋण को व्यय न किये जाने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्रीराम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

25 जनजाति क्षेत्र का विकास एवं उत्थान में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

28 कोटा जिले की पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायतें (1) रानपुर (2) बोराबास (3) डील्या (4) कसार (5) माडलिया (6) मंवदिया (7) काल्याखेड़ी (8) मंडाना को जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

27 जनजाति विकास क्षेत्र मिनी ब्लाक बनाने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री सी0 पी0 जोशी (नाथद्वारा)

28 रिटायर्ड एवं प्रतिनियुक्ति पर सैंकड़ों कर्मचारियों को जनजाति विकास निगम में लेने से राज्य कोष का भारी नुकसान की चर्चा के लिये।

29 जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत खरीदने वाली वस्तुओं में हजारों रुपये के घोटालों की चर्चा के लिये।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह)

30 टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास के बारे में चर्चा के लिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

31 जनजाति क्षेत्रों में प्रचार माध्यमों की अधिकता करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

32 जनजाति क्षेत्रीय विकास में अनुसूचित जनजाति के लोगों के छात्रावास खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री ओगाराम बकोलिया (रेवदर)

33 सिरोही जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सड़कों के निर्माण के अभाव पर चर्चा के लिये।

34 सिरोही जिले में जनजाति क्षेत्रीय कार्यों में शिथिलता सम्बन्धित चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

35 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को अनुसूचित जनजाति के नाम से मिलने वाली केन्द्रीय सहायता का सदुपयोग नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

36 राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

37 राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कार्य एवं सड़क निर्माण में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

38 राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र में सिंचाई एवं विद्युत व्यवस्था करने में असफल रही है तथा अनुदान अपर्याप्त है इस पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

39 राज्य सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा कार्यों में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

40 राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

41 राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के आदिवासी गांवों को मुख्य मार्गों से मिलाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

42 राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को राहत पहुंचाने में असफल रही है, विकास एवं राहत के कार्य अपर्याप्त हैं इस पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

43 जनजाति क्षेत्रीय विकास की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

44 राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र में रामगढ़ से हिम्मतगढ़ सड़क पुलियां बनाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

45 राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों में जनहित कार्यों में शिक्षा, सड़कें, पेयजल विद्युत, स्वास्थ्य सुविधा में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

46 राज्य सरकार आदिवासियों की कृषि हेतु खाद, बीज, रहट, पम्प, बिजली आदि हेतु अनुदान देने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

47 राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में कुशलगढ़ क्षेत्र में लेम्स, कसारवाड़ी, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, छोटी सरवां आदि में वितरण व्यवस्था करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

48 राज्य सरकार कुशलगढ़ आदिवासी क्षेत्र के आवागमन हेतु डुगरा से सानसेटा, कुशलगढ़ से खुन्दली वाया जालीमपुरा डुगरा से थादला मध्य प्रदेश कुशलगढ़ से दाहोद, गुजरात कुशलगढ़ से जयपुर आदि स्थानों में यातायात साधन जुटाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

49 राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला में जनजाति क्षेत्र में ट्राइबल सब प्लान की धनराशि खर्च करने में असफल रही है ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

50 अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, उद्योगों एवं रोजगारों में प्राथमिकता देने हेतु छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

51 अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावी विकास योजना हेतु चर्चा के लिये ।

(1) श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

52 जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत बिजली, कुइयां खोदना, शिक्षा का प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये ।

(1) श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

(2) श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

53 जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वनों को नष्ट होने से बचाने की चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द ग्रामलिया (चौरासी)

54 गामड़ी ग्रहाड़ा ग्राम जिला डूंगरपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत लोक संस्कृति सम्मेलन से हुई संस्कृति तोड़ मरोड़ की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माणक मल मेहता (पाली)

55 पाली जिले के वाली आदिवासी क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने की चर्चा के लिये।

(1) श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

(2) श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

56—जनजाति क्षेत्र के लिये जो राशि आवंटित की जाती है वह अफसरों की लापरवाही की भेदभाव पूर्ण नीति के कारण खर्च नहीं हो पाती व लैप्स हो जाता है इस पर चर्चा के लिये।

(1) श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

(2) श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

57 आदिवासी क्षेत्र में लगाये जा रहे हानिकारक वृक्ष जैसे गुजराती, खेजड़ी आदि न लगा कर अच्छे फलदार वृक्ष लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

58 जनजाति क्षेत्र में वनों को नष्ट करने से रोकने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (बैराठ)

59 जनजाति क्षेत्रीय विकास में पक्षपात पूर्ण रवैया के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

60 राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

61 आदिवासी क्षेत्रों में जनजाति विकास कार्यक्रम को और गतिशील बनाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

62—सराड़ा तहसील के आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत सड़कें एवं पुल नहीं होने के कारण जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

63—मिनी ट्राइबल क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रति बरती गई उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64 जनजाति क्षेत्रों में स्कूल खोलने में बरती गई पक्षपात पूर्ण नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामढ़)

65– जनजाति के बिखरी हुई आबादी के क्षेत्रों में जनजाति कल्याण योजनायें विस्तृत रूप से चालू किए जाने के प्रावधान हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

66– जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में अनियमितता और उसकी निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

67– जनजाति क्षेत्र में आबादी के अनुपात में प्राइमरी स्कूल की कमी पर चर्चा के लिये।

68– जनजाति क्षेत्रीय विकास उपयोजना के अन्तर्गत मिनी ब्लाक्स खोलने में बरते गये भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

69–जनजाति का विकास करने में राज्य सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिए

70–आदिवासी क्षेत्रों के वनों को देख-रेख का अधिकार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को सौंप देना चाहिये जिससे आदिवासियों की शक्ति का एवं बेकारी का उपयोग किया जा सके।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

71–उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटड़ा तथा गोगुन्दा जनजाति क्षेत्र में विकास कार्यो की गति तीव्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

72–अकलेरा तहसील (जिला झालावाड़) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी विभाग द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराने में बरती गई उदासीनता पर चर्चा के लिए।

73–जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा कस्बा में आदिवासी छात्रावास की स्थापना कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

74–जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम के गठन के औचित्य एवं उसके कार्यकलापों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

75–जनजाति क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा, पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था थेरी विकास एवं उद्योग तथा लघु सिंचाई के कार्यक्रमों को गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33, मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय–

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1– विकलांग वर्ष में विकलांगों को कल्याण योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

2–विभाग द्वारा चलाये जा रहे अनु–

(श्री श्रीराम सिंह विश्नोई)
सूचित जाति के छात्रावासों में राशन संबंधी घोटालों की चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

3– विकलांग वर्ष में विकलांगों को समुचित लाभ पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री छीतरलाल आर्य (अटक)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

4– समाज कल्याण विभाग में भारी घोटाले करने वाले लोगों के विरूद्ध चल रहे मुकदमे राज्य सरकार द्वारा उठा लिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

5– समाज कल्याण निदेशालय की शिथिलता से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

6– नैनवा, जिला बूंदी में विकलांग एवं निराश्रितों के लिए आवास गृह खोलने, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में, जो कि नैनवा पंचायत समिति के गांवों में हैं, बिजली एवं पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरु)

7– स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन्शन की दरों पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

8– सांसी एवं नट जाति के लोगों के संस्कार सुधारने हेतु उनके लिए आय के साधन जुटाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा)

9–समाज कल्याण के छात्रावासों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

10– समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

11– विकलांगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

12– छात्राओं के छात्रावासों व छात्र-वृत्तियों को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

13– छात्रावासों एवं महिला सदनों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

14– विभाग द्वारा तैयार की गई समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

15– टोडारायसिंह व देवली क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा अभी तक कोई योजना लागू नहीं किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

16– गांवों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऊंचा उठाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

17– राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में असफल रही है इस पर चर्चा के के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

18– दलित एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने हेतु चर्चा के लिये।

19– पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

20– समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा)

21– महिला सदन की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

22– समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़)

23– राजस्थान में समाज कल्याण के द्वारा संचालित छात्रावासों की अव्यवस्था के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

24– चौमूं निर्वाचन क्षेत्र में एक भी अनुसूचित जनजाति का छात्रावास न होने पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी राम (हिण्डौन)

25– समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

26– विभाग द्वारा बन्धक मजदूरों को

(श्री दीपेन्द्र सिंह)
मुक्त कराने के कार्य में आवश्यक कदम नहीं उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

27– बीकानेर शहर में अनुसूचित जाति वाले छात्रों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

28– समाज कल्याण विभाग द्वारा सराड़ा तहसील की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

29– समाज कल्याण विभाग द्वारा राणा-नट-सासी-वेश्या तथा हिजड़ों की की आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने में बरती गई उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)

30– भिक्षावृत्ति को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

31– गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की समाज कल्याण विभाग द्वारा उपेक्षा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

32– समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

33– विभाग द्वारा संचालित महिला सदन की दुर्दशा पर चर्चा के लिये ।

34– विभाग द्वारा संचालित एवं अनुदानित छात्रावासों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये ।

35– छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की कीमतें बढ़ जाने से वस्तुओं की कटौती करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

36– विभाग द्वारा संचालित एवं अनुदानित पोषाहार केन्द्रों की उचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

37– समाज कल्याण विभाग द्वारा उदयपुर जिले की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

38– बगरू नगरपालिका के द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों को सीमेंट के कट्टे एवं आर्थिक सहायता दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

39– बगरू नगरपालिका क्षेत्र की अनुसूचित जाति की बस्तियों में विद्युत व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

40– अनुसूचित जातियों के छात्रों को विभाग द्वारा छात्रावास सुविधा न दिलाने एवं अन्य सहायता प्रदान करने में असफल रहने पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

41– अनुसूचित जाति के तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण ग्रेजूएट छात्रों को वजीफा दिलाने के लिए चर्चा के लिये।

मांग संख्या 29, पर कटौती

प्रस्ताव

मांग संख्या 29 नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय–

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1– नगर विकास न्यासों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

2– नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

3– नगर पालिका प्रतापगढ़ कर्मचारियों को रियायती दर पर भू-खण्ड आवंटन कराने बावत चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

4– प्रदेश के शहरों के लिए बनाये गये मास्टर प्लान ठीक ढंग से लागू न किये जाने पर चर्चा के लिये।

5– सी व डी श्रेणी की नगर पालिकाओं को ज्यादा अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

6– स्थानीय निकायों के संचालक कार्यालयों में व्याप्त लालफीताशाही पर चर्चा के लिये।

7– नगरपालिकाओं एवं नगर विकास न्यासों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

8– कम आय वाले लोगों को सस्ते आवासीय भू-खण्ड नहीं देने के कारण नगर न्यासों को दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

9– बीकानेर शहर की मास्टर प्लान में दर्शायी गई नगर विकास न्यास की भूमि को भारत सरकार को बेचने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

10– सीकर नगरपालिका को विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

11– सीकर नगर में नगर विकास न्यास कायम करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

12– नागौर में नगर विकास न्यास कायम करने पर विचार हेतु चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर)

13– जैसलमेर नगर में सौंदर्यकरण के तहत गिराई गई इमारतों के लिए उचित मुआवजा नहीं देने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

14– कोटा एरोड्रम चौराहे पर कोटा नगर विकास न्यास द्वारा कमल के फूल में फव्वारा लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

15– नगर विकास न्यासों के कार्यालयों में भ्रष्टाचार होते हुए भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16– नगरों में अनाधिकृत निर्माणों को रोकने में विभाग असफल रहा है। अत: न्यासों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17– नगर आयोजना विभाग द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक देरी किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

18– अलवर नगर विकस न्यास की अकर्मण्यता के फलस्वरूप अलवर में अनधिकृत कालोनियों का निर्माण हो रहा है जिसे रोकने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

19– नगरों की गृह निर्माण सहकारी समितियों की जांच कर अवैध कब्जों को रोकथाम की जाय तथा जनता को सस्ती आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

20– नगर विकास न्यासो के माध्यम से अतिक्रमियों को बसाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

21– आवास की सुविधा के लिए नगर के पास नये जनता क्वार्टरों का निर्माण

(श्री ...नंदास शास्त्री)
करवाने पर चर्चा के लिये।

22– अजमेर नगर न्यास विकास को दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर)

23– नगरों में कच्ची बस्तियों को नियमित किया जाकर पट्टे दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

24– नगर आयोजन निदेशालय को कर्मठ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

25– भवानीमंडी नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

26– नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)

27– शहरों में खुले आम हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

28– नगरों की सीमाओं में मास्टर प्लान के अनुसार बस्तियां नहीं बसाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29– नगरपालिकाओं और नगर विकास न्यासों के कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

30– वर्तमान व भूतपूर्व सैनिकों को नगर आयोजनाओं द्वारा आवासीय भू-खण्डों के अलाटमेंट में विशेष कोटा निश्चित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31– नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री धाराराम (सिवाना)

32– समदड़ी में नगरपालिका बनाने हेतु चर्चा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)

33– कोटा जिले की रामगंज मंडी नगरपालिका के सभी अतिक्रमणों को हटाने में असफल रहने के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34– कोटा जिले के रामगंजमण्डी नगर के विकास हेतु आवासन मंडल के लिये सरकार द्वारा धारा 6 में भूमि अवाप्त नहीं करने से नगर विकास में उत्पन्न बाधा पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

35– टौंक नगरपालिका द्वारा प्रत्येक वार्ड एवं प्रत्येक मोहल्ले में सड़क व नालियों का निर्माण नहीं किये जाने एवं सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

36– टौंक नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति न किये जाने के

(श्री महावीरप्रसाद)

कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37–टोंक शहर का योजनाबद्ध विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़)

38– नगरपालिकाओं के चुनाव न कराने से जनतान्त्रिक जागृति के अवरूद्ध हो जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

39– नगर विकास न्यास जरूरतमन्दों को आवासीय प्लाट दिलवाने में असमर्थ रहे हैं अतः इन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

40– जयपुर का मास्टर प्लान के अनुरूप विकास नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री सी0 पी0 जोशी (नाथद्वारा)

41–नाथद्वारा शहर का मास्टर प्लान बनाकर विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

42– बीकानेर नगर में नई कालोनी की योजना शीघ्र बना कर नागरिकों को रिहायशी भू–खण्ड देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

43– टोडारायसिंह देवली नगर का मास्टर प्लान बना कर विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

44– नगर विकास हेतु नगरपालिकाओं को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने हेतु सुझावों पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री देवीसहाय गोपालिया (सिरोही)**

(2) **श्री छोगाराम बकोलिया (खेदर)**

45–सिरोही शहर के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल(उदयपुर ग्रामीण)

46– उदयपुर नगर का मास्टर प्लान के अनुसार विकास करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)

47– ब्यावर नगर में आवासन बोर्ड द्वारा मकान नहीं बनाये जाने के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

48– नगर आयोजन विभाग द्वारा कारगर कदम नहीं उठाने से नगरों का विकास नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

49– नगर आयोजना विभाग द्वारा केशवोरायपाटन का मास्टर प्लान तैयार नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

50– नई बस्तियों का नियमित रूप से निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत)

(2) **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण)

51– पिछले 10 वर्षों से नगर आयजना विभाग द्वारा कुछ भी ठोस विकासकार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल)

(2) **श्री रतनाराम** चौधरी (रानीवाड़ा)

(3) **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्रीमाधोपुर)

52–नगर आयोजन निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर)

53– परबतसर नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों में शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

54– नगर विकास न्यास द्वारा बीकानेर शहर की सड़कों एवं नालियों के निर्माण तथा नगर के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

55– बीकानेर शहर में अवैध कब्जों के कारण मास्टर प्लान के अन्तर्गत शहर का विकास न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(1) **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर)

(2) **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार)

56– सवाईमाधोपुर नगर में हरीजनों तथा कन्जरों के मोहल्लों में बरसात में पानी भर जाता है तथा प्रति वर्ष लोग परेशान रहते हैं जिसके लिए नगरपालिका सवाईमाधोपुर द्वारा उस स्थान पर कटाव व पानी भरने से रोकने पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

57–गृह कर में छूट की मांग की सीमा 180/– रु0 वार्षिक किराया योग्य मकान के स्थान पर 2400/– रु0 किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

58– मनोरंजन कर का और अधिक हिस्सा नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)

59–नगर विकास न्यास की बैठकों में जन प्रतिनिधियों को वंचित रखने के कारण उनको दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

60–नगर विकास न्यास द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बसाने में देरी के कारण न्यास को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

61– बीकानेर एवं राज्य के अन्य जिलों में न्यास की भूमि को शैक्षणिक संस्थाओं के लिये निशुल्क आंवटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

62–बीकानेर के मास्टर प्लान में दिखाई गई भूमि पर उपनिवेशन विभाग के कब्जे का खाली करवाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

63-बीकानेर नगर परिषद् द्वारा शहर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था न किये जाने तथा नालियों एवं सड़कों की मरम्मत तथा रिकारपेटिंग नहीं करने से उसको दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

64-बीकानेर नगर परिषद, गंगा शहर एवं भीनासर नगरपालिकाओं की एक संयुक्त नगरपालिका बनाने हेतु अनुदान के लिये प्रावधान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

65-बीकानेर नगर परिषद् को कम अनुदान दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करोली)

66-मास्टर प्लान के अन्तर्गत नगरों का विकास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा)

67-झुन्झुनू जिले के मंडावा व बिसाऊ कस्बों में नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित सड़कों की दुर्दशा के कारण अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68-नगरपालिका मंडावा (झुन्झुनू) में भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध कार्यवाही न करने पर अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

वैद्य भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

69-बढ़ती हुई आबादी के अनुसार प्रत्येक गांव, कस्बा व नगर को मास्टर प्लान तैयार कर योजनाबद्ध ढंग से उनका विकास किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)।

70- उदयपुर नगर की कच्ची बस्तियों का विकास किया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

71- कोटा में एरोड्रम चौराहे पर निर्माण कार्य बन्द किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72-कोटा नगरपालिका द्वारा समुचित सफाई की व्यवस्था न किये जाने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

73-कम आय वाले लोगों को प्लाट आवंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74-उदयपुर शहर में जो व्यक्ति वर्षों से जहां रह रहा है उसे वहीं प्लाट आवंटन कर बसाया जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

75- जयपुर के मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधन व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

76- राजस्थान की यू.आई.टीज. के लिये धन उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

77- शहरों के आधुनिकरण हेतु कोई ठोस योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

78– जयपुर शहर की सफाई नहीं होने वाली कठिनाई के कारण अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

79–नगर परिषद् जयपुर के पास कचरा उठाने के लिये ट्रक, ट्रैक्टर, भैंसागाड़ी का अभाव है, पर चर्चा के लिये ।

80– जयपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत आने वाली सड़क, नालियां, गलियां का रख रखाव ठीक नहीं रखे जाने के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

81– नगर परिषद् जयपुर द्वारा रोड लाइटों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

82– नगर परिषद् जयपुर द्वारा लंबे अर्से से भरी पड़ी साइड की गलियों की सफाई नहीं कराये जाने के कारण अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

83– जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल टूट जाने के बाद भी नगर की सफाई नहीं होने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

84– जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के समय दी गई अनुदान राशि की जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85– नगर परिषद् जयपुर को दी जाने वाली अनुदान राशि का नगर परिषद् के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

86– जयपुर नगर परिषद् को दी जाने वाली अनुदान राशि के अन्तर्गत क्रय किये गये सामान में हुए भ्रष्टाचार की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

87– जयपुर नगर परिषद् को दी जाने वाली अनुदान राशि का औचित्य सिद्ध करने हेतु यहां के अधिकारियों का अन्यत्र तबादला किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

88– बगरू नगर पालिका में स्टाफ की कमी, दमकल मशीनों का अभाव एवं सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने पर अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

89– विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति गिरजाघर के पीछे आदर्श नगर, जयपुर में पक्की नाली पिचिंग के ऊपर बनाने के बाबत चर्चा के लिये ।

90--विवेकानन्द कालोनी आदर्श नगर जयपुर के पूर्व की तरफ पिचिंग के नीचे की फालतू जमीन को वहां के पास के आवंटित प्लाटों में न बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

91–उदयपुर जिले की गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की प्रादेशिक विकास योजना पर चर्चा के लिये

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

92–जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत कस्बा अकलेरा नगर पालिका के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

93–जयपुर शहर में अवैध निर्माणों को न तो नियमित करने व न ही ध्वस्त करने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये ।

श्री लच्छूराम (मण्डावा)

94–नगर पालिका मंडावा (झुन्झुनू) द्वारा निर्मित सार्वजनिक पेशाबघरों तथा फाटक की भूमि पर दुकानों के निर्माण में हुई अनियमितताओं के कारण दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

95– नगर विकास न्यास अजमेर की शास्त्री नगर योजना में बड़े नाले की रिटेंशन वाल भू–खण्ड संख्या 383 के पीछे तक स्वीकृत प्लान के अनुसार न बनाकर अधिक मोटी व ऊंची बनाने से हुये अपव्यय के बारे में चर्चा के लिये।

96– नगर विकास न्यास, अजमेर की शास्त्रीनगर योजना में, राजकीय कुक्कुट शाला के सामने, नाले की रिटेन्शन वाली सड़क को समानान्तर न बनाने से भू–खण्डों की संख्या कम होने से न्यास को हुई आर्थिक हानि के बारे में चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

97– नगर आयोजना निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सरकार को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 30, 33 व 29 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव मांग संख्या–29 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था। यह मांग पहले ली जायगी या तीनों ही मांगों पर एक साथ विचार होगा या अलग अलग।

श्री अध्यक्ष : सभी मांगें एक साथ ली जायेंगी।

श्री राज बहादुर : मुझे अगर अनुमति हो तो मैं पहले प्रस्तुत कर दूं....

श्री अध्यक्ष : इसके पश्चात आपको....

श्री सूर्यकुमार।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 और 33 के सम्बन्ध में मैंने जो कटौती प्रस्ताव....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला कटौती प्रस्ताव मेरा था। इसलिए पहले मुझे अवसर मिलना चाहिए। मुझे नहीं तो मेरी पार्टी को चांस मिलना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : पूर्व की व्यवस्था दे रखी है। सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे और उसके बाद में जो विभिन्न पार्टी के सदस्यों की लिस्ट आती है हम उन सदस्यों के नाम अपनी सुविधानुसार पुकारते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले पार्टी से ही नाम आते हैं परन्तु जो नियम है, प्रक्रिया है उसके अनुसार सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले सदस्य को अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : या तो फिर माननीय सदस्या पार्टी की बात छोड़ देती हैं तो पार्टीज जो नाम देती हैं वही नाम सुविधा के अनुसार लेते हैं। इनमें तो सबका सहयोग चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह 6–8 वां नम्बर है। लेडीज फर्स्ट ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले ही अवसर दे देता परन्तु माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया गया है और उसके बाद माननीय सदस्य श्री राजबहादुर जी को अवसर दिया है। इसके बाद आपने यह एतराज उठाया है। या तो दोनों व्यवस्था रद्द करूं–य ह

(श्री अध्यक्ष)
संभव नहीं है। आपको आज अवसर दिया जाएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नाम सबसे ऊपर है। मैं गलत नहीं कह रही। आप देखिये मैं गलत नहीं कहूंगी, आपको मेरी मदद करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्य कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने मांग संख्या 30 और 33 के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मेरा मकसद यह है, अध्यक्ष महोदय, कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं बूंदी जिले में यह स्थिति है, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विशेषत: नैनवा तहसील को इस देश के भूगोल ने जो दुर्भाग्य दिया है मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग और मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब इस कांग्रेस सरकार का जो इतिहास लिखा जाने वाला है उस इतिहास के पृष्ठों में जो दुर्भाग्य भूगोल ने दिया है वह सौभाग्य रूप में बदले। जब मैं यह अर्ज करता हूं कि वह सौभाग्य में बदले तो मैं इस सदन का विशेषत: सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नैनवा वह पंचायत समिति है, वह अभागी पंचायत समिति है जिसमें अभी तक भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां इस प्रकार के एक छात्रावास की स्थापना हो। यह भी एक दुर्भाग्य का ही विषय है कि नैनवा नगरपालिका क्षेत्र में पोषाहार केन्द्र की कोई स्थापना नहीं है। वह भी होना चाहिए।

(2·4 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

मैं यह भी चाहता हूं, सभापति महोदय, कि नैनवा पंचायत समिति में विकलांगों के लिये एक आवासगृह की भी स्थापना हो ताकि नैनवा पंचायत समिति में रहने वाले विकलांगों को वहां रह कर अपने जीवन यापन का साधन मिले और वह अपने जीवन में कुछ उपार्जित कर सकें। इसके बारे में उन्हें कुछ प्रशिक्षण मिले।

इसी के साथ मैं इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नैनवा पंचायत समिति में जो विद्युतीकरण हो रहा है, उस विद्युतीकरण में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों में बिजली देने का प्रावधान है वहां उस विद्युतीकरण के साथ साथ ही प्रावधान का उपयोग कर इन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया जाय न कि इस बात की प्रतीक्षा की जाये कि औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव आये और प्रस्ताव के आने के बाद में विद्युतीकरण का काम हाथ में लिया जाय। जब बजट में प्रावधान है और उसको किया जाना है तो किसी प्रस्ताव की औपचारिकता रूप से प्रतीक्षा किये जाने का कोई तथ्य नजर नहीं आता।

इसके साथ साथ बूंदी जिले में कुछ जन जाति क्षेत्र में आने वाले ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है जनजाति के परिवारों की किन्तु मैं कह नहीं सकता कि यह भूल कहां हुई है, यह क्लेरिकल मिस्टेक है या कहीं और जगह से भूल है। उन गांवों को, उन जनजाति क्षेत्र के गांवों में सम्मिलित नहीं किया गया है। बूंदी जिले के लघु कृषक विकास अधिकरण के माध्यम से जो प्रस्ताव सरकार के पास आये हुये हैं वह काफी दिन से विचाराधीन हैं किन्तु अभी तक भी लगभग

(श्री सूर्य कुमार)

50 गांव हैं जिनको जनजाति क्षेत्र के गांव में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से यह चाहता हूं कि इन गावों को इनमें सम्मिलित किया जाय।

इसके साथ साथ मैं एक सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि जो बजट में प्रावधान इस प्रकार के उनको दोनों ही बातों के जरिये होने वाले हैं उनको खर्च करने का एक प्रोग्राम बनायें, एक इस प्रकार की योजना बनावें कि हर पंचायत समिति में एक प्राथमिक पाठशाला जनजाति क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास के बजट के माध्यम से हो। हर गांव को, हर पंचायत समिति में जनजाति क्षेत्र के गांव को दूसरे जनजाति क्षेत्र के गांव के साथ सड़क के माध्यम से जोड़ा जाय। इसी प्रकार से हर गांव में पी० एम० टी० स्कीम, एक जनजाति क्षेत्र के गांव को भी पी. एम. टी. स्कीम की नल योजना से पानी दिया जाय। हर पंचायत समिति में छात्रावास हो। मैं यही बातें अपने क्षेत्र की निवेदन कर और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी इन बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसकी ओर आपका, आपके द्वारा सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा कटौती प्रस्ताव इस चर्चा हेतु है कि भरतपुर का ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार किया जावे। इसके लिये मैं समय समय पर इस सदन में विनती करता रहा हूं। आप विश्वास करेंगे कि मैं सन् 1954 से इस कोशिश में हूं। इसके ऐतिहासिक विवरण मैं यहां देना नहीं चाहता हूं। इसका एक गौरवमय इतिहास है, इसलिये इतना ही कहना पर्याप्त होगा, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी बनावट के हिसाब से हमारे देश में ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि दुनियां में सुन्दरतम नहीं तो दुनियां के सुन्दरतम किलों में से एक है। यह किला कायम रहे, सुरक्षित रहे और यह बर्बाद नहीं हो यही चाहता हूं। आज की पीढ़ी का यह धर्म नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों के लिये यह अमूल्य धरोहर बाकी ही नहीं रहे और यह पीढ़ी इसको बर्बाद करने वाली मानी जावे, ऐसा न हो बहुत वर्षों की कोशिशों के बाद ही इस किले को पुरातत्व विभाग ने प्रोटेक्टेड मानुमेंट डिक्लेयर किया। आर्किओलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया के द्वारा सन् 1954 से कोशिश आरम्भ की थी, कई वर्षों में जाकर तो भरतपुर के किले की दीवार तथा दोनों दरवाजे और पुल सुरक्षित घोषित हुआ और साथ ही रणथम्भौर का किला भी सुरक्षित घोषित हुआ। जाहिर है कि दोनों ही किलों को सुरक्षित घोषित करने की आवश्यकता थी। परन्तु जैसा पहले कह चुका हूं, उस समय इसकी केवल दीवारें ही प्रोटेक्टेड मानी गई और इस खाई और घाटों को नहीं लिया गया। सन् 76 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, जो वर्तमान में भी प्रधान मंत्री हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी को मैं भरतपुर लाया। प्रार्थना काफी पहले की थी और भरतपुर आगमन के अवसर पर 1976 में भी की कि इस किले की खाई यानि

(श्री राजबहादुर)

नहर भी किले का अविभाज्य अंग है इसको किले से अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार नहर और उसके घाट इत्यादि पर यह किला धीरे-धीरे गिर रहा है। पिछली बरसात के समय जैसे ही यह सदन बना था और मुख्य मन्त्री जी आये थे, दुर्भाग्य यह हुआ कि उस समय दो बुर्ज और पानी में गिर गये। मैंने उस समय कोशिश की कई चिट्ठियां लिखी, मुख्य मन्त्री महोदय को जुलाई में लिखी, अगस्त में लिखी, अक्टूबर मे लिखी, मुख्य मन्त्री से निवेदन किया मौखिक रूप से भी और अन्ततोगत्वा प्रधान मन्त्री जी को भी एक पत्र लिखा कि आपने इसको केन्द्रीय पुरातत्व विभाग से सुरक्षित घोषित कराया। यह सुरक्षित मानुमेट डिक्लेयर किया जा चुका है आप इसका जीर्णोद्धार करायें। मुझे खुशी है कि कुछ काम शुरू हुआ है। प्रस्ताव तो मेरा यह था कि अक्टूबर में पानी निकाला जाय जो दसियों वर्षों से इसका मलबा जमा हुआ है सड़ रहा है उसको निकाला जाय। यह जब तक नहीं निकाला जायगा तब तक किले की और घाटों और दीवारों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): पाइन्ट आफ आर्डर। यह सारी बेंच खाली है कोई एक आध इस पर आ जाय। बड़ी खराब मालूम हो रही है। अच्छा नहीं लग रहा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है कि उनकी जगह वही आकर बैठेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री राजबहादुर : I have now learnt to live with tbe empty treasury benches मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। कुछ खाली है और वास्तव में कुछ खाली भी हैं इसलिये...

एक माननीय सदस्य : आपके पीछे भी तो खाली हैं एक आध ही बैठे हैं।

श्री राजबहादुर : माफ करें जंगल में तो शेर अकेला ही रहता है।

एक माननीय सदस्य : आपके पीछे कोई नहीं है।

श्री राजबहादुर : जब तक कोरम रहता है तब तक कार्यवाही वैलिड होती है। मिनिस्टर रहें या न रहें कोई तो बैठा है वे शायद नोट्स लेंगे, मेरा निवेदन सुनेंगे और नहीं सुनेंगे तो उनकी मर्जी है अपना जो दायित्व है जो कर्तव्य है वह तो हम निभायेंगे ही....

श्री यदुनाथ सिंह : इस बात की गारंटी नहीं है वे लेंगे ही।

एक माननीय सदस्य : थोड़ी तसल्ली तो रहेगी अगर वे होते और फिर नहीं सुनते तो अब यह तसल्ली तो रहेगी ही कि कोई सुनने वाला ही नहीं था।

श्री राजबहादुर : मैं इतना निराश नहीं हूं। क्योंकि कुछ न कुछ तो आखिर में उनका दायित्व है। तो मैं कह रहा था कि मैंने प्रस्ताव तो यह दिया था कि आर्कियोलोजीकल डिपार्टमेंट को जब यह वचन दिया गया, महोदय, इसके ऊपर मुझे थोड़ा समय लगेगा, आते तो मुख्य मन्त्री महोदय हमारे क्षेत्र ही से हैं लेकिन शायद उनको बैक ग्राउण्ड मालूम नहीं है जब किला और नहर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हुयी थी प्रधान मन्त्री जी के आदेश पर और प्रधान मन्त्री के सौजन्य से इसको प्रोटेक्टेड मानुमेंट मान लिया गया तो उससे पूर्व केन्द्रीय सरकार

(श्री राजबहादुर)

द्वारा रखी गई तीन शर्तें राज्य सरकार को माननी थीं। पहली शर्त यह थी कि जो नहर का पानी है उसको खाली करवाने का दायित्व राज्य सरकार का है। दूसरी शर्त थी कि मिट्टी पड़ी हुई है नहर में उसको निकाला जाय। तीसरी यह थी कि जो इसके चारों ओर सड़क बनी हुई है वह सड़क इतनी ऊंची बना दी जाय कि बरसात का पानी उसमें न जाय जिससे गंदा पानी नहर में न आये। और इस हेतु शहर का ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम बनवा कर सारा पानी शहर के बाहर निकाला जावे। तत्कालीन जिलाध्यक्ष जो थे उनको मैंने नक्शा बनवा के दिया और बताया था कि नहर में आजकल 83 नाले हैं जो गंदे पानी के सीवरेज की जो सब इस नहर में पड़ते हैं कम से कम पहला काम तो यह करें कि उनको रोक दीजिये। लेकिन वह तो रुका नहीं और दो बुर्ज किले के और गिर गये। दूसरी शर्त जो थी कि मिट्टी निकालेंगे और तीसरी सड़क को ऊंचा करेंगे और ड्रेनेज शहर की ठीक करेंगे ये तीनों शर्तें थीं। इनके लिये मैंने कहा था कि इसका जो पानी है वह अक्टूबर में निकाला जाय और दिसम्बर जनवरी तक इसमें जमी सिल्ट साफ हो जाय और जनवरी से जून तक का जो ड्राईसीजन मिलता है उसमें किले की घाटों की मरम्मत हो जावे। परन्तु जब तक पानी नहीं निकलेगा, सिल्ट साफ न हो तब तक उनकी मरम्मत नहीं हो सकती है। घाटों की मरम्मत नहीं हो सकती है। जब यह मालूम हुआ कि इस कार्य के लिये धन की कमी नहीं रहेगी क्योंकि यह माना गया है कि जो आज की पीढ़ी है और जो इस पीढ़ी में शासक दल है वह यह गवारा नहीं करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि वह इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्तराधिकार की सामग्री को मिट जाने देगा, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को इस सांस्कृतिक धरोहर का कुछ नहीं मिले। हममें से कोई यह गवारा नहीं करेगा। मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार केन्द्रीय पुरातत्व विभाग बहुत तेजी के साथ काम करना चाहता है परन्तु पहले जो करार है राज्य सरकार का जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार राज्य सरकार कार्यवाही करे। पहले सुना था कि नहर में से 8 फीट या फिर 10 फीट पानी निकाला जायगा और अब सुना है कि 14 फीट होगा तो जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक किले और घाटों की मरम्मत नहीं हो सकती है। अभी कहा जाता है कि अकाल पड़ रहा है तो आप दो चार हजार मजदूरों को रोजी रोटी भी दे सकते हैं जो गड्ढे हैं उनको भी आप भर सकते हैं इस सारे काम को आप साइमलटेनीयसली चलायें। दर्द के साथ चलायें तो ठीक है वरना दर्द नहीं है ऊपर से कहते हैं तो हम लोगों की यहां पुकार है।

अब मैं बद्रीप्रसाद जी से, जो मेरे साथी रह चुके हैं और जो मंत्री भी हैं, विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि ऐसा न हो जाय कि जो मैं कह रहा हूं वह मात्र अरण्य रोदन हो जाय, जंगल में कोई रोता रहे विलाप करता रहे और आप सुनें ही नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी मिट्टी वगैरह निकालने का काम शुरू कर दें और महीने दो महीने में बड़ी संख्या में मजदूर लगाकर मिट्टी निकलवायें। पानी बाहर निकलवायें जिससे कि उनको यह बहाना नहीं मिल सके कि हम काम नहीं करते हैं और यह काम तभी हो सकता है जबकि सीवेज और ड्रेनेज की योजना भी आप तैयार करा लें और उसको कार्यान्वित करें। जब तक यह सब नहीं होता तब तक

(श्री राजबहादुर)

मरम्मत नहीं हो सकती है। इसके लिये आपके टाउन प्लानिंग के हिसाब से क्या पोजिशन है ?

यह कौनसा कार्यालय नगर नियोजन एवं वास्तविक परामर्शदाता राजस्थान, जयपुर है माफ करें ग्राफेवली नाम है थोड़ा गलत पढ़ गया हूं इसमें एक स्टेटमेंट है इनमें तारीख तो शायद अन्त में दी हो पर यह लेटेस्ट ही है कल परसों ही यह हमको मिला है। ता. 4.3.81 है। इसमें बताया है कि कहां वहां पर नगरों में लगभग 24—25 नगरों के मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं। इनमें भरतपुर का नाम भी है और बताया गया है कि कार्य अंतिम चरणों में है अगर अंतिम चरणों में है तो कोई भी मास्टर प्लान कन्सीव नहीं किया जा सकता इमेजिन नहीं किया जा सकता। बिना सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम के आप मुझे बतायें कि इसमें सीवेज अथवा ड्रेनेज योजना है या नहीं भरतपुर के प्लान में ? इसके लिये पैसा भी देते हैं केन्द्र द्वारा यह तय हुआ है कि देश में 300-350 ऐसे नगर लिये जायेंगे जिनकी जनसंख्या एक लाख या उससे कम हो उनको एक करोड़ रुपया देंगे उसका भी इस हेतु लाभ उठा सकते हैं भरतपुर की आबादी एक लाख से कम है। यह नहीं हो सकता है तो हमारे अन्य साधन है उनके द्वारा करें। आपने कहा है कि यह मास्टर प्लान अंतिम चरणों में है तो इसमें ड्रेनेज, और सीवेज डिस्पोजल की स्कीम है या नहीं इसकी जानकारी आप मुझे दें। दूसरा, मैंने देखा है कि कई जगह जहां मास्टर प्लान बन रहे हैं उसकी सलाहकार समितियां बनायी गयी हैं परन्तु भरतपुर में कोई सलाहकार समिति नहीं है। अलवर का मास्टर प्लान बन रहा है उसके लिये विशेष रूप से अध्ययन किया जा रहा है ऐसा भरतपुर के लिये भी किया जा सकता है जिससे अलवर भरतपुर का जो पुराना झगड़ा है वह नहीं होगा। भरतपुर को भी प्राथमिकता दी जा सकती है वह दी जाय। इसके बाद आपने जैसलमेर के लिये, हालांकि वह टूरिस्ट स्पाट है तो जो जैसलमेर का प्लान है उसको आपने दिल्ली का जो स्कूल आफ आर्किटेक्ट एव प्लानिंग है उसको वहां की योजना भेजी है तो भरतपुर में भी घना बर्ड सैंक्चुरी है, किला है पुरातत्व की दृष्टि से बहुत कुछ आकर्षण है। आर्कियोलोजीकल डिपार्टमेंट का मानना है कि अकेले किले से 3 लाख साल की आमदनी हो सकती है।

इसके अन्दर आपने मकान बनवा दिये हैं, यह आपका और केन्द्र का विभाग है। चौथी बात आपने यह कही है छोटे कस्बों और ग्रामीण योजना के अन्तर्गत राज्य के कस्बों और ग्रामों के मास्टर प्लान बनाने का कार्य जल्द ही पूर्ण होने की आशा है। पांचवी बात आपने लिखा है, समन्वित विकास योजनायें। छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों की समन्वित विकास योजनाओं हेतु केन्द्रीय सरकार चयनित प्रत्येक नगर हेतु 40 लाख रुपये की बराबर अनुदान राशि देती है। यह भी हो सकता है। इसमें बहुत से नाम लिये हैं, लेकिन भरतपुर का नाम चाहें तो इन्क्लूड कर सकते हैं। एक आखिर बात जो आपने इसमें लिखी है वह यह है कि लाडनू, मकराना, बैर, भरतपुर सुजानगढ़, नागौर एवं जैसलमेर नगरों के लिए भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें बनाई जा रही हैं। मैं विनती करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट को चाहिये कि इसके अन्तर्गत। जिन कार्यक्रमों को आप महत्वपूर्ण

(श्री राजबहादुर)

समझते हैं, उन कार्यों को शीघ्र ही करें। इसमें कोई क्षेत्रीय भावना नहीं है। रणथम्भौर, जोधपुर का किला और जैसलमेर भी उतने ही इम्पार्टेंट हैं टूरिस्ट एन्गल से, यदि उनको बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिये योजनायें बनायी जानी चाहिये। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी इकानामी ही टूरिज्म पर ही निर्भर है, जैसे स्पेन है, इटली है, स्विट्जरलैण्ड है, उनकी सबसे बड़ी आय टूरिज्म है, यह उनकी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से बहुत से आकर्षण के केन्द्र हैं, इसलिए आप इस दृष्टिकोण से देखें कि इनको कैसे बचाया जा सकता है। नहर अगर साफ होकर किले और घाटों का जीर्णोद्धार हो जाता है तो उसमें फिशिंग कल्चर के लिए भी केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है उसमे भी दो ढाई लाख की आमदनी हो सकती है, इसलिए इसको भी आप देखें।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर का, जोधपुर का कोटा और अजमेर का ही नहीं आप ध्यान करिये, पर उन नहरों का भी ध्यान रखिये कि जिनमें नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, जो आपके शासन के आधीन हैं, न मालूम कितने वर्षों से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, खाली कलेक्टर ही हैं, नतीजा यह होता जा रहा है कि नगरपालिका क्षेत्र में सेनिटेशन की, सड़कों की देखरेख की या ऐसे जितने भी काम हैं उनमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है नो बाडी इज रेस्पान्सिबल, आप जाइये शिकायत करिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : सोफासेटी आफिसर बैठे हुए है।

श्री राजबहादुर : यह तो नहीं कह सकते, कुछ ऐसे भी हैं जो हिम्मत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन राजनीति आ जाती है, इस नगरपालिका में काम करोगे तो उसको वोट ज्यादा मिल जायेंगे और उसमें करोगे तो उसको वोट ज्यादा मिल जायेंगे, यह नहीं होना चाहिये, सारा राजस्थान आपका है, जहां से आप जीते हैं वह क्षेत्र भी आपका है, जहां से हारे हैं वह भी आपका क्षेत्र है : 23 वर्ष तक मैं केन्द्र में मिनिस्टर रहा, केरल में कम्युनिस्ट सरकार आई, और दूसरी जगह दूसरी सरकार आई, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि कम्युनिस्ट की सरकार है या नहीं, एक बात उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं। मैं सन् 1966-67 में सूचना प्रसारण मन्त्री था आपके आर.एस.एस. का एक पत्र है, शायद पांचजन्य, एक और अखबार है, कम्युनिस्ट पार्टी का न्यू एज और हमारे राजस्थान पत्रिका वाले इन सबने शिकायत की। उन्होंने, कहा कि हमको "ए" कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया है। उनकी शिकायत सही और जस्टिफाइ हो, गई तो उनको ए कैटेगरी में रख दिया। पार्टी एफीलियेशन से प्रभावित नहीं हुआ। "जिस शान से जो मक्तल में गया वह शान बराबर रहती है, इस जान का प्यारे कहना क्या, जान तो आनी-जानी है।" कुर्सी रहेगी या नहीं, कुर्सी चली जाय या नहीं, यह देखिये कि आने वालों के लिए हम क्या शैली, क्या परम्परा छोड़ कर जा रहे हैं, उनके सामने आपको शर्मिन्दगी से झुकना नहीं पड़े, यह ध्यान रखना चाहिये।

इसलिए बद्रीप्रसाद जी आपसे मेरी व्यक्तिगत अपील है, आपसे पुराने सम्बन्ध भी हैं, इन चीजों को इस सांस्कृतिक धरोहर को आप बचाओ, मुख्य मन्त्री जी से यह कह दो इस नाते नहीं कि कौन कह रहा है, यह देखिये कि आखिर कहा क्या जा रहा है,

(श्री राजबहादुर)

आपके मन में राम विराजे, राम घट में जायगा तो राम निकलेगा भी। धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री गोविन्द आमलिया

श्री गोविन्द आमलिया : माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव डूंगरपुर जिले के एक गांव में जनजातीय विकास द्वारा आयोजित लोक सांस्कृतिक सम्मेलन मे तोड़ मरोड़ के सम्बन्ध में है। यह सांस्कृतिक समारोह दिनांक 7, 8 और 9 फरवरी को रखा गया था। जनजातीय विकास के अन्तर्गत माणिक्यलालजी वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा यह जो सम्मेलन रखा गया, उसमें बताया यह जाता है कि बीस हजार रुपये के करीब इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए राशि रखी गई थी लेकिन कई लाखों-रुपया उसमें खर्च किया गया और जनजातीय विकास के नाम पर, जो राशि जनजातीय विकास में खर्च की जानी चाहिये उसके बजाय ऐसे सांस्कृतिक समारोह मे खर्च की गई जिसका कोई आवश्यकता और उपगिता नहीं थी। हुआ यह कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में अलग-अलग प्रांतों के लोग अपने-अपने जिस ढंग से रहते हैं, उनमें जो नाच और गाने होते हैं, और उनके रहन सहन को बहुत ही बुरे तरीके से प्रदर्शित किया गया। इनके लिए भी उन्होंने जो योजना रखी, वह अपने तरीके से रखी, जबकि होना यह चाहिये था कि उनके विकास के नाम पर कोई आयोजन किया जाता तो कुछ औचित्य था लेकिन सांस्कृतिक समारोह के रूप में रखकर जिस तरह से वहां के लोग अपने जीवन में, संस्कृति के उनके जो-जा ढंग थे उसको बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़कर रखने की कोशिश की गई और लोग अपने क्षेत्र में जिस तरह से उनका भजन और गाना, नृत्य वगैरह जो था उसके अलावा बहुत ही भोण्डे तरीके से और वहां के जो अधिकारी थे उनके मन के लिए माफिक वहां के शहर के प्रभावशाली लोगों को खुश करने के लिए रखा गया था। उसमें यह भी हुआ कि छोटे-छोटे घास-फूस के ओडे या कहने के लिए हट्स भी बनाये गये थे जिसमें लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा गया था और एक प्रकार से भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ था।

(व्यवधान)

जिलाधीश और ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के अधिकारियों को भी इस बारे में शरीक किया गया था कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें कई करोड़ की योजना बताई गई है, स्थानीय लोगों से सलाह मशविरा करके तय किया गया लेकिन स्थिति यह है कि डूंगरपुर जिले में जो पढ़े लिखे और सरकारी नौकरियों में लोग हैं। और हर तरह से समझ रखने वाले लोग हैं उनसे भी इस मामले में न कोई राय उन्होंने ली न किसी तरह से उनकी सहमति से कराया गया। इससे वहां के रहन सहन में कपड़ों के पहनावे में बहुत ही उस तरह का परिवर्तन आया है जिसमें हमारी संस्कृति को काफी ठेस लगी है। इसलिए मेरा अर्ज करना यह है कि खाली सांस्कृतिक और जनजाति विकास के कुछ कार्य पर यह सांस्कृतिक समारोह जैसे मानकर अपना समय गुजारना उचित नहीं होना चाहिये। दूसरे जन जाति के विकास में भी किस तरह का कार्य हो रहा है, वह भी बहुत ही दयनीय स्थिति का कार्य है। कारण यह है कि 1980-81 में भी इनके पास जो राशि थी उसमें से 2.57 करोड़ लैप्स हुआ था जबकि विकास के नाम पर जनजाति क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया बल्कि सिंचाई और कुछ कार्यों में तो

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)
एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया।

इसी तरह से मैं उस क्षेत्र की भी बात करना चाहूंगा क्योंकि जो मेरा चुनाव क्षेत्र है उसमें 90 प्रतिशत क्षेत्र जनजाति का ही है ग्रौर उसमें विकास की काफी गुंजाइश है ग्रौर तालाब ग्रौर सिंचाई के साधन ग्रधिक से ग्रधिक बनने चाहिये, यह व्यवस्था करना ग्रावश्यक है मगर काफी प्रयत्न करने के बाद भी ग्रभी तक सफलता नहीं दिखाई दे रही है। डूंगरपुर का यह पश्चिमी क्षेत्र जो बिछीवाड़ा से लेकर पूनावड़ा तक गुजरात से लगातार छूता हुग्रा भाग है, गुजरात के उस भाग में काफी विकास दिखाई देता है। वहां डूंगरपुर के चारों तरफ हर तरफ नदी व नाले जहां भी गुंजाइश है बनवाए जाने चाहिए ग्रौर उस क्षेत्र का ग्रार्थिक विकास करना चाहिए, वहां पर किसी प्रकार के ग्रभी तक प्रयत्न नहीं हो रहे हैं या कुछ किए जा रहे हैं तो केवल नाम मात्र के किए जा रहे हैं। ग्रतः मेरा निवेदन है कि जो सांस्कृतिक समारोह जैसी बात करके इनके सम्मेलन करके जो खर्च किए जाते हैं वे रोके जाने चाहिए ग्रौर होना यह चाहिए कि विकास के नाम पर तालाब बंधवाकर एनीकट्स बनवाकर जहां भी बंधवाए जा सकते हैं बंधवाकर, विकास के काम करने चाहिए बनिस्पत कि इस तरह के ग्रायोजन हों।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 30 ग्रौर 29 पर ग्रपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। परन्तु इसके पहले मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि ग्राज तक ग्राजादी के बाद लंबे समय तक इस राज में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही ग्रौर एक वर्ष के पूर्व जो ढाई वर्ष बीते हैं उस समय जनता पार्टी का शासन रहा। राजस्थान की मांग संख्या 30 जो ट्राइबल सब-प्लान एरिया से सम्बन्धि है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इस इलाके के लिए 30 वर्ष के कांग्रेस शासन में, ढाई वर्ष के जनता शासन में ग्रौर वर्तमान के जो 9–10 महीने चल रहे हैं 1980–81 के, उनमें जनजाति के उत्थान के लिए क्या कार्यवाही की गई। सबसे पहले यह प्रमाण है जिसके माध्यम से 1976 तक विभाग द्वारा क्या किया, ग्रादिवासियों को जो सुविधायें उपलब्ध कराई गई उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

ट्राइबल सब-प्लान एरिया में वर्ष 1976 तक सिर्फ 46 माध्यमिक विद्यालय थे ग्रौर 1979–1980 में जब जनता पार्टी ने शासन कांग्रेस को सौंपा उस समय तक 112 माध्यमिक विद्यालय सब-प्लान एरिया में थे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय कांग्रेस शासन में 235 थे ग्रौर जनता पार्टी के ढाई साल के शासन में 197 ग्रौर बढ़ा कर 432 कर दिए गए। प्राथमिक विद्यालय जो 1664 थे जनता शासन में 2223 हो गए मतलब 559 प्राइमरी विद्यालय गांव गांव में ग्रौर ज्यादा खुले। इसके साथ ही एक ग्रहम् ग्रावश्यकता समझी गई कि विद्यालय खोल दें, कालेज खोल दें ग्रौर सहायता दे दी मगर ग्रादिवासियों के बालक बालिकायें बिना छात्रावास की सुविधा के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? गंभीर विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि नए-नए छात्रावास खोलकर, जनता सरकार ने पहले परीक्षण के तौर पर जो 30 वर्ष कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, 5 नए ग्राश्रम ढाई वर्ष में ट्राइबल सब-प्लान एरिया में खोले गए ग्रौर 32 ग्राश्रमभवन निर्माणाधीन हैं, जो ग्रब तक पूरे हो चुके हैं ग्रौर ग्रभी ग्रभी जैसा मुझे ग्रतारांकित प्रश्न के

(श्री नन्दलाल मीणा)
उत्तर में जवाब मिला है एक आश्रम सिरोही के मीन तलेटी, प्रतापगढ़ के सालमगढ़, ये जो दो आश्रम हैं, उनमें छात्रों की संख्या लगभग 50 थी वहां भवन निर्माण की व्यवस्था की गई परन्तु वहाँ पर 25-25 छात्रों को प्रवेश दिया गया और जवाब में यह कहा गया कि आदिवासी लड़के लड़कियां उपलब्ध नहीं हैं स्वीकृत छात्रों की संख्या की भर्ती में. मुझे दुख है, सभापति महोदय, इस प्रकार का जवाब आजादी के 33 वर्ष बाद भी आदिवासियों के लड़के कक्षा 5 तक नहीं मिलते हैं या कक्षा 8 तक नहीं मिलते हैं तो उस पक्ष में बैठने वाले और हमारे लिए शर्म की बात है। गांव गांव से आए हुए बालक प्रवेश केलिये स्कूल में भटकते फिरें, आश्रम में भटकते फिरें, छात्रावासों में भटकते फिरें, लेकिन प्रवेश नही दिया गया। नहीं देने के पीछे क्या कारण है ? मैं कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु आयुर्वेद औषधालय 173 कांग्रेस राज मेथे हमने 73 बढ़ाकर,246 कर दिए। विद्युतीकरण के बारे में, जहां आदिवासियों का मुख्य धंधा खेती है, कांग्रेस शासन में 269 गांव इलेक्ट्रिफाइ कर दिए परन्तु जनता शासन के अल्प काल में 1271 गांव और शामिल कर दिये, 902 गांव ढाई सालों में और इलेक्ट्रिफाइ कर दिए ताकि अधिक से अधिक कुओं में मोटरें लगें और हुनरकार काश्तकारों के मुकाबले खेती के साधन प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें।

1980-81 के बजट भाषण को देखा और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने देखा, कोई जिक्र नहीं किया गया है आदिवासी इलाके के लिए पहाड़िया सरकार ने क्या कदम उठाए, कितने स्कूल खोले कितने दवाखाने खोले,कितने छात्रों को छात्रवृतियां दीं, कितने आश्रम स्कूल खोले ? कितने आदिवासी काश्तकारों को जमीन आवंटित की, नाजायज कब्जों को रेगुलेट किया ? कहीं किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं। बजट में कहा गया कि आदिवासियों को जो जनता शासन में कक्षा 3 तक सुविधा मिलती थी वह हमने कक्षा 5 तक कर दी मुफ्त में पोशाक लेखन व पाठ्य सामग्री मिलेगी।

सभापति महोदय, जब विभाग द्वारा दिया गया प्रतिवेदन देखा, बहुत आश्चर्य की बात है, एक चावल निकालकर सारे चावलों का अंदाज लगाया जा सकता है कि तपेली के चावल पके हुए हैं या कच्चे हैं। प्रतापगढ़ तहसील में कक्षा 5 तक इस वर्ष 4849 बालक बालिकायें पढ़ रही हैं। मुख्य मन्त्री की घोषणा के अनुसार 4859 बालक बालिकाओं को मुफ्त में पोशाक और पाठ्य सामग्री मिलनी चाहिए थी परन्तु केवल 1022 बालक बालिकाओं को सुविधा दी गई सिर्फ 25 प्रतिशत। यह एक तहसील का ब्यौरा है और ट्राइबल सब-प्लान में 17 तहसीलें आती हैं तो 25-26 प्रतिशत बालकों को ही इस प्रकार की सुविधा दी और छात्रवृत्ति भी, सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं चुनौती के साथ कि ये आदिवासी के नाम पर आदिवासियों के रक्षक नहीं, भक्षक और शोषक हैं। बांसवाड़ा कालेज में क्या हुआ ? डूंगरपुर उदयपुर आदिवासी कालेज में क्या हो रहा है ? उदयपुर में आदिवासियों के विद्यार्थियों की क्या हालत है? बांसवाड़ा में 60 हजार की छात्रवृत्तियों का आयोजन किया गया। छात्रवृत्ति के मद में जो राशि आवंटित की गई है उस राशि का व्यय हो चुका है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि बांसवाड़ा कालेज के ऐसे

(श्री नन्दलाल मीणा)

सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब मिडिल स्कूल एवं सैकण्डरी स्कूल की स्थिति और भी दयनीय है, बांसवाड़ा कालेज में लगभग 450 आदिवासी लड़के पढ़ते हैं और डूंगरपुर में लगभग उतने ही पढ़ते हैं। उदयपुर में भी इतने पढ़ते हैं, परन्तु सभापति महोदय, मार्च का महीना चल रहा है जबकि हर तीन महीने आदिवासी बालकों को जो छात्रवृत्ति दे देनी चाहिए यह छात्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार से मिलती है, राज्य सरकार तो बांटती है। इसमें भी आदिवासी बालकों, जो कालेजों में एवं स्कूल में पढ़ रहे हैं, को छात्रवृत्ति सरकार की उपेक्षा की नीति के कारण नहीं दी जाने वाली है।

सभापति महोदय, उसको आज दिन तक नहीं दिया गया है। आज बांसवाड़ा डूंगरपुर आदि जिलों में ऐसी स्थिति है कि लड़के वहां आपस में लड़ रहे हैं इसका कारण यह है कि वहां पर चन्द लड़कों को तो छात्र वृत्ति मिल गयी है बाकी को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अभी कुछ समय पहले यहां पर सदन में चौगानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था हालात यह है कि डूंगरपुर और उदयपुर जिले के आदिवासी छात्रों ने वहां के विधायकों का छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण घेराव कर लिया था। स्थिति यह है कि आदिवासी लड़के पढ़ना चाहते हैं, आज आदिवासी क्षेत्र के लड़के सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से आगे पढ़ना चाहते हैं पर यह कांग्रेस सरकार उन आदिवासी क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं करना चाहती है उनके बच्चों को नहीं पढ़ने देने चाहती है और यही कारण है कि आज आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई आदिवासी लोगों का शैक्षणिक विकास नहीं हो सका।

सभापति महोदय, यहां पर मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज आरक्षण के विरुद्ध देश के कुछ भागों में और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में भयंकर असन्तोष फैला हुआ है वहां के लोग यह कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा बन्द होनी चाहिये। इसी तरह शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को जो सुविधायें मिल रही हैं वह बन्द होनी चाहिये। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह क्यों बन्द होनी चाहिये? आज स्थिति यह है कि इन क्षेत्रों में अभी चितौड़गढ़ के क्षेत्र में 20 हजार रुपये आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिये आवंटन किये गये। वह 20 हजार खर्च हो गया इसी प्रकार उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों के लिये दो लाख 78 हजार रुपये आवंटन किये गये वह खर्च हो गया, और बांसवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्र के लिये 90 हजार खर्च करने के लिए रखे गये थे। राज्य सरकार कहती है कि वह सभी रुपये वहां पर खर्च हो गये। इसी तरह, सभापति महोदय, डूंगरपुर के लिये एक लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था वह भी खर्च हो गये। सभापति महोदय, यह कहते हैं पैसे खर्च हो गये हैं और वहां पर स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। आज स्थिति यह है कि बच्चे आदिवासी लोगों के इन क्षेत्रों के दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं भटक रहे हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।

(श्री नन्दलाल मीणा)

अभी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लड़के जयपुर आये थे और उन्होंने अधिकारियों से जाकर यह शिकायत की कलेक्टर से की हमें कुछ नहीं मिला है और हम भूखे मर रहे हैं वहां पर अकाल पड़ा इस सरकार ने कुछ नहीं किया । आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भयकर अकाल पड़ा हुआ है बच्चे वहां पर भूखे मर रहे हैं उनके माता-पिता भी भूखे मर रहे हैं । और नीचे क्या स्थिति है, सभापति महोदय, आज प्रतापगढ़ इलाके की स्थिति आपके सामने निवेदन करूं जहां से कि मैं आया हूं वहां पर तो स्थिति और भी बहुत खराब है। इसके लिए मैंने एक विधान सभा में प्रश्न उठाय था यहां पर, मेरे प्रश्न का जो जवाब सरकार द्वारा दिया गया कि प्रतापगढ़ तहसील मे जितने प्रार्थना पत्र छात्रवृत्ति के लिये आये उन सबको दे दिया उससे ऐसा मालूम होता है कि या तो इस सरकार का अपने अधिकारियों पर जरा भी अंकुश नहीं है या इनकी सरकार के अधिकारी उन लोगों को जहां जहां यह पैसा देना चाहते हैं उन्हीं को पैसे बांट देते हैं । इस लिए यह उनके खिलाफ कुछ कहने को तैयार नहीं होते हैं और यहां स्थिति का पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं । आज सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि प्रतापगढ़ तहसील के गांव बमोतर, रामपुरिया, देवगढ़ आदि क्षेत्रों में जो आदिवासी बच्चे रहते हैं उनके छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना पत्र आये पड़े हुए हैं पर उन बच्चों को कोई छात्रवृत्ति नही दी जा रही है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, कई बच्चों को फार्म भी भरने नहीं दिया जा रहा है वहां पर यह भी है कि अगर छात्रवृत्ति किसी को लेना हो तो वहां के जो अध्यापक हैं वह पहले उन बच्चों से पैसा लेते हैं बाद में उनको छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था करते हैं । वहां पर बच्चों ने इस बात के लिये अध्यापकों को शिकायत भी की है । इस प्रकार के बहुत से घोटाले, सभापति महोदय, वहां आदिवासी क्षेत्रों में हुए हैं । इस लिये मैं, सभापति महोदय, आपके मार्फत राज्य से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके लिए आप चाहे अपने कांग्रेसी सदस्यों का ही एक आयोग बना कर इस सारे मामलों की जांच करावें । और इसके लिए जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह है सड़कों के बारे में बहुत भारी पक्षपात आदिवासी क्षेत्रों में हुआ है । सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के बजट में ऐसा प्रावधान है कि बजट का आठ से लेकर 12 प्रतिशत का खर्चा आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के लिए खर्च होना चाहिये । यह ईयर मार्क है । सभापति महोदय, जब हमारी जनता पार्टी का शासन था उस वक्त हमारे जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने यह आदेश दिया कि 8 नहीं बल्कि अधिक से अधिक 12 प्रतिशत तक पैसा आदिवासी क्षेत्र के लिये खर्च करने का रखा गया है वह पूरा 12 प्रतिशत ही ट्राइबल प्लान पर खर्च होना

(श्री नन्दलाल मीणा)

चाहिये। और ऐसा करने से उन्हीं की सूझ-बूझ के कारण आज इन आदिवासी क्षेत्र में आपको बहुत कुछ विकास का काम नजर आ रहा है। इसका परिणाम है कि गांव गांव में 50 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी लोग जिस गांव में हैं वहां विभाग के डवलपमेंट के काम हाथ में लिये जायेंगे। वहां पर विकास के काम हाथ में लिये। सभापति महोदय, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनकी हालत क्या है? आज बांसवाड़ा में क्या हालत है इस वर्ष कोई स्कूल नहीं खोल सकते कोई सड़क नहीं बनवा सकते हैं कोई अस्पताल नहीं खोले जा सके और इस आदिवासी क्षेत्र में लोग भटक रहे हैं वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज की सरकार के अधिकारी जो कि चित्तौड़ में हैं वह हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी हीरालाल जी देवपुरा के बारे में क्या कहते हैं वह भी आप सुनिये। वह कहते हैं कि मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी को अपनी जूती के नीचे रखता हू। तो जहां पर इस प्रकार के मन्त्री हों और जहां पर इस प्रकार के सरकारी अधिकारी हों उनसे क्या आशा की जा सकती है? आज सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र में बुरी तरह अकाल पड़ा हुआ है। डूंगरपुर में भीषण अकाल है, बांसवाड़ा में भीषण अकाल है पर वहां पर कोई भी रोजगार देने के काम चालू नहीं किये गये हैं। लोग भूखों मर रहे हैं इतना ही नहीं बेचारा आदिवासी जो कि चोरी नहीं करता है डकैती नहीं करता है वह मच्छी मारता है और अपना काम चलाना चाहता है तो उसके लिए भी उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। और संरक्षण मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी का व्यू बिगाड़ने वाले वही है, हत्यारा वही है। तो कहने का मतलब यह है कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों की हालत बहुत ही खराब है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह कोई राजनैतिक नहीं है एक मानवीय प्रश्न है। मैं मांग संख्या 30 के बारे में निवदेन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज हमारे देश में सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से असमानता की खाई को पाटने का काम हमारी सरकार का है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनता पार्टी के शासन काल में ट्राइबल एरिया आयुक्त कार्यालय को जयपुर से उदयपुर स्थानान्तरित किया गया था इसके अलावा इस ट्राइबल प्लान के लिये दो उप परियोजना अधिकारी भी नियुक्त किये गये थे। आबू सिरोही क्षेत्र में, वहां भी हमारी सरकार ने मिनी ब्लाक 39 बनाये थे लेकिन ज्यों ही जनता पार्टी की सरकार गयी त्यों ही इस निकम्मी सरकार से इस योजना वद्ध तरीके से मैंने विधानसभा में प्रश्न किया उसका जवाब मिला कि कोआर्डिनेशन के लिये इन जिला अधिकारियों को करना पड़ता है कि यहां मुख्यालय होना चाहिये। तो मुझे इस बात की बू आ रही है यह सरकार ऐसे आदिवासी लोगों के विकास लिए जो जनता पार्टी के शासन काल में जयपुर से उदयपुर कार्यालय स्थापित किया है उसको सरकार वापिस जयपुर में न कर दे।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(व्यवधान)

यह आपके बस की बात नहीं है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । समय का ध्यान रखें ।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मेरी पार्टी के सदस्यों का समय भी मुझे दे दिया जाय ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलने वालों की संख्या अधिक है इसलिये आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, तो एक बड़ी बात हुई कि सांस्कृतिक संध्या मनाई गई। अभी पिछली 26 जनवरी को, आदिवासी लड़कियों के साथ जो बर्ताव किया उसके लिये मैं यही कहना चाहूंगा कि डूंगरपुर एरिया की आदिवासी बालिकाओं को दिल्ली 26-1-81 को विभाग के अधिकारी लोग ले गये थे-वहां पर ट्राइबल इन्स्ट्राट्यूट के कुछ अधिकारी, उदयपुर वालों ने लड़कियों से जो सलूक किया मुझे तो शर्म आती है, सभापति महोदय, कहते हुए, इस प्रकार का वर्ताव कोई अधिकारी करे इससे ज्यादा निर्लज्जता का काम क्या होगा ? मुझे शर्म आती है ।

श्री छोगाराम बकोलिया : कौनसी तारीख को ? क्या हुआ ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री नन्दलाल मीणा : अभी 26-1-81 को यह तो आप उन लड़कियों से ही पूछना ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : 78-79 में क्या हुआ याद है, आपको ?

श्री नन्दलाल मीणा : अभी जो हुआ वह आप जाकर उनसे पूछें । राजस्थान में ट्राइबल सब-प्लान के अतिरिक्त कुछ ऐसी पिछड़ी अवस्था थी, वहां पर जनता सरकार ने मिनी ब्लाक बनाये, कुछ भारत सरकार को परश्यू किया गया । वहां हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री जो वर्तमान विरोधी दल के नेता ने सम्बन्धित मन्त्रियों से मिलकर अग्रिम राशि उपलब्ध करा कर विकास किया परन्तु हुआ यह है, ज्यों ही जनता शासन गया उसके बाद एक भी पैसा वहां खर्च नहीं किया । लेकिन आपके राज में आप कहने को तो कहते हैं कि हमारे साथ हरिजन हैं पिछड़ी जाति के लोग हैं आदिवासी लोग हैं पर सही मायने में वह आपके साथ नहीं हैं । पोषाहार का कार्यक्रम चला बड़ा अच्छा चला । लेकिन उसका भी मैं उदाहरण दे दूं कि हमारे प्रतापगढ़ तहसील के गांव नारायन खेड़ा के अध्यापक, उनमें से पीपीयां चुराते वह अध्यापक पकड़ा गया

(श्री नन्दलाल मीणा)

पकड़ा किसने कहां के नागरिकों ने ? सभापति महोदय, जब पकड़ा गया था वह कांग्रेसी था उस वक्त जब उस अध्यापक की शिकायत हुई तो विकास अधिकारी ने उसको सस्पेन्ड कर दिया तो उसके लिये यह कहा गया विकास अधिकारी को किरीइन्स्टेट किया जावे पर उस विकास अधिकारी ने उस अध्यापक को रीइन्स्टेट नहीं किया तो उस विकास अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद दूसरा विकास अधिकारी आया उसको भी उस अध्यापक को रीइन्स्टेट करने के लिये कहा गया पर उसने भी रीइन्स्टेट नहीं किया क्योंकि वह व्यक्ति पोपीया चुराकर ले जाते हुए पकड़ा गया तो बाद में उस विकास अधिकारी को भी ट्रान्सफर किया गया इसके बाद जब तीसरा विकास अधिकारी आया तो उसको कह कर उस अध्यापक को रीइंस्टेट कराया गया। यह स्थिति है आज पोषाहार कार्यक्रम की। आज जगलात महकमे को देखें। अभी यहां सदन में खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने और बांसवाड़ा के बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सदन में मुद्दे उठाये कि आज उन क्षेत्रों में आदिवासियों को जंगलात की बड़ी विकट समस्या है। वहां पर आदिवासियों की भूमि तो ले ली गई है लेकिन कडाणा बान्ध और माही डेम में उनको कोई भूमि नहीं दी गई है। मुआवजा नहीं दिया गया है और तहसील धरियावद प्रतापगढ़ में इसके परिणाम स्वरूप हजारों की तादाद में लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं और उनकी झोंपड़ियां जलाई जा रही हैं और वह संरक्षण चाहते हैं तो जंगलात के कर्मचारी और कांग्रेस युवक के अध्यक्ष 50 रुपये से 150 रुपया हर परिवार से वसूली कर धोखा दे रहे हैं वहां भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

(3. 32 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत,

सभापति पदासीन,)

ऐसी स्थिति में मैं सभापति महोदया, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी आदिवासियों के बारे में सरकार उदासीन है। अब आप मन्त्री मण्डल में ऐसे व्यक्ति को ले आये कि उसे क्या पता की आदिवासियों की क्या समस्यायें हैं। मेरा यही निवेदन है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान हमने तय किया था कि कुशलगढ़, सागवाड़ा, सलुम्बर में नये डिग्री कालेज खोले जायें और उसके साथ ही डूंगरपुर में मात्र महाविद्यालय होना चाहिये। तो मैं यह चाहता हूं कि आपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों की हां व-नाओं को देखते हुए सागवाड़ा, कुशलगढ़ और सलूम्बर में डिग्री कालेज खोले जायें और उसके साथ ही डूंगरपुर में ला क्लासेज प्रारम्भ की जायें।

सभापति महोदय, अहम मसला यह है कि आदिवासियों का विकास हो कैसे। जनता शासन के दौरान हमने राजस्थान में ट्राइबल सब-प्लान एरिया में आने वाले सभी माननीय सदस्य चाहे वह किसी भी

(श्री नन्दलाल मीणा)

पक्ष के हों संसद सदस्य और विधायक उस इलाके के विकास के लिए भागीदार बनें। उस इलाके में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थायें उसमें सम्मिलित हों। पहले इसके लिए मीटिंगों की आयोजना की जाती रही थी जनता पार्टी के शासनकाल में लेकिन वह आदिवासियों के विकास के लिए विभाग द्वारा गठित समन्वय समिति की बैठकें होनी चाहिये। सभापति महोदया, वह भी अब नहीं हो रही है। अब कहां कहां प्रयास किये जो कुछ इनती मर्जी में आया अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने अपने को दे। ऐसी स्थिति उन्होंने बनाई अब ...क्योंकि मैं जनता पार्टी जीतकर आया हू इस लिए मेरे यहां पर एक भी स्कूल नहीं है, एक भी दवाखाना नहीं है। एक भी सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने का प्रश्न नहीं है। जनता में यह वातावरण बना है कि जब हमारे विकास की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है तो हमसे मे रेवेन्यू वसूल करने की भी सरकार को अधिकार नहीं है।

सभापति महोदया, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि समन्वय समिति की बैठकें बराबर होनी चाहिये, हमको छात्रावास मिलने चाहियें और छात्रावास के लिये जो यह कहा गया है कि छात्रायें नहीं । एक भी बालिका का प्रवेश नहीं हुआ है। प्रवेश के लिये एक नहीं जाने को छात्रायें तैयार हैं यदि सम्पर्क करें तो। मैं सौ-डेढ़ सौ छात्रायें और जो इनकी निर्धारित संख्या है इतनी छात्रायें ला सकता हूं जो प्रवेश पाने के लिये लालायित हैं।

सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि नगरपालिका प्रतापगढ़ में है। कुछ इलाके पर ग्राम पंचायत उमरावत की जमीन पर नगरपालिका ने कब्जा कर लिया उसका विवाद चल रहा है परन्तु वहां पर रहने वाले कर्मचारी मेहतर जाति के कर्मचारी हैं। हमने उनको आवासीय भूखण्ड पर भवन बनाने के लिए जनता पार्टी शासन के दौरान कुछ पैसा दिया लेकिन मकान अधूरे काम पड़े हैं। इस सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम राशि नहीं देंगे और फिर ऊपर से कहते हैं। कि हम उनके हिमायती हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ जो रिहायशी मकान मिलने चाहिये वह उनको मिलें लेकिन उन गरीब हरिजनों को आवासीय मकान बनाने के लिये अनुदान मिलना चाहिये।

(श्री मेरू लाल मीणा)

यदि ब्याज को माफ कर दिया जाय, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भी अनुदान दिया जाता है उसके माध्यम से उनका ब्याज अगर माफ कर दिया जाये, आदिवासियों को जिनको कर्जा, जिसका सरकार अनुदान देती है, खतम हो तो सुविधा मिल सकती है। यह मेरा सुझाव है।

स्कूलों के मामले में भी जैसा कि अभी बहुत सी जगह स्कूल तो काफी खोल दिये, जनता पार्टी ने भी होश खो कर खोल दिये हैं और इसी तरह से हमारे कांग्रेस राज ने भी स्कूल खोल दिये। सब को खुशी भी हुई लेकिन आज भी कई जगह अध्यापक नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरा सुझाव है कि समाज कल्याण के माध्यम से, जहाँ पर इस तरह के स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, उसको पूरा किया जाये। कई पंचायत समिति लेवल पर जब हम बात करते हैं बी० डी० ओ० वगैरह से कहते हैं हमारे पास अध्यापक नहीं हैं। हमें अध्यापक नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। जब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम अध्यापक नहीं दे सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास काफी बजट है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा उस बजट में से थोड़ा खर्च किया जाय क्योंकि उन्हीं गांवों में स्कूल खाली रहते हैं जहां आदिवासी रहते हैं।

जहां सिंचाई का सवाल है उदयपुर क्षेत्र में अरावली श्रेणियां हैं, पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। यदि उस पानी को भी जैसे सुविधा मिले रोका जाय तो पानी की सुविधा भी हो सकती है। उस पानी को जहां तक हो सके, अनाज के लिए सिंचाई के काम में आ सकता है। उदयपुर क्षेत्र में ठीक है किसी साल समस्या नहीं आती लेकिन कभी आ भी जाती है। पानी की वजह से तकलीफें होती हैं।

उदयपुर में काफी उद्योग लगाने की योजना है अभी भी काफी उद्योग लग सकते हैं। इस साल जो पानी है वह पूरा नहीं पड़ सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए पहले सरकार ने देवास की योजना बनाई थी उसका एक चरण पूरा किया उसके बाद में काम को बन्द कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस पानी की भी व्यवस्था की जाय, देवास योजना को चालू किया जाय जिससे उदयपुर क्षेत्र में पानी की समस्या हल हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जनजाति कल्याण विकास का बोर्ड है इसमें कम से कम उस क्षेत्र के हों या जन प्रतिनिधि हों उस बोर्ड में उनको लिया जाय तो कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के बारे में बोलता हूं। नगर विकास म्यूनिसिपैलिटियों के चुनाव नहीं होने की वजह से वहीं पर अवरुद्ध हो रहा है और सरकारी अधिकारी नगर विकास की तरफ कतई ध्यान नहीं देते हैं। जिस जगह पर यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये उसकी तरफ

(श्री महाराम चौधरी)

ध्यान न देकर जहां पर धनी लोग है या सरकारी अधिकारी जिन मोहल्लों में रहते हैं उन मोहल्लो की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। कच्ची बस्तियों को किसी भी शहर को देख लीजिये, वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता। जयपुर जैसे बड़े शहर को जहा 6 लाख रुपया सफाई के लिए अनुदान दिया गया, दूसरे नम्बर के शहर का 3 लाख रुपया दिया गया, तीसरे नम्बर के शहरों को 1½ लाख और चौथे नं. के शहरों का 60 हजार। यह पैसा भी जो एक नम्बर के कस्बे में है, ग्रामीण क्षेत्र के जो नगर है उन नगरों का विकास करने की तरफ ज्यादा ध्यान दें जिससे बड़े शहरों की आबादी नहीं बढ़े। जो छोटे नगर है उनका विकास किये जाने से ग्रामीण लोग शहरों की तरफ अट्रैक्ट न होकर छोटे नगर की तरफ एट्रैक्ट होंगे। उन शहरों का विकास होना चाहिये।

मास्टर प्लान बनाते हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा इन शहरों के मास्टर प्लान तो बनते रहते हैं। यहां पर सभी अधिकारी भी रहते है, सब की नजर इन शहरों की सुन्दरता स्वच्छता की ओर जाती है, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। जो मास्टर प्लान की प्रवृति है, मध्यम श्रेणी के शहरों जैसे नागौर, भीलवाड़ा, पाली हैं ऐसे बीच साइज के नगर हैं उनके विकास करने की तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

ऋण और अनुदान के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि पिछले साल भी जो विशेष कार्यक्रम चलाया उस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे नागौर जिले को 7 हजार रुपये सिर्फ कच्ची बस्तियों के लिये अनुदान के रूप में मिले। यह पखवाड़ा दिसम्बर के अन्दर सिर्फ 15 रोज के लिये मनाया गया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पखवाड़ा चाहे आपने कागजों में मनाया होगा लेकिन एक्चुअली कच्ची बस्तियों के लिये यह पैसा बिल्कुल ही खर्च नहीं हुआ है। नागौर के लिये विशेष तौर पर आप जांच कर लीजिये पखवाड़े के अन्दर जितना भी पैसा खर्च करने की बात रिकार्ड पर है, वह पैसा एक भी बस्ती पर कहीं नही लगाया। मुझे याद है सांसियों का मोहल्ला, राठौड़ी कुए के पास जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, दिल्ली दरवाजे के पास जो मोहल्ला है, इन मोहल्लों के अन्दर सड़कों की, पानी की, बिजली की सरकार की तरफ से विशेष व्यवस्था नहीं है। जहा पर ऐसी बस्तियां हैं प्राथमिकता के आधार पर पानी की व्यवस्था की जाय, बिजली की व्यवस्था की जाय। पिछले 9 महीनों के अन्दर हमारी इन ढाणियों के अन्दर, नागौर शहर के अन्दर एक भी अधिकारी ने जाकर सुविधाओं के बारे में जांच नहीं की है।

नागौर नगरपालिका के अन्तर्गत सैनिक बस्तियों के अन्दर थोड़ी बहुत जमीन वगैरह देकर सैनिकों को बसाने के लिये उनको विशेष जमीन अलाटमेंट का कार्यक्रम होना चाहिये। जो देश की रक्षा करते हैं, बाहर गांव के रहने वाले आदमी हैं मिलिटरी से रिटायर होने के बाद में बच्चों को पढ़ाने के वास्ते व सभी जिला लेवलों पर सैनिक बस्तियों के लिये प्रावधान रखें। जिस तरह से कच्ची बस्तियों और अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उनके बराबर इन

(श्री महाराम चौधरी)

बस्तियों में भी विशेष सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

हाउसिंग बोर्ड के नगर विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं आपके जो मध्यम श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नगर हैं, हाउसिंग बोर्ड के मकानों की विशेष सुविधा होनी चाहिए। बड़े-बड़े शहरों में जितनी ज्यादा सुविधायें उपलब्ध करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ का विकास एक तरह से रुक जायगा। इसलिए जो बड़े-बड़े शहर हैं, उनके लिए जो शहरी सीमा बढ़ाने का कार्यक्रम आप अपने हाथ में ले रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। इसकी तरफ ज्यादा बढ़ायेंगे तो शहरों की आबादी बढ़ेगी और गांवों की तरफ ध्यान नहीं जायेगा। सीमा बढ़ाने से नुकसान भी काश्तकारों को होता है। उनकी पड़ोस की जमीन, उनकी खेती की जमीन ले लेते हैं। प्रलोभन में आकर थोड़े से ज्यादा पैसे लेने में उनको जमीन देनी पड़ती है। इसलिए शहरीकरण या शहर ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए शहरी सीमा पर रोक लगानी चाहिए।

भंगी मुक्ति की जो योजना है, उसके अन्तर्गत मैं मन्त्री महोदय, आपसे विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुराने तहारत हैं, उनके लिए जो 3 सौ रुपये की सुविधा देते हैं, यह सुविधा तीन सौ रुपये पर मिली है। ये पैसा आपका बिलकुल ही एक्चुअली जो आदमी को लाभ मिलना चाहिए, जिनकी सुविधा के लिए होना चाहिए, उनको नहीं मिल कर इस पैसे में भी बड़ा जबरदस्त घोटाला चलता है और ये पैसा उनके पास नहीं पहुंचता है। इसकी भी आप कम से कम नागौर म्युनिसिपैलिटी की तो पूरी तरह से जांच करा लीजिए कि तीन सौ रुपये कितने आदमियों को दिये गये हैं? ये पैसा उनके पास नहीं पहुंचता है और इसका भी मिस यूटीलाइजेशन हुआ है। हमारे नागौर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर पानी दो साइड से होता है। एक तो चैनाल का कुआ है, जिसका पानी खारा है और दूसरी जो पानी की सुविधा उपलब्ध हुई है, वह है खेरड़ा के कुएं से। जहां सरकारी अधिकारियों के मोहल्ले होते हैं वहां तो पानी मीठा जाता है और कच्ची बस्तियों में और अनुसूचित जातियों के मोहल्लों के अन्दर खारा पानी, जो बिलकुल पीने के लायक नहीं है। दूसरी कोई सुविधा नहीं है इसलिए मेरा इसमें विशेष निवेदन है कि अगर आप मीठा पानी सब जगह उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो दोनों को मिक्स करके उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाय तो सब को पानी पीने को मिले।

ऋण और अनुदान जो म्यूनिसिपैलिटियों के लिए दिया जाता है, उसका यथोचित बंटवारा कच्ची बस्तियों और हरिजनों की बस्तियों का ज्यादा होना चाहिए।

अब मांग संख्या 30 जो जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना की है, मेरे क्षेत्र की तो विकास योजना नहीं है लेकिन जैसे डी० ए० पी० के अन्तर्गत जो कार्यक्रम चलाते हैं करीब-करीब वही 15-20 कार्यक्रम इस जन विकास योजना के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में चलते हैं। इनके अन्दर जो काम चलते हैं, उनमें अधिकारियों को जितना थोड़ा बहुत बजट एलाटमेन्ट होता

(श्री महाराम चौधरी)

है। उस काम को अपनी भावना से और दिल से करने में उनकी कतई इमदाद नहीं होती है और इसको करने के अन्दर ये अपने को संकुचित महसूस करते हैं। इस तरह की योजनाओं में भी, योजना के अन्दर योजना, प्लान के अन्दर प्लान, इस तरह से गुमराह करने वाली योजनायें बनायी जा रही हैं जिससे इनसे आम आदमी से वास्ता नहीं रहता है और न उनकी समझ में आती हैं और न इनको चलाने के लिए बैठक होती है। साल में जैसे 4 बैठकें आपकी जनजाति विकास योजना की हुई। इसके अन्दर जन-प्रतिनिधि जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित होते हैं, उनमें से सिर्फ 2 एम० एल० ए० को रखते हैं। तो मेरा सुझाव है जो विकास की योजनायें हैं, उन विकास की योजनाओं के अन्दर सम्बन्धित विधायकों को सदस्य रहना चाहिए जिससे उसकी जानकारी हो, अपने सुझाव दे सकें और अधिकारियों को, थोड़ा बहुत इस चीज को समझ सकें कि यह वास्तव में जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं, उस तरह से ये काम नहीं होता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत साज-सामान और बिल्डिंग, एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के खर्चे है और मोटरों का भी बहुत दुरुपयोग होता है। सो इन योजनाओं पर चलाने के लिए, उस क्षेत्र में काम करने के लिए अगर अधिकारी मोटर में जायगा तो वह तो वापस अपने अपने हैडक्वार्टर पर आने की नीयत ज्यादा रखता है। इसलिए इन योजनाओं को आप अच्छी तरह से तभी चला सकते हैं जब अधिकारी गांव वालों के पास जाय, उनके पास बैठे, रात को हैडक्वार्टर पर रहे, उनसे सम्पर्क करे जिससे उनके अन्दर उस अधिकारी के प्रति अपनत्व पनपे, जिससे वह भी अपनी योजनाओं के बारे में खुल कर बात करे कि इस जगह पर ये कुआ होना चाहिए, इस जगह ये पाइप होना चाहिए, इस जगह पर ये हैण्ड पम्प होना चाहिए। सिर्फ जनगणना के जो पोथे बने हुए हैं, उसमें देखकर कहे इस गांव में हैण्ड-पम्प, इस गांव में हैम्डपम्प, चाहे वहाँ आबादी हो या नहीं हो। इसलिए इस तरह के जितने भी प्लान हैं, उनमें जन प्रतिनिधियों को या एरिया में रहने वाले आदमियों को विश्वास में लेने से, उनके साथ बैठने से और उनसे पूरा परिचित होकर ये काम ठीक ढंग से कराया जा सकता है। मैं मेरी तरफ से सुझाव देता हूं कि जितनी भी विकास की योजनायें हैं, ये योजना आप पंचायत समितियों के मार्फत और जिला परिषदों के मार्फत चलायें। आपके जो अधिकारी हैं, जो बी० डी० ओ० हैं, जो इन कामों को, क्योंकि लोअर ग्रेड के होते हैं, ठीक ढंग से नहीं चला सकते हैं तो यहां के बड़े अधिकारी लगाकर इन पंचायत समितियों के मार्फत विकास के कार्य कराये जायें तो बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं और विकास भी ठीक हो सकता है और योजनाओं के प्रति विश्वास भी जाग्रत ... ..

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

ज्यादा होगा। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जितने भी आपके कागजी घोड़े हैं या कागजी पर्फोर्मा हैं, वे इतने जटिल हैं कि एक साधारण आदमी उनको भर कर लाभान्वित नहीं हो सकता है। जैसे किसी आदमी को ऋण दिलाने की व्यवस्था है तो इसके अन्दर एक जनजाति के सदस्य को कम से कम 50 जगह दस्तखत करने पड़ते

(श्री महाराम चौधरी)

हैं और 50 जगह दस्तखत करते करते वह भूल जाता है, क्योंकि उसका तो अंगूठा पकड़ कर कराते हैं कि यहां यहां। इस सम्बन्ध में भी के अधिकारियों के साथ बैठ कर, आपके बैंक वालों के साथ बैठकर और वहां के लोकल प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इसका कोई इस तरह से आप ऐसा निदान निकालें। ऋण और अनुदान देने के पर्फोर्मा का सरलीकरण होना चाहिए जिससे आम आदमी के ठीक तरह से समझ में आ जाय। उसमें आपको करना क्या है, जैसे किसी जनजाति विकास के अन्तर्गत आपकी एक दुग्ध योजना है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस एक मिनट। उस दुग्ध योजना के अन्तर्गत भी जो गांव वालों को आप भैंस या गाय उनका दुग्ध निकालने के लिए सहकारी समितियों के मार्फत खरीदवाना चाहते हैं, उसमें काश्तकारों को जबर्दस्त दिक्कत आती है। काश्तकारों को कम से कम तीन महीने कागजी कार्यवाही में लग जाते हैं। फिर पर्चेजिंग पार्टी गांव में जाती है और आकर वे देखते हैं। उस काश्तकार पर या उस आदमी पर आप इतना अविश्वास क्यों करते हैं ? ये आप इसलिए करते हैं कि आपको खुद में विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है। जो आदमी काम करना चाहेगा वह भैंस गायब थोड़े ही कर देगा अधिकारी जो जाते हैं, जितनी क्वालिटी होती है, उसमें समझते नहीं। ऋण लेने के लिए जिस बैंक में गये तो उसको ऋण देने के लिए बैंक वाले इनवाइट करते हैं तो 2-3 चक्कर लगाते हैं और आखिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए स्पोट चैकिंग के नाम से, इसके लिए उसको तंग किया जाता है और फिर आकर कहते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं इसलिए मोटर लाओ। यानी ये सब सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरलीकरण होना चाहिए और उनको विश्वास में लेना चाहिए तभी जा कर ये योजनायें ठीक ढंग से क्रियान्वित हो सकती हैं। धन्यवाद।

श्री समापति : श्री तेजपाल।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : माननीय सभानेत्रीजी, मैंने मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखे हैं। जनजाति विकास, समाज कल्याण, इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। पहले तो विपक्ष के माननीय सदस्य नन्दलालजी ने कहा कि यह सरकार जब जाएगी तभी आदिवासियों का विकास होगा, जनजाति के लोगों का विकास होगा। यह भी वे ही जानें कि वे खुद ही चले गये। किसी भी काम को करने के लिए राजनैतिक पार्टीबाजी ही नहीं, कुछ कलाबाजी की भावना भी होनी चाहिए। पार्टी में काम करने की भावना होनी चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए और उसके साथ सभी को साथ ले कर चलने की भावना होनी चाहिए। लेकिन जनता पार्टी की जो मूल भावना है वह कलाबाजी दिखाने की है और कलाबाजी दिखा कर हौव्वा खड़ा करने, तो उनको आता है। लेकिन जनजाति के लोगों, गरीबों और आदिवासियों के लिए उनके दिल में भावना नहीं है। उनके पक्ष में काम करने की भावना नहीं है। काम करने की क्षमता नहीं है। उनका साथ लेने की क्षमता नहीं है और उसी का नतीजा है कि वे पीठ दिखा कर

(श्री तेजपाल यादव)

तीन साल में ही चले गए और वे ही अब यह कहें कि यह सरकार जाने के बाद ही आदिवासियों का भला होगा । वे खुद ही इसको देखें कि ये योजनायें किस ने बनाई, ये योजनायें किस पीरियड में बनीं और किस सरकार ने लागू कीं ? आदिवासियों के विकास के लिए, उनके भले के लिए तीस साल से यहां आकर बैठे हैं और यहां बैठ कर योजनायें बनाई हैं । इस तरह से उनका रिजर्वेशन किया है, विकास की योजनायें बनाई हैं । आज यह किसी से छुपा नहीं है कि उनके तीन साल के कारनामों को देख कर ही गरीबों ने, आदिवासियों ने, अनुसूचित जाति के लोग उनको ठोकर मार कर कांग्रेस को वापस सत्ता में लाए और कांग्रेस ने भी अपना फर्ज पूरा किया । कांग्रेस सरकार ने योजनायें बनाई, कांग्रेस सरकार ने उनका भला किया और कांग्रेस सरकार अपना कर्तव्य मानते हुए जनजाति के लोगों का विकास करना चाहती है, गरीबों का विकास करना चाहती है, किसानों का विकास करना चाहती है । उसके लिए यह कहें कि यह सरकार जाने के बाद ही उनका भला होगा, इस तरह से कुछ मिलने वाला नहीं है । क्योंकि आदिवासी लोग सभी जानते हैं कि किस ने हमारा भला किया, किसने हमारा विकास किया, किसने हमारे लिए रिजर्वेशन किया । लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

आज समाज कल्याण विभाग की और उनकी जो स्थिति है, इसमें मैंने यह देखा है कि इस डिपार्टमेंट में, इन विभागों में जो अधिकारी लगाए जाते हैं उनमें हम यह देखें कि इन अधिकारियों की लोगों के प्रति जो भावना है, आज तक हमने यह देखा है कि कई अधिकारियों की भावना ऐसी देखी गई है कि उनका जनता से कोई लगाव नहीं है जो इन लोगों में होना चाहिए । हमारी सरकार योजनायें बनाती है उनको आगे लाने की, आगे बढ़ाने की उनमें भावना होनी चाहिए । उनका बराबरी का स्तर लाने की भावना है लेकिन हमारी सरकार की जो भावनायें हैं उसके अनुरूप हमारी जो व्यवस्था है नौकरशाही की वह उसके अनुरूप काम नहीं करती है । इसी का नतीजा यह है कि हम जो चाहते हैं, हमारी सरकार जो चाहती है उसके परिणाम सही रूप में और सही समय पर नहीं मिल रहे हैं । कई जगह ऐसा देखा गया है कि बजट जो अभी चल रहा है, गत वर्ष जितना प्रोविजन था अभी तक भी काम में नहीं लिया गया है । करीब पांच लाख का खर्चा हुआ और 39 लाख बाकी पड़ा रहा है । इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ती है । इसमें टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के अनुसार पैसा काम में आना चाहिए ।

तीसरा मेरा सुझाव है कि यह जो छात्रावास खोले हैं और छात्रावास चलाए जा रहे हैं तो उनको आज 90-95 रुपया प्रति छात्र देते हैं । इस मंहगाई के जमाने में उससे उनकी किताबें और दूसरी व्यवस्था हो जाएगी ? क्या इस पैसे से उनका खर्चा चल जायेगा ? एक तो यह प्रश्न है कि इसमें प्रति छात्र पैसा बढ़ाने की जरूरत है ।

दूसरी बात यह है कि केवल कुछ क्षेत्रों को चुन करके योजनायें चालू करते हैं यह भी उचित नहीं है । सभी जगह पर आदिवासी लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं । इस तरह की स्थिति को

(श्री तेजपाल यादव)

देखते हुए हम ने उदयपुर वगैरह में तो काफी खोल रखे हैं लेकिन जयपुर है, सीकर है, इस तरह से पूर्वी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत कम हैं। तो मेरा सुझाव है कि इसमें भी देखें, जहां आदिवासी कम संख्या में हैं लेकिन फिर भी हर तहसील में, हर एक स्कूल में, सौ डेढ़ सौ, दो सौ आदिवासी छात्रों के लड़के पढ़ते हैं तो जो ऐसे स्कूल हैं तो ऐसी हर एक जगह पर छात्रावास खोले जाने चाहिए। उनको प्रति छात्र जो सहायता देते हैं वह भी कम है। और दूसरा जो यह रिपोर्ट में बताया गया है कि दस रुपया प्रति माह मेट्रिक के पहले, पूर्व मेट्रिक छात्र छात्रवृति देते हैं वह बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए, यह बीस रुपया होना चाहिए।

मेरे क्षेत्र के अन्दर आदिवासी, मीणा काफी रहते हैं। कालाडेरा है, राधास्वामी बाग है, चोमू में हैं, बाहर के लड़के भी कालाडेरा में पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन वहां पर एक भी छात्रावास जनजाति का का नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम कालाडेरा में या चौमू में एक अनुसूचित जाति का छात्रावास होना चाहिए। आमेर तहसील कांस्टीट्यूएंसी है लेकिन एक भी छात्रावास नहीं है।

इसके बाद नगर आयोजना और नगर विकास न्यास की मांग संख्या २६ के सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहूंगा और माननीय मन्त्री जी का आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभानेत्री जी, जिस प्रकार नगर विकास न्यास और नगरपालिकाओं की हालत आज तक उनके चुनाव नहीं कराए जाने से क्या है? एक अधिकारी, दो-दो तीन-तीन जगहों पर उसके पास विभाग हैं और फिर भी उनको घूमने फिरने के लिए, तफरी करने के लिए या भत्ते देने के लिए नगरपालिकाओं के प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर नगरपालिकायें हैं कि एक-एक महीने तक प्रशासक जाते नहीं और काम रुका रहता है।

तीसरी सबसे बड़ी एक तकलीफ है कि आज म्यूनिसिपैलिटीज की, नगरपालिकाओं की जो काबिज शुदा जमीनें हैं, लोग उनके अपने कब्जे शुदा जमीनों पर पट्टे लेकर नियमानुसार फीस जमा करा कर मकान निर्माण कराना चाहते हैं। आज अवैध रूप से निर्माण चल रहे हैं लेकिन चूंकि यह सरकार की नहीं, म्यूनिसिपैलिटी की बात है इसलिए अधिकारियों को, सरकार को इसकी परवाह नहीं है कि समय पर उनकी इजाजत दे। नियमानुसार जो हमारी नगरपालिकाओं के पास हैं उनका पैसा लेने की सरकार परवाह नहीं करती है और आज अवैध मकान बन रहे हैं। उन लोगों ने मांग की है कि हमें इजाजत दें, हम पैसा जमा करायें लेकिन वर्षों से फाइलें पड़ी हुई हैं। कहीं किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ की तो उसको लेकर एक सर्कूलर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया कि बिना डायरेक्टर की इजाजत के यह नियमन की कार्यवाही नहीं की जाएगी और असिस्टेंट डायरेक्टर की उपस्थिति में निपटारा किया जाएगा। उस सर्क्यूलर के कारण से काफी नगरपालिका के कागजात व फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। न तो प्रशासक जाता है, न

(श्री तेजपाल यादव)

असिस्टेंट डायरेक्टर जाता है और न ही फाइलों का निपटारा होता है। इससे बाधा उत्पन्न हो रही है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस सक्यूलर को कृपया वापस लें और रुकी हुई फाइलें तुरन्त निकलवायें ताकि निर्माण कार्य चालू हों, नगरपालिका की आमदनी हो। नगरपालिकाओं का विकास का काम जो अवरुद्ध हो रहा है वह शुरू हो सके।

दूसरा सुझाव है जैसे वर्षों से बिना चुनाव के नगर-पालिकाएं चल रही हैं, नौकरशाही के भरोसे नगरवासियों को छोड़ रखा है, मर्जी के अनुसार काम करें तो करें, नहीं तो नहीं करें। तो चुनाव जल्दी से जल्दी करायें या राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशासक नियुक्त करें ताकि जनता की तकलीफों को दूर कर सकें।

यू० आई० टी० की हालत यह है कि 15 दिन या एक महीने की जितनी तनख्वाह मिलती है, उतनी रकम की भी साल भर में योजना बना कर जमीन नहीं बेचते हैं और नगर नहीं बसाते हैं। जयपुर के लिये ही निवेदन करूं। अगर सहकारी समितियां नहीं होती तो इस जयपुर की आवासीय मांग जो थी, यू० आई० टी० पूरी कर सकती थी? इसी तरह से हाउसिंग बोर्ड के मकानों की हालत है। मकानों का कन्सट्रेक्शन देखिये, क्या हालत है? उसका स्टेन्डर्ड देखिये, क्या हालत है? मकान पहले साल में चूने लग जाता है और प्लास्टर गिरने लग जाता है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मेरे यह सुझाव हैं, माननीय मन्त्री जी से आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जन-महत्व की चीजें हैं, जन समस्याएं हैं, जिस प्रकार से देहली में, गुजरात में, हाउसिंग सोसायटी के मार्फत नगर विकास न्यास फैल हो चुके हैं, इनको तो यह देखें कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। उनको बैठे तनख्वाह दीजिए या ऐसा कीजिए कि तुम घर बैठो आराम से, रोजगार भत्ता लो। काम कर नहीं सकते हैं, या तो इनको एक्टिव करना पड़ेगा या मोबीलाइज करना पड़ेगा अन्यथा जैसे देहली, गुजरात या अहमदाबाद में सहकारिता समिति की तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को बसाने, रिहायशी प्लाट देने के लिए और नगर का विकास करने के लिए, रिहायशी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ढंग से कार्य करने की जरूरत है। न्यास की हालत को कारगर ढंग से सुधारने की व्यवस्था करें।

जय हिन्द!

श्री सभापति : श्री छोगालाल।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय सभापति महोदया, मैं मांग संख्या 30, 33 और 29 के बारे में कुछ विचार अपने जिले के बारे में

(श्री छोगाराम बकोलिया)

रखना चाहता हूं।

उससे पूर्व मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि इसने ट्राइबल सब प्लान के लिये और अनुसूचित जाति के लिये इतनी भारी रकम का प्रावधान रखा है। जैसा कि मन्त्री महोदय ने मांग रखते हुए कहा कि 19 करोड़, 26 लाख 99 हजार रुपये का प्रावधान ट्राइबल सब प्लान के लिये रखा है। इसी प्रकार 13 करोड़ 93 लाख 81 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूचित जाति के लिये रखा है। इस प्रकार कुल मिलाकर 33 करोड़, 20 लाख 80 हजार रुपये का प्रावधान इस वर्ष 81–82 में डवलपमेंट पाइन्ट आफ व्यू से रखा है। जो अपने आप में कीर्तिमान बजट है। पिछली सरकार जो आयी जनता सरकार उसने भी अभी तक इतना भारी प्रावधान नहीं रखा।

अभी माननीय सदस्य, नन्दलाल जी जो उदपुर डिवीजन से पधारे हैं, कुछ अपने वक्तव्य में कहा कि पिछली जनता सरकार ने बहुत कुछ बढ़ते चढ़ते कार्य किये हैं। इन्होंने कहा है कि 412 स्कूल खोले है लेकिन इन्हें पता नहीं है कि उन स्कूल्स में कोई अध्यापक लगाया था? लेकिन मात्र स्कूल खोलने से क्या कोई डवलपमेंट हो सकता है। आप तो बोल रहे थे कि इतने डवलपमेंट के लिये जागरूक थे। जनता राज के टाइम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सारे प्रिविलेज खतम किये जा रहे थे। अगर यह सरकार नहीं बदलती तो उसके सारे प्रिविलेज खतम करके आज कोई भी प्रिविलेज अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नहीं रहता और आज वह उस सरकार की बढ़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मारे शर्म के उस सरकार को डूबना था, जनता ने खुद ने हटाकर धकेल दिया।

इसी के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय ने एक और जिक्र किया। 81 के अन्दर ट्राइबल की लड़कियों को देहली ले जाकर उनके साथ कुछ गड़बड़ की है। माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि 77–78 में जनता सरकार ने अपने समय में यह शुरूआत की थी? जो सिरोही से देहली गई तब उनके साथ क्या सलूक हुआ, यह भी पता नहीं यह भूल गये। और उसकी शुरूआत की थी, आज पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। बड़े शर्म की बात है, आप कह रहे हैं इतना डवलपमेंट हुआ, डवलपमेंट कुछ नहीं हुआ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): सभापति महोदया, आसन की तरफ देखना चाहिये यह इधर देख रहे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया: सभापति महोदया, यह गुनाह करने की बात थी, जिसके लिए माननीय सदस्य ने अपनी तरफ से सारी स्पीच रखी।

एक माननीय सदस्य: दबी हुई आवाज में बोल रहे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया: दबी हुई आवाज में बोल रहा हूं कोई बात नहीं लेकिन आपको तो थोड़ा दबा ही सकते हैं।

सभापति महोदया, इतना ही इस बारे में कहूंगा, इससे ज्यादा तो वह सुन नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

इसके साथ साथ मैं मांग संख्या 30 के बारे में अपने सिरोही जिले में डवलपमेंट

(श्री छोगाराम बकोलिया)

पाइंट ग्राफ व्यू से विचार रखना चाहता हूं। चूंकि ग्राबू रोड तहसील ट्राइबल सब प्लान में ग्राती है। वहां के काय काफी कुछ होने जा रहे हैं। लेकिन प्रगति के तौर पर ग्रागे ग्रच्छी तरह से बढ़े, उसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार ने लिये हैं जैसे ए.पी.ग्रार.ग्रो. का पोस्टिंग करने वाले है। मैं चाहूंगा कि सिरोही में ग्राबू रोड में एक ए0 पी0 ग्रार० ग्रो को पोस्टिंग की जानी चाहिये ताकि, सरकार की रीति–नीति है, ग्रौर डवलपमेंट का काम ट्राइबल एरिया में हो सके। उसके बारे में जानकारी दे सके। मैं मुख्य मन्त्री जी से ग्रौर मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस साल में ए० पी० ग्रार० ग्रो० का पोस्ट क्रियेट करके उसे क्षेत्र के विकास के लिये वहां पोस्टिंग करें ताकि वह क्षेत्र के विकास के लिये सहयोग प्रदान करें।

इसके साथ साथ बजट प्रावधान के ग्रन्दर जिक्र किया गया है कि पांच प्रशिक्षण केन्द्र ग्राई. टी. ग्राइ. के खोले गये हैं। ग्राबू रोड में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है, ग्राइ. टी. ग्राई का लेकिन इसमें ग्रनुसूचित जाति के लड़के कम ग्राये हैं, मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनका इनीशियेट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण प्राप्त करें इसके लिये थोड़ा सा बाध्य करें।

इसके साथ ही मैं ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं। ग्राबू रोड तहसील के ग्रन्दर जो साथ साथ पास लगे हुए ग्राम हैं, वहां ट्राइबल के निवासी रहते हैं। जैसे मैथीपुरा, के ग्रासपास कई गांव हैं, उनको इस सब प्लान के साथ नहीं जोड़ा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि रेवदर तहसील के ग्रौर इसके ग्रासपास के लगे गांव हैं, उनको इन्क्लूड करें जैसे मैंथीपुरा, दत्तानिया भंटाना, भाटर मंदीवाड़ा, भट्टा, भोरेडी, मगावल, धौलपुरा, यह ऐसे गांव हैं, जहां पर मैक्जिमम ट्राइबल के लोग रहते हैं। इन सब को इसके साथ जोड़ा जाय तो इस एरिया का डवलपमेंट काफी कुछ हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि इनको सब प्लान के साथ इन्क्लूड करके एरिया को थोड़ा ग्रागे बढ़ायें।

इसके साथ साथ एरिया के लिये ग्रभी तक जो डवलपमेंट होना चाहिये उसमें कुछ कमी है। जैसे कि 2.20, के.वी. लाइन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिछानी है, उस कार्य में शिथिलता है जिसके कारण से इस एरिया के पास सीमेंट प्लान्ट है, इसके पास के प्लांट हैं, ग्रौर इण्डस्ट्रियल एरिया के डवपमेंट के काम में काफी कुछ कमी ग्रा सकती है। इसके लिये जल्दी से जल्दी 2.20 के.वी. लाइन बिछाई जाय ताकि ग्रासपास के एरिया में तथा ग्रौद्योगिक क्षेत्र का विकस हो सके। सीमेंट का प्लांट जो 82 के ग्रन्दर प्रोडक्शन शुरू करने का विचार है वह शुरू कर सकें जिससे ट्राइबल के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके।

ग्रभी मुख्य मन्त्री महोदय ने बजट भाषण में घोषणा की कि सिन्थेटिक यार्न का कारखाना ग्राबू में लगाने जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ग्राबू में ट्राइबल एरिया में 7 करोड़ का सिन्थेटिक यार्न का कारखाना लगाने की सोची है ग्रौर इसी साल में प्रावधान रखा है जिससे 700 ट्राइबल लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऐसा कारगर कार्य ग्राज तक जनता सरकार ने, इस प्रकार के कदम नहीं उठाये जबकि इस सरकार के ग्राने के बाद उन्होंने कारगर कदम उठाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी

(श्री छोगाराम बकोलिया)

इसके साथ मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि आबू रोड तहसील में आंगन-वाड़ी स्कूल चल रहे हैं और न्यूट्रेशन प्रोग्राम बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन साधन होते हुए भी उनको उतनी प्रिविलेजेज नहीं दी जा रही हैं, मैं निवेदन करूंगा, इस ओर विशेष ध्यान दिया जावे और आंगनवाड़ी में स्टाफ की कमी है उस में मैक्जिमम स्टाफ प्रोवाइड करवाया जावे। बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखकर जो पोषाहार कार्यक्रम दिया जा रहा है वह सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं या उसमें कमी की जा रही है क्योंकि इसी स्टेज से बच्चों का विकास भाग्य शुरू होता है अगर उनका पोषा-हार अच्छा होगा तो उनका दिमाग और शक्ति बढ़ेगी इसलिये इस पर विशेष ध्यान दिया जावे ताकि मैक्जिमम यूटिलिटी हो सके।

इसके अलावा गांवों में जो सड़कों की कमी है, जो छोटे से छोटे गांव ट्राइबल के, अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव हैं-रहुवा रेवदर तहसील में गांव है अनुसूचित जाति का, मैयीपुरा गांव में ट्राइबल लोग रहते हैं तो इन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय ताकि मैक्जिमम डवलपमेंट हो सके सड़कों के काम मैथीपुरा से भटाणा, माण्डणा से गुड़वा, वर-वन से रहुवा, यहां सड़कों का तुरन्त स्टार्ट किया जाय।

इसके साथ साथ 40 प्र० श० अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रेवदर तहसील में रहते हैं। मैं मांग संख्या 33 के बारे में बताना चाहता हूं। यहां अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये होस्टल सेंक्शन हो चुका है लेकिन भवन के अभाव के कारण अभी तक होस्टल नहीं बना है और उसके कारण अनुसूचित जाति के जितने भी बच्चे हैं वे बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भवन के कुछ फण्ड्स आ रहे हैं उसमें अगर रेवदर में यह भवन बना दिया जाय तो बच्चों को राहत मिल सके।

इसके साथ-साथ मैं थोड़ा सा औद्योगिक सेन्टर्स के बारे में, तहसील सेलवाड़ा में मार्बल की बहुत अच्छी खाने हैं और उच्च कोटि का मार्बल निकलता है और कई ऐसे उद्योग रेवदर में लगाये जा सकते हैं इसलिये मंत्री महोदय रीको के माध्यम से इसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवावें जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्रों का डवलपमेंट हो सकेगा और वहां पर मार्बल की इंडस्ट्री, जो पिण्डवाड़ा से यहां आने को इच्छुक हैं उनको रेवदर में लाया जा सकता है। साथ ही साथ टमाटो सास, केल्साइट में उद्योग और कई उद्योग भाठे- चूने के यहां डवलप किये जा सकते हैं ऐसी स्थिति में रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जावे ताकि आस पास के लोग रोजगार प्राप्त कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और मैं लास्ट में, माननीय सदस्य बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मैं अन्त में दो शब्द सिरोही के लिए कहना चाहता हूं। अभी तक सिरोही को नगर न्यास योजना में नहीं लिया गया है जब कि यहां मैक्जिमम भवनों की कमी है। यदि इसे नगर विकास न्यास योजना के अन्तर्गत लिया जाय तो भवनों के अभाव में गवर्नमेंट के जितने भी दफ्तर खुलने जा रहे हैं वे खुल सकेंगे। जैसा कि वहां पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत का दफ्तर खुलने जा रहा था लेकिन स्टाफ को रहने के भवनों के अभाव से नहीं खुल सका। इसके साथ साथ कई ऐसे दफ्तर जो खुलने के लिये इच्छुक हैं लेकिन रहने के भवनों के अभाव के कारण नहीं खोले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी नगर विकास

(श्री छोगाराम बकोलिया)

योजना बनाई जाय जिससे रहने के भवनों के तुरन्त प्रावधान की कार्यवाही की जा सके।

श्री सभापति : श्री अहमद बक्श सिंधी।

श्री अहमदबक्श सिंधी (जोधपुर): सभापति महोदया, मांग संख्या 33 के ऊपर मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं जोधपुर शहर से चुन कर आया हूं। वहां यू. आई. टी. और म्युनिसिपैलिटी काम करती है यू आई टी में इस वक्त कलेक्टर साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं अब कलेक्टर साहब को इतनी फुरसत तो है नहीं कि वह दुनिया भर के काम छोड़ कर जरा सा यू.आई टी. को टाइम दे सकें और स्कीमों का पूरी तरह अंजाम दे सकें, यह मुमकिन नहीं है यह नोट कर लें। दूसरा, नगर पालिका में भी प्रशासक मुकर्रर है अब प्रशासक के बजाय कोई पब्लिक का आदमी ज्यादा काम अच्छी तरह से कर सकता था जो करेक्टर वाला और ईमानदार होता। तो अर्ज कर रहा हूं कि ये दो जगहें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक पब्लिक से बराये नाम होता है और जो आई ए.एस किस्म के लोग हैं वे इसमें काम करते हैं जिनकी एक मैंटेलिटी होती है विशेष, पब्लिक से उनका कोई वास्ता नहीं होता। पब्लिक के लोगों से जन प्रतिनिधि का जितना वास्ता पड़ता है उतना आई. ए. एस. का ताल्लुक नहीं है इसलिए आइ.ए एस. से लोग मायूस होकर जाते हैं इसलिए मैं मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं यहां पर जल्दी से जल्दी आम जनता के अच्छे लोगों को बिठाया जाय ताकि यह काम सुचारू रूप से हो।

दूसरी बात, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां कच्ची बस्तियां थी हैं, शहर में कई जगह गरीब लोग रहते हैं। आम तौर से जिनके मकान नहीं होते या जिनके मकान तो हैं पर आबादी बढ़ने से वे काफी नहीं है तो वहां पर वे डिस्प्लेस्ड पर्सन बन जाते हैं तो बाहर जाकर भाखरों में या कोई ऐसी खाली जगह जाकर झोंपड़ियां बना लेते हैं तो उनको तोड़ने का प्रयास किया जाता है। कई दफे उनके झोंपड़े हटाये गये। बड़ा दुख होता है हमें, होना भी चाहिये गरीबों के साथ जिनको खुले आसमान में रहना पड़ता है और वे झोंपड़े या छान डाल कर रहते हैं तो उनका हक है। मेरा प्रस्ताव है कि कि इन बस्तियों को प्लान के जरिये सही ढंग से बसाया जाय और मकान बनाने के लिये जहां-जहां इन्होंने कब्जा कर रखा है वहां पर मकान बनाने की इजाजत दी जाय और पट्टे दे दिये जायें ताकि वे कर्जा ले सकें क्योंकि बिना पट्टों के उनको कर्जा नहीं मिलता, बैंक कर्जा नहीं देती है। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटीज या जमानत का इन्तजाम करना पड़ता है तब कहीं जाकर पचास में से दो, चार को कर्जा मिलता है। वे सुबह मजदूरी के लिये निकल जाते हैं। शाम को मजदूरी करके लौटते हैं और तब कहीं जाकर बच्चों को खिला पिला पाते है। वरना मजदूरी न मिले तो उनके बच्चे भूखे रहते हैं। मेरा कहना यह है कि ऐसे गरीब लोगों, जो कि कच्ची बस्ती में रहते हैं के साथ इन्सानियत का बर्ताव किया जाय और उनकी कच्ची बस्तियों का निर्माण करके उनको पट्टे दे दिये जाय।

तीसरी बात यह है यू.आई.टी. का काम कुछ ऐसा है जो उनको अख्तियारात नहीं हैं वे भी आर्डर खींच मारते है। मसलन यू. आई. टीज. का कन्वर्शन चार्जेज से कोई लेना देना नहीं है। कन्वर्शन चार्जेज रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का सब्जेक्ट है, यू. आई. टी. का सब्जेक्ट नहीं है। हमें कहा गया चांद शहा

134

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

का तकिया, आप सोचते होंगे मैं बार-बार चांद शाह के तकिये की ही बात क्यों करता हूं ? यह हमारी रग का दुख है। हमारे दिलों में इसका बड़ा महत्व है। इसलिए बार-बार कहना पड़ता है और इसलिये बार-बार कहता हूं। यू0आई0टी0 इसकी तामीर की इजाजत नहीं दे रही है। यह वक्फ प्रापर्टी है और इसका मार्केट बनाना चाहते हैं। दुकानें बनाना चाहते हैं। यह मेन रोड पर है। चांदशाह का तकिया जोधपुर की नाक है। उसमें 16 दुकानें बनी हुई हैं और उस वक्त इजाजत मिल गई थी लेकिन इन्टरप्रिटेशन ऐसा किया गया, बाधाएं डालते हैं ये आई ए. एस. अफसर. यह नौकरशाही. ऐसी बाधाएं जिनका उनको अख्तियार नहीं है। कहा गया है कि कन्वर्शन चार्जेज लाओ। यह पचास लाख रुपये बनता है। हमारे पास 50 लाख तो क्या 50 लाख पैसे नहीं हैं और पास से 50 लाख रुपये की मांग की जाती है कन्वर्शन चार्जेज किस बात के ? इसलिए कि इस वक्फ प्रापर्टी को कन्वर्श कर रहे हैं। कानून जानते नहीं हैं बात बनाते हैं और रोड़े अटकाते हैं। कानून यह है कि वक्फ नेचर बदलती है तो कन्वर्शन चार्जेज बनते हैं। जब वक्फ प्रापर्टी की नेचर आज बदलती नहीं है और बार-बार वहीं पुरानी बात दोहरायी जाती है। चाहे कितनी ही मंजिल बनाइ जाय, दुकानें बनाई जाय, किसी के बाप की जायदाद वह नहीं होती। वह जायदाद रहती है वक्फ बोर्ड की। इसके लिए सैन्ट्रल वक्फ एक्ट बना हुआ है। कोई पढ़े तो सही मगर पढ़ते ही नहीं हैं। सैन्ट्रल वक्फ एक्ट बना है। उस वक्फ बोर्ड को यह अख्तियार है कि वह वक्फ की जायदाद को डवलप करे। इसके लिये जनाब उनको समझाया भी गया। जनता पार्टी के जमाने में एक दाड़ी वाले साहब थे। उनको यू. आई. टी. का चेयरमेन जबर्दस्ती बना दिया गया। उन्होंने एक ऐतराज उठाया कि मुकदमे चल रहे हैं इसलिए इसकी तामीर की इजाजत नहीं देनी चाहिये। मुकदमे चल रहे हैं तो हमारे ऊपर चल रहे हैं इससे यू. आई. टी. का क्या मतलब ? हम मुकदमे किरायेदार से लड़ रहे हैं। एक मुकदमा हाइकोर्ट में था उसका फैसला हमारे हक में हुआ। हिज-हाई-नेस जोधपुर से हमने मुकदमा लड़ा उन्होंने समझौता किया और मान लिया कि यह वक्फ प्रापर्टी है और उन्होंने बिना वजह इतने वर्षों तक रखा। उसके बाद उन्होंने रिलीज कर दी वह बोर्ड को दे दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई साहब गये। वहां भी हार गये। यह उन्होंने प्रचार कायम रखा। तो वक्फ की प्रापर्टी के लिए जरा आप सोचें Wakf Property does not belong to any person. It belongs to all. Its management vests in the wakf board.

उसको डवलप करने की जिम्मेदारी है। आप से पहले जो मंत्री थे उनके दिमाग में यह बात थी जो मैंने आपको कहीं। मैंने बहुत कुछ कहा सुना लेकिन नहीं माने। उनका दिमाग नहीं बना। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, उन्होंने कहा देखेंगे लेकिन उनको फुरसत नहीं है। दुख होता है। इसलिए बद्रीप्रसाद जी आपको कहता हूं इसको देख लीजिये। यह सैन्ट्रल वक्फ का लैटर है। इसके अन्दर लिखा है।

"With particular reference to Takya Chand Shah at Jodphur, it may be stated........"

(133)

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

यह Deputy Secretary, Law, Justice and Company Affairs, का लैटर पढ़ रहा हूं :-

"that the matter was raised in The State Assembly of Rajasthn............"

वह उठाया था मैंने।

"and that the muslim Youth Corner, Jodhpur, had submitted a memorandum on this issue to the state government sometime back. The said memorandum, a plea was made for permission for construction of a building on the wakf land."

आप देखिये आर्डर नं0 3600 तारीख 4.-7-77 जनता पार्टी के टाइम का यह आर्डर है उसको कैन्सिल करिये और इसको इजाजत तामीर दीजिये मैंने टाइम बांधा था। 15 दिन के अन्दर इसकी इजाजत नहीं मिली तो मैं खड़े रह कर इसको बनवा दूंगा। मैं जोधपुर इसलिये गया था। दो दिन पहले मुझे यह उनका लैटर आया है सैन्ट्रल वक्फ कोन्सिल का, सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का इसलिये आप यह बताइये मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को। अब इस मामले में कोई शुबहा, शंका की बात नहीं रही है। यह वक्फ प्रापर्टीज के डवलपमेन्ट का काम है और वह केवल वक्फ बोर्ड ही कर सकता है। न कोई सरकारी महकमा कर सकता है, न कोई यू. आई. टी. कर सकती है, न आपके चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। इस एक्ट में साफ लिखा है कि कोई आटोनामस बाडी दखल नहीं दे सकती है इसके अन्दर। यह देखें याद रखिये-यह चांद शाह का तकिया इससे हम को 80,000 रुपये की आय होगी और इतनी आमदनी होने का हमारा अनुमान है और उससे हम कालेज चलाएंगे। आपसे इसके लिए अनुदान नहीं ले रहे हैं इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? कालेज उसकी आमदनी से चलेगा। कालेज बन रहा है। 25 लाख का एस्टीमेट है भीख मांग कर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। परन्तु आप हमारी डिफिकल्टीज को नहीं समझते हैं। मेहरबानी करके इसका फौरन इन्तजाम करें और जल्दी से जल्दी इजाजत तामीर यू0आई0टी0 से दिलावें। यह आपके मिनिस्टर साहब को पत्र पढ़वा चुका हूं और यह मैं सदन की टेबल पर रखता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये से जो मैंने रखा है, हमारी मांग पर यह इजाजत होनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, मुझे जाना है इसलिए आप पहले अनुमति दे दें.........

श्री सभापति : आपका नाम नहीं भेजा गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: नाम कौन भेजेगा? मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। भेजने वाला कौन है? हमारे कटौती प्रस्ताव आ जाते हैं तो हमें अधिकार है बोलने का। मैं चीफ व्हिप की चमचागिरी नहीं करता हूं। यह तो हमारा अधिकार है। जब मेरा कटौती प्रस्ताव है तो पांच मिनट बोलने दीजिये। ज्यादा बोलना भी नहीं आता है।

श्री सभापति : श्री ताम्बी जी बोल जायें उसके बाद में....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया, मैंने भी कट मोशन दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप श्री रतनलाल ताम्बी को बोलने दें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मेरे पांच मिनट खराब हो गये हैं। सभापति महोदया, आज की तीन मांग हैं उनके ऊपर क्रमश : अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। ट्राइबल सब प्लान के जो कार्यक्रम हैं उस में कुछ इस समय विशेष विकास चलता है। जबकि राजस्थान में

एक माननीय सदस्य : मेरा पहले था।

श्री सभापति : काफी समय पड़ा है माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : कई हिस्सों में बढ़ती हुयी जनजाति की आबादी विद्यमान है। मेरा सबसे पहले यह सुझाव है राज्य सरकार को कि राजस्थान में जितनी जनसंख्या है जनजाति की उस प्रतिशत के हिसाब से जितनी जनसंख्या उस ग्राम में मौजूद है या उस पूरे क्षेत्र में मौजूद है या उस पंचायत समिति में उतनी प्रतिशत जनसंख्या है, उस सारे क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करके लाभान्वित करने की आवश्यकता है। जैसा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिससे मैं आता हूँ, लगभग 30 प्रतिशत आबादी उस क्षेत्र में है। वे लोग आदिवासी हैं, वहाँ उस खण्ड भी कायम किया हुआ है, मगर केवल नाममात्र के लिये भीलवाड़ा की एस0एफ0डी0 के अन्तर्गत कार्यक्रम चलता है जिससे कुछ कुओं को पैसा मिला है इसके अलावा और कुछ इसमें प्रगति नजर नहीं आती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस दिशा में इस तरह के क्षेत्र सम्मिलित करके इसमें चिकित्सा सुविधा, आयुर्वेदिक औषधालय, डिस्पेंसरी, एनीकट्स, हैंड पम्प पेयजल की योजनायें इस तरह के इलाकों में चालू करें।

इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है कि जहां पर 30 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं उस क्षेत्र में विभाग की तरफ से कोई अधिकारी होना चाहिये ताकि वह सारी समस्याओं को देख सके और कार्यक्रमों को लागू कर सके। इस प्रकार के लोगों को उद्योगों में लेने की दृष्टि से मेरा सुझाव है कि जो भी उद्योग करना चाहे उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अनुदान व ऋण उपलब्ध कराया जाय बैंकों और दूसरे जो साधन है फायनेंस कारपोरेशन में अनपढ़ भोले भाले आदिवासी नहीं पहुंच पाते हैं इसलिये एक ही एजेन्सी एक ही विभाग की आवश्यकता है। दूसरा सुझाव, मैं यह देना चाहूंगा कि इस देश में गरीबी मिटाने की बात की जाती है कई कार्यक्रम हैं जो अलग-अलग डिपार्टमेंट के जिम्मे हैं वे पूरी तरह उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिये सभी प्रकार के काम जहां आदिवासी हैं, राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात से एक पंचायत समितियों में हैं, वहां पर इस योजना का अधिकारी हो इस योजना को कार्यान्वित किया जाय। इसके अलावा मैं मोटे तौर पर समाज कल्याण विभाग के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा इस विभाग ने कुछ आदिवासी क्षेत्र में काम जरूर किया है और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में इसका काम जरूर नजर आता है परन्तु सम्पूर्ण राजस्थान में तो नहीं है। सम्पूर्ण राजस्थान इस विभाग

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की नजर में नहीं है लिहाजा मेरा निवेदन यह है कि जैसे जिस क्षेत्र में 30 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है वहां पर आदिवासियों के लिये छात्रावासों की बड़ी भारी कमी है। इसलिये सुझाव के तौर पर जहां पर सैकण्डरी स्कूल हैं और उस गांव के चारों ओर आदिवासी रहते हैं वहां पर, गांव के नाम निवेदन करूंगा और मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष के बजट में वहां पर छात्रावास खोलेंगे। वे हैं टीकड़, आगरवासी, लाहारोकलां लुहारीकलां इनमें लाहोरी और टीकड़ में 95 प्रतिशत जनसंख्या ट्राइबल की है ऐसे गांवों में आज के दिन छात्रावास न होने से वहां के बच्चों को पढ़ने के लिये बड़ी तकलीफ होती है और गरीबों के बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह काम किया जाय।

समाज कल्याण विभाग की ओर से कई बस्तियां जो एस0सी0 और एस0टी0 की होती हैं पेयजल के लिये बिजली के लिये पैसा दिया जाता है परन्तु इन पर इन पैसों को काम में नहीं लिया जाता है कहीं और ये पैसे लग जाते हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि इसका कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये। पंचायत समिति लेवल पर हर वर्ष बिजली और पानी देने के लिये ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ साथ मेरा सुझाव है नगरपालिका के एस0 टी0 के वार्डस के बारे में है। नगरपालिकाओं को ग्रांट कम दी जाती है इसलिये वे कोई काम नहीं कर पाते हैं इसलिये समाज कल्याण विभाग को ऐसे जो एस0टी0 के वार्ड्स हैं वहां पर सड़क बनाने के लिये, पेयजल उपलब्ध कराने के लिये बिजली लगाने के लिये अपने फण्ड से व्यवस्था करें ताकि इन क्षेत्रों का का समग्र विकास हो सके।

एक मेरा यह भी सुझाव है कि जहां इतनी जनजाति की जनसंख्या है वहां पर सरकार की ओर से गरीबों को निशुल्क पैरवी की जो योजना है वह कोई कारगर नहीं हो पा रही है। इसलिये विभाग के तौर पर मेरा यह निवेदन है कि जहां पर लगभग 30 से 50 प्रतिशत को जनसंख्या हो वहां सरकारी सहायता या अनुदान देकर या मासिक वेतन 500 या 700 या जो भी सरकार निश्चित करे देकर एक कानूनी सलाहकर उस इलाके में नियुक्त होना चाहिये ताकि जो छोटी मोटी समस्यायें आती हैं उसकी उनको सलाह मिल जाय। लिखने पढ़ने का काम किया जा सके। ये मेरे कुछ शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के ट्राइबल सब योजना के सुझाव थे। अब मैं नगरपालिका के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा और फिर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदया, राजस्थान सरकार का बजट घाटे का बजट है और इस बजट में इस बार विकास की गति में शिथिलता या कमी आयी है उस दृष्टि से मेरे कुछ सुझाव हैं। बड़े-बड़े शहरों में कृषि भूमियों की जिस प्रकार अन्धाधुन्ध खरीद करते हैं बड़े लोग और उनके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग व्यक्तियों को भारी मात्रा में बेचा जाता है। भीलवाड़ा में पिछले चार वर्षों में जनता पार्टी के राज में भी धमाल खूब चली और आज भी आपके साल भर के शासन में चल रही है। बड़े नेताओं ने कृषि भूमि खरीदी और खरीद कर भूखण्डों को काटने का काम

(श्री रतनलाल ताम्बी)

शुरू कर दिया। भीलवाड़ा के बड़े नेता ने एक खेत खरीदकर विभिन्न लोगों के प्लाट काटे हैं और एक रात में पांच-पांच लाख रुपये एक व्यक्ति कमा लेता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य के गरीब लोगों को भी भूखण्ड मिलने चाहिये और सरकार का खजाना भी भरे इस दृष्टि से मेरा सुझाव है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इस तरह बड़े शहरों में वहां से 10-10 माइल के एरिया में जहां पर भी कृषि भूमि बेची जायगी तो वह तब तक नहीं बेची जायगी जब तक कि वह अनुबंध नहीं कर देगा कि वह इस पर खेती ही करेगा और भूखण्ड काटे नहीं जायेंगे। अगर काटे जायेंगे तो जो आवासीय दरें हैं वहां उसके हिसाब से डवलपमेंट चार्ज और कन्वर्शन चार्ज उसी व्यक्ति से वसूल किया जायगा। यह आप करें ताकि इस तरह के जो घपलेबाजी हो रही है वह दूर हो सके। इसमें मैं चाहूंगा कि 25 प्रतिशत 30 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोगों को कम कीमत पर फिक्स कीमत पर दिया जाना चाहिये। जिनके पास पैसा है वे आज भीलवाड़ा में भूखण्ड खरीद रहे हैं और गरीब झोंपड़े में रह रहा है। इसलिये इस तरह की व्यवस्था हो कि जो भूखण्ड बेच रहा है उससे कुछ प्रतिशत सरकार लेकर उनको वाजिब कीमतों पर बेचे। सरकार इस तरह की व्यवस्था करे ताकि जो लोग इस तरह की खरीद फरोख्त करते हैं वे अपना धन्धा बन्द करके चले जायें इस तरह की कठिन से कठिन व्यवस्था करें और राज्य सरकार ऊंची दरें चार्ज करें मेरा सुझाव है। मेरा विश्वास है कि कि इससे 20-25 करोड़ सरकार के खजाने में आ सकता है। आज के दिन यह कार्यक्रम तेजी के साथ चल रहा है मंत्री महोदय की आंख के नीचे जयपुर शहर में और आस पास कितनी कृषि भूमि बेची जा रही है, लोग बेच रहे हैं क्या क्या हो रहा है यह आप रोकें और राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनायें। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि नगर पालिकाओं में भी आज के दिन जितनी आबादी का विस्तार हो रहा वहां पर नाजायज निर्माण हो रहे हैं इसके लिये आपको प्रत्येक नगरपालिका में हर जिले में टाउन प्लानर भेजकर मास्टर प्लान बना दें और उसके हिसाब से ही उस नगर का विकास किया जाना चाहिये। इस ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

साथ ही साथ जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप चुनावों से क्यों डरते हैं नगरपालिकाओं, परिषदों, पंचायत समितियों, सहकारी संस्थाओं के चुनाव करायें ये जनता की संस्थाये हैं इनको आप नौकरशाही के हवाले मत करो जिससे राजस्थान के धन का दुरुपयोग हो विकास रुक रहा है जनता का विनाश हो रहा है। ये जनता की संस्थाये हैं मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय आज ही यह घोषणा करें कि नगरपालिकाओं के चुनाव 81 में करा दिये जायेंगे। यह नहीं कि खाली घोषणा कर दें कि चुनाव करा देंगे और फिर अगली बार कोई बहाना करके इसको टाल दें। राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव दिसम्बर के अन्त तक हो जाने चाहिये नयी जनगणना भी तब तक हो जायगी और नये वार्डस का गठन भी हो जायेगा दो चार महीने टाल दें तो कोई बात नहीं है पर दिसम्बर के महीने तक जरूर करा दें। इस बात की घोषणा करें और विश्वास दिलायें कि ऐसा आज ही करेंगे। ऐसी आशा करता हूं।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के ऊपर भी कहा और आपसे भी कहना चाहता हूं कि जिस नगर पालिका में एस.टी. के वार्ड्स हैं उनके लिये आप अलग से पैसा दें यह कहिये कि उन्हीं वार्डों में सड़क बनेगी उन्हीं वार्डों में पेयजल की व्यवस्था होगी बिजली लगेगी। होता यह है कि यह पैसा इधर उधर लग जाता है और एस0टी0 की बस्तियां गन्दी हैं, रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है। इसलिये इसको इन्टीगेट करते हुए ही पैसा दें जिससे कि इन वार्डों का विकास हो सके।

इसके साथ ही मैं आप पर यह आरोप लगाना चाहूंगा कि ग्रान्ट देने में भेदभाव बरता जा रहा है। नगरपालिकाओं में किसी को दो लाख, किसी को पांच लाख दिये जा रहे हैं, वहीं पर कई नगरपालिकाओं को दस हजार और पांच हजार दिये जा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : "सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि सदन की आज की कार्यवाही का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय। 7 बजे तक तो डिबेट में माननीय सदस्य भाग ले सकते हैं, और 7 बजे से 8 बजे तक मन्त्री महोदय का उत्तर होगा।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय आठ बजे तक बढ़ाया जावे ?

(स्वीकृत)

समय आठ बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 30, 33 व 29 पर विचार

श्री रतनलाल ताम्बी : नगरपालिकाओं को ग्रान्ट देने के लिए एक निश्चित और समान नीति लागू की जानी चाहिये ताकि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो। यदि ऐसा होगा तो राजस्थान में इसका स्वागत होगा। इस लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, यह मेरा आपसे आग्रह है। इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना भी चाहता हूं कि न्यास को आपने पंगु बना रखा है जबसे नगर न्यास बने हैं, शहरों में कोई पता नहीं, कहीं पता नहीं, कहां पर कौन किस प्रकार का निर्माण कर रहा है, कहां कौन कब्जा कर रहा है, इस धांधली को रोकने के लिए जिस नगर की 50 हजार से जनसंख्या ज्यादा है वहां पर नगर विकास न्यास इफेक्टिव करें जब तक चुनाव नहीं हो। उसमें ऐसे लोगों को लगाना चाहिये जो नगर के विकास में रुचि रखते हों, चाहे वह किसी भी दल के हों। दलीय भावना से ऊपर उठकर इस तरह की व्यवस्था आप करेंगे यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसके अलावा सभापति महोदया, मैंने निवेदन किया कि नगरपालिकाओं की हालत आर्थिक दृष्टि से भी बहुत चिन्ताजनक है। उनकी आय के स्रोतों का विकास करना चाहिये। नगरपालिकायें मण्डियां बनाना चाहती हैं, कुछ दुकानों का निर्माण करना चाहती हैं, इसके लिए राज्य सरकार गारन्टी दे और उसको ऋण उपलब्ध करायें। ताकि वे पैसा जुटाकर अपने आर्थिक स्त्रोत बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है कि समाज कल्याण, जनजातीय विकास, और नगरपालिकाओं के बारे में आप गम्भीरता से विचार करें, समय के अभाव में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदया, हमारा नाम भी है,

श्री नन्दलाल मीणा : हमारा भी है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं कि कांग्रेस (आई) को अब तक 68 मिनट का समय दिया है और आप लोगों को 55 मिनट का ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : मैं दो मिनट बोलूंगा ।

सभापति महोदया, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में अनुरोध करना है कि सर्वप्रथम तो मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, अभी जहाजपुर के माननीय सदस्य भीलवाड़ा के मास्टर प्लान के बारे में बात कर रहे थे, मैं माननीय मन्त्री जी से यह अर्ज करना चाहूँगा कि जयपुर का मास्टर प्लान बन गया, बनकर प्रकाशित भी हो गया, प्रकाशित होकर उसका सत्यानाश हो गया, वह कहां गया, कैसे कहां क्रियान्वित हो रहा है, उसके बारे में आज कोई जानकारी नहीं है और मन्त्रीजी आपकी नाक के नीचे, जयपुर शहर की जो स्थिति और मास्टर प्लान को जिस प्रकार बिगाड़ा जा रहा है उसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इस सम्बन्ध में दो तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री नन्दलाल मीणा : आप ही के लोगों ने किया ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका और मेरे लोगों का सवाल नहीं है, सवाल जनता का है ।

1940 में इस शहर की जनसंख्या 80 हजार थी और 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या सवा छः लाख हुई और 1981 के जनगणना के आंकड़ों में इस शहर की आबादी 11-12 लाख के आसपास पहुंचेगी । आपने नगर विकास न्यास बनाया । 15 सालों में अबकी बार, इस बात के लिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि 18 हजार भूखण्ड वितरित किये जा रहे हैं, इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा । लेकिन यह ऊंट के मुंह में जो जीरा डाला है उसके लिए निवेदन करूंगा कि आप स्वयं भी आत्म निरीक्षण करें । 1972-73 में हाउसिंग बोर्ड में साढ़े उन्नीस हजार एप्लीकेशन्स आईं, 73 में जो रजिस्ट्रेशन किये गये उनका 81 तक भी आप निपटारा नहीं कर पाये । इसके अलावा 18 हजार प्रार्थना पत्र नगर विकास न्यास के पास थे, उनको एक झटके से रद्द कर दिया गया, और वे वहां के वहां रह गये । मैंने आबादी का जिक्र इस दृष्टि से किया कि जिस गति से आबादी बढ़ रही है आवास की समस्या का हल भी उसी गति से तेज करना चाहिये । मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें हम लोग पूर्णतया विफल रहे हैं । इस सारे सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 9 हजार

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बीघा जमीन के लिए नोटिसेज निकाल रहे हैं। विद्याधर नगर की योजना के लिए लगातार 73 से कहते आ रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या हुआ, इनका कोई ठिकाना नहीं है। 20 अगस्त, 1971 को जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जब यह मांग की गई थी कि कच्ची और गन्दी बस्तियों के लोगों को जमीन के मालिक के अधिकार दिये जाने चाहिये और हमारे उस सजेशन के आधार पर उस समय के मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां साहब ने इस बात की घोषणा की थी कि 31 अगस्त 1971 तक जो आदमी जिस जगह पर बैठा है उसको वहीं पर बसाया जायगा और उसको पट्टा दिया जायगा। उसके अनुसार बस्तियों का विकास कार्य शुरू हुआ, उनमें सड़कें बनाई गईं, नालियां बनाई गईं, बिजली लगाई गई और एक योजनाबद्ध तरीके से इस शहर को ठीक करने का कार्यक्रम चला लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि 1977 तक यह अभियान चलता रहा, हजारों लोगों को हमने भूखण्ड दिलवाये, 1977 से 1980 के साथ दौरान तक। अब यह कार्य बिलकुल ठप्प पड़ा हुआ है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि कहीं पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है और उसके बाद आज स्थिति यह है कि 25 हजार से ज्यादा झोंपड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है। आज गरीब लोग रोजगार के अभाव में गांव से शहरों में आते हैं तो सर ढकने की कोशिश करते है। उनको सर ढकने को जगह चाहिये। लेकिन कुछ ऐसे बदमाश लोग भी हैं जो कच्ची बस्तियों में सरकारी जमीन को पैसा लेकर बेच रहे हैं। हम बार बार अधिकारियों से अनुरोध करते हैं, आपके चेम्बर में भी मीटिंग हुई, कई बार रोष किया हमने इस बात का कि ढाई सौ वर्षों पहले जिस सुन्दर ढंग से इस शहर को बसाया गया, कृपा करके उसको बर्बाद मत करो। इस शहर को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग इसकी प्रसंशा करते हैं. यहां की चौड़ी सड़कों की, और आज हालत कहां जा रही है, यह शहर कहां जा रहा है, किस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं ? जगह जगह जहां पर अपने रिहायशी भूखण्ड किये हैं वहां पर लगातार मार्केट बनते जा रहे हैं, आपने जहां पर मार्केट की जगह छोड़ी वहां पर कौए उड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जयपुर शहर का विकास एक प्लान्ड वे में होना चाहिये। ढाई सौ वर्ष पहले जिस शहर का एक सुन्दर ढंग से विकास किया गया उसको बर्बाद होने से बचाइये।

माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं नगर परिषद् के अध्यक्ष रह चुके हैं, और शहर से आपका वास्ता रहा है, शहर की समस्याओं को आप समझने वाले है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैंने जो बातें कहीं हैं, जयपुर में ठीक ढंग से विकास किया जाय, इसके लिए आवश्यक है कि जयपुर डवलपमेन्ट अथोरिटी की स्थापना की जावे। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सन् 1973 में बताया गया कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, लेकिन यह कब तक विचाराधीन रहेगा। इसी प्रकार से 1976 में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि सब कुछ फाइनेलाइज हो गया है और दो-चार दिनों के अन्दर ही घोषणा होने वाली है परन्तु पता नहीं किस रद्दी की टोकरी में वह पड़ी रही और जयपुर डवलपमेन्ट आथोरिटीज भी, वह नहीं बन पायी। आज जयपुर शहर में पांच एजेन्सीज वर्क कर रही हैं, कहीं पर म्युनिसिपैलिटी काम करती है, यू. आई. टी. काम

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

करती है, कहीं पी. डब्ल्यू. डी., कहीं पी. एण्ड टी. कहीं वाटर वर्क्स, कहीं बिजली वाले काम करते हैं और नतीजा यह होता है कि आज एक तरफ सड़क बनती है तो टेलीफोन वाले उसको खोद कर चले जाते हैं, इस बात का हमारे मन में बहुत दुख होता है कि किस प्रकार से क्रिमनल वेस्टज इस ढंग से हो रहा है। कल आपने सड़क बनवाई, आज वह टूट रही है। परसों उस पर और तीसरी चीज के लिए काम हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जिसके कारण यह काम नहीं निपटा पा रहे हैं और किस टोकरी के अंदर जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी को दबा रखा है। मुझे एक शिकायत और है। यहां पर विश्व बैंक की तरफ से सीवरेजलाइन के लिए साढ़े सात करोड़ सैंक्शन हुए। भंवरलालजी शर्मा पधार गए जो पहले स्वायत्त शासन मंत्री थे उन्होंने अपने इलाके का तो तय करवा लिया और उस जमाने में नगर विकास न्यास के अध्यक्ष, जिस इलाके से मैं आता हूं किशनपोल बाजार भरा, नाहरी का नाका खाली, पूरा बनी पार्क खाली, सिंधी कालोनी खाली, कहीं पर एक पैसा भी गटर लाइन के लिए इस योजना के अंदर नहीं दिया....

श्री सभापति : यानि आप कमजोर एम. एल. ए. हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब नहीं हूं मैं कमजोर साल ढाई के अंदर उस जमाने की बात कर रहा हूं। जब मुझे आपका संरक्षण प्राप्त है तो मेरी कमजोरी अपने आप गायब हो जायेगी। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिये। वहां पर मैंने कई बार अधिकारियों से अनुरोध किया। भाई ने हमें नार्थ पोल आखिर कौन से जोन में आते हैं और कुछ हिस्सा साउथ पोल में आता है। दो जोन्स बने। नार्थ जोन में केवल पुरानी बस्ती ले ली गई, साउथ पोल में बाहर का इलाका सारा ले लिया गया। मैं दलगत राजनीति में नहीं जाना चाहता, भंवरलाल और भार्गव के क्या संबंध थे, इस पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मेरी तकलीफ यह है कि आज मैंने कोशिश करके गटर लाइन की बात तय कराई, म्युनिसिपैलिटी से टेन्डर्स करवाए, तो यहां जयपुर शहर में डायरेक्ट लोकल बाडीज, मैंने मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, से सैंक्शन आने में 4 महीने लग गए, वही जयपुर में म्युनिसिपैलिटी का आफिस और जयपुर में ही लोकल बाडीज की आफिस। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं इन सवालात को हल करने के लिए मुस्तैदी से आपको फैसले करने पड़ेंगे। जयपुर शहर में यहां पर 32–33 दिन की दो हड़तालें चलीं, यहां पर शहर सड़ता रहा और मैंने जब अनुरोध किया, सारी बात के लिए बैठकर उच्च स्तर पर तय हुआ कि हमें सारे शहर को मैकनाइज्ड मीन्स से इक्विप करना चाहिये ताकि यह गंदगी नहीं फैले। आज हरिजन का बच्चा मेरे बच्चे के साथ पढ़ता है आज शिक्षा दीक्षा पर जोर दे रहे हैं, कल आपके सामने सवाल आयेगा कि झाड़ू से काम करने वाला वर्ग, इस वर्ग को इस काम से मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन मैकनाइज्ड मीन्स को एडाप्ट करें। हमारे साढ़े पांच करोड़ के बजट की यह जयपुर की नगरपालिका है वहां सीवरेज लाइन को साफ करने की मशीन बड़ी मुश्किल से हमने खरीदवाई, वाटर वर्क्स से उधार दिलवाई और जब वापस आई तो वह खराब पड़ी है लोगों को डेढ़-डेढ़ फुट

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
गंदे पानी में चलना पड़ता है और लोग हमें गालियां निकालते हैं जब गटर लाइन के उनको छीटे लगते है, ऐसी बुरी हालत है। मेहरबानी करके सारी बात को देखें कि किस प्रकार से हम नगर परिषद् और नगर विकास न्यास को ठीक कर सकते है, हमारे बुजुर्ग अहमद बक्श सिंधी सही फर्मा रहे थे। आज जयपुर यू० आई० टी० के चेयरमैन कलक्टर है, उनको याद भी नहीं होगा कि कौन-कौनसी कमेटियां उनके पास है और हम लोग जो जन प्रतिनिधि है, जिनके सारे काम ही हमारे जिम्मे है क्योंकि हम शहर के प्रतिनिधि है, हमारी कहीं उसमें योगदान नहीं।

मेरी समझ में नहीं आता आप जन प्रतिनिधियों को क्यों टाल रहे हैं। हम सब मौजूद थे। हमने एक फैसला करवाया था, एक बड़े अधिकारी का केस रेगूलेराइज कर रहे है एक हजार पेनल्टी लगाकर तो जनरल फैसला करना पड़ेगा। इसलिए हमने करवाया आज भी मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हू कि शहर में कृषि भूमि पर मकान चाहे कच्चा बास्तियां हों, झोपड़ियां हों उनको रेगूलराइज करना होगा, जिम्मेदारी सरकार की है। हमने इस बात के लिए वायदा किया था कि हम हर कीमत पर देश के नागरिक को रहने के लिए मकान की व्यवस्था करके देंगे आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, भूखंडों का आवंटन नहीं किया, आपने लोगों के रहने के लिए व्यवस्था नहीं की, लोगों ने झोपड़ियां बनाई, ऐसी परिस्थियों में बनाई जिन पर आप देखेंगे, आश्चर्यचकित होंगे। आज जयपुर शहर में कई एक मील से पानी ला रहे हैं, कोई टीबे में बैठा है, कोई नाले में और लगातार झोंपड़ियों पर कब्जे करते जा रहे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से उस समय फैसला हुआ था कि 21 अगस्त, 1971 को जो जहां बैठे थे वहां रहने के लिए उनको अधिकार दिये गए थे, वहां सड़क और बिजली पहुंचाई गई थी, पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी, मेरी मांग है मंत्रीजी से कि आप इन लोगों को बसाने की कृपा करके घोषणा करें कि हम यहां इस तारीख पर जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उनको रेगूलेराइज कर देंगे, और इसी के साथ-साथ मैं एक अनुरोध और करूंगा। विद्याधर नगर योजना 5 हजार भूखण्डों की योजना है। 9 हजार बीघा जमीन के आपने जो एक्वीजीशन नोटिस दे रखे हैं, अगर आप उनको क्रियान्वित करते हैं तो निश्चित रूप से मानकर चलें कि जयपुर शहर की रिहायशी समस्या हल कर देंगे लेकिन उसके लिए बड़े मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। अभी तो आप 7 साल में फैसला नहीं करवा सके कि विधायक नगर फायरिंग रेंज की जो जमीन ले रहे हैं उसके एवज में कौनसी जमीन दे रहे हैं। अभी तो यही फैसला नहीं हो रहा है और लगातार प्रयत्न करने के बाद भी उस बारे में आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

मेहरबानी करके शहर के विकास कार्यक्रम को हाथ में लीजिए। अभी भी शहर के अंदर 19 पर्सेन्ट लोग, इस राजस्थान की शहर की आबादी आपके जुरिस्डिक्शन में आती है तो ये 19 पर्सेन्ट जो रोजगार के अभाव में गांव छोड़कर रहने के लिए शहर में आते हैं उनको बसाने की समुचित व्यवस्था करें।

एक बहुत बड़ा मसला कृषि भूमि के बारे में भी आता है। कृषि भूमि पर हजारों

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मकान जयपुर शहर में बने हुए हैं। मेरी हमेशा इस बात की मांग रही है कि इसको रेगूलेराइज किया जाय। आज कृषि भूमि के 25 हजार मकानों से आप रेगूलेराइजेशन फीस के कम से कम 5 करोड़ रुपये वसूल कर सकते हैं और 5 करोड़ को लेकर आप इनके विकास का अच्छा काम करवा सकते हैं लेकिन सारे काम को कौन करेगा? यहां के जिलाधीश जिसके तहत 37 कमेटियां हैं। क्या आप समझते हैं वह सारे काम पूरे कर पायेगा? यह सही है मैं मानता हूं कि अपने आई० ए० एस० आफिसर हैं और इस बिरादरी के हैं जो सारे रोगों की दवा है और रामबाण दवा है, उनसे चिढ़े रहने से पार नहीं पड़ती। क्योंकि मुझे आई० ए० एस० अधिकारियों से काम करवाने पड़ते हैं, वह बात नहीं कहूंगा लेकिन उनके दिमाग में एक दृष्टिकोण बन गया है। कृपा करके इस दृष्टिकोण को बदलिए। जन प्रतिनिधि जो जनता से चुनकर आता है उनको जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है, आप और हम जन प्रतिनिधि होने के नाते ही इस सदन में बैठे हैं। हम राज व्यवस्था कर रहे हैं। शहर के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? न नगरपालिकाओं के चुनाव कराते हैं न यू० आई० टी० के अंदर जन प्रतिनिधियों को बिठाते हैं न डवलपमेंट अथोरिटी की तरह कोई चीज बनाते हैं, फिर किस ढंग से सारे विकास के काम होंगे? तो मैं ओरिजनल बात अर्ज कर रहा था कृषि भूमि पर मकानों के बारे में, सहकारी समितियों के माध्यम से जिन्होंने मकान बनाये हैं, मेहरबानी करके उनसे पैसा लेकर रेगूलेराइज करें और यह सही है कि आज सारे मामले में भ्रष्टाचार है, आप मेहरबानी करके इसको भी देखें कि किस ढंग से किस-किस प्रकार से यहां पर जो लोग जरूरतमन्द हैं उनके पास जमीन नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं हैं और किस प्रकार दूसरे लोग अनुचित मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और कैसे सारा काम हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में हमने अर्बन सीलिंग का प्रावधान रखा, अर्बन सीलिंग को लागू करके एक तरफ हमने बड़े लोगों को नाराज किया दूसरी तरफ छोटे लोगों को क्या दिया? आपने अर्बन सीलिंग में कितनी जमीन प्राप्त की? मैं यह भी जानना चाहता हूं और अधिकारपूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि अर्बन सीलिंग विभाग आज भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बना हुआ है?

सभापति महोदया, वहां पर आज बकायदा पैसे तय करके काम किया जाता है अभी एक सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला हुआ है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान या झोंपड़ी बना ली है उनको सर्टिफिकेट पेश करने के बाद में रेगूलेराइज कर दिया जाए। आज जयपुर के कई लोग पैसे देकर, पांच रुपये में फर्जी सर्टिफिकेट लाकर अपनी जमीनों को रेगूलेराइज करा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार खुद यह चाहती है कि गरीब लोगों को मकान दिया जाए और कानून भी बनाया है तो आपको उनकी जमीन को रेगूलेराइज करने में क्या दिक्कत है? सभापति महोदया, आज जयपुर शहर में यह हालत है कि एक व्यक्ति एक ही दुकान में रहता है। उसका सारा परिवार भी उसी दुकान में रहता है, उसी में उसका भोजन बनता है और सारे काम भी उसी में होते हैं तो यह कहां तक उचित है?

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

एक तरफ आप समाजवाद की बाते करते हैं, आपकी तमन्ना भी गरीब लोगों को मकान देने की है फिर क्या बात है कि आप उनको वहां पर रेगूलेराइज नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदया, यहां आपको एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सन् 1968 में जयपुर में भंगी कष्ट मुक्ति आंदोलन के लिए राज्य सरकार ने कुछ रुपये दिये थे। उसके तहत हमने बड़े प्रयत्न और बड़ी कोशिश करने के बाद में उन लोगों के लिए 568 मकान बनाये। एक बात मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे यहां पर आज भी अपने सिर पर एक इन्सान किसी इन्सान का मैला ढोता है। यह एक बहुत बड़ा अभिशाप हमारे लिये है कि एक इन्सान किसी दूसरे इन्सान का मैला अपने सिर पर ढोये। आप इतनी योजनाएं बना रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि और कुछ नहीं तो राजस्थान के चार-पांच जो बड़े-बड़े शहर हैं वहां पर तो आप ऐसी योजनाएं बनायें जिससे कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो जाय। अगर आप इस प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले जयपुर शहर में गटर लाइन डालनी पड़ेगी। जब तक गटर लाइन नहीं पड़ेगी तब तक यह प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। सभापति महोदया, मुझे याद पड़ता है जयपुर शहर में जब हड़ताल हो रही थी, तब हम तीनों ही विधायक जयपुर शहर के बैठे हुए थे मुख्य मंत्रीजी के पास उस वक्त मुख्य मन्त्रीजी ने अधिकारियों से कहा था कि मैं जानना चाहता हूं कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को फुल्ली मैकनाइज्ड करने के लिये क्या-क्या साधन चाहिये। इसके लिये रोज-रोज इन हड़तालों को फेल करना पड़ता है। खैर उस वक्त हुक्म तो हुआ, योजना बना ली जाय पर उसके बाद में अभी तक आगे को कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदया, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में जगह-जगह गन्दगी फैली हुई है। जब मैं जयपुर नगर परिषद् में सफाई कमेटी का चेयरमैन था उस वक्त हालत यह थी कि शहर में सफाई के लिये 63 ट्रक और ट्रैक्टर्स थे। पर आज स्थिति यह है कि जयपुर नगर परिषद् में सिर्फ सफाई के लिये 38 ट्रक और ट्रैक्टर्स हैं। आज आबादी बढ़ गई एरिया बढ़ गया। इसके अलावा पहले नगर परिषद में दो हजार कर्मचारी थे अब वह भी बढ़कर चार हजार हो गये। इसके अलावा शहर में जो मैला होता था उसका खाद बना कर बेचा जाता था। पर अब वह एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को फोकट में दे दी जाती है।

इसके अलावा जयपुर नगर परिषद का कुल बजट साढ़े पांच करोड़ का है जिसमें से दो करोड़ रुपये चुंगी से नगर परिषद को प्राप्त होते हैं। आपने चुंगी को समाप्त करने की बात कही थी उस वक्त भी मैंने यह कहा था कि नगर परिषद् के पास चुंगी के सिवाय पैसा आने का क्या साधन है? इसके अलावा जो मनोरन्जन कर का साधन था वह आपने पहले ही ले लिया। उसके बदले आप उन्हें देते क्या हो? सिर्फ 25–30 लाख रुपये जबकि आपको जयपुर शहर से मिलते हैं सवा करोड़ से लेकर डेढ़ करोड़ के बीच में। जयपुर शहर की हालत क्या है? गलियां सड़ रही हैं जगह-जगह सड़क खराब हो रही है, गटर का पानी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जगह-जगह निकल रहा है। इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था यह है कि आप कच्ची बस्तियों के लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने वाले हैं नहीं। वहां पर पानी की व्यवस्था के लिये नल लगाने को कहते हैं तो आप यह कह देते हैं कि जिन बस्तियों का सर्वे नहीं हुआ है वहां पर कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे। वहां पर पानी के नल तो लगे हुए हैं लेकिन कोई नये कनेक्शन लेना चाहता है उसको आप देने को तैयार नहीं होते हैं। आप लोगों को मुफ्त पानी तो दे सकते हैं लेकिन कनेक्शन देने को तैयार नहीं हैं। अगर आप उनको कनेक्शन दें तो राज्य सरकार को लाभ हो सकता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1975 में हमने प्रयत्न करके दो हजार कनेक्शन केवल एक बस्ती में दिलवाये। इस प्रकार राज्य सरकार को 16 लाख रुपये का लाभ हुआ। आज जयपुर में 25 हजार झोपड़ियां बनी हुई हैं। वहां पर पी. एच. ई. डी. के नल लगे हुये हैं, लेकिन आपने कनेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं की है। लोग फ्री पानी पी रहे हैं। इसी प्रकार मैं बिजली के कनेक्शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि उनको बिजली के कनेक्शन दिये जाएं।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज उन कच्ची झोपड़ियों में कौन बैठे हैं? वह लोग हैं जो कि हरिजन हैं, गरीब हैं या वह लोग हैं जो कि माईनोरिटी के लोग हैं। अब आप अगर बिजली पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो आप क्या अहसान करते हैं। यह तो आपकी ड्यूटी है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उन कच्ची बस्तियों को रेग्यूलेराइज कराकर उनकी व्यवस्था करावें।

इसके अलावा मैं एक बात और, सभापति महोदया, निवेदन करना चाहूंगा वह है जौहरी बाजार के पास संजय मार्केट के बारे में, हमने पहले इन्दिरा मार्केट बनवाया। जो गन्दे नाले पर लोग रहते थे उनकी हटवाड़े में आवासीय व्यवस्था की। संजय मार्केट बनने के वक्त वहां पर जो लोग रहते थे उनको दूसरी जगह बसाने की बात थी पर इसी बीच में जनता पार्टी का शासन आ गया उन्हें पता नहीं संजय गांधी के नाम से क्या चिढ़ थी कि उन्होंने उस काम को रोक दिया। अभी जब 14 दिसम्बर को संजय गांधी की जन्म तिथि थी तो मैंने उन लोगों की फाइलें निकलवायी और उन लोगों के रहने की व्यवस्था के बारे में बात की। सभापति महोदया, जो लोग गन्दे नाले पर रहते हैं वह माइनोरिटीज के लोग हैं या शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं। वे सड़ रहे है वहां पर बुरी तरह। यह निवेदन मेरा है कि योजना मन्त्री जी, कि जयपुर नगर परिषद डेढ़ करोड़ का इन लोगों को काम देगी पहले घाट की गूनी पर बसाने की योजना थी आज भी वह लोग वहां पर बैठे हुए हैं पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों को कब्जा नहीं मिल रहा है कुछ लोग अभी भी जमीन नहीं मिलने के कारण नाले पर पड़े हैं, कुछ लोग घाट की गूनी पर कच्ची बस्तियों पर पड़े हैं। अगर हाउसिंग बोर्ड से योजना बनाकर उनको मकान बना कर दिलवा दिये जायं तो राज्य सरकार को काफी लाभ हो सकता है और उन लोगों को भी आराम हो सकता है सभापति महोदया, जयपुर शहर एक सुन्दर शहर है। विदेशों से लोग आते हैं इस शहर को देखने के लिये अभी यहां पर टाउन प्लानर्स की मीटिंग हुई थी तो विदेशों से लोग आये थे उन्होंने यह कहा था कि आप जयपुर शहर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
वालों को बेकार ही फारेन में टाउन प्लानिंग की ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं, जयपुर शहर तो वास्तव में आज से 250 वर्ष पूर्व बड़े प्लान्डवे में बसाया गया था। जयपुर से तो लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जयपुर शहर जो आज से 250 वर्ष पहले बसा था, में इतनी अच्छी व्यवस्था पानी, बिजली और सड़कों की है इसलिये, सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि संजय मार्केट के लोगों को पहले बसाया जाय।

मन्त्री महोदय आप नोट तो कर ही नहीं रहे आप कहीं बाद में भूल जायेंगे आपने लिखा तो है नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह इनके वश का नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे मन्त्री महोदय, बहुत ही ताकतवर हैं इनके वश की बात है।

मै निवेदन कर रहा था संजय मार्केट के लोगों को बसाने के लिये।

दूसरा मीट मार्केट के लिये थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, आज मीट मार्केट की हालत ऐसी है अगर आपने दुनियां में कहीं नरक नहीं देखा हो तो संजय मार्केट के गन्दे नाले में जो लाग रहते हैं और जयपुर में जो मीट मार्केट है वहां चले जायें। सभापति महोदया पहले तो मीट मार्केट को जयपुर के बाहर रखा था उस वक्त जयपुर की आबादी एक लाख थी उसके बाद में 6 लाख की आबादी हो गयी अब की बार जनगणना होगी तब इसकी आबादी 11 लाख पर पहुंच जयगी। सभापति महोदया, यह मीट मार्केट तो साक्षात नरक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस नरक को यहां से हटाने की कृपा करें। मैं अनुरोध करूंगा मेहरबानी करके संजय मार्केट की योजना को व मीट मार्केट की योजना पूरी करायें।

इसके अलावा अब थोड़ा मैं होटल और सिनेमाओं के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, यह सिनेमा तो राज्य सरकार के कमाऊ बेटे हैं। यह तो राज्य सरकार के इनकम के सोर्स हैं कम से कम इनके काम में तो रुकावट नहीं आनी चाहिये। इसके लिये आपने एक नहीं सात-सात एजेंसी बना रखी हैं जो कि फैसला होने के बाद 15 दिन, महीने महीने तक उनके काम में रुकावटें डालती रहती हैं। यह तो समाप्त होनी चाहिये।

इसके अलावा कई दूसरी जगहों पर जाकर देखा है कि अगर पंजाब में कोई कृषि भूमि को शहरी भूमि में परिवर्तित करते हैं तो उनके लिये कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन राजस्थान में सरकार ने अभी बजट में यह कहा है कि कृषि भूमि को शहरी भूमि में कन्वर्ट करके और राजस्थान नहर के क्षेत्र में जमीन को बेचकर आप डवलवपमेंट करने जा रहे हैं। तो इसके लिये कन्वर्शन चार्जेज नहीं रख कर ऐसा करें कि यू.आई.टी. से 28 से लेकर 30 रुपये प्रतिगज डवलपमेंट चार्जेज लेकर इसको रेगुलेराइज कर दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने रूपान्तरण के बीस रुपये गज और बाद में कुछ और चार्ज लिये तो लोग हाइ कोर्ट में जायेंगे और स्टे ले आयेगें नतीजा यह होगा कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है।

(श्री श्रीराम, गोटेवाला).

इसके अलावा थोड़ा सा मैं और निवेदन करना चाहता हूं जयपुर में आपने देखा होगा कि आवारा कुत्ते और सूअर वगैरह जानवर बहुत घूमते रहते हैं। उनकी वजह से कई बार जयपुर में एक्सीडेन्ट्स होते हैं। लोगों को इनसे बहुत दिक्कत भी होती है इसलिये मेरा निवेदन है यह कि एक अभियान चलाकर आप इन आवारा कुत्तों को और सुअरों को पकड़वाकर जयपुर शहर के बाहर भिजवा दें तो ठीक ही रहे। यह व्यवस्था आप करावें।

कुछ माननीय सदस्य : गांव में घुसने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, ऐसा है कि मैं गांव से यहां आया हूं, अब मुझे वापिस गांव में क्यों भेज रहे हो? यहां की मैं पैदाइश नहीं हूं, आपकी जानकारी के लिए अनुरोध कर दूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : यह संकेत की घण्टी दे दी है, मैंने आपको।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं भी यही सोच रहा हूं। कई जगह आप घंटी बजाते हैं और कई जगह मैं बजाता हूं। दोनों का काम बराबर है। मुझे मालूम है।

मैं कह रहा हूं कि गांवों में आवारा पशुओं को नहीं भेजना चाहिए। जैसे यहां गौशाला है दौसा के पास में और सांगानेर में है वहां पर आप उनको भिजवाएं। पहले तो अलवर में सुकर फैक्ट्री थी; मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ लेकिन मंत्री जी आप इस बारे में जानते हैं वहां एक फैक्ट्री थी पहले यह वहां भेजे जाते थे। भेजे जाय या नहीं भेजे जाय। लेकिन इनको लेकर कई मोहल्लों में प्राब्लम होती गयी है। वह मोहल्ले जहां गरीब लोग रहते हैं, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का मोहल्ला है या माइनोरिटी क्लासेज का मोहल्ला है वहां ज्यादातर इनका निवास रहता है और वहां पर कई तरह के झगड़े फिसाद इनकी वजह से हुआ करते हैं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी व्यवस्था करवायें।

कुत्तों की भी यही व्यवस्था है। अगर यह सारा इसी प्रकार से रहा तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज तक कई एक्सीडेन्ट हुए हैं और आगे भी एक्सीडेन्ट होंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से यही अनुरोध करता हूं कि मेहरबानी करके जो यह तीन एजेन्सीज हैं हाउसिंग बोर्ड, यू. आई. टी. और म्युनिसिपल बोर्ड इनको आप सक्रिय करें। और जयपुर डवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की यहां घोषणा करके जयपुर का जो मास्टर प्लान है, उसके अनुरूप यहां का विकास करवायें।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : सभापति महोदया, मेरा पहले नाम पुकारा गया था।

श्री सभापति : गुलाबचन्द जी के बाद, आप

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मांग संख्या 29, नगर विकास में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो बजट रखा है और जो संशोधित खर्च हुआ उसको यदि देखा जाय तो लगेगा कि नगर विकास की तरफ अनदेखी की गई है। बजट अनुमान उस समय 3 करोड़ 42 लाख 56 हजार के थे और संशोधित अनुमानों के अनुसार 2.88 करोड़ ही खर्च हुआ लेकिन दूसरे जो एक और आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह यह हैं कि नगर और प्रादेशिक आयोजना टाउन प्लानिंग का खर्चा लगातार हर साल बढ़ता चला जा रहा है। इस वर्ष लगभग 49.76 लाख रखा है। मैं आपसे यह विनम्र जानना चाहूंगा कि इस डिपार्टमेंट का काम क्या है ? हम पिछले इतने लम्बे समय से इस पर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और और टोटल लगाया जाय तो शायद हमने कई करोड़ रुपये खर्च कर दिये और उसके बाद इस विभाग ने राजस्थान को क्या दिया ?

श्रीमन्, केवल अब तक राजस्थान में 6 बड़े शहर हैं और उनमें से केवल 4 शहरों का मास्टर प्लान बनकर बाहर आया है और उसमें से भी दो का तो बहुत पहले बन चुका था और इस समय जो चीफ टाउन प्लानर हैं उनकी देखरेख में केवल 2 नगरों का मास्टर प्लान और प्रकाशित हुआ है और उसमें मेरा नगर भी एक है। मेरे नगर की जो टाउन प्लानिंग की प्रक्रिया थी वह सारी पूरी हो गयी, सलाहकार समिति ने भी उसको अप्रूव कर दिया लेकिन लगभग मेरा ऐसा अनुमान है कि डेढ़ वर्ष से सरकार के अनुमोदन के लिए पड़ा हुआ है। यह पड़ा नहीं रहा इसको जान बूझ कर पड़ा रखा है और उसका कारण यह है कि किस प्रकार से कहां किसी को तकलीफ आ रही है उसमें से रास्ता निकालना चाहते हैं। अगर मास्टर प्लान प्रकाशित हो जाय तो शायद वह डवलपमेन्ट इस तरह से नहीं कर सकते और इसका इन्तजार किया जा रहा है कि कहां कहां गलियां और कूंचे निकाल सकें और हमारी पेट भराई हो सके। मैं बिलकुल यह दावे के साथ कहता हूं कि उदयपुर नगर विकास का जो स्वरूप है वह ऐसा ही बन रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक नगर में कच्ची बस्तियों की बहुत बड़ी समस्या है। हम सारे पैसे खर्च करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं लेकिन साथ ही सरकार का यह भी फर्ज है कि जो लोग अपनी आय की कमी के कारण मजबूरन टूटे फूटे झोंपड़े बनाकर रहते हैं, यह उनकी मजबूरी है वरना कोई नहीं चाहेगा कि 10 बच्चों को लेकर झोंपड़े में पड़ा रहे पर उनकी कुछ कठिनाईयां हैं और उन कठिनाइयों से कच्ची बस्तियों की समस्याओं पर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं जनता पार्टी शासन की बात बताता हूं। आप इसके कारण से चौंक गये होंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूं। आप आंकड़ें देख लें पिछले ढाई तीन साल में 46 कच्ची बस्तियां हैं उनके विकास के लिए 423 लाख रुपये दिये हैं। हमको दो बार अनुदान 12 और 11 लाख मिला और इस बार केवल 5 लाख मिला है।

श्रीमन्, यही नहीं हमारे बजट में तो नगर विकास की दृष्टि से तो बिलकुल ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ या क्या कारण है या गलत आंकड़ें छप गये। इन्होंने नगर विकास न्यास का अनुदान है उसका अनुमान 66.66 लाख रखा लेकिन एक्चुअल अनुदान दिया कितना केवल 16.16 लाख ही। यानि 66.66 हमने बजट में रखा कि हमें इतना अनुदान देना है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और हमें कितना अनुदान दिया ? क्या यह हमारी इस मंशा को शो करता है कि हम वास्तव में नगरों का विकास चाहते हैं या नगरों को बेहतर हालत में छोड़ना चाहते हैं ?

श्रीमन्, यही नहीं एक जो खराबी है वह मैं आपको बताता हूं। मैंने खुद प्रयत्न किया और उसमें कुछ सफलता मिली भी और कुछ नहीं भी मिली। क्योंकि हमारी मनोवृत्ति सी बन गयी है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं उनसे तो हमें नफरत आती है कि यहां से उनको ले जाओ और यहां तो हमारे प्लाट बनेंगे। जिस व्यक्ति की दो-दो और तीन-तीन पीढ़ियां उसी एक झोंपड़ी में बीत गयी उसको तो आप वहां से हटाकर शहर के उस छोर पर ले जाकर प्लाट देना चाहते हैं और अपने रिश्तेदारों को शहर के बीच में प्लाट, जहां कीमत बहुत बढ़ गई है, बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। यह कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा मेरे नगर में हुआ है मैं चाहूंगा और विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ज्यादा बस्ती नहीं हैं। ऐसी मुश्किल से दस पांच बस्तियां होंगी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से वहां बसी हुई हैं। वहां क्यों नहीं उनको व्यवस्थित रूप से बसाकर एक व्यवस्थित जीवन दें। वहां लाइट नहीं जायगी, वहां नल नहीं जायगा, वहां सड़कें नहीं बनेंगी इसलिए कि हम आपको वहां से हटाना चाहते हैं। जैसे हमारे यहां कुम्हारों का भट्टा है। उन्हें महाराणा भोपालसिंह के समय से बसा रखा है, पाटों की पगरी में बसा रखा है। लेकिन हमारी और यू. आई. टी. के कर्मचारियों की सभी की ऐसी नीयत रहती है कि इनको यहां से खिसकाया जाय और यहां तो हमारे छोटे-मोटे प्लाट निकलेंगे। यह मनोवृत्ति हमारी अच्छी नहीं है।

इसी तरह से श्रीमन्, जो हमारे टाउन प्लानर हैं पिछली विधान सभा में बहुत इसकी चर्चा हुई है और उनके ऊपर इतने सारे एलीगेशन्स लगाये गये, जांच के लिए मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है। 10.5.79 को भी उनके ऊपर आरोप लगाये गये यहां पर और 11 अगस्त, 80 को भी बजट भाषण के समय जो कटमोशन पर हमारे ही कुछ माननीय सदस्य और श्री रामरघुनाथ जी और श्री सी. पी. जोशी ने कुछ चार्जेज लगाये। उनकी जांच का आज तक पता नहीं। आज भी उस चीज को दबाया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अनियमितता है तो उसकी जरूर जांच होनी चाहिये।

श्रीमन्, यही नहीं मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जब रक्षक ही भक्षक बनने की मनोवृत्ति से चलना शुरू करता है तो स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। मैं आपके सामने दो उदाहरण देता हूं। एक जयपुर नगर का और एक उदयपुर नगर का आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, श्रीमन, एक नाटक रचा गया। उसकी भाषा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस ढंग से मैनुपुलेशन होता है :-

"श्री हनुमान प्रसाद के सुपुत्र श्री अरुण प्रभाकर की अधिशासी अभियन्ता श्री मंजूर अहमद से बातचीत हुई है, जिसका ब्योरा देते हुए श्री मंजूर अहमद ने बताया कि वे इस भूमि को अवाप्त नहीं कराने देना

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चाहते हैं और यदि अवाप्त की जानी आवश्यक हो तो इस दुकान व बिल्डिंग को भूमि के बजाय वाणिज्य की उतनी ही भूमि किसी मुख्य सड़क पर दिलाने तथा दुकान व ऊपर की इमारत का मुआवजा लगभग 1 लाख रुपये दिलाने को कहते हैं।" मौखिक बात है। हम उनको आबाद करना चाहते हैं। श्रीमन, अगर आप आबाद करना चाहते हैं तो जो सड़क 15, 20 साल पहले बनी है उस समय जब बनी थी 40 फुट चौड़ी बनी थी। वहां प्लाट वालों ने घेर कर 10 फुट आगे आ गये और 25 और 20 फुट रह गई। इसको चौड़ा करने की क्या जरूरत है। श्रीमन, यह नगर महत्वपूर्ण नहीं है ? उदयपुर में और दूसरी जगह आंख लगी हुई थी कि मैनुपुलेशन के द्वारा प्लाट मिल जाय। इसलिए यह प्रस्ताव पास करना चाहते थे। जो सेक्रेटरी ने आबजेक्शन किया वह पढ़कर सुना देता हूं। यू. आई. टी. उदयपुर का प्रस्ताव है। सचिव ने सदन के समक्ष राज्य सरकार के उन आदेशों को बताया जिसके अन्तर्गत भूमि के बदले भूमि नहीं देकर केवल नकद ही मुआवजा दिया जा सकता है।" जब सेक्रेटरी ने यह नियम रखे तो इस बात को नजर अन्दाज कर दिया कि नहीं यह तो दिया जा सकता है और उसके आधार पर उन्होंने दिल्ली दरबान के पास, यू. आई. टी. का मैं मैम्बर था मुझे अच्छी तरह याद था, वही का एक केस था। वहां दो प्लाट खाली हैं। मंजूर अली को बड़ी हमदर्दी पैदा हो गयी क्योंकि वह ए. ईएन. है और पिछले साल से एक्स. ईएन. का पद नहीं भरा गया वर्तमान में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर किस तरह से बने क्या इसी कारण से प्लाट के बदले प्लाट दिया जाय। 25 फीट बाई 25 फीट का जो एरिया है लगभग 1200 वर्ग फीट जाता है। इनका केवल 800 वर्ग फीट का है। 400 वर्ग फीट ज्यादा दे रहे हैं। उसकी प्राइस, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, इसमे लिखा है इसके एवज में जो अतिरिक्त एरिया दे रहे है अधिक एरिया का राशि प्रचलित औसत बाजार दर से वसूल कर ली जाय। औसत निकालना शुरू करेंगे शायद जब से उदयपुर बसा है। इनकी नीयत क्या है ? व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के लिये क्या तरीके अपना रहे हैं ? 16.12 को प्रोसिडिंग्स में इस प्रकार फायदा पहुंचाने के लिये किया गया। यू. आई. टी. केवल अपना सजेशन दे सकती है तकनीकी कमेटी को। सेक्रेटरी ने लिखा है नियमों के अनुसार नहीं है लेकिन बार-बार प्रेशर डालकर इसको बार-बार पास करने का प्रयत्न किया गया। इसके अतिरिक्त जयपुर का एक उदाहरण है वह उदाहरण शायद इसका भी मात कर जाय। केवल उदयपुर में ही नहीं जयपुर में भी प्रापर्टी के ऊपर कैसी आंख लगी हुई है। किस ढंग से हम व्यवहार करते जा रहे हैं। हम इस देश को क्या दिशा देने जा रहे हैं ? श्री दिलीप प्रभाकर को आगरा रोड एवं बाई पास के कोने पर भूमि आवंटन हेतु विचार किया गया। यह जयपुर न्यास का है। 17.12 की प्रोसिडिंग्स है। और 16.12 की उदयपुर की प्रोसिडिंग्स है। एक दम करने की बात है। मन्त्री मण्डल का विस्तार होने वाला है महकमा मेरे पास है शायद

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अगर हट जायगा तो यह हो नहीं पायेगा। इसलिए दोनों गति से चले। 17/12 की प्रोसीडिंग्स । श्री दिलीप प्रभाकर 49, सिविल लाइन्स जयपुर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 4–12–80 में निवेदन किया है कि वह बेरोजगार स्नातक है, बेकार आदमी है और बेकार आदमी को यहां रहने के लिए कुछ जगह दी जाय। इसी बेकार आदमी को नेशनल परमिट मिला है। हिन्दुस्तान में और शायद कोई बेकार नहीं है ऐसा बेरोजगार स्नातक शायद कोई और नहीं है । एक तो बेकार स्नातक को नेशनल परमिट दिया और दूसरा उसको फायदा पहुंचाने के लिए जयपुर में लक्कड़ पत्थर गोदाम बना हुआ है वह दिया जाय। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि उन्होंने यहां प्रस्ताव किया कि शायद किसी टेक्निकल खामी से गिर सकता है तो उन्होंने बड़ी गति से काम किया है। 4/12 की एप्लीकेशन लगी बेकार आदमी हूं 9/12 को प्रोसीडिंग्स दौड़ने लगती है । नगर नियोजक के पास भेजा कि राय दें कि हम दे सकते हैं कि नहीं। उन्होंने एक गली निकाल कर लिखा "अर्जुनलाल सेठी नगर योजना में होटल के लिये सुरक्षित भूमि में से 100 फुट बाई 150 फुट का टुकड़ा किराये पर दिया जा सकता है।" मुख्य नगर नियोजक कार्यालय के वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन द्वारा उनके पत्र सं० इतना दिनांक 15–12–80 के अन्तर्गत अर्जुन लाल सेठी नगर योजना में प्रस्तावित भूखण्ड के लिये तकनीकी दृष्टि से असहमति व्यक्त की गई। पहले असहमति प्रकट की। आपको यह जगह ठीक नहीं लगी, उन्होंने प्रस्ताव किया कि लक्कड़ पत्थर मण्डी योजना में एक उपयुक्त भूखण्ड वैधानिक कांटा लगाने के लिए दिया जा सकता है। तकनीकी दृष्टि से 11 नं० और 12 नं० का भूखण्ड आवण्टित किया जा सकता है और 11 और 12 नं० का भूखण्ड खाली दिखाकर उसको देने के लिए उन्होंने अपनी राय आगे प्रसारित की। आपको यह सुनकर और आश्चर्य होगा क्योंकि श्री दिलीप प्रभाकर बेरोजगार स्नातक हैं और खुली नीलामी में भूमि लेने में असमर्थ हैं वैज्ञानिक कांटें के लिए दे दिया जाय या भूखण्ड संख्या 8 और 9 कांटे के लिए उनको प्रदान की जाय। उसके बाद राय के लिए राज्य सरकार को भेजा है । यह आगे कैसे बढ़ता है आपको ताज्जुब होगा। यू० आई० टी० ने स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया। सैक्रेटरी महोदय ने लिखा है कि नियमों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है किसी भी बेरोजगार स्नातक को इस प्रकार से भूमि आवंटित की जा सके और यही नहीं सैक्रेटरी ने सोचा मिनिस्टर साहब इन्ट्रेस्टेड हैं उन्होंने चीफ सैक्रेटरी को मूव कर दिया। चीफ सैक्रेटरी ने भी लिखा पहले पहले कानून में संशोधन करो उसके बाद दो। जब यह क्रिया गड़बड़ हो गई तो सोचा मन्त्री मण्डल का विस्तार होगा उसके बाद क्या होगा? दूसरी फाइल मंगाकर उसकी नीलामी शुरू की। क्या किया, श्रीमन्, वापस यू० आई० टी० ने कहा जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दी जाय । 100 बाई 50 का प्लाट 110 रुपये के हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से दे दिया जाय । आपको सुनकर आश्चर्य होगा यही प्लाट पहले नीलामी में जब इसकी रेट 110 रुपये आई थी यू०

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आई. टी. ने मना कर दिया वह नहीं बेचेंगे बहुत कम आई है इसलिए नहीं बेचा। जब यह तय हुआ तो पास वाला प्लाट 100 रुपये में गया और दूसरा प्लाट 300 रुपये के हिसाब से गया। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? इस प्रकार मैनुप्लेशन करके 110 रुपये में देकर आपने अनड्यू फायदा नहीं दिया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : संकेत दे दिया। आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क): × × ×

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया : राजस्थान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आपस में बातें नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या हम इस प्रकार के कृत्य करके वास्तव में आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रयत्न करके हम राजस्थान के इतिहास को काला नहीं कर रहे हैं। कि एक मन्त्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को बेरोजगार समझकर

(व्यवधान)

राज्य सरकार को नुकसान दे दें।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : क्या रामलीला में काम कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये केवल पिछले 8–9 महीने का जो समय निकला इसमें उदयपुर के जन जीवन में एक और प्रक्रिया आरम्भ कर दी। पिछले कुल 8–9 महीने में मेरा ऐसा अनुमान है, कान्फिडेन्स है, सच्चा अनुमान है कि जितना पैसा लगा है, फीगर तो मैं नहीं कह सकता, लगभग साढ़े आठ हजार कृषि भूमि के प्लाण्ट बनाकर विभिन्न प्रकार के लोगों ने बेचे हैं। इनकी पहले पाबन्दी थी, उदयपुर में ये नहीं हुआ। यू० आई० टी० के बार बार प्रयत्न करने के बाद भी लोगों ने एक व्यवसाय बना लिया कि इस प्रकार की जमीन खरीदकर छोटे छोटे प्लाट बनाकर लोगों को बेचने और उससे पैसा कमाये। ये प्रकिया क्यों हुई? इसका कारण है। आखिर ये ऐसी बात नहीं है, केवल लोग एग्रीकल्चर लैण्ड को लेकर मुसीबत क्यों मोल लेते हैं, वे इसलिए लेते हैं कि आपने पिछले कई वर्षों से लोगों को प्लाट कोई दिया नहीं। आपने आक्शन की रेट में, गरीब आदमी उस आक्शन में 15 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से बोली नहीं लगा सकता वह कोई 35 हजार और 40 हजार रुपये में 60 बाई 40 का प्लाट खरीदकर जिन्दा नहीं रह सकता और इसके कारण से जब तक आप उसको कम से कम दर पर जमीन और टुकड़ा उपलब्ध नहीं कराओगे तब तक वह मकान को नहीं बना सकेगा। मेरे प्रश्न के जवाब में पिछली

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बार भी ग्राया था, मैंने कहा था कि यू० ग्राई० टी० ने ऐसी कोई स्कीम बनायी है, जिससे वीकर सेक्शन को, एस० सी०, एस० टी० को सस्ते दामों पर भू-खण्ड उपलब्ध कराने की ग्रापके पास कोई योजना है तो उन्होंने बताया कि हमने भू-खण्ड देने के लिए 2000 प्लाट देने के लिए एप्लीकेशन्स इन्वाइट की हैं। ये ठीक नहीं है। उसके कारण जब ग्राप एक गरीब व्यक्ति को प्लाट उपलब्ध नहीं करायेंगे, सस्ती दरों पर मकान उसको नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से ग्रौर इस तरह से जो कच्ची बस्तियों का रूप बन रहा है ग्रौर जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं, यह सारे नाजायज कब्जे उसकी प्रवृत्ति के कारण हैं ग्रौर उसका.......

श्री रामप्रसाद : सभापति महोदय, ये होली का खयाल ग्रा रहा है या क्या ग्रा रहा है।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : होली में तो मोरियां बोलते नहीं हैं, बारिश में बोलते हैं मोरिया।

एक माननीय सदस्य : प्लाट नहीं मकान बना कर देंगे। प्लाट का क्या करना।

श्री रामप्रसाद : ग्रापको भी ग्रगर इस तरह की कोई कमी है तो मन्त्री जी से मिलो।

श्री गुलाबचंद कटारिया : श्रीमन्, मेरी मन्त्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि ये जो गलत ढंग से व्यापार लोगों ने बना लिया ग्रौर ग्रापके भी कुछ माननीय सदस्य इसी धन्धे में लगे हुए हैं। ग्रगर ग्राप चाहें तो उनके इस धन्धे पर चोट करें। ग्राखिर ग्रापने यू० ग्राई० टी० क्यों बनायी ? ग्राप उस जमीन को एक्वायर करके क्यों नहीं बेचते, उसके कारण से ग्रापको लाखों रुपये की, करोड़ों रुपये की ग्रामदनी होगी ग्रौर उससे ग्राप नगर का विकास कर सकेंगे। ये लोगों को ठगाई करके उनसे जो पैसा ले लेते हैं ग्रौर उसके पश्चात् बेच बांचकर भाग जाते हैं बाद में 20-20 वर्ष तक न वहां सड़कें बनती हैं, न नालियां बनती हैं इस प्रथा को समाप्त करें।

श्री राम प्रश : ग्रापसे मना किसने किया, ढाई साल में ग्रापने तो कुछ नहीं किया।

श्री गुलाबचंद कटारिया : ग्रगर किसी की ऊपर की स्टोरी खाली हो तो उनको समझा दें।

श्रीमन्, यही नहीं मैं नगरपालिका की 2-3 बातें ग्रापके सामने रख रहा हूं मेरे प्रश्न के जवाब ग्राया कि नगरपालिका उदयपुर में नगर के विभिन्न चौराहों पर कुछ फव्वारे लगा रखे हैं ग्रौर इनके निर्माण में 67-68 से लेकर 77-78 तक लगभग 11 लाख 15 हजार रुपये व्यय किये ग्रौर शहर के विभिन्न चौराहों पर फव्वारे लगाये लेकिन वह साधारणतया बन्द पड़े हैं। उसमें जो रख रखाव का खर्च पूछा, तीन साल का, वे सुनेंगे तो ग्रापको ताज्जुब होगा, रख रखाव का खर्च हुग्रा, 8 लाख 71 हजार। 11 लाख तो बनाने में खर्च हुए ग्रौर उसके रख रखाव में 8 लाख 71 हजार रुपये खर्च किये। यह इस बात का सबूत है कि हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

शायद ये बात सोचें, हमने अपने धन्धे के कुछ पाइन्ट बना लिये हैं कि ये अपनी जैसे कोई कामधेनु गाय हो और उसका जब चाहो तब दूध निकाल लो, ऐसी कुछ प्रक्रिया बना ली। इसको यह खराब बता दो, उसको यह खराब बता दो और उसमें से अपनी आमदनी करते जाओ। क्या मन्त्री महोदय आप इस बात की जांच करायेंगे कि आखिर 8 लाख 71 हजार किस तरह से खर्च किया, किस मद में खर्च किया, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी, ऐसा कौन सा रख रखाव था, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी। केवल बिजली चाहिए, मशीन चाहिए, जो चलती है और फव्वारे चलते हैं। श्रीमन्, उदयपुर नगरपालिका का एक और नमूना आप देखिये कि उदयपुर में टाउन हाल बन रहा है, 55 से 81 तक, जिसमें लगभग 17 लाख और 19 हजार रुपये आज दिन तक खर्च हुए हैं आपको ताज्जुब होगा कि मुश्किल से कोई 10 दिन उसमें कार्यक्रम हुआ होगा, बाकी कोई दिन कुछ नहीं हुआ। पिछले प्रश्न के जवाब में आपने लिखा था कि हम अतिशीघ्र पूरा करके इसको जनता के उपयोग में लायेंगे लेकिन हमारे जो 17 लाख 19 हजार रुपये खर्च हुए, 55 से आज तक इसका कोई उपयोग नहीं। अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको अतिशीघ्र पूरा कराने का प्रयत्न करें जिससे कम से कम वहां का जो व्यक्ति है, वह उपयोग कर सके। इसके लिए एक जो बजट में प्रावधान रखा है उसके लिए मैं आपकी तारीफ भी करूंगा कि आपने जो इसमें कुछ रुपया रखा, लगभग एक करोड़ 50 लाख रुपये जो खर्च का रखा, विभिन्न नगरों में, उनसे सार्वजनिक टोंटियां लगाने का जो प्रोविजन रखा, उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता करता हूं कि कम से कम आपने यह उन लोगों के लिए एक अच्छी बात की। इस अच्छी बात के लिए मैं आपकी तारीफ किये बिना नहीं रह सकता। श्रीमन्, ये जो यू० आई० टी० हैं........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है........

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

यह जो यू० आई० टी० हैं, इनकी जिस ढंग से आमदनी है, उसमें केवल नगर की सड़कों का या नालियों का ही रख रखाव नहीं करें बल्कि ऐसा आवश्यक है उदयपुर के लिए अण्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज बनायें जिसमें नगरपालिका ने लगभग अपनी स्वीकृति दे दी स्कीम को। श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, यू० आई० टी० का भी, उसमें शेयर है, आधा उसमें अपना हाथ बंटाये। इसके लिए उदयपुर में जो सीवरेज स्कीम है, वह अतिशीघ्र लागू हो सके। यही नहीं उदयपुर अपनी सुन्दरता के लिए बहुत मशहूर है, केवल हिन्दुस्तान के ही नहीं दुनिया के लोग उसकी प्राकृतिक छठा को देखने के लिए आते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कम से कम उदयपुर में एक डवलपमेन्ट ऐसा करें जो सन सैट पाइन्ट दूध तलाई के ऊपर है, शायद इतना अच्छा स्थान, मैंने भी देखा है कि आबू का सन सैट पाइन्ट भी उसके बराबर नहीं है। केवल आबू में 2 या 2½ मिनट सन सैट पाइन्ट है। हमारे यहां लगभग 11 या 11½ मिनट सन सैट पाइन्ट दिखता है। अगर आप

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इसको अच्छा पर्यटन केन्द्र आकर्षक के लिए बनायें इसकी कोई डवलपमेन्ट की स्कीम आपके पास बनी हुई है, आयी है, उसकी अगर स्वीकृति देंगे तो ये उदयपुर में अच्छी चीज बन सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि मास्टर प्लान का जो भी आपने रिप्रजेन्टेशन किया है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि आखिर आप क्या करते हैं? सिर्फ 5–6 नगरों को गये और आगे क्या लिख दिया? बड़ा अजीब है। एक सैकण्ड, आधा सैकण्ड लगाऊंगा मैं केवल। इन्होंने लिखा है कि उदयपुर में, बांसवाड़ा में कार्य अन्तिम चरण में है। टाउन प्लानिंग का, वहां की स्कीम का, मास्टर प्लान का। लेकिन आगे जो आपने संकेत दिया, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का ऐसा दे दिया जिससे समझने वाला यह समझे कि हां साहब यहां पर भी अन्तिम चरण में चल रहा है। यह कुछ नहीं कर रहे हैं। यह डिपार्टमेन्ट कुछ नहीं कर रहा है। केवल यह 50 लाख बर्बाद कर रहा है। नगरों को बिगाड़ने और अपनी रोटियां सेंकने के अलावा उल्लू कहां से सीधा हो सके उसके लिए है।

एक माननीय सदस्य : आपने रोटी सेंकी है तो वही समझते हैं।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 के अन्तर्गत मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उन्हीं के अन्तर्गत मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम जोधपुर में मास्टर प्लान बना। इस मास्टर प्लान को बने 5–7 वर्ष हो चुके हैं लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। आज की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार उसमें संशोधन करके और परिवर्तन करके जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान लागू किया जाय। मैं जोधपुर की यू० आई० टी० के बाबत कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जो कच्ची बस्तियां हैं, जिनका विकास नहीं हो रहा है, उनका विकास किया जाय, उनका नियमन किया जाय जल्दी से जल्दी उनको पट्टे अलाट किये जायें।

दूसरा जो जमीन वहां नीलाम होती है वह उच्च वर्ग के मालदार व्यक्ति जरूर खरीद लेते हैं, निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के व्यक्ति इतनी ऊंची बोली नहीं लगा सकते। उनको कुछ रियायती दर पर रेट फिक्स करके जमीन देने की व्यवस्था की जाय।

शहर के जितने चौराहे हैं उनको डवलप करने के लिए कुछ अमला बढ़ा दिया जावे। जो जनता क्वार्टर बनाने की योजना थी सरकार की, उसके अन्तर्गत आज दिन तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। एस्टीमेट्स बन गए हैं, जगह भी चूज कर ली है फिर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। उसको जल्दी से पूरा किया जावे।

नगर विकास न्यास की बैठकों में जन प्रतिनिधियों को कभी भी बुलाया नहीं जाता जो भी वहां निर्णय लेते हैं अपनी मर्जी मुताबिक तय कर लेते हैं। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जो भी बैठकें होती हैं उसमें कम से कम जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जावे।

चौथी बात, मैं आपसे निवेदन करना

(श्री मानसिंह देवड़ा)

चाहता हूं कि जो ट्रांसपोर्ट कम्पनियां शहर के बीच में हैं उनके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जावे जिससे आवागमन की शहरों के अन्दर सुविधा हो सके।

मैं लकड़ी के मार्केट के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी ही दफा आग लग चुकी है लेकिन लकड़ी का मार्केट अलग से नहीं बनाया गया है। इसके लिए अलग से भूमि अलाट करके लकड़ी, प्लाईवुड और हार्डवेयर का मार्केट अलग से बसाया जावे।

अरबन एरिया के बारे में, क्योंकि मैं अरबन एरिया से चुनाव जीत कर आया हूं, इसलिए अरबन एरिया के बारे में निवेदन है कि अरबन एरिया की जो समस्यायें हैं उनका तत्काल निराकरण करने हेतु जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जावे।

नगर परिषदों के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि कि सर्वप्रथम नगर परिषद् के चुनाव जो कि हाई कोर्ट के निर्णय के के बावजूद भी आज तक नहीं हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी कराने के लिए सरकार कदम उठाए।

रोड लाइट्स के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि रोड लाइटों की इतनी समस्या विकट है कि नगर परिषद् यह कहती है कि बिजली का काम करने के लिए आदमी नहीं देते और बिजलीघर वाले कहते हैं कि नगर परिषद् समय पर सामान नहीं देती। इसका निराकरण यही हो सकता है कि या तो यह व्यवस्था नगर परिषद् को ही दे दें या फिर सामान खरीदने के लिए या लगाने के लिए सारा काम बिजली विभाग को दे दे जिससे यह कार्य हो सके। लेकिन आज दो-दो साल तक भी बल्ब चेंज नहीं होते कहने के बावजूद भी।

दूसरी जो समस्या है, अभी नगर परिषद् जो शहर की चार दीवारी है उसके अन्दर जमीन अन्धाधुन्ध बेचे जा रही है। अलाटमेंट किये जा रहे हैं जिससे सड़कें और भी सकड़ी हो रही हैं और जो दुकानें इमर्जेंसी में खाली हुई थीं, अब चालीस-चालीस हजार रुपये रिश्वत लेकर पुनः अलाट कर दी जा रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मन्त्री महोदय, कि जो भी अलाटमेन्ट में दुकानें वापस दी गई हैं उनके सारे आर्डर्स कैंसिल किये जावें।

एक तरफ तो नगर परिषद् कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जितने भी डवलपमेंट वर्क चल रहे हैं नगर परिषद् ने बन्द करवा दिये हैं और दूसरी तरफ एक नई कार 70 हजार रुपयों में खरीदी है। पहले से ही चार पांच जीपें हैं, कार हैं, उसके बाद भी और कार खरीदने का क्या औचित्य है? मैं समझता हूं कि स्वीकृति राज्य सरकार से या डायरेक्टर लोकल बाडीज से लेकर ही दी गई होगी, यह मेरे ध्यान में नहीं है।

गृह कर में जो छूट दी है उसे और थोड़ा बढ़ाया जावे ताकि मध्यम वर्ग को राहत मिल सके।

सफाई व्यवस्था के बारे में निवेदन है कि जो हैल्थ आफिसर जोधपुर में लगा हुआ है वह ज्यादातर बाहर रहता है और सिवाय राजनैतिक कार्यों के कोई सफाई व्यवस्था कभी नहीं देखता। पहले ब्यावर में था और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री मानसिंह देवड़ा)

बैठे हैं उनको मालूम होगा कि इस हैल्थ आफिसर ने ब्यावर में कितनी हालत खराब कर दी थी। सिवाय आपस में झगड़े कराने के उसने कुछ नहीं किया। इसको वहां से जल्दी से जल्दी हटाया जावे, इसके लिए बारबार निवेदन किया था लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान।

(अनुपस्थित)

श्री कंवरिया।

(अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 30, 33 और 29 के बारे में ग्राह्य कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अपने विचार रखता हूं।

श्रीमन्, राजस्थान की अनुसूचित जन जाति के जो क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहां पर भू-प्रबन्ध की व्यापक अव्यवस्था है। जिसके कारण से वहां के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और यहां तक कि कई बार इनके दो दलों में झगड़े होने के कारण हत्या तक हो जाती है। इन परिस्थितियों का समाधान करने के लिए विभाग को यह चाहिए कि जो 197 तहसीलें इस उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं उसमें 108 तहसीलें ऐसी हैं जिनका भू-प्रबन्ध कार्य ओवर ड्यू के अन्तर्गत आता है। उनके स्थायी समाधान के लिए हवाई सर्वेक्षण कराना चाहिए। आपने इसके लिए जो 13 पार्टियों की व्यवस्था कर रखी है वे दो ढाई वर्ष में भू-प्रबन्ध एक तहसील का करती हैं। इस तरीके से लगभग छ: तहसीलें दो वर्षों में पूरी होती हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले बीस वर्षों में भी यह पूरी व्यवस्था नहीं हो पायेगी इसलिए जनजाति क्षेत्रों में भू-प्रबन्ध की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए स्थायी रूप से हवाई सर्वेक्षण समय-समय पर करवाया जाय अन्यथा पार्टियों की कोई व्यवस्था इस क्षेत्र में की जावे।

श्रीमन्, बीकानेर, गंगानगर, नागौर ये ऐसे जिले हैं, जिन जिलों में अनुसूचित जाति के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं लेकिन यहां के लोगों के पढ़ने के लिए विशेष सुविधायें नहीं हैं। उनके लिए छात्रावासों की कमी है। केवल एक छात्रावास सीमावर्ती छात्रावास के नाम से जाना जाता है और इस इलाके में यह स्थित है और इसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। उसके कारण से आम व्यक्तियों को और अनुसूचित और पिछड़ी हुई जाति के लोगों को इसमें स्थान नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अन्य इलाकों में जो इससे छोटे हैं, वहां पर जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा छात्रावास खुले हुए हैं। हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन जहां पर कमी है वहां पर विभाग के द्वारा जैसे बीकानेर में, चूरू में, सरदारशहर में और नागौर में इन इलाकों में अधिक छात्रावास अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए खोले जाने चाहिए। श्रीमन्, 1981 का वर्ष विकलांग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि विकलांगों के लिए क्या विशेष

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रावधान इस वर्ष किया है ? उनके रोजगार के लिए, उनकी उन्नत्ति के लिए, उनकी प्रवृत्ति के लिए विभाग ने क्या-क्या नये नये कार्यक्रम बनाए हैं। इसके बारे में सदन को पर्याप्त जानकारी दी जावे। इसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगितायें क्या विभाग करने जा रहा है ताकि विकलांग व्यक्ति इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक स्थान पर इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं का समाधान जहां कर सकें, दूसरी ओर विकलांगों की तरफ राज्य का पूरा ध्यान जा सके और वे खेलकूद के माध्यम से अपने मनोरंजन को भी पूरा कर सकें।

श्रीमन्, अब मैं मार्ग संख्या 29 के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। स्थानीय निकायों में जो वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत यह देखने को मिलता है कि यहां विभाग में लालफीताशाही जारी है जिसके कारण से छोटे-छोटे कार्यों की स्वीकृति लेने के लिए कई बार स्थानीय निकायों को जयपुर के चक्कर काटने पड़ते हैं। दो दो तीन तीन वर्षो तक छोटे मोटे कार्यों के फैसले नहीं होते हैं। इसलिए जो आफिस प्रोसीजर हैं उस प्रोसीजर में संशोधन किया जाना चाहिए और समयबद्ध कार्यक्रम बना करके जो पैंडिंग वर्क हैं उनको निपटाया जावे।

श्रीमन्, राजस्थान में छोटी छोटी नगर परिषद् बनी हुई हैं। इन नगर परिषदों की चुंगी दर में भारी असमानताएं हैं। इनको दूर करने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है, इस बार में जानकारी दी जानी चाहिए। जहां तक एक तरफ बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, जो डिवीजन मुख्यालय हैं इन पर प्रमुख वस्तुओं पर चुंगी दर में भारी असमानता है। कपड़े की चुंगी की दर जयपुर में पांच रुपये हैं जबकि बीकानेर में 20 रुपया क्विन्टल है। इन असमानताओं को तुरन्त दूर किया जाय हम यह चाहते हैं कि जयपुर में पांच हैं तो वहां की 20 रुपये होनी चाहिये ताकि जयपुर नगर परिषद् की आय से वह बढ़ सके। जो कमजोर नगरपालिकाएं हैं उनको विभाग की ओर से अधिक से अधिक अनुदान दिया जाना चाहिये।

यहां तक मैं बताता हूं हीरे और जवाहरात जैसी अमूल्य वस्तुओं पर बाहर के आधार पर चुंगी कर लगाया जाता है, यह विचारणीय प्रश्न है इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। और आगे आने वाले समय में नेशनल अप्रोच एडाप्ट करके चुंगी दरों में असमानताओं को तुरन्त प्रभवी ढंग से दूर किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त बीकानेर शहर की सड़कों और नालियों के लिये मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नगर परिषदों के पास पैसा नहीं है। यू०आई०टी० के पास 50लाख रुपया जमा है। वह शहर की सड़कों और नालियों का रख रखाव और मरम्मत का काम नहीं करवाना चाहती है। न मालूम कौनसा कानून और अड़चन यू०आई०टी० रखती है। यू० आई० टी० कहती है कि शहर का सौन्दर्यकरण करेंगे शहर की नालियां तो अच्छी करायें सौन्दर्यकरण तो बाद की बात है। शहर के मुख्य मार्गों पर दो दो फीट के गड्ढे बने हुये हैं, नालियां अस्त व्यस्त हैं सारे बाजार गंदा

पानी वहता है। ऐसी स्थिति में नगर परिषदों को भारी मात्रा में अनुदान दें या यू. आई. टी. के पास पैसा पड़ा है उसको निर्देश दें कि बीकानेर शहर की सड़कों और नालियों की मरम्मत का काम तुरन्त चालू करके नगर की बिगड़ी हुई हालत को सुधारे।

श्रीमान्, मास्टर प्लान के बारे में माननीय सदस्यों ने कई बातें रखीं। मास्टर प्लान जहां-जहां बना है यह कागजों में पड़ा है। मास्टर प्लान की क्रियान्विति नहीं हो रही है क्योंकि मास्टर प्लान की भूमि यू. आई. टी. के पास नहीं है। चार विभाग इसके ऊपर अपना अधिकार जताते हैं। राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, नगर न्यास और कहीं-कहीं नगर परिषदें, यह चारों विभाग अपने अधिकार जताते हैं। इन अधिकारों के जताने के फलस्वरूप ये विभाग आपस में कागजी कार्यवाही करते रहते हैं और असामाजिक तत्व जागीरदार और ठेकेदार व बड़े-बड़े लोग इन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों को आगे किया जाता है। मैं, श्रीमान्, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कच्ची बस्तियों का आज जहां उत्थान करते हैं वहां पर दो सौ गज व थाले लोग हैं। उनके पास कहां पैसा है कि दो सौ गज से ज्यादा भूमि पर कब्जा करें। बीकानेर में दस-दस हजार गज से ज्यादा भूमि पर लोगों ने कब्जा किया है। अतिक्रमण रोका नहीं गया है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि एक तरफ यू. आई. टी. को जो कब्जा करते हैं यह एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे कब्जे को रेगुलाइज करो। एप्लीकेशन यू. आई. टी के पास पड़ी है, यह खरिज नहीं की जाती है, तब तक अवैध कब्जा करने वाले लोग कोर्ट में चले जाते हैं। यू आई टी कब्जा तोड़ने जाता है, उसके पहले स्टे आर्डर मिल जाता है। दूसरा यह कारण है कि जयपुर में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट योजना को स्वीकृत करने में देर लगाता है। इससे भूमिहीन को, जिनको रिहायशी मकान चाहिये ऐसे लोगों को समय पर आवासीय भूखण्ड आवंटित नहीं होते हैं। इससे अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं। शहर, कस्बे और गांव नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े शहर बीकानेर, जयपुर जोधपुर, उदयपुर और कोटा यह पांच हैं, इनकी आगे आने वाले समय में क्या हालत होगी, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन मेरी चिन्ता है, पूरे सदन के माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। तुरन्त माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। नहीं तो जहां शैक्षणिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है और राजस्थान के विकास से संबंधित जो भूमि आवंटित की हुई है, यह भूमि आंवटित कागजों में रह जायगी और अतिक्रमणकारी अपने हिसाब से जमीन बेचकर मास्टर प्लान का सत्यानाश कर देंगे।

इसी प्रकार, श्रीमान्, हमारे बीकानेर में प्रमुख रूप से भारत सरकार को उप-निवेशन विभाग जमीन बेच रहा है। आज से करीब 15 साल पहले वह जमीन यू.आई.-टी. की थी। लेकिन राजस्थान नहर परियोजना के आने के कारण बीकानेर के पास में नापासर माइनर और बीकानेर माइनर की योजनाएं है। लघु सिंचाई के लिये, खेती-बाड़ी के लिये और बीकानेर के आस पास बगीचे लगाने के लिये दो माइनर योजनाएं आने वाली थीं जिनके कारण यू. आई. टी. एरिया को कोलोनाइजेशन एरिया में बदल दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से न नापासर माइनर और बीकानेर माइनर योजनाएं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बीकानेर में आयीं, न ही बीकानेर के शहरी इलाकों को यू. आई. टी. में परिवर्तित किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, शहरी भूमि जो भारत सरकार को बेची जा रही है, यह यू. आई. टी. की भूमि है, इसका डीकालोनाइजेशन करायें और उपनिवेशन विभाग जो इस पर कब्जा करके बैठा है उससे इसको छुड़वाया जाये ताकि बीकानेर के पिछड़े हुए इलाकों का विकास हो सके। श्रीमन्, नगर विकास न्यास का जब तक गठन न हो, जन प्रतिनिधियों को इसमें लिया जाना चाहिये क्योंकि जन प्रतिनिधि इलाके की समस्याओं के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, अध्यक्ष महोदय जो वर्तमान में जिलाधीश हैं, उनके पास कई समितियों का कार्यभार होता है जिसके कारण वह यू. आई. टी की समस्याओं से संबंधित पूरी जानकारी नहीं देते हैं और न पूरा समय दे पाते हैं। इसलिये जब तक यू. आई. टी. का गठन न हो, चुने हुए जन प्रतिनिधियों को कमेटी में सम्मिलित किया जाये ताकि नगर विकास के बारे में, नगर के आयोजना के बारे में अपनी सूझ-बूझ के आधार पर अपने नगर की समस्याओं के बारे में विभागीय जानकारी अध्यक्ष और यू. आई. टी. दे सके और उन समस्याओं का समाधान करा सके।

बीकानेर में ट्रांसपोर्ट नगर योजना बने हुए काफी वर्ष हो चुके हैं लेकिन यह ट्रांसपोर्ट नगर अभी तक कागजों में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर पिछले दिनों गंगाशहर के आसपास ट्रांसपोर्ट नगर में हवाई फायर हो चुके हैं। दो तीन असामाजिक तत्वों ने वहां दल बनाकर अतिक्रमण करके आपस में गालियां चलाई हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर जल्दी से जल्दी बसाया जाय ताकि एक ओर अवैध कब्जे रुकें और दूसरी ओर बीकानेर की ट्रैफिक की जो समस्या है, बीकानेर में ट्रक ट्रांसपोर्टर नगर जो शहर के कोट-गेट के पास स्थित है वहां से दूर दराज के स्थान पर जा सकें। वहां ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जायेगा। यू. आई.-टी. की तीन करोड़ रुपये की आमदनी इस ट्रांसपोर्ट नगर से होगी। मैं समझता हूं इस योजना की क्रियान्विति के लिये मंत्री महोदय शीघ्र कदम उठायेंगे।

श्रीमान्, बीकानेर में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं ने. यू० आई०-टी० के पास काफी प्रार्थना पत्र शिक्षण संस्थाओं के लिए दे रखे हैं। लेकिन लगभग 4-5 वर्ष हो चुके हैं उनके बारे में निर्णय नहीं हो रहा है। स्थानीय रामपुरिया महाविद्यालय, विवेकानन्द बाल विद्यलय, जो सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, जिन्होंने यू. आई. टी. से जमीन मांग रखी है, उन शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिये तुरन्त जमीन निःशुल्क रूप से आवंटित की जानी चाहिये ताकि शिक्षण संस्थाओं की रक्षा हो सके।

बीकानेर की नगर परिषद् द्वारा जो सफाई व्यवस्था की जाती है वह बिल्कुल ही ढंग की नहीं है। उनके पास में केवल 13 से 15 ट्रक ट्रालीज है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए बहुत कम है। यह भीनासर तथा बीकानेर के आसपास जो कचरा शहर के बिल्कुल पास में डाल देते है इसलिये इस संबंध में नगर परिषद् के अधिकारियों को कहें कि कचरा फेंकने का स्थान शहर से दूर

159

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

होना चाहिये और ट्रैक्टर और ट्रालीज की संख्या तुरन्त बढ़ाई जानी चाहिये। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहूंगा कि बीकानेर में एक्स0 ई0 एन0, प्रशासक, कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी म्युनिसिपैलिटी में नहीं हैं। पूरे अधिकारी नहीं होने से नगर परिषद् का काम कैसे चलेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 2–3 दिन में ही इन अधिकारियों की नियुक्ति करें, भयानक स्थिति है, इसमें आप सुधार लायें ताकि बीकानेर शहर में सुचारु रूप से सफाई व्यवस्था हो सके, सड़कों, नालियों का सुधार हो सके और बीकानेर नगर परिषद् की अन्य समस्याएं हैं वे दूर हो सकें।

श्रीमान्, बीकानेर, गंगाशहर और भीनासर 3 नगर परिषद् हैं जो आधे-आधे किलोमीटर की दूरी पर हैं लेकिन उनको एक करने का कार्य विभाग के पास 20 वर्षों से विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों नगर परिषदों की एक संयुक्त महानगरपरिषद् बना कर बीकानेर के विकास के लिये अधिक से अधिक अनुदान दिया जाय। यदि तीनों नगर परिषदों को एक कर दिया गया तो चुंगी और कर की चोरी रोकी जा सकती है। दूसरी और बड़ी म्युनिसिपैलिटी होने के कारण नगर का नियोजित विकास हो सकेगा। नहीं तो होता यह है कि बीकानेर के पास गंगाशहर में चुंगी दर कम है, बीड़ी निर्माता, कपड़े के व्यापारी आदि वहां पर माल उतार लेते हैं उसके बाद छोटे वाहनों के माध्यम से बीकानेर में इनको ले आते हैं। तो इससे एक ओर शहर की चुंगी की चोरी होती है वहीं दूसरी ओर शहर का व्यवस्थित विकास नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों शहरों को मिलाकर महानगर परिषद् बनाई जानी चाहिये।

एक शहर के बीच में रेलवे फाटक की समस्या वर्षों से चली आ रही है। प्रावधान भी किया गया लेकिन फिर भी ज्यों की त्यों समस्या पड़ी हुई है। हजारों आदमी बीकानेर के नौकरी करने, पढ़ने, काम करने जाते हैं, चार स्थानों पर रेलवे का फाटक विद्यमान है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना का, हमने बहुत इन्तजार किया है और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं बीकानेर के निवासी इस बात के लिये उत्सुक हैं कि रेलवे फाटक की समस्या से कब छुटकारा मिलेगा। इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसके लिये नगर आयोजना के अन्तर्गत इस रेलवे स्टेशन को बड़सीसरके आसपास या गंगाशहर के आस पास करें।

श्रीमान्, बीकानेर में रंगमंच की समस्या काफी दिनों से चली आ रही है। यू0 आई0 टी0 से स्वकृति मिल चुकी है कि बीकानेर के लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने के लिये जैसे जयपुर में रवीन्द्र मंच है वैसा ही बीकानेर में बने। लेकिन स्वीकृति के बावजूद आज तक बीकानेर में इस प्रकार के रंगमंच के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए और लोगों के लिये मनोरंजन की कमी को ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष से रंगमंच का कार्य शुरू किया जाय।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

अन्त में, सभापति महोदय, मैं बीकानेर में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
अवैध कब्जों के लिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में 200 करोड़ रुपया की जमीनों पर सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसमें टाउन प्लानिंग के जूनियर इन्जीनियर और उनके सहायक कर्मचारियों का हाथ है। आप उनका स्थानान्तरण करें और ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करें जो मिल जुलकर कब्जा करवाते हैं। जो गोचर भूमि पर, शहरी भूमि पर कब्जे किये हुए हैं उसको छुड़वाये ताकि बीकानेर शहर का सुव्यवस्थित विकास हो सके। अन्त में, आपने जो समय दिया उसके लिये आपका आभारी हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री लच्छूराम

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : सभापति महोदय, राजस्थान के पांच डिवीजन हैड-क्वाटर्स के बारे में, वहां पर सड़कों, रंगमंच आद आदि सुविधाओं के बारे में सुझावों सरकार के सामने पेश किये। मैं, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस क्षेत्र की तरफ खींचना चाहूंगा जो रंग-मंच या इस प्रकार की सुविधाओं के अलावा जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उनसे भी बहुत दूर दराज हैं। पश्चिमी राजस्थान के इधर पाकिस्तान, बाड़मेर से लेकर लाहौर तक का क्षेत्र है उसमें पड़ने वाले म्युनिसिपल टाउन्स हैं उनकी जो दुर्दशा है, मैं समझता हूं जितने शहर में बसने वाले हैं, आज मैं मानता हूं जयपुर में भी कच्ची बस्तियों में सड़के और दूसरी सुविधा उपलब्ध नहीं हैं लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जहां आबादी के लिहाज से म्युनिसिपैलिटी है वहां सभापति, महोदय, नगर के अन्दर आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, क्षेत्र असिंचित है, गांव में पानी खारा है किसी, प्रकार की आमदनी का जरिया नहीं है, न ही कोई अच्छी मंडियां हैं इसलिये म्युनिसिपैलिटी की हालत ग्राम पंचायतों से ज्यादा बदतर है। ग्राम पंचायतों को अकाल राहत के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना से और समुचित ग्राम विकास योजना से अलग अलग मदों से हर प्रकार से विकास का मौका मिल जाता है। लेकिन इस प्रकार की नगर पालिकाएं पश्चिमी राजस्थान में जो हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं कहता हूं, मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर, जैसलमेर, झूंझुनू, सीकर को बात करता हूं, मैं माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से। वे पहले के भी बहुत पुराने तजुर्बेकार मंत्री है, यह विभाग उनको दिया गया है तो इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज को विशेष रूप से अनुदान के रूप में सहायता दी जाय, जिससे वे विकास कर सकें इनकी सड़कों की हालत तो इतनी बदतर है, एक सड़की ही बात नहीं, सभी प्रकार से वहां किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की कम आमदनी वाली नगर पालिकाएं है उनको विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में आने वाली नगरपालिकाओं को विशेष राशि अलाट की जायेगी। दूसरे आज नगरपालिकाओं में या सभी जगह जो राज्य की तरफ से साधन उपलब्ध है उनका केवल 100 में से 40 आदमी उपयोग करते हैं। आज जो क्षेत्र इलेक्ट्रिफाइड है वहां 100 में से 40 आदमी बिजली ले सकते है, 100 में से 40 के पास नल है इसलिये मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जो कच्ची बस्तियां हैं और जो छोटी नगरपालिकाएं हैं उनमें न तो पानी है, न रोशनी के साधन हैं, क्योंकि

(श्री लच्छूराम)

उन लोगों की आमदनी गरीबी की रेखा से नीचे है। जैसा कि मान्यवर मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राज के अन्दर 33 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। मैं कहता हूं कि इन शहरों के अन्दर जो गरीब लोग बसते हैं उनकी संख्या 33 प्रतिशत से ज्यादा है। इस प्रकार के क्षेत्र हैं, जो शहर के बाहर के एरियाज में बसते हैं वे चमार हैं, या दूसरे वीकर संक्शन के आदमी हैं, खेती करने वाले हैं, उनके घरों में बिजली नहीं है। 20 वर्ष से गांव इलेक्ट्रिफाई हैं परन्तु उन बस्तियों में बिजली नहीं है। नमूने के तौर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में दो गांव हैं बिसाऊ और मण्डावा। बिसाऊ के अन्दर छः हजार घर हैं और उसमें कनेक्शन केवल 1500 आदमियों के पास में हैं। तो यह है बिसाऊ का उदाहरण। यही सारे राजस्थान की हालत है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का सर्वे करवा कर इस प्रकार के क्षेत्रों की ओर आप ध्यान रखें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो क्षेत्र हैं, जहां पर छोटे छोटे म्युनिसिपल टाउन हैं, उनका कोई प्रतिनिधि विधान सभा में नहीं है, जो बड़े बड़े डिवीजनल हैड क्वार्टर्स हैं उनके तो यहां पर प्रतिनिधि हैं क्योंकि उन सिटीज से दो-तीन विधायक चुन कर आ जाते हैं वे अपने क्षेत्र की समस्या को हाउस में उजागर करते रहते हैं। परन्तु जो मैंने बात कही है, यह जो बेल्ट है, यहां पर जो म्युनिसिपेलिटीज हैं, उसके दो पर्सेन्ट प्रतिनिधि भी यहां पर नहीं हैं। इन म्युनिसिपेलिटीज का बहिष्कार हो रहा है। इसलिए मैं स्वायत शासन मंत्रीजी से और समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी म्युनिसिपेलिटीज का सर्वे करवा कर जो हरिजन बस्ती हैं, वीकर संक्शन है, जो शहरी क्षेत्र से बाहर रहते हैं, शहर के बीच में, बाजार में वे लोग नहीं बसते हैं, ये वीकर संक्शन, छोटे काश्तकार शहर के बाहरी क्षेत्र में बसते हैं इसलिये समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और स्वायत शासन के माध्यम से, इतना ही निवेदन करूंगा, इस प्रकार की जो छोटी म्युनिसिपेलिटीज हैं, उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। उनका सड़क और दूसरे विकास के लिये ध्यान रखा जाये।

मैं अपने क्षेत्र की दो म्युनिसिपेलिटीज बिसाऊ और मण्डावा के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। इनकी हालत दयनीय है। इनकी सड़कों के लिये विशेष रूप से मैंने पिछले बजट में कहा था लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं समझता हूं अब की बार माननीय मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान देंगे।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जब मण्डावा म्युनिसिपेलिटी भंग हुई थी तो उसके पहले उस म्युनिसिपेलिटी ने कुछ पेशाब घर, शौचालय बनाये थे। बड़े दुःख की बात है कि उनको तुड़वा कर वहां असरदार आदमियों ने दुकानें बना ली हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि यह जो अवैधानिक कार्यवाही की गई है उस पर वे गौर फर्मायेंगे। मण्डावा के भूतपूर्व चेयरमेन, ने जब म्युनिसिपेलिटी प्रशासक नियुक्त किया था, अपना कार्यकाल खतम होने के बाद एक मीटिंग बुलाकर नाजायज अलाटमेंट किया। उनके खिलाफ शिकायत आई

(श्री लच्छूराम)

तो राजस्थान सरकार ने भी माना कि दर-असल में यह गलत मीटिंग करके कार्यवाही की गई है। उनके खिलाफ कार्यवाही चालू है लेकिन अभी तक कोई आखिरी नतीजा नहीं निकला है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में भी वे गौर फर्मायेंगे।

मैं ज्यादा न कह कर जो सही बात है उसके लिये ही निवेदन करूंगा कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनकी आमदनी को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए आप कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि पहले नम्बर रहते हुए भी अब आपने समय दिया। इसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति : एक निवेदन कर दूं। आप की पार्टी के जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होने पर्याप्त समय पहले ले लिया है। जितना टाइम आपकी पार्टी के तीन सदस्यों ने लिया है उतना पांच आदमियों ने भी नहीं लिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप वक्त की सीमा का ध्यान रखेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप भी जयपुर के ही हैं। इसलिये थोड़ी कृपा तो रखिये।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी जो हमारे यहां पर नगर विकास न्यास बना है वैसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। नगर परिषद् के माध्यम से इसका काम हो सकता था। नया विभाग बना कर एक गलत काम कर डाला। अच्छा होता कि जयपुर में एक नगर निगम बना दिया जाता और उसके माध्यम से यह काम होता। आज जयपुर शहर के कोई काम हों उनमें कोई तारतम्य, सामंजस्य नहीं है। कहीं पर पी. डब्ल्यू. डी. वर्क शुरू कर रहा है, तो कहीं पर नगर विकास न्यास वर्क कर रहा है। कोई भी शहर का धनी धोरा नहीं है ऐसा लगता है। इन विभागों में कोई सामन्जस्य नहीं है। इसलिये व्यवस्थित ढंग से काम नहीं हो पाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आगाह करना चाहूंगी कि आखिर नगर-निगम बनाने में दिक्कत क्या है? आज जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है। इसकी आबादी इतनी है कि नगर निगम बनाया जा सकता है। सारे विभाग उसके अन्तर्गत काम करेंगे तो कुछ काम व्यवस्थित होगा। जब तक यह व्यवस्था न हो जाये इसके लिये मैं कहना चाहूंगी कि एक विकास प्राधिकरण ऐसा बना दें कि इन सब कामों में तारतम्य बना रहे।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर टाउन प्लानर महोदय ने एक प्लानिंग करके हम सब को आगाह किया परन्तु यह कैसा प्लानिंग है कि नक्शे में आबादी दिखायी गयी है, जहां पर लोको शैड है, जहां पर औद्योगिक बस्ती दिखाई गई है, वहां पर आबादी की बस्ती बस गई है। इस तरह समय पर इसमें परिवर्तन की कोई सीमा नहीं रखी गई और अनधिकृत आबादी, बस्ती वहां पर हो गई जिसको आप तोड़ नहीं सकते तो वहां पर उद्योग नहीं लगा सकते। यह जो नीति है इसकी वजह से यह हो रहा है। इसी तरह से अन्य अनियमित बस्ती बनती रहेगी। इस प्रकार पैसा लोग खाते है और आफिसर

(श्रीमती उजेला अरोड़ा)

लोग मौज उड़ाते हैं। इसलिए यह जो मास्टर प्लान बनाया गया है इसमें दुबारा परिवर्तन, परिवर्द्धन किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, जो मास्टर प्लान बनाता है वही अगर अपराध करेगा तो क्या नतीजा होगा ? टाउन प्लानर ने नियमों के विपरीत गैरेज के ऊपर कमरा बना लिया है जब कि विनय पाटनी नाम के एक लड़के ने इस प्रकार गैरेज को कवर करने की कोशिश की तो यू. आई. टी. ने नोटिस दिया। परन्तु यू. आई. टी. ने टाउन प्लानर को कोई नोटिस नहीं दिया। जयपुर में ही मैं पूछना चाहूंगी, कि इस तरह की गलत बात रही है तो क्यों हो रही है? इसके मूल कारणों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि दस-दस साल से, पन्द्रह साल से यू. आई.-टी. ने कोई स्कीम नहीं बनाई थी। जनता पार्टी के राज्य में प्लान आवंटन करने की एक योजना बनाई गई थी उसमें भी साल भर हो गया। मालवीया नगर का तो इसमें उल्लेख किया गया है परन्तु विद्याधर नगर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो काम अब तक कर लेना चाहिए था। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि देरी होने से वहां पर लोग कब्जा कर रहे हैं। अधिकांश कब्जे इस प्रकार के हुए हैं कि उनको हटाया नहीं जा सकेगा। समय पर विभाग नहीं चेता इस कारण अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं और वे बड़े प्रभावी है। इन कब्जों को तुरन्त हटाया जाना चाहिए हर प्रकार की क्षमता प्राप्त करके वरना जो मास्टर प्लान बना है वह रखा रह जायेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमने एक योजना बनायी थी कच्ची बस्तियों के बारे में। यह योजना थी कि कम से कम 110 गज का प्लाट उनको उपलब्ध कराया जायेगा जिनका कब्जा है और यह 110 गज जमीन 6/—रुपये गज के हिसाब से दी जायेगी। मेरे क्षेत्र में जहां पर गोविन्दजी का मन्दिर है वहां पर लोगों को इमर्जेन्सी के समय में पांच मिनट के नोटिस पर हटाया गया था उनको केवल 50 गज जमीन ही दी गई है।

एक आदमी को 50 गज जमीन दी है उसमें तो दो आदमी भी आराम से नहीं रह सकते हैं। वह फकीरों का मोहल्ला है। एक फकीरों के मोहल्ले में 110 गज जमीन दे दी है और दूसरे में उनको पचास से सत्तर गज ही दी जा रही है। तो उनको भी एकसी दी जाये। दोनों में भेद नहीं किया जाये। इसके लिये एक सी व्यवस्था करनी चाहिये। जो इन कच्ची बस्तियों की समस्यायें हैं उनकी ओर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये। यह बहुत उलझी हुई समस्या है। एक योजना जनता पार्टी के राज में बनायी थी कि जो लोग 71 से रहने वाले हैं और 71 के बाद के है यदि कहीं उन्होंने दो चार मकान बना लिये हैं तो उनको वहीं जगह दी जाये, उनको नियमित कर दिया जाये और उन बस्तियों को सुव्यवस्थित ढंग से बसाया जाये पर उसमें निरन्तर विलम्ब किया जा रहा है। इस बढ़ते हुये विलम्ब के कारण वहां पर निरन्तर अवैध कब्जे होते जा रहे हैं। इससे और अव्यवस्था फैलेगी। इसलिये उस पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी कच्ची बस्तियों को बसा देना चाहिए। मान्यवर, इससे पैसा भी मिलेगा।

मान्यवर, एक बात की और जानकारी मिली है इस बजट से कि कच्ची बस्ती वर्ष

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मनाया जायेगा परन्तु आपने उसके लिए केवल 60 लाख रुपये रखे हैं और वह भी केवल 8 म्युनिसिपैलिटी को शामिल करके। कैसे वर्ष मनायेंगे ? म्युनिसिपैलिटी को लेकर मनायेंगे एक को 8–8 लाख भी नहीं दे पायेंगे। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि कच्ची बस्ती वर्ष अगर सरकार मनाना चाहती है तो मंत्री महोदय को और पैसे का प्रावधान कराना चाहिये जिससे कम से कम इन कच्ची बस्तियों में सड़क, पानी पीने का और बिजली लैट्रिन आदि जो सामान्य प्रावधान है उनकी तुरन्त व्यवस्था करा सकें। तो ऐसी व्यवस्था करें। मकान की तो करायेंगे लेकिन कुछ बस्तियों के नाम पर ऐसी घोषणा न करें। यह केवल घोषणा ही न रह जाये, मान्यवर, जो सड़कें हैं, सड़कें विभाग बनाता है दूसरा इसकी कोई गारन्टी नहीं लेता है। कहीं मालूम पड़ता है कि यू.आई.टी. कहीं पी.डब्ल्यू.डी. तो कहीं मालूम होता है कि म्युनिसिपलटी की है जो फुटपाथ है उनका तो कोई धनी धोरी ही नहीं है। अभी कुछ पैसा पी0 डब्ल्यू.डी. को दिलाकर नगरपरिषद की ओर से कुछ फुटपाथों को बनाया गया था लेकिन यह काम ठीक नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में ठीक नहीं हुआ है। मेरा कहना यह है कि यह जयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है यहां बहुत से पर्यटक लोग आते है इसलिये जो भी व्यवस्था की जाये इसकी सुन्दरता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये इस सुझाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए सारे फुटपाथ निश्चित रूप से पक्के और ऊंचे होने चाहिये। कोई भी विभाग बनाये जल्दी से बनाया जाने चाहिये। नालियां नहीं हैं मुख्य बाजारों में और मुख्य बस्ती में वहां पर नाली बनायी जानी चाहिये मुख्य बाजारों में पानी इधर उधर नहीं फैले इसको ध्यान में रखना चाहिये। मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि ये अधिकारी लोग काम करने वाले नहीं है मैंने देखा हैं जो बचे हुये काम थे जो हम लोग छोड़ गये थे वे पूरे नहीं हुये हैं आप उनको निश्चित रूप से पूरा करें।

मैं कहना चाहूंगी कि मिट्टी उठाने का काम एक बहुत बड़ा काम है लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई विभाग नहीं ले रहा है। एक बार लुहारों का खुर्रा में मिट्टी आ गई थी हम ने वहां पर 26 दिन तक अपने हाथों से मिट्टी उठायी है। उस समय कांग्रेस का राज था परन्तु किसी ने साधन नहीं जुटाये। इसी तरह गलता जी के नीचे से मिट्टी आती है, नाहरों के नाके से मिट्टी आती है तो जो बाहर की सड़कें है वह सब मिट्टी से अवरुद्ध हैं और साईकल वाले, रिक्शा वाले तांगे वाले वहां से गुजर नहीं सकते हैं इसके लिये व्यवस्था करें। किसी डिपार्टमेंट को यह काम सौंपो और निश्चित रूप से इसके लिये कुछ पैसे का भी प्रावधान करें। यह काम प्रमुख रूप से करवाना चाहिये।

मैं कहना चाहूंगा कि इस शहर की एक रूपता के लिये कोई नियम नहीं हैं। हम चाहते है कि लोगों से कहा जाये कि एक रंग किया जाये। रामगंज बाजार का मामला मैंने एक प्रश्न के जरिये उठाया था उसका उत्तर दिया गया था कि रामगंज बाजार के 100 दुकानदारों ने 100-100 रुपया दिया था सात आठ वर्ष पहले किसी को पैसा दो तो ब्याज देना पड़ता है लेकिन सरकारी विभाग ब्याज भी नहीं देते हैं और उस पैसे से काम नहीं करते हैं। रामगंज बाजार में रंग नहीं कराया है और वह पैसा कहां गया इसको बता देने को कोई तैयार नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। उत्तर सही नहीं आया है। मैं चाहूंगी कि जो पैसा जमा कराया है जो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निजी लोगों का पैसा है सरकार उसका सही उपयोग करे और उस बाजार में भी रंग कराया जाये। इसके साथ साथ मैंने देखा है कि बाजारों में अनेक दुकानदारों ने रंग अलग-अलग कर लिये हैं और पक्के रंग जिसको कहना चाहिये वे कर लिये हैं, किसी ने हल्का गुलाबी, किसी ने गुलाबी और किसी ने हरा और किसी ने दूसरा परन्तु यह जो रंग हैं जो प्रेसक्राइब रंग है उससे नहीं मिलता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके लिये नियम बनाना चाहिये और उसकी पालना सख्ती से करायी जानी चाहिये। कुछ इस सम्बन्ध में आपको करना चाहिये। जयपुर पिंक सिटी कहा जाता है। नगर परिषद इस सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर रही है तो मंत्री महोदय इस ढंग से लें कि इस काम को पूरा कराना है। मैं समझती हूं कि यह काम निश्चित रूप से तीव्र गति से होना चाहिये। एक बात और है। हमारे यहां जो नगर विकास न्यास है उसकी कोई सेवा नहीं है, उनके लिये कोई प्रमोशन नहीं हैं, उन्नति नहीं है एक बात और है उनका कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता है जिसके कारण से ये सारे काम होते हैं, दादागिरी होती है। कोई सोचता हो कि मेरा स्थानान्तरण बीकानेर कर दिया जायेगा, जैसलमेर कर दिया जायेगा तो वे डर कर काम करें तो वह डर निकल गया है। जो लोग बैठे हुए हैं वह इस तरह से बैठे हुए हैं कि न इधर आना न उधर जाना। जिससे वहां इस तरह हो रहा है कि वहां बिना पैसे लिये कोई काम नहीं होता है यह मेरा आरोप है। वहां काम नहीं हो रहा है पिछले दिनों से। यह मेरे पास सूची है 10 सौ बस्तियों की उनकी सुनवाई हो गयीं, शिविर लगाया जाना था और उन सब का नियमन करने की बात है। जो लोग वहां पर रहने वाले हैं उनको भूमि आवंटित की जानी चाहिये। लेकिन, मान्यवर सभापति महोदय, नहीं की गयी है। जो शिविर लगाने की बात होती थी जनता पार्टी के राज में कच्ची बस्तियों में जाकर के एक ही जगह पर नल, बिजली और भूमि का पट्टा और नक्शा लेकर तथा वहीं की वहीं राशि जमा करके बस्ती बसाने की योजना थी परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि वह योजना इस सरकार ने ताक पर रख दी है। मेरा आग्रह है कि इन बस्तियों में जहां 12-12, 14-14 साल से और 20-20 साल से नक्शे लिये हुये हैं लोगों को चक्कर न कटवाइये उनके जल्दी से जल्दी नक्शे पास करके उनको अपने मकान में अपनी छत के नीचे जाने दें और बीस साल तक नक्शा पास नहीं करते हैं तो आवश्यकता के आधार पर लोग कानून के विपरीत भी नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य कर लेते हैं तो उनको या तो जुर्माना लेकर तोड़ दिया जाय किसी भी तरह से प्रावधान करना चाहिए कि इतना हिस्सा आपका है और इतना हिस्सा हमको देना है अगर ऐसा करेंगे निश्चित रूप से यू०आई०टी० का बहुत बजट बढ़ेगा। मेरा आग्रह है, यू०आई०टी० और नगरपालिकाओं को पैसा देते हैं, यू०आई०टी० को तो पैसा देते ही नहीं हैं कहते हैं कि जमीन को बेचो और तनख्वाह बांटों तो ऐसी स्थिति में वहां काम करने की गुंजाइश ही बहुत कम रहती है, मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि रेवेन्यू और नियमन का पैसा जो बहुत सारा ऐसा ही पड़ा हुआ है वह न्यास को उपलब्ध कराया जाये जिससे कि जो यू०आई०टी०, योजनायें बना रहे हैं उन पर काम कर सके और म्युनिसिपैलिटी को जो आज मंहगाई है और जो वे वस्तुयें बाजार से खरीदती है उसको देखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि सवा छः रुपयों से काम नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चलता है। इतना बड़ा नगर है बहुत सी योजनायें है तो इसको निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिये। आपसे निवेदन कर दूं कि चाहे आप मनोरंजन कर से दें या और किसी माध्यम से आप बढ़ायें, किसी भी हद में दें परन्तु उस ओर पैसा दें जिससे कि विभाग कर सके। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि मण्डी खटीकान जल महल की एक योजना थी जो अढ़ाई शती की योजना में शामिल की गई थी इस पर लोगों ने गलत ढंग से जमीन में आवंटन किया है। प्राइवेट लोगों ने, मैंने इस बारे में ध्यान दिलाया था यह नहीं होना चाहिये। उसको रोका जाना चाहिये। वहां देखेंगे तो वहां जो काले महादेव की बस्ती है वहां तक लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीन है। इन कब्जों को आप निश्चित रूप से हटायेंगे। आप जो मण्डी खटीकान जल महल की योजना है उसको पूरा करवाइये।

एक ट्रीटमेंट प्लांट हमारे यहां लगाना था, इस योजना में ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शहर में जो बस्तियां थी, चाहे वह लुहारों का खुर्रा हो, चाहे मेहरों की नदी हो, वहां का सारा पानी ले जाकर ट्रीटमेंट प्लांट में उस पानी को शुद्ध करके जल महल में डालने की बात थी और जलमहल में नावें चलायी जायेंगी, मेरी जितनी जानकारी है। यह ट्रीटमेंट प्लांट भी चालू हो गया है लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी शुद्ध करके डाला जा रहा है उसमें दो करोड़ रुपये लगे, लेकिन जो दूसरी बस्तियां थी उनका पानी अभी तक खुला हुआ है और जल महल में जा रहा है। और दुर्गन्ध फैला रहा हैं। जिससे जगह जिस लाइन बैठ गई है उसके लिये भी म्युनिसिपैलिटी अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर रही है।

मेरा निवेदन है कि उसका प्लान, मास्टर प्लान में लाकर योजना को पूरा किया जाना चाहिये, जिस प्रकार से नगर परिषद् का काम चल रहा है उसको मैं सुचारू नहीं मानती। अभी दो बार शहर में हड़ताल हुई थी, लेकिन हड़ताल खतम होने के बाद शहर में जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसको युद्ध स्तर पर हटाना जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा था। आज भी गलियां कूड़ों से भरी हुई हैं। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, कई स्थानों पर तो गटर लाइन और वाटर लाइन मिल गई हैं, मैंने एक शीशी भी पानी की यहां पेश की थी। आज शहर में जिस प्रकार से गन्दगी भरी हुई है, और शहर को नरक बनाया जा रहा है। मैंने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास सामान पर्याप्त है। लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि हमको समान नहीं दिया जाता। मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, मुझे हंसी आती है, उस रोज प्रशासक महोदय ने मेरे यहां पर चार मेहतर भेज दिये। उन्होंने पूछा कि आपके यहां पर क्या समस्या है, गटर बन्द हो तो गटर खोल दें, कूड़ा इकट्ठा हो तो उठा दें, इस तरह से मेरे साथ मजाक किया गया। मैं यह पूछना चाहूंगी कि जितने अधिकारी और कर्मचारी यहां पर बैठे हुऐ हैं, उनको भी उन्हीं रास्तों से गुजरना पडता है, इस तरह का वाहियात और गन्दा रूप है, ये कैसी व्यवस्था है। लोग तो कूड़े मे खाद बनाते हैं, वह पैसा भी व्यर्थ गया और लोगों की जीवन रक्षा भी मुश्किल हो गई। घरों में मच्छरों की कमी नहीं। श्रीमन्, गलता जी एक तीर्थ स्थान है, वहाँ पर भी आज कूड़ा डाला जा रहा है। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, और बाबू जयप्रकाश की अस्थियों को प्रवाह किया गया था, क्या वहां पर इस तरस से गन्दगी डालना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उचित है। इसी तरह से कुष्ट केन्द्र है वहां पर मच्छियों को संक्रामक किया गया, इससे कुष्ट रोग बढ़ जाता है। **श्री मदन लाल गुप्ता**, यद्यपि मुझको नाम नहीं लेना चाहिये, सोचते हैं कि पहाड़िया जी मुझको हटा नहीं दें। भूतपूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे उन्होंने उनको रखा, वे हार गये और बाहर चले गये हैं। मैंने पहले भी कहा था, श्रीमान्, आप यहीं रहें, वे उनकी वफादारी अब भी निभा रहे हैं, हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, जिस पद पर वे रहें लेकिन काम तो पूरा करें। लेकिन जनता के प्रति वे कोई वफादारी नहीं निभा सके....

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि वे बहुत ही अनुत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैंने सुना है कि दोनों आयुक्त और प्रशासक मिल कर काम नहीं कर रहे हैं, आपस में बनती नहीं है, नहीं बनती होगी, वहीं से दोनों तनख्वा लेते हैं। नीचे के अधिकारियों से काम लेना उनका फर्ज है। जयपुर की सफाई कराना उनका फर्ज है। श्रीमन्, मेरे अधिकांश कटौती प्रस्ताव नगर परिषद् से सम्बन्धित हैं और इसी से सम्बन्धित कई आवश्यक काम नहीं हो रहे हैं,। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यदि यह व्यक्ति ताडना देने के बाद भी काम नहीं करे तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको इस पद पर सुशोभित रखा जाय, यह कोई ऐसी चीज नहीं है, यह एक ऐसा पद है जो नागरिकों के जन जीवन से जुड़ा हुआ है, काम नहीं करे तो उन्हें निश्चित रूप से तुरन्त विदा कर दिया जाय। मेरा आपसे आग्रह यह भी है।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

हाउस की कार्यवाही 8 बजे तक चलेगी, 7 बजे मन्त्रीगण जवाब पेश करेंगे, आपकी पार्टी के सदस्य और हैं, फिर उनको टाईम नहीं मिल सकेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यहां नगर परिषद् ने 9 लैट्रीन्स बनवाई, लेकिन उनमें पानी के कनेक्शन नहीं दिये गये। इस कनेक्शन के अभाव में उनकी सफाई नहीं होती। एक छोटी सी बात थी, दस रुपये जलदाय विभाग को देने थे, इतना छोटा काम भी इनको गवारा नहीं है। लैट्रीन्स इतनी अच्छी बनी हुई हैं, टाईल्स की हैं, उनको व्यवस्थित रखा जाना चाहिये।

इसी प्रकार से, श्रीमन्, फकीरों की बस्ती है जिसमें सबसे गरीब लोग रहते हैं, उनकी बस्ती में तीन महीने से बिजली बन्द रहती है। आयुक्त महोदय, रात को 12 बजे घर पहुंचते नहीं, मिनिस्टरों के यहां सलाम करने में लगे रहते हैं। नीचे के अधिकारियों से कहते हैं तो वे काम नहीं करते हैं। मैंने स्वयं ने पत्र भेजा, श्रीमन्, यह एक यह बहुत चिन्तनीय विषय है, तीन महीने हो गये उनकी बस्ती में बिजली बन्द है। बहुत चिन्तनीय विषय है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नायकों की बस्ती में नगर परिषद् की ओर से भूमि दी गई थी। उन पर यह पाबन्दी लगाई गई थी कि भूमि को बेचा नहीं जायगा। उनको इसलिए एक शर्त पर भूमि दी गयी थी कि वे बेंचेगे नहीं और खुद उसमें रहेंगे।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
लेकिन उन्होंने भूमि को बेचना शुरू कर दिया है, उनको किस प्रकार से अनुमति दी गई, यह एक बहुत ही चिन्तनीय विषय है। बांदरों के नासिक से यह लगा हुआ मोहल्ला है, मेरा अनुरोध है कि इस ओर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि नगर परिषद् के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो यू.आई.टी. के कर्मचारी हैं, उनको क्वार्टर उपलब्ध कराये जाने चाहिए, दुनिया भर के लोगों को आप क्वार्टर देते हैं तो इन कर्मचारियों को अवश्य उपलब्ध कराये जाने चाहिए, जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। पहले संजय कालोनी के नाम से बस्ती बसाने की बात भी थी लेकिन वहां पर मकान तोड़ दिये गये हैं, मेरा आग्रह है अवैध काम न करें लेकिन निश्चित रूप से उनको प्लाट्स का आंवटन किया जाय। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ चौधरी

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, हमारा नाम....

श्री सभापति : जो टाइम दिया गया है उसमें से कोशिश यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें और किसी को शिकायत का मौका नहीं देता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : मेरा नाम तो पहले ही आ जाना चाहिए था।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष है और यह आशा की जाती है कि इस वर्ष विशेष करके विकलांग लोगों का बहुत बड़ा उपकार और लाभ होने वाला है, मैंने समाज कल्याण विभाग का इस वर्ष का प्रतिवेदन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और मैंने यह जानने की कोशिश की कि विकलांगों के लिए यह विभाग इस वर्ष क्या करने जा रहा है, लेकिन मुझे खेद है कि जितना हम सोचते थे और अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष में जितना काम उनके लिये होना चाहिये था, उसका इस प्रतिवेदन में कुछ भी जिक्र नहीं था।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : खिलाफ में बोल रहे हो क्या ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, वह आप सुनिये।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर दूं कि सात बजे मन्त्रीगण उत्तर देंगे, दस मिनट रह गये हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी वाले इसलिए घबरा रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने किया था उसको हम सुधारते-सुधारते थक भी गए लेकिन वह अभी तक साफ नहीं हुआ। मैं उसके लिए 2–4 शब्द कहूंगा, आप लोगों को बख्शने वाला नहीं हूं, आप शांति से सुनें।

मैं निवेदन कर रहा था कि समाज कल्याण विभाग के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि विकलांग वर्ष में विकलांगों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं लेकिन इस प्रतिवेदन में उन कल्याणकारी योजनाओं के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, जबकि उसके विस्तृत आंकड़े होने चाहिए थे, और जानकारी होनी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चाहिए थी कि कल्याणकारी योजनाओं के ये कार्य चलाये जा रहे हैं। अगर इस अवसर पर भी विधायकों को जानकारी नहीं दी जाती है तो मैं समझता हूं विभाग अपने कार्य में असफल रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत उन स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है जो यह कार्य करती हैं। उन संस्थाओं के बारे में यह तो लिखा है कि राजस्थान में ऐसी 7 संस्थायें हैं लेकिन वे कौनसी हैं, और कितना काम कर रही हैं, कितने विकलांगों को लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है इसकी इस प्रतिवेदन में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही इन योजनाओं में पेंशन या कृत्रिम अंग की जो सहायता दी जाती है उसको अगर हम योजना मान लेते हैं तो इन दो के बारे में जानकारी दी गई है, अन्यथा एक जानकारी दी गई है विकलांगों को एक हजार रुपये अनुदान दिया जाता है ताकि वे अपना कोई कार्य खोल सकें। मैं पूछना चाहता हूं आज के इस महंगाई के युग में क्या एक हजार रुपये के अनुदान से या सहायता से कोई विकलांग अपने जीवन यापन के लिए कार्य कर सकता है? अगर नहीं, तो हमें सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी चाहे ऋण हो, या अनुदान को बढ़ाया जाय लेकिन जिस व्यक्ति की सहायता करने जा रहे हैं, इतने अनुदान से या ऋण से वह अपना जीवन-यापन कर सकेगा।

इसके साथ ही इस प्रतिवेदन में मूक और बधिर के सम्बन्ध में कुछ नहीं दिया। बजट में तो यह नाम अवश्य है लेकिन प्रतिवेदन में कुछ नहीं बताया गया है कि क्या किया जा रहा है, क्या होने वाला है। हमारे राजस्थान में बधिर और मूक के स्कूल चलते हैं, वहां से बहुत से विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं उनके बारे में कुछ नहीं, उनका नियोजन कहां होगा, उनकी सेवायें कहां ली जा सकती हैं या उनके जीवन यापन के लिए क्या किया जा सकता है, सरकार का कोई इशारा नहीं है, जबकि यह बड़ा महत्व वाला पेचीदा मसला है, इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निराश्रित महिलाओं के लिए एक सदन बना हुआ है, वहां पर करीब 275 की संख्या निश्चित है कि इतनी महिलायें राजस्थान में इस तरह की महिलायें, हो तो उनको रखा जा सकता है, उनके सुधार के लिए, खाने पीने, पहनने के लिए व्यवस्था है। यह भी एक दो शहरों में है। मैं जानता हूं अगर ये महिलायें ज्यादा हो जायं, क्योंकि इसके लिए कोई पाबन्दी नहीं है, कभी ज्यादा भी हो सकती हैं कम भी हो सकती हैं, तो बजट में जो यह 275 की संख्या निश्चित की गई है, अगर 5 बढ़ गई तो उनका सुधार नहीं होगा? उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है? इसलिए यह बड़ा अजीब सा लगता है, आप इस तरह की सदनों पर पाबन्दी लगाते हैं कि इससे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं की जायगी। मेरी समझ में बात नहीं आती। इसलिए, सभापति महोदय, जहां तक सुधार का मामला है उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं होनी चाहिये।

मैंने देखा है महिला सदन; उत्तर रक्षा गृह, जिला आश्रय सदन, इस तरह के तीन तरह के तीन गृह चलते हैं, कार्य एक ही है, उनकी देखभाल के लिए, उनको सिखाने के लिए, कुटीर उद्योगों की शिक्षा के लिए एक ही प्रोविजन है तो अलग-अलग नामों से क्या फायदा? अलग-अलग नाम

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

रखें तो फिर समझाइए कि किस तरह के गृह में क्या कार्य सिखाया जाता है, किस तरह की रक्षा की जाती है। पिछली बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इन महिला सदनों का क्या हाल है ? एक सुपरिटेंन्डेट का ट्रांसफर हो गया, सारी महिलाओं में भगदड़ मच गई। पुलिस पीछे, महिलायें आगे और फिर भी उनके हाथ नहीं लगीं। इसका मतलब यह नहीं कि किसी का ट्रांसफर होने से, नए सुपरिन्टेंडेंट के आ जाने से इतना रोष हुआ। इसका कारण और भी होगा चाहिए। मैं सिर्फ इशारा मात्र करना चाहता हूं राज्य सरकार को ऐसे विषयों में सतर्कता से चलना पड़ेगा जहां महिला सदन चलते हैं. उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है, यह जिम्मेदारी भी हम पर है कि उनका नैतिक आचरण सुधारें, उनके जीवन यापन के लिए नए तौर तरीके सिखायें, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ायेंगे, उनको परिवारों में भी भेजेंगे तो इस तरह की सुरक्षा के लिए हम निश्चिन्त होंगे कि उनके साथ कोई ऐसी घटना घटने वाली नहीं है। सभी सदनों का स्वरूप सुधारना पड़ेगा और यह मानकर चलना पड़ेगा कि जो महिला सदन में आई है वह अब दुखी नहीं है और उसका रूप निखर रहा है, वह सुधर रही है और जीवन यापन दृढ़ता से खुद कर सकती है।

इसके साथ मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि निराश्रितों के कल्याण के लिए भी बजट में इशारा किया गया है। यह खुशी की बात है कि इस तरह के जो लोग बहुत निराश्रित हों जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, सरकार उनकी जिम्मेदारी लेकर चले। उन लोगों के लिए कुछ पेन्शन का प्रबन्ध होना चाहिये। पेन्शन के लिए एक व्यक्ति के लिए 40) हैं और अगर पति पत्नी निराश्रित हों और कोई बच्चा देखभाल करने वाला नहीं हो तो 60) रुपये। इसी तरह से टौंक और पुष्कर में दो आश्रम चलाये जाते हैं जहां निराश्रितों की पूरी देखभाल की जाती है। मेरा निवेदन था कि निराश्रित लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए जनता राज में बहुत कुछ किया गया, तब भी मैंने कहा और पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह के लोगों को पेन्शन देकर आप उनकी सहायता कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका सहयोग करने वाले उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। जिस प्रकार से राज्य सरकार से पैसा मिल रहा है, एक तरह से जो उनको निराश्रित घोषित किया जाता है और राज्य सरकार से मुफ्त में धन प्राप्त किया जाता है इसमें बहुत धनराशि राज्य सरकार की फिजूल जाती है। जिस तरह से टौंक और पुष्कर में आश्रम खुले हुए हैं उसी तरह आप और जगह खोले ताकि बुजुर्ग लोगों का इलाज हो सके और उनको आश्रय भी मिल सके। जिन लोगों का कोई रिश्तेदार है, वह रिश्तेदार तो अपने बुजुर्ग को निश्चित रूप से किसी भी तरह उन आश्रमों में भेजना पसन्द नहीं करेंगे उन आश्रमों में तो वे आयेंगे जो निराश्रित हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है। आपको बहुत से लोग मिल जायेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका वास्तव में कोई सहारा नहीं है किन्तु आज तक प्रयासों के बाद भी उनको कोई पेन्शन या आर्थिक मदद नहीं पहुंच सकी है।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

2-4 मिनट और।

कुष्ठ गृह योजना के संबंध में निवेदन करता हूं। पिछली बार जनता सरकार ने बताया था कि 700 कुष्ठ रोगियों का उन्होंने पता लगाया, कुछ का इलाज किया, कुछ लापता हो गये। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्या आपने सब कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ कर दिया या जानकारी थी वह समाप्त हो गई? आपने प्रतिवेदन में बताया है कि 39 कुष्ठ रोगी आपके पास में पिछले वर्ष थे, उनमें से 14 इस साल फिर आये, 16 का आपने पुनर्वास कर दिया। पुनर्वास क्या किया? ठीक हो गए? कार्य में उनको लगा दिया, जीवन यापन खुद कर सकते हैं? कोई जानकारी नहीं। अगर कुष्ठ रोगी 18 आपने भर्ती किए और 16 तंदुरुस्त होकर निकल गए तो सरकार वास्तव में धन्यवाद की पात्र है तो बाकी कुष्ठ रोगियों का इलाज करें। आज जब मैं विधान सभा में आ रहा था तो बहुत से कुष्ठ रोगी मैंने देखे पोस्टर्स लिए ढोलक लिए चल रहे थे यह एक तरह से भिक्षा वृत्ति को बढ़ावा है और रोग फैलाने वाले दर-दर घर-घर घूमते हैं। आप निश्चित तौर से संख्या निर्धारित नहीं कर सकते? जितने कुष्ठ रोगी हैं उनके परिवार के लोग उनको अलग रखकर उपचार की व्यवस्था करें या अगर इस तरह के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है तो उनको कुष्ठ आश्रम में ले जाकर रखें, उनकी सड़क पर नुमाइश मत कीजिये। जयपुर पिंक सिटी है, बड़ा शहर है जहां टूरिज्म के हिसाब से, पर्यटकों के हिसाब से बहुत लोग आते हैं, वे जो तस्वीर लेकर हमारे देश का प्रचार करेंगे, वे भद्दी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, एक तरफ आप डींग मारते हैं कि कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम खोलकर उनकी सहायता करते हैं। निश्चित तौर से आपको मानकर चलना पड़ेगा कि जितने इस तरह के कुष्ठ रोगी हैं उनको ले जाकर छोटे-मोटे काम सिखाइए, इलाज किया जाय लेकिन शहरों से दूर किसी आश्रम में ले जाकर रखें।

भिक्षा वृत्ति उन्मूलन के लिए बहुत बड़ा जोर है, कानून भी बना दिया है, लेकिन भिक्षा वृत्ति वैसी की वैसी चल रही है। आपने अजमेर और उदयपुर में भिक्षा वृत्ति के लिए आश्रम बनाकर 125 व्यक्ति की व्यवस्था की है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि राजस्थान में भिक्षा वृत्ति करने वाले इतने ही व्यक्ति हैं? आप देखेंगे किसी रेस्टोरेंट के पास, मंदिर के पास जायें तो भिक्षा वृत्ति वाले छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा हर तरह का व्यक्ति ऐसा मिल जायगा जो मजदूरी करके खा सकता है लेकिन जब बिना तकलीफ के कुष्ठ रोगी को पैसा मिल जाता है, क्योंकि हिन्दुस्तान धार्मिक लोगों का देश है और यहां 10-20 पैसे धर्म के नाम से कोई भिक्षा वृत्ति देना बुरा नहीं मानता है। इसका मतलब यह नहीं कि भिक्षा वृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन इस तरह के स्थान पर भिक्षा मांगने वाले कत्तई नहीं हों। उनको धंधे में लगायें अगर वे विकलांग हैं, और किसी तरह कार्य करने में असमर्थ हैं तो आश्रम में भेजें, यह बीमारी देश की है, इसको मिटायें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं थोड़ा नगर आयोजना विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पहले ही दो मिनट अधिक ले चुके है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, दो मिनट का ही समय लूंगा आपकी बड़ी कृपा होगी।

तो मैं आपको नगर आयोजना विभाग के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं पूर्व में भी इस सदन में इस सम्बन्ध मे निवेदन कर चुका हूं कि सदन में जो माननीय सदस्य कहते हैं, अगर सरकार की जानकारी के अंदर यह बात होती है तो ठीक है अन्यथा माननीय सदस्यों का काम होता है कि अगर सरकार या मन्त्री जी सोते हैं तो उनको जगायें। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी जानकारी सदन में माननीय सदस्य दें अगर वह सरकार की जानकारी में है तो सदन आहूत होने के पहले सम्बन्धित लोगों के खिलाफ कार्य–वाही करें और सरकार सदन के माननीय सदस्यों को बतावे कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के केस थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की। अगर वह सरकार या मन्त्रीजी की जानकारी में नहीं है तो जो माननीय सदस्य जानकारी देते हैं उसके अनुसार जांच करके सरकार उन लोगों के खिलाफ दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करे। लेकिन, सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि सदन में कहने वाले माननीय सदस्य कह देते हैं और सुनने वाले सुन लेते हैं पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। जिनके खिलाफ बड़े-बड़े भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चार्जेज सदन में लगाये गये थे, वह चार्जेज सही पाये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी तो राज्य सरकार को काफी बड़ा लाभ पहुंचेगा और सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। साथ ही जो अधिकारी वर्ग आज जनता को चूस रहा है वह बन्द हो जायगा। इसमें तो आपकी सरकार का ही भला है। इसलिए मैं समझता हूं अगर सरकार इस ओर ध्यान देगी तो आपकी सरकार का भला ही होगा।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सा नगर आयोजना विभाग के प्लान्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में कुल 151 नगर हैं। उन 151 नगरों में सिर्फ 6 नगरों के मास्टर प्लान अभी तक बन सके हैं। सभापति महोदय, 6 नगरों के मास्टर प्लान भी कोई अभी तैयार किये गये हों वह बात नहीं है, वह तो पहले ही तैयार किये जा चुके थे। मेरा निवेदन है कि वह तो पहले ही जैसे बनाये हुए थे उसी के आधार पर बना दिये गये हैं। अब दूसरे नगरीय मास्टर प्लान जो है वह अभी अधूरे पड़े हैं। पांच ऐसे शहर है जिनकी योजना बनी नहीं है।

इसके अलावा नगरों के मास्टर प्लान बनाने के लिए एक सलाहकार परिषद् की नियुक्ति भी होती है वह भी अभी तक नहीं बन सकी है। इसके लिए यह भी निवेदन है कि 38 समिति को सन् 1980 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिये थी। सभापति महोदय, राजस्थान नगर नियोजन एक्ट, 1959 की धारा 3(2) के अन्तर्गत इसका गठन होना चाहिये था पर यह गठन नहीं हो सका है। मुझे एक बात का

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

आश्चर्य होता है कि जब गवर्नर रूल था यहां पर उस समय नगर आयोजना विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी, नगर आयोजना विभाग ने इस तरह की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। सभापति महोदय, जब सलाहकार परिषद् का गठन ही नहीं हुआ तो उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कैसे कर दी गयी? इसका मतलब यह है कि सरकारी अधिकारियों ने सरासर सरकार को गुमराह किया और राज्यपाल महोदय को भी गुमराह किया। अगर इस तरह की झूठी रिपोर्टों के आधार पर राजस्थान सरकार यह मानती है कि जयपुर शहर चमकने वाला है तो, मैं समझता हूं यह राजस्थान सरकार की भूल है। उनकी वजह से तो यह जयपुर शहर गन्दगी और बेकारी से भरा हुआ मिलेगा।

अब अन्त में, सभापति महोदय, जो मुख्य अधिकारी हैं, नगर आयोजना विभाग के, जिनकी सी. आर. हमारे मुख्य सचिव ने लिखी उसमें लिखा है कि मुख्य नगर आयोजक ने अपने सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया है वह सन्तोषजनक नहीं है, उसके लिए तीव्र प्रताड़ना दी जाती है। सभापति महोदय, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हू लेकिन मैं इतना ही कहना उचित समझता हूं कि ऐसी क्या बात है कि जब हमारे राज्य के सर्वोच्च सचिव यह लिखते हैं कि उनका काम सन्तोषजनक नहीं है तो फिर ऐसे अधिकारी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? जिस अधिकारी के खिलाफ सैंकड़ों अनियमितताओं के चार्ज लगे हुए हैं, कई भ्रष्टाचार के मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं और इनकी अनियमितताओं की कार्यवाहियां इस विधान सभा की रिपोर्टों में भरी पड़ी है फिर क्या बात है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि वह नये पधारे हैं, शायद कुछ काम भी करेंगे इसलिये मैं चाहूंगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित करके उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और सदन के माननीय सदस्यों को उनके इस अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देने का मौका दें। माननीय सदस्य भी कहेंगे कि ऐसे अच्छे मन्त्री आये हैं जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की।

धन्यवाद।

श्री सभापति : समाज कल्याण मन्त्री।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने का अधिकार

श्री भंवरलाल शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : क्या है?

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य का पाइन्ट आफ आर्डर है। हां साहब, आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि हम सभी माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव आज की डिमाण्ड्स पर दिये हैं इसलिये उन कटौती प्रस्ताव पर बोलने का हमारा अधिकार है। आपके पास समय नहीं हो तो, सभापति महोदय, समय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उन कटौती प्रस्तावों के समर्थन में हमें बोलने का जो अधिकार है वह छीना नहीं जा सकता, वह तो मिलना चाहिये। हमारे दल के बहुत से माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स दिये हैं और सभी बोलना चाहते हैं। उधर कांग्रेस दल के सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मेरा यही निवेदन है चूंकि समय बहुत कम है। और....

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, सवाल समय का नहीं है वह तो आप बढ़ा सकते हैं, वैसे 25 माननीय सदस्यों ने बोलने के लिए कटमोशन दिये थे उसमें से भी हमने 8-10 की ही सूची दी है। अगर समय नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि हमारा कट मोशन देने से क्या फायदा? फिर यहां पर बैठे रहने से भी क्या फायदा है? हमारा जो अधिकार है अपने कट मोशन देने का और उसके समर्थन पर बोलने का, उस पर तो कुठाराघात हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप समय बढ़ा दें और सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलने का मौका दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मैंने पहले निवेदन कर दिया कि समय बहुत कम है। मुझे कटौती प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त करने को कहा गया है। आपने जो आपत्ति उठायी है उसके बारे में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब शुरू शुरू में डिमाण्ड्स शुरू हुई थी, तो अध्यक्ष महोदय ने पहले ही व्यवस्था दे दी थी कि कट मोशन माननीय सदस्यों ने बहुत दे रखे हैं और समय बहुत कम है। अगर सभी दिये गये कट मोशन के ऊपर बोलने दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि एक दिन से शुरू होकर दूसरे दिन भी समाप्त नहीं होंगे। इसलिये सभी माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलें तो एक ही बार सभी विषयों पर बोल लें। इसके अलावा जब भी माननीय सदस्य बोलने लगते हैं तो वह अपने भाषण को काफी लम्बा कर देते हैं जो सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जाती है उसमें बहुत समय ले लेते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य दस मिनट के लिए बोलने को खड़े होते हैं और बार बार चेयर के कहने पर भी 10 की बजाय 20 और कई माननीय सदस्य 25 मिनट तक बोलते रहते हैं। उसके अनुसार अगर सभी को बुलवाया जाय तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि और भी दिनों डिमाण्ड्स चलेंगी, माननीय सदस्यों को और बोलने का मौका भी मिलेगा तब वह आगे बोल लें।

(व्यवधान)

मैंने तो यह अनुभव किया है कि जिस विषय पर कटमोशन दिये जाते हैं उस विषय से हटकर ज्यादा बहस दूसरे विषयों पर होती है। इससे भी ऐसा जाहिर होता है और भी विषयों पर कटमोशन पर लोग बोलेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि सब्जेक्ट जिसके ऊपर बोलते हैं, लिमिटेड नहीं है, अब कल से लिमिटेड बोलियेगा। सबको बुलाने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

कटौती प्रस्ताव पर

मतदान पूर्व प्रस्तुतकर्त्ता को विचार व्यक्त करने का अधिकार

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर यह है सभापति महोदय, कि जिन माननीय सदस्यों ने इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं यह उनके बोलने के बाद तय होगा कि जिन्होंने कटमोशन मूव किये हैं वह उन्हें वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं ग्रौर ग्रगर नहीं लेते हैं तो मतदान होगा। तो जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उस पर बिना बोले ग्राप कैसे कहेंगे वह मोशन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं या मतदान के लिए रखते हैं। इसलिए जो कटमोशन हैं उनको मतदान पर रखने के पहले बोलने का मौका नहीं दिया गया तो ग्रन्याय होगा। समय की सीमा, यह चिन्ता का विषय नहीं है। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य बोलते हैं या नहीं। ग्रौर बोलते हैं तो लम्बा बोलते हैं तो लम्बा बोलने में तो ग्रापकी सहमति रहती है। इसलिए लम्बा बोलते हैं। इसको ग्राप रोकिये लेकिन जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनकी क्या स्थिति होगी ? उनको ग्राप बोलने नहीं देंगे ग्रौर ग्राप मोशन वोट पर रख देंगे।

(7. 12 रात्रि.)
(श्री पूनम चन्द विश्नोई, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टाइम बहुत हो गया है ग्रौर ग्रब गवर्नमेंट की ग्रोर से रिप्लाई होना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ग्रध्यक्ष : हां, व्यवस्था के प्रश्न पर ग्रापने फर्माया यह था कि कटौती प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनको यदि उनके ऊपर बोलने का ग्रवसर नहीं दिया जाता है तो यह विरूद्ध है नियमों के, उस पर ग्रापत्ति खास तौर से यह उठाई कि कभी उनको कटौती प्रस्ताव वापस लेने होंगे तो बिना बहस में हिस्सा लिये....

श्री भंवरलाल शर्मा : वोट भी करा सकते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि कटौती प्रस्ताव कभी वापस नहीं लिये जाते हैं क्योंकि कटौती प्रस्ताव सौ दो सौ हुए, उन पर हां ग्रौर ना करवायें तो ग्रापको भी तकलीफ होगी। इसलिए यह कभी वापस नहीं लिये जाते हैं। कटौती प्रस्तावों के बारे में ग्रासन की ग्रोर यह व्यवस्था है। मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हुए समझे जायेंगे। यानि सदन के समक्ष वह ग्रा गये ग्रौर व्यवस्था यह है कि इन कटौती प्रस्तावों का प्रत्येक का जवाब माननीय सदस्यों को दिया जायगा। ग्रब प्रश्न केवल इतना ही है कि इन तीनों मांगों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है ग्रथवा नहीं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं।

एक माननीय सदस्य : मत करवा लीजिए।

श्री ग्रध्यक्ष : इसमें मत का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज।

इसमें ऐसा है कि यदि दो चार माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं तो पांच

(श्री अध्यक्ष)

पांच मिनट का समय दे दूंगा । वाद-विवाद में हिस्सा लेने की छूट होनी चाहिये, हम इसी पक्ष के हैं लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है । इसलिए पांच-पांच मिनट तीन इधर के और तीन उधर के माननीय सदस्य बोलें ।

कटौती प्रस्तावों

पर विचार व्यक्त करने का सत्ता पक्ष के सदस्यों का समानाधिकार ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि संख्या के अनुपात से भी देखा जाय तो हमारे कांग्रेस के सदस्यों को बहुत कम मौका मिला है । मैं समझता हूं कि यह जो लच्छेदार भाषण देते हैं केवल तालियां पीटने के लिए तो क्या इससे आसन भी प्रभावित रहता है । उनको इतना अधिक समय मिल जाता है कि हमको हमारी बात कहने का मौका ही नहीं मिल पाता है । हमारे सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए । हमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिये । आखिर हमने भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ।

श्री अध्यक्ष : बहुमत में आपके आने के बाद आपको एक बड़ा लाभ यह मिल जाता है कि राज सत्ता उस दल के हाथ में आ जाती है जो स्वयं में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है । आप एक तरह से सन्तुष्ट दल में रहते हैं । जो विपक्ष है वह असन्तुष्ट रहता है । मैं मानता हूं कि संख्या का कुछ ध्यान रखा जाना चाहिए वाद-विवाद में लेकिन कतई हम इस तरह से बांध दें यह सम्भव होता नहीं है । बहुत इस तरह के प्रस्ताव हैं जो सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं । स्थगन प्रस्ताव हैं और प्रश्नों के बारे में भी जहां तक होता है सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य एक सीमा तक ही बोलते हैं और एक सीमा तक ही वह पूरक प्रश्न पूछते हैं । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं यह ज्यादा पूरक प्रश्न भी पूछते हैं क्योंकि उनको कुछ जानकारी लेनी होती है । उनका कर्त्तव्य यह है कि वह सत्तारूढ़ दल के ऊपर अंकुश रखें । यह उनका एक कर्त्तव्य है, बहुत महत्वपूर्ण जो जनतंत्रवाद का हिस्सा है । इसमें ज्यादा विवाद की बात नहीं है । पांच-पांच मिनट का प्रत्येक माननीय सदस्य को समय दूंगा । पांच-पांच मिनट का समय इधर वालों को और उधर वालों को मिलेगा और कुल 6 माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट हिस्सा लेंगे ।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदया, इससे पार नहीं पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज मांग संख्या 30 और 29 के ऊपर मैंने भी कटमोशन दिये थे....

श्री अध्यक्ष : बोलने के लिए अनुमति तो अब दूंगा । उसकी इजाजत तो मांगते ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं पूर्व बात पर आता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आटे में नमक डालने से स्वादिष्ट रसोई बनती है लेकिन यदि नमक ज्यादा डल जाता है तो सारी रसोई गड़बड़ हो जाती है, वह बीमारी भी पैदा करती है और उचित रसोई नहीं होती । इसलिए यह बात भी ठीक है कि विरोधी दल को मौका मिलना चाहिए लेकिन विरोधी दल के लोग तो कुछ ऐसे

(श्री मेरूलाल भारद्वाज)

स्थगन प्रस्तावों पर भी बोल लेते हैं और सदन के दो दो और चार चार घंटे का उपयोग करते हैं। केवल सत्ताधारी दल के सदस्यों को कटमोशन रखने तक या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने तक छूट होती हैं। उसमें भी उनका ध्यान नहीं रखना और उस समय पर भी विरोधी दल के लोगों को ही अधिक समय देना, मैं समझता हूं कि सदन की चली आ रही परिपाटी के हिसाब से भी और न्याय के हिसाब से भी उचित नहीं होगा। इसलिए आप उन लोगों का भी ध्यान रखिये जिनके सहयोग से सरकार चलती है क्योंकि सरकारी दल यदि सहयोगी नहीं बनता है....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपको सुन लिया। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर प्लीज।

पांच मिनट का समय।

मांग संख्या 30, 33 व 29 पर विचार

श्रीमती विद्या पाठक : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं यह निवेदन करना चाहती थी कि माननीय मंत्री महोदय से पूछ लें अगर मेरे आब्जेशन का या मेरे अनुभवों का डिपार्टमेंट के वैलफेयर के लिए लाभ उठाना चाहें क्योंकि अभी विभाग के कर्मचारी भी यही हैं और आफिसर्स भी हैं। उन्हें विचार मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय नहीं चाहे तो भी सदन चाह सकता है। इसलिए आपको अवसर दे दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री हरीश शर्मा

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे गम्भीर मामले लेकर आया हूं जिन्हें आपको यहां बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे रामगंज मण्डी में हाउसिंग बोर्ड में मकानों के लिए रजिस्ट्रेशन 1978 में चालू हुआ था लेकिन जमीन के अभाव में वह रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। फिर जनवरी, 1979 में जिलाधीश कोटा और आवासन मण्डल ने सरकार को लिखा कि रामगंजमण्डी की जमीन अवाप्त कर ली जाय क्योंकि वह जमीन किसी भी काम में नहीं आ रही थी और बेकार पड़ी हुई थी। किन्तु जनता पार्टी की सरकार ने उसको अवाप्त नही की और कांग्रेस (आई) की ओर से धारा 4 में अवाप्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ लेकिन धारा 6 का नहीं हुआ, जबकि अवाप्ति की कार्यवाही धारा 6 में ही होनी चाहिये क्योंकि बिना धारा 6 के कार्य चालू नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि आज ही धारा 6 में नोटिस प्रसारित करें। इसमें जान-बूझकर कानूनी अड़चनें अड़ाते हैं जब कि मंगलम सीमेन्ट के लिए सीधे धारा 6 में अवाप्ति में नोटिफिकेशन निकाला गया। जो भूमिपति और पूंजीपति हैं उनके पास तो पहले से ही सब कुछ है। उसके पास आलरेडी 25 परसेन्ट भूमि है। जनता राज में भी इसके लिए कई मंत्री बिके और उन्होंने अवाप्ति नहीं होने दी।

'जिन्दगी और बता तेरा इरादा क्या है
मैंने मन्जिल को तलाशा मुझे बाजार मिला।

मैं कांग्रेस राज के मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कम से कम धारा

(श्री हरीश शर्मा)

4 में नोटिफिकेशन निकाला किन्तु धारा 6 का अभी तक नहीं निकाला जबकि जन-हित के लिए यह बहुत आवश्यक है कि धारा 6 का नोटिफिकेशन तुरन्त निकाला जाय। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 के संबंध में, जनजाति के विकास के सम्बन्ध में, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इसके सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि जितने भी जन जाति के क्षेत्र निर्धारित हैं और जहां बाहुल्य है, इसके अतिरिक्त आज राजस्थान में काफी संख्या में जन जाति के लोग बिखरे हुए हैं जैसे जयपुर जिले के अन्दर लगभग 6 तहसीलों में जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है इतना होने पर भी इनको वह तरजीह नहीं दी जाती जो दूसरी जगह उदयपुर आदि में दी गई है। तो मेरा यह सुझाव है कि जहां पर एक निश्चित आबादी का क्षेत्र हो उन तहसीलों को भी यदि उन जिलों में कन्टीन्यूटी एरिया न भी आता हो, उन तहसीलों के लोगों को उसी प्रकार की तरजीह दी जानी चाहिये जो कि जन जाति के लिए है। मैं इसमें यह भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि जन जाति अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो सहायता दी जाती है उसमें एक मूल बात दुबारा नये सिरे से करनी पड़ेगी। यह जो सहायता दी जाती है वास्तव में जो गरीब हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है उनकी तरक्की के लिये है परन्तु इन्हीं जातियों में से जो सदस्य इस स्थिति में आ गए हैं आज उनको सहायता की जरूरत नहीं है, हमको इस बात पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा उन जाति और जन जाति के सदस्यों और परिवारों को जिनको आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को सहायता बन्द कर दें और अन्य ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाई जाय जिनको सहायता की आवश्यकता है, माननीय प्रधान मन्त्री जी का कल ही रात्रि रेडियो पर जो भाषण आया उसमें उन्होंने इंगित किया है कि हम आज आरक्षण और अनारक्षण के विवाद में पड़े हुए हैं। हमको केवल एक बात पर जाना पड़ेगा कि जो लोग इस सुविधा को प्राप्त करते हैं और जो इतने समर्थ हो गये हैं उनको सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेहरबानी करके, बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे, उनको असर भी नहीं होगा, उन गरीबों पर बिलकुल असर नहीं होगा, उनकी सहायता बन्द की जानी चाहिये। जो बिखरा हुआ क्षेत्र अनुसूचित जन जाति का है इनकी तरक्की के लिये खास योजनायें जैसे कृषि कार्यक्रम हैं, लघु और सीमान्त कृषक के रूप में ऐसे लोगों को जो हमारे जिले में बसते हैं, सहायता दी जानी चाहिये। गांवों में खास तौर से जयपुर जिले के अन्दर जहां सीमाओं के क्षेत्र हैं जहां पानी की अधिक कमी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देता हूं कि जयपुर जिले में जहां आदिवासी लोग बसते हैं कुओं के पानी का स्तर बढ़ाने के लिये प्रत्येक दो-दो तीन-तीन किलोमीटर पर नदी नालों पर एनीकट बनाये जाने चाहिये ताकि पानी का स्तर बढ़ सके। दूसरा, इन्हीं जगहों पर ऋण की व्यवस्था अपर्याप्त है। लघु और सीमांत कृषक के बावजूद उनमें से बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिल पाया है। मेरा सुझाव यह है कि जो लघु और सीमान्त कृषक हैं

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

उन सबको सहायता मिलनी चाहिये ताकि लोगों में असंतोष न हो।

अनिवार्य शिक्षा हेतु हमें यह तय करना चाहिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के गरीब लड़के हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेषरूप से नजदीक नजदीक प्राईमरी स्कूल खोले जाने चाहिये और उनके गांवों में और ढाणियों तक में पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह जल्दी ही पढ़ सकें और निरक्षरता दूर की जा सके। मैं यह भी जानता हूं कि जो भी आदिवासियों के गांव हैं, जंगलों, पहाड़ों में नदी नालों के अन्दर हैं और आवागमन के साधन नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको सड़क से लिंकरोड से जोड़ा जाना चाहिये।

अब दूसरी जो मांग है उसके बारे में समाज कल्याण के बारे में कहना चाहता हूं.........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कि कुछ ऐसी जातियां हैं नट, सांसी वेश्या, हीजड़े यह ऐसा वर्ग है जिसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। समाज कल्याण विभाग को चाहिये कि समाज का ऐसा तत्व है जो उपेक्षित है, किसी तरफ ध्यान नहीं है यह परम्परागत ढंग से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, यह बोझा वाली बात नहीं है समाज कल्याण मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनके पुनर्वास करने के लिये इसका पहले सर्वेक्षण करके रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करके इनको भी सारे समाज के साथ सैट करने की कोशिश की जानी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

तीसरा, जो कार्यक्रम है मैं यह कहना चाहता हूं नगरीय है आवास व्यवस्था के बारे में, गांवों और कस्बों का भी मास्टर प्लान बनना चाहिये। केवल कुछ बड़े-बड़े शहरों के मास्टर प्लान बनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करलें यह उचित नहीं है। राजस्थान में खासतौर से गांवों और कस्बों का प्रांत है उनके विकास को ध्यान में रखते हुए............

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : उनके विकास के लिये, उनको आगे बढ़ाने के लिये योजना बनानी चाहिये और स्कूल, स्टेडियम अस्पताल और पशु चिकित्सालय और दूसरी प्रकार की बाल बाडियां और जो मनोरंजन के साधन आदि हैं उनकी व्यवस्था की जानी चाहिये

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : समाप्त कर रहा हूं :

श्री अध्यक्ष : समाप्त कर दीजिये।

श्री भैरूलाल भाद्वाज : आयोजना मंत्री जी से कहता हूं कि शहरों के साथ गावों और कस्बों की योजना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : **मेघराज तावड़।**

पांच मिनट का समय है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का समय 15 मिनट का है।

Page No. 180

(180)

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का 15 मिनट का समय नहीं है। पांच मिनट का समय दिया है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। जो भी योजनायें बनती है उसमें अनुभव और कुछ वहां के क्षेत्रीय लोगों और काम करने वाले लोगों को साथ लेकर यह प्लान बनाने चाहिये जिससे कि उन लोगों का कुछ भला हो सके। दूसरा मैं विभाग का और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्लान बनाये गये हैं, पहाड़ी इलाका है, वहां पर न तो सड़कें हैं, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की, न पीने का पानी है, इसमें छोटे-छोटे एनीकट बनाकर और नाले बनाकर उनका विकास किया जा सकता है।

कोटड़ा और गोगुन्दा तहसील, जालौर में, कुम्भलगढ़ का इलाका भी है उनको सड़कों से नहीं जोड़ा गया है उनको सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए और खास तौर से पदराना से गोडिया जो पाली जिले को मिलाती है उस सड़क को तुरन्त बनाया जाना चाहिये। मैंने पहले भी अर्ज किया है कोटड़ा को ट्राइबल डवलपमेंट प्लान में लिया जाना चाहिये। जो ट्राइबल इलाका है उसमें विभाग का और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मालवा का चौराहा जो पहाड़ी इलाका है, वहां मिडिल स्कूल नहीं है। वहां के स्कूल को अप ग्रेड किया जाना चाहिये। सेई बांध के पास मकान बने हुए है उसमें आदिवासियों के लिये आश्रम खोला जाना चाहिये। जो जमीन सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है उसको लेकर समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वहां आश्रम चालू किया जाय। वहां मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल पहाड़ी इलाका है वहां अस्पताल भी कायम किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा में मरावली कर के एक इलाका है यह ट्राइबल सब प्लान का इलाका है वहां बांध का पहले सर्वेक्षण हुआ था वहां बांध बांधा जाना चाहिये जिससे कोटड़ा और जालौर दोनों तहसीलों के आदिवासियों को लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, साही बांध के पास एक कालीबोर करके बांध है उसको भी हाथ में लिया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सागड़ी प्रथा है, मंत्री जी ने बताया कि पहले 16 सागड़ियों को छुड़ाया और डूंगरपुर जिले के जिलाधीश हैं उनका बयान है कि 19 सागड़ी छुड़ाये गये। इसमें कौन सच्चा है, भगवान जाने ?

अध्यक्ष महोदय, 76 में जो सर्वे हुआ, उसमें 6 हजार सागड़ी थे। उनको कहां बसाया गया, पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी जो महिला हैं, उनकी बड़ी दुर्गति हो रही है। मैं पूरी बात कह नहीं पा रहा हूं। उनको भगाया गया है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको दूसरी जगह भेजा जा रहा है। यह कल के अखबार की खबर है। अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही चाहूंगा कि सिंचाई और अस्पतालों को लेकर इस पर हम लोगों को काल करें ताकि हम भी इस पर सुझाव दे सकें। इस जल्दी में मैं कोई सुझाव दे नहीं पाऊँगा। अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो

(श्री मेघराज तावड़)

उदयपुर के बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट उदयपुर जिले में थी और उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, चित्तौड़ और झालावाड़ 4 जगह थी, अब समाज कल्याण अधिकारी की वह पोस्ट वहां से हटा दी गयी। मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय, इस ओर ध्यान देकर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट उदयपुर में वापस बहाल की जाय ताकि वहां उन अस्पतालों के समाज कल्याण के कामों को आसानी से निपटाया जा सके। बाल कल्याण जो श्रमिक कानून बना हुआ है, उसके अन्तर्गत छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको श्रम कानून के अन्तर्गत लेकर अस्पतालों में रखा है। उनसे मजदूरी कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही करके उनकी रक्षा की जाय। नगर आयोजना के बारे में एक मिनट में बात कह देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नगर आयोजना का जो उदयपुर का मास्टर प्लान है, उदयपुर की ओर मैं खास तौर से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उदयपुर एक झीलों की नगरी है, वहां पर लोग विदेशों से आते हैं टूरिस्ट की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी हालत यह है कि बिना प्लान के आसपास की जितनी एग्रीकल्चर की लैण्ड है, उस पर आजकल खास तौर से गट्टानी और ताड़िया, दो ऐसी एजेन्सियां हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ताड़िया और गट्टानी के नाम से नगर बसाये जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित इस ओर करता हूं कि जिन लोगों का कोई महत्व नहीं, केवल पैसा प्राप्त करने के लिए चम्पाबाग की जमीन खरीदकर, वहां पर प्लाट बनाकर बेचे जा रहे हैं। मैं निश्चित-तौर से कहना चाहता हूं कि यू० आई० टी० के अन्तर्गत लेकर उसको प्लान बनाया जाना चाहिए और गरीबों को दिया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में एक और बात कह देना चाहता हूं कि कच्ची बस्ती का मामला आज भी उदयपुर और जयपुर में एक जटिल समस्या बना हुआ है। इसको निपटाया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में एक बात और कहकर समाप्त करना चाहता हूं। जगनिवास और जगमण्डी जहां लेक पैलेस होटल बनाये हैं। मैं टाउन प्लानर महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो जगमण्डी और जगनिवास खुर्द फुर्द किये जाने हैं, उनको होटल बनाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है, कन्सट्रक्शन किया जा रहा है। क्या यू० आई० टी० नहीं, क्या टाउन प्लानर डिपार्टमेंट ने उस नक्शे को पास किया है। अगर पास नहीं किया है तो रोक लगानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमें हमारी पार्टी को पूरा टाइम नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का टाइम जब 5 दिन की बहस चलती है तो 15 मिनट का बनता है, उसके अलावा आज भी जब हाउस चलता है तो 2-3 मिनट रोज बनते हैं, हम आपको 5-6 मिनट दे देते हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराडा) : माननीय अध्यक्ष जी, आप बोल लिये, इसलिए मेरा भी हिस्सा है। नगर आयोजना के बारे में थोड़े से शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अधिकतर हाउस में मैम्बर जानते हैं कि उदयपुर में रहने वाले आदिवासियों में, पहाड़ी के

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

बीच में रहने वालों की हालत क्या है ? न तो शिक्षा प्राप्ति कर सकते हैं, न खेती-बाड़ी के बारे में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तो मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर आदिवासी एरिया है, उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए सरकार, हमारी भारत सरकार ने जो मदद दी है। अधिक से अधिक उन आदिवासियों को बीच में उनकी खेती के बारे में, सड़क के बारे में कुए खोदने के बारे में और फराई के बारे में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके उनकी जो मदद मिलती है, उनका लाभ देने के लिए उन पर ध्यान दिया जायेगा, तो अच्छा है। मैं मानता हूं कि सब तरह से आज हम बहुत पीछे हैं, हमारे आदिवासी इतने पीछे हैं, अध्यक्ष महोदय, आपको सही कह सकता हूं और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं हमारे वहां के आदिवासी जो कपड़ा दिन को पहनते हैं वह रात को ओढ़ते हैं। आज हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हमारा जनजाति निगम बना है, उसकी मार्फत दुकानें खोली है, लैम्पस हैं, उनके द्वारा जो कपड़ा आता है, सामान आता है, उस आधार पर हमारे आदिवासी वहां जाकर लाभ ले सकते हैं और लेते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस काम को सरकार अपने हाथ में लेकर और वहां जनजाति को नियमानुसार जो फायदा मिले, सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद करें। मैं एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि बहुत से अधिकारी इस क्षेत्र में काम में रुचि रखते हैं, बहुत से अधिकारी नहीं। कुछ अधिकारी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते हैं। वे अपनी तनख्वाह से मतलब रखते हैं। पहाड़ों पर आने में जाने में दिक्कत आती है तो उनकी छटनी होनी चाहिए। जहां मेहनती हों, काम करने वाले हों, गरीबों के बीच में जाकर उनके जीवन का ध्यान कर सकें, उन पर ध्यान देकर उस एरिया को सुधारा जाय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सराड़ा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि माननीय सदस्य को भी आप डेप्यूट करें, उस एरिया में बसायें, उस एरिया में पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में अलग अलग मकान हैं. उनकी हालत क्या है ? पहले तो हम महाजनी कर्ज से डूबे थे, पिछड़े हुए थे, पहले राजा महाराजाओं के टाइम में पिछड़े हुए थे, इस समय मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, पहली सरकार ने कांग्रेस सरकार ने महाजनी कर्जा माफ किया था लेकिन बाद में जनता सरकार आयी, उसके बाद महाजनों ने अपने हिसाब से उन बन्धकों को लेकर बेच दिया। आज यह भी निवेदन आपके द्वारा करना चाहता हूं, यदि उनकी आर्थिक हालत सुधारनी है तो उदयपुर डिवीजन की बात करना चाहता हूं, महाजनी कर्जा सरकार ने जिस तरह से खत्म किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार पहाड़ी एरिये के लिए माफ करने के लिए कार्यवाही कर देगी तो उनकी हालत सुधर सकती है और सरकार सहयोग ले सकती है। इन शब्दों के साथ आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष। श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग, की कल्पना की इस विभाग और इस आइडिया के जनक जान स्टुवर्ट ने, यदि आज जिन्दा होते तो समाज कल्याण विभाग की, न केवल राजस्थान में, बल्कि

(श्रीमती विद्या पाठक)

केन्द्र में भी जिस तरह की स्थिति है, उसमें ग्रांसू वहाये बिना नहीं रह सकते। उन्होंने कल्पना की थी, जब इंगलैण्ड में 38-39 में मंहगाई बहुत बढ़ने लगी थी ग्रौर कुछ ग्रार्थिक रूप से नीचे के तबके के लोगों को सहायता देने की ग्रावश्यकता पड़ी, तब उन्होंने इस विभाग की कल्पना की ग्रौर उसी के ग्रनुसार विश्व में ग्रौर हिन्दुस्तान में, राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की स्थापना हुई। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग में ग्रार्थिक रूप से जिन मदों में खर्च बढ़ते रहने चाहिए, मैं कुछ बजट के ग्रांकड़े देना चाहती हूं, 78-79 में जहां 1578 लाख रुपये रखे गये थे सोशल सीक्योरिटी एण्ड वेलफेयर में, 79-80 में 1958 लाख रुपये रखे गये। 80-81 में ये घटकर 1716 लाख ही रह गये ग्रौर 81-82 में 1763 लाख रुपये बजट एस्टीमेट रखा गया है। जो विकास की ग्रावश्यकता ग्रौर मंहगाई की दर को देखते हुए बहुत कम है।

जहां तक निर्धन ग्रौर निराश्रित लोगों के लिए खर्चे का प्रावधान है, 79-80 में 6.12 लाख रुपया रखा। 80-81 में 6.-89 लाख रुपया ग्रौर 81-82 में 6 19 लाख रु. जो कि नामीनल नेसेसिटी ग्राफ वेलफेयर एक्सपेंडीचर में किसी भी वेलफेयर स्टेट का खर्चा बढ़ना चाहिए, उस ग्रनुपात में व मंहगाई को देखते हुए बिल्कुल नगण्य है।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक योजनाग्रों का प्रश्न है, 81-82 में दो मुख्य बातें बजट स्पीच से पता लगती हैं। 15 होस्टल्स नए खोले जायेंगे 9 ग्रौद्योगिक क्षेत्र खोले जायेंगे। 81-82 की बजट स्पीच को पढ़ने के बाद सिर्फ कुछ तीन बातें ग्रोब्जर्व करते हैं वह यह है कि पहले तो यह कहा गया कि पारिवारिक ग्रौर घरेलू उद्योगों के माध्यम से विकास किया जाएगा जिनको स्पेसीफाई नहीं किया गया है कि उद्योग किस तरह के होंगे ग्रौर क्या एन्वीसेज गवर्नमेंट करती है। कम्पोनेंट प्लान के बारे में कहा है कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम करेगा कम्पोनेंट प्लान क्या मोनेटरिंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करेगा ? यह क्या कल्पना की गई जब कि कल ही प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि गरीबी की रेखा की डेफिनेशन ग्राज तक निर्धारित, निश्चित ही नहीं है। तीसरी बात बताई, झुंझनूं, बूंदी ग्रौर झालावाड में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ग्राफिसेज खोले जायेंगे, जो फिर एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा है ग्रौर इसका जनता को ग्रामीण लोगों को कितना लाभ मिल पाएगा यह स्वयं में विचारणीय विषय है।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस बजट स्पीच को पढ़ने से कुछ बातें ग्रोब्जर्व करते है कि सेंट्रली स्पोंसर्ड योजनाग्रों का नितान्त ग्रभाव है। ग्राई. सी. डी. एस. जो पिछले जनता राज के दो सालों में सात खोले गये इस वर्ष एक का भी कहीं मेंशन नहीं है। वर्किंग वीमेन्स होस्टल जो ग्राज की बढ़ती हुई मांग है ग्रौर जरूरत हैं, उसका कहीं मेंशन नहीं है। विकलांग वर्ष जिसको यू0एन0ग्रो0 ने मेंटली ग्रौर फिजिकली विकलांग जो हैं उनके वेलफेयर के लिए विकलांग वर्ष निर्धारित किया गया है, ग्रौर एक प्रश्न भी मैंने पूछा था कि विशेष योजना क्या है ? उसकी कोई चर्चा ग्रलावा इसके कि ब्रेल पेपर ग्रौर ब्रेल घड़ियों का सेल्स टैक्स माफ किया है, चर्चा नहीं है ग्रौर उसकी उपयोगिता कितनी सी है यह ग्रापको स्वयं मालूम है। क्रीचेज के लिए

(श्रीमती विद्या पाठक)

कोई योजना नहीं है। महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है। महिलाओं के लिए रोजगार, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, रोजगार की आवश्यकता महिलाओं की संख्या अरबनाइजेशन के साथ ज्यादा होती जा रही है पर इस प्रॉस्पेक्ट को भी नहीं देखा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बजट स्पीच को पढ़ने पर कुछ फ्रेजेज बार-बार दोहराये पाये गये हैं। पहले "प्रावधान रखा गया था,"

"आवंटित किया गया है," खर्चा किया जाना है, आदि आदि इस तरह के फ्रेजेज बार-बार रखें गये हैं। एक्चुअली जिस तारीख तक यह प्रगति विवरण पब्लिश होना है, एक निर्धारित तारीख होनी चाहिए कि इतना यूटिलाइजेशन इस समय तक हो चुका है और शेष कब तक किया जाएगा, कितना लेप्स होगा, पर यह सिर्फ हम लोगों के लिए गैपिंग छोड़ा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा इसमें पाइन्ट देखने में आता है हिस्सा पूंजी का। समाज कल्याण विभाग कुछ गृह निर्माण के लिए, कूप निर्माण के लिए और इन सब के लिए हिस्सा पूंजी देता है, निगम के माध्यम से भी देता है। पर हिस्सा पूंजी में विभाग का कुछ नहीं जाता। विभाग सिर्फ कुछ बैंकों से सम्पर्क करके जो पर्टीक्यूलर जाति विशेष जिनके लिए भी योजना है, उन लोगों को ब्याज या कि हिस्सा पूंजी का निर्धारण कर दे देता है। इसमें न विभाग को कोई कष्ट है, न परसूएशन की आवश्यकता समझी गई है, जिसके लिए विभाग का निर्माण किया गया है वह परस्यूएशन बिल्कुल कांस्पीक्यूअसली एब्सेंट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से विभाग शिक्षा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग इन सब के अलग-अलग मद में पैसा देता है और उसके लिए भी विभाग का कोई परसूएशन है नहीं। ओन दी कांट्रेरी यह है कि शिक्षा विभाग को स्कालरशिप के लिए पैसा दे दिया जाता है। उस पर एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या है किसी भी स्तर पर, दो दो साल, डेढ़ डेढ़ साल तक नहीं मिलता। तो यह पैसा देने वाली एजेंसी हो गई है। मगर इसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन और यूज क्या है? उसका कहीं विवरण या रेस्पांसिबिलिटी विभाग नहीं बताया। इसी तरह से अचीवमेंट एक्चुअली क्या हुए उसके बारे में विभाग इस बजट स्पीच में मौन है। विकलांग वर्ष जैसी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, विकलांग वर्ष यह है, कहने की आवश्यकता नहीं कि केन्द्र में व राज्यों में क्या हुआ? किस तरह से ब्लाइंडिंग आर्गनाइजेशन रहा। किस तरह से विकलांग लोगों के लिए आर्गेनाइजेज्ड फंक्शन से ब्लाइण्ड लोगों को डिबार किया गया हैं, उन पर लाठी चार्ज किया गया इसको कहने की जरूरत नहीं। एक मुख्य प्रश्न जो कल से कष्ट में डाल रहा है और वह मानसिक कष्ट मेरी समझ में बहुत से माननीय सदस्यों को भी होगा।

यहां मदर टैरेसा आई जो समाज सेवी लोगों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और जिनको बहुत आदर से देखा जाता है पूरी दुनियां में। समाज कल्याण विभाग की कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो उनको दिखाई जाती या विजिट करवायी

(श्रीमती विद्या पाठक)

जाता। एक अनुदानित संस्था जो पोद्दार इंस्टीट्यूट ग्राफ हेंडीकेप चला रहे हैं, दिखाया गया है। वह संस्था वालों ने दिखाया होगा। एक बाल रश्मि सोसायटी को दिखाया गया वह भी अलग बात है। यहां फिर फेंक्शनरी है, यह स्वयं में बहुत चिन्ता और क्षोभ का विषय है।

इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर ब्लाइन्ड की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। एक बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति जिनका नाम मैं यहां लेना चाहूंगी....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पांच मिनट देना सम्भव नहीं होगा।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं जल्दी से अपनी बात समाप्त कर रही हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां एक बहुत अच्छे समाज सेवी वयोवृद्ध डाक्टर टी0 सी0 गंगवाल हालांकि यह सोशल वेलफयेर से सम्बन्धित भले ही नहीं हों पर सोशल वेलफयेर का काम जरूर है, जो विभाग को परश्यू करना चाहिए। उन्होंने आई डोनेट करना चाहा था कार्निया ग्राफ्टिंग के लिए और इस बात की चर्चा करते हुए डेढ साल हो गया और सरकार आज तक उनको इस बात का जवाब नहीं दिला पाई है। यह कैसी वेलफेयर स्टेट है और कैसा परशूएशन है। इसी तरह से ब्लाइन्ड्स के लिए इस विकलांग वर्ष में किसी के लिए कोई विशेष योजना हेंडीकेप्स के लिए है नहीं। एक अंधों की जो विशेष मांग है जो वे करते रहे हैं कि उनके साथ में जो एक्सकोर्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट में, बसों में फ्री किया जावे। इस पर अभी तक निर्णय डेढ साल से पेंडिंग है वह नहीं हो पाया। इसी तरह से कोई वैज्ञानिक सुविधा किसी तरीके की है नहीं।

अभी आपने परसों के पेपर में पढ़ा होगा महिला हैंडीकेप्ड आर.ए.एस. आफिसर के लिए कोर्ट ने विभाग को और सरकार को निर्देश दिया है कि उनको जोब दिया जावे। इस तरह के निर्देश पहले भी कोर्ट बराबर विभाग और सरकार को निर्देश देता रहा है जो कि सारे विभाग को और सरकार को स्वयं सोचना चहिए था। इसी तरह से हैंडीकेप्ड लोगों को सहकारिता में एनकरेज करना चाहिए वालेंटियरी एसोसियेशन्स और इन योजनाओं की पब्लिसिटी बहुत होनी चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए ताकि उन्हें प्राप्त कर सकें इसी तरह से विकलांगों में हीन भावना बढ़ रही है, बढ़ना स्वाभाविक है, उसमें कमी जानी चाहिए। अच्छा होता अगर जो जयपुर में रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा है ओरथोपेडिक डिपार्टमेंट के माध्यम से उसमें कुछ योगदान दिया जाता। इस तरह के और सेंटर इस विकलांग वर्ष में खोले जाते। पुनिवास केन्द्र जो अजमेर और उदयपुर में चल रहे है, मेरा सुझाव है कि इन केन्द्रों को चिकित्सा विभाग को दे देना चाहिए क्योंकि डुप्लीकेसी ग्राफ एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लाभ किसी को होता नहीं है। जन सम्पर्क बहुत कमजोर है। किसी चीज का प्रोपर जवाब नहीं मिलता है। जो भी एप्लीकेंट हैं वे घूमते रहते हैं और उसकी समस्या का

(श्रीमती विद्या पाठक)
कहीं निराकरण नहीं होता।

इसी तरह से एक्सटेंट ग्रा हेंडीकेप्स विकलांग वर्ष में एक बहुत बड़ी मांग है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जिसकी ग्रंगुली टेढ़ी हो, थोड़ी सी टांग लड़खड़ाती हो,जो इलाज से ठीक हो सकती है उसके इलाज के लिये खर्चा करे यह समझ में ग्राता है पर ग्रगर जोब रिजर्वेशन में उनको जोब दे दिया जावे तो वह महरूम रह जाते हैं जो वास्तव में इसके ग्रधिकारी हैं। इसलिये सरकार इस पर विचार करे ग्रौर हैंडीकेप्ड की स्कोलरशिप है उनके विषय में भी नियम क्लियर होना चाहिये। मैं इन्हीं कुछ बातों के साथ, ग्राप बहुत जल्दी कर रहे हैं माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, चाहती तो मैं यह थी कि पॉच-सात मिनट मुझे ग्रौर मिल पाते तो इसका लाभ माननीय मंत्री महोदय भी उठा पाते....

श्री ग्रध्यक्ष : मैं भी यही कह रहा था कि लाभ वाली बात ग्राप पहले ही कह देतीं। मैंने काफी इन्तजार किया। माननीय सदस्या ग्रब सम्भव नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण दे रखा है महिला सदन के विषय में, उस पर ग्राप कल व्यवस्था कर देंगे ऐसी मैं ग्रपेक्षा करती हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : **श्री ग्रमराराम।**

श्री ग्रमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण का छात्रावास मेरे क्षेत्र में भी है लेकिन उनकी जो दशा है वह बहुत ही दयनीय है। कोई सरकारी मकान न तो पचपदरा के ग्रन्दर है, न बालोतरा के ग्रन्दर है ग्रौर किराये के जो मकान लिये गये हैं वह बालोतरा में तो मिलने बहुत मुश्किल हो गये हैं ग्रौर जो ग्रभी जिस मकान में रह रहे हैं उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। किराया बहुत ज्यादा है। लड़कों के न खेलने का इन्तजाम है, न कोई रसोई है। बड़ी मुश्किल से लड़के रह रहे हैं एक दो कमरों में। मैंने देखा है पांच-पांच छः छः लड़के रह रहे हैं। उनकी पढ़ाई है वह भी ठीक ढंग से नहीं हो रही है। तो ऐसे जहां हम लड़कों को भर्ती कराना चाहते हैं हमारी ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जनजाति के लड़के पढ़ें ग्रौर उनके रहने के लिये सुविधा न हो तो उससे लड़कों का पढ़ाई के ग्रन्दर मन नहीं लगता है। सरकार पैसा खर्च कर रही है। लेकिन उस पैसे का उपयोग होना चाहिये यानि जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे लड़के कुछ सीखें। समाज कल्याण से छात्रावास के भवन के लिये पहले भी निवेदन किया था। कि यहां बालोतरा के ग्रन्दर, पचपदरा के ग्रन्दर जो दो भवन समाज कल्याण विभाग के छात्रावास के जरूरी होने हैं. ग्रभी तक उनके लिऐ लैण्ड भी नहीं खरीदी गई है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ग्रध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि यह दो छात्रावास हैं उनके लिये शीघ्र ही छात्रवास भवन निर्माण करने के लिये जमीन खरीदी जायेगी। ग्रब प्रश्न यह है कि जो छात्रावास में लड़कों को प्रवेश देते हैं, वहाँ बहुत सी कमी रखी गई है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत ही गरीब लोग, बहुत ही गरीब ग्रादिवासी ग्रौर ग्रनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। सबसे गरीब से गरीब विद्यार्थी हैं उनको कम स्थान होने की वजह से पढ़ने का रहने का मौका नहीं मिलता है। तो, मैं यही निवेदन करूंगा कि जो कुछ संख्या है विद्यार्थियों की, वह छात्रावास में बढ़ाई जाये। ताकि पश्चिमी क्षेत्र पिछड़ा हुग्रा क्षेत्र है, जिसके लिये ग्राप सभी कहते हैं, वहाँ तीस चालीस लड़के छात्रावास में

(श्री ग्रमराराम चौधरी)
पढ़ेंगे वह संख्या तो बहुत ही कम होगी। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय ग्रगले वर्ष के ग्रन्दर सौ से ग्रधिक संख्या बढ़ायेंगे ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थियों को रहने का मौका, सुविधा मिल सके। इसके ग्रलावा जो खाने वगैरह की व्यवस्था है, वह भी बड़ी निराली है। उनको गिना कर रोटियां दी जाती हैं। यहां पर उप मंत्रीजी पधारे थे, उनसे मैं मिलता रहता हूं, एक छात्रावास की बात की, वहां छात्रावास में वहां का प्रोक्टर है वह दो रोटी देता है।

श्री ग्रध्यक्ष : जाडी रोटी दो होती है।

श्री ग्रमराराम चौधरी: जाडी हो तो कोई बात नहीं, उसका वेट ज्यादा नहीं था। ग्राप राशन पूरा देते हैं, उनको राशन पूरा नहीं मिलता है। इस प्रकार की जो ग्रव्यवस्था होती है, ऐसे प्रोक्टर के खिलाफ ग्राप जल्दी एक्शन लें। जितने भी समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हैं उनका ग्राप दौरा करें, उनकी व्यवस्था को सुधारें ताकि सरकार के खजाने से जो पैसा जाता है उसका पूरा उपयोग हो सके।

विकलांगों के बारे में ग्रभी तक कोई लिस्ट ग्रापके पास ग्रायी होगी। जिन-जिन ने लिस्ट भेजी है, हरिजन छात्र जो विकलांग हैं, जिनको धन्धा खुलवाने के लिऐ पैसे दे रहे हैं, वह पैसा ग्रभी तक पहुंचा नहीं है। तो ग्राप ग्रपने विभाग के ग्रधिकारियों से मंत्री महोदय यस मंगायें, बाड़मेर में कौन-कौन से लिस्ट, किन किन के नाम ग्राये हैं, पैसे का भुगतान हुग्रा है या नहीं, कुछ कार्य प्रारम्भ किया या नहीं यह जल्दी मंगाइये ताकि ग्रकाल के समय में उनको राहत मिल सके।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ग्रमराराम चौधरी : एक मिनिट। वैसे धोरी मूरा के ग्रन्दर ऐसा कोई छात्रावास नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर एक छात्रावास खोलें। मेरे वहां पर समाज कल्याण की परियोजना है। उसमें बजट दे रहे हैं 90 हजार। ग्रापने वहां जीप दी है। वहां के ग्रध्यक्ष को यह ग्रादेश दिये हैं कि 1500 रुपये का पेट्रोल जला सकते हो। ड्राईवर को तनख्वाह देते हो 6000 रुपया साल में, ग्रौर जीप का खर्चा 1500 हजार से ज्यादा कर नहीं सकते हो। रेगिस्तानी इलाके के ग्रन्दर उसकी भागदौड़ के ग्रन्दर 1500 रुपये का खर्चा हो जायेगा। 1500 रुपये का पैट्रोल दे रहे हो, वहां चार बड़े बड़े केन्द्र हैं। छोटे छोटे गांवों के ग्रन्दर जाना पड़ता है, दूर दूर हैं वहां पर 1500 रुपये तो एक या दो महीने में ही खतम हो जाते हैं। ग्राज पेट्रोल का भाव क्या है? बजट जो ग्राप दे रहे हैं वह 90 हजार का दे रहे हैं, वह कम है। कम से कम डेढ़ लाख का बजट दीजिये ताकि जो ग्रपने केन्द्र हैं, वह ठीक रूप से चल सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

धन्यवाद।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपमंत्री के दौरे के बाद रोटियां की क्वाटिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी ?

श्री ग्रध्यक्ष : मोटी हो गयी रोटियां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि।

क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय विचाराधीन मांगों के कारण तक के लिए बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 30, 33 व 29 पर विचार

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करूं कि मंत्रीजी, श्री हनुमान प्रभाकर, जब चर्चा समाप्त होगी ग्रौर मंत्री महोदय मांगों का उत्तर देंगे तो उससे पहले एक स्पष्टीकरण देंगे।

ग्रब कोई माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहेंगे ?

श्री चन्द्र वीर सिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगा । लेकिन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो राजस्थान का है, यह डी० टी० पी०, एस० टी० पी०, का इतना जबर्दस्त 99 का चक्कर है, अगर इसमें जाया जाय तो शायद 15-20 मिनट नहीं बल्कि पूरे दिन की आवश्यकता होगी ।

जैसलमेर टूरिज्म के इंटरनेशनल मैप पर उसकी सुन्दर कारविंग और सुन्दर इमारतों के कारण आज आया है । यह माना जाता है कि शहर की हर इमारत, हर कारविंग एक अपनी कला का अद्भुत प्रतीक है, नमूना है । यहां तक कि देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह फर्माया है कि—This whole town is piece of museum.

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वहां बड़े-बड़े आर्किटेक्ट आते हैं, उनका भी मानना रहा है कि इस शहर को प्रिजर्व करना चाहिये परन्तु इस ओर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने वहां पर अलग प्रक्रिया अपनायी । टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के आदेशों से सात सौ आठ सौ वर्ष पुरानी इमारत थी, कंस्ट्रक्शंस थे, उनको सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ दिया गया । अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस शहर को, जिस शहर के हर घर को, हर जाली को, हर झरोखे को प्रिजर्व करना चाहिये, उसको प्रिजर्व नहीं करके वहां पर इमर्जेंसी का एटमास्फीयर बनाकर जबर्दस्ती लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं । इससे अधिक शर्म की बात क्या होगी कि इस सुन्दर शहर को इनकी एक ह्विम पर बिगाड़ने दिया जाय । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ह्विम्स पर आप न चलें और जैसलमेर खुद स्वयं पधारकर देखें कि कौनसी इमारत तोड़ी गई है और क्यों तोड़ी गई है और क्या कारण था ? अध्यक्ष महोदय, आज वहां पर कई ऐसी इमारतें तोड़ी गई हैं, जिनका कोई सन्दर्भ भी नहीं है । पटवों की हवेली के पास की इमारत तोड़ी गई ।

(7.58 रात्रि)

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन]

कहा यह जा रहा है कि वहां पार्क बनाया जायगा । माननीय सभापति महोदया, आप स्वयं परिचित हैं, आप खुद गई हैं कि दो सौ गज में कैसे पार्क बनेगा ? कौन सा पार्क यह बनायेंगे ? कुछ समझ में नहीं आता ।

सड़कों को चौड़ी करने के लिये कुछ मकान तोड़े गये । लेकिन उनमें कुछ में बिजली के खम्भे मौजूद हैं । तो वह सड़क चौड़ी कैसे होगी ? अगर बिजली के खम्भे मौजूद हैं और आपने इधर के मकान तोड़ दिये तो उससे तो कोई मकसद या मतलब नहीं निकलता । इसी तरह से जैसलमेर और पोकरण शहरों की हालत बड़ी दुर्दशापूर्ण है । वहां पर न तो ठीक सड़कों का कोई इन्तजाम है, न नालियों का इन्तजाम है और न लाइट का इन्तजाम है । आज जैसलमेर में सैंकड़ों की तादाद में स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आते हैं । यह सारे देश के लिए एक सम्मानजनक बात है कि अगर यहां से टूरिस्ट एक अपना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देख कर जाय तो इसमें आपकी ही नहीं

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

सारे देश की शोभा बढ़ती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसलमेर और पोकरण की म्युनिसिपैलिटीज को ज्यादा से ज्यादा अनुदान दें और इस अनुदान के मार्फत वहां का विकास करवायें। माननीय सभापति महोदया, इस टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जैसलमेर शहर में कई रेस्टिक्शंस लगा रखे हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे अर्ज किया था। मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया था लेकिन ऐसा नजर आता है कि उन्होंने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। वहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है है कि जैसलमेर में जब एक व्यक्ति अपने घर का नक्शा बनाने के लिए म्युनिसिपैलिटी को देता है तो वह नक्शा जोधपुर डी० टी० पी० के पास जाता है और जोधपुर डी० टी० पी० यह फर्माते हैं कि जयपुर एस० टी० पी० के पास जाइये और जब एस० टी० पी० के पास जाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि सी० टी० पी० के पास जाइये तो यह साधारण नागरिक इस सारे 99 के चक्कर से परेशान होकर वापस जैसलमेर लौट जाता है। उसका नतीजा यह है कि वहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और अवैध निर्माण हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं? यहां पर स्वयं मन्त्री महोदय पधार कर देखें तो तो उनको ज्ञान होगा। चूंकि यह टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की कमजोरी है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 99 के चक्कर में लोगों को डालना चाहता है। इनके कोई आदेश स्पष्ट नहीं हैं, इनकी क्या नीति है इससे भी वहां लोग परिचित नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज जो मकान बन रहे हैं, उनको आप कल गिरायेंगे और आप गिरायेंगे तो आज पचास-पचास साठ-साठ हजार में जो मकान बन रहे हैं उनको कल तोड़ दिया जायगा, डिमोलिश करके उनको पांच-पांच हजार रुपया मुआवजा दिया जायगा। इससे वहां की जनता को बचाया जाय। जो मकान सौन्दर्यकरण के तहत जैसलमेर में तोड़े, सभापति महोदया, वैसा एक मकान 2-2, 3-3 लाख में नहीं बन सकता लेकिन उनको मुआवजा क्या दिया गया, किसी को 8 हजार किसी को 10 हजार और यह कहा गया कि हम आपको इतना कंसेशन देते हैं कि आप अपने पत्थर उठाकर ले जाओ। मेरी समझ में नहीं आता, सभापति महोदया, एक तरफ तो जैसलमेर को, टूरिज्म विभाग सारे शहर को प्रिजर्व करना चाहता है, नेशनल आर्काइव्ज वाले प्रिजर्व करना चाहते हैं और दूसरी ओर जयपुर के टाउन प्लानिंग वाले जयपुर में बैठकर कलम से लिख देते हैं कि सड़क वहां सीधी निकाल दी जाय, इस मोहल्ले को तोड़ दिया जाय इस मकान को गिरा दिया जाय। इस तरह की हरकतें वहां चल रही हैं। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इसको तुरन्त बन्द किया जाय और आने वाले समय में कोई मकान तोड़ा नहीं जाय।

श्री सभापति : श्री शिवदान सिंह।

श्री शिवदानसिंह राठोड़ (जैतारण): सभापति महोदया, मांग सं० 29 और 30 में मैंने कटोती प्रस्ताव रखे हैं जिनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में टाउन प्लानिंग महकमे में 60 और 67 में ऐसे व्यक्ति की पोस्टिंग कर दी गई जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता था। लेकिन उन्होंने घोर कुकृत्य किये हैं, 67 में श्री कैम्बो की इस पद पर पोस्टिंग की

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

गई और यह आज 81 चल रहा है। 13 वर्षों में उन्होंने केवल 5 नगरों का मास्टर प्लान किया और ढाई वर्ष एक नगर का मास्टर प्लान बनाने में लगे। एक वर्ष में इस महकमे में 50 लाख रुपया खर्च किया जाता है, जिसका तात्पर्य 1 करोड़ 25 लाख में उन्होंने एक नगर का मास्टर प्लान बनाया। अगर उनकी यही रफ्तार रही, ढाई वर्ष में एक नगर का मास्टर प्लान बनाने की तो राजस्थान मे 170 नगर और रह गये हैं। 425 वर्ष लग जायेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बाकी बचे हुए नगरों का, 425 वर्षों में मास्टर प्लान बनाया जाय तो कंम्बो जैसे अधिकारी को इस पद पर न रखें, × × × और जिनके बारे में, उन्होंने सारी सत्ता को केंद्रित कर रखा है। शासन सचिव ने 10-2-81 को इनको असंतोषजनक कार्यों की प्रताड़णा दी है और कांग्रेस के विधायक श्री मूलचन्द डागा ने 8 मार्च, 79 को इसी सदन में इनके भ्रष्ट काले करनामों का पुलिंदा रखा था जिसकी आज तक कोई जांच नहीं की गई। कई विधायक, कई संसद सदस्यों ने चार्जेज लगाये लेकिन मैं समझने में असमर्थ हूं कि ऐसे × × × पर क्यों नहीं सरकार जांच करती और 13-13 वर्षों तक ऐसे × × × अधिकारी को इतने बड़े पद पर रखा गया है जिसने × × × हमारे जो अभी विराजे हुए मंत्री जी ईमानदार हैं, नेक आदमी और बुलन्द है, में उनसे उम्मीद करता हूं, आप ऐसे × × × अधिकारी को सस्पेण्ड कर काले कारनामों की जाँच करवायें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार जनता पार्टी की तरह इन × × × अधिकारियों को संरक्षण नहीं देगी और कल ही इनको निलंबित करके इनके पूरे काले कारनामों की जाँच करवायेगी।

मैं यह, सभापति महोदया, निवेदन करना चाहूंगा, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिये हमारी आजादी आने के बाद 33 वर्ष हो गये और हमने बहुत हल्ला किया कि विकास किया लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जन जाति क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। वहां के लोग उसी पुराने ढर्रे में रहते हैं वही विचारधारा है वही पुराना पहनावा, खानपान है और वही रूढ़िवादिता है। तो जब तक उनकी विचार-धारा नहीं बदलेंगे, विकास नहीं होगा। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर इस क्षेत्र में सड़कें बनाई जायं बिजली दी जाय और गांवों में रेडियों केन्द्र बनाये जायं, रेडियो सुनाये जाय और छोटे-छोटे सिनेमाघर बनाये जायं, लोगों को सिनेमा दिखाये जायं, मेले लगाये जायं, प्रदर्शनियां लगाई जायं जिससे उनके सोचने का तरीका, रहने का तरीका बदले और वे प्रगति के साथ आगे बढ़ने के लिये तैयार हों।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(8·05 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं, आपने अपने भाषण में बहुत से मानहानि के और अपमानजनक शब्द कहे हैं और अफसोस की बात है कि आपने अपने कटौती प्रस्ताव में इसकी कोई सूचना नहीं दी है। जब आक्षेप लगाने होते हैं तो माननीय सदस्य को चाहिये कि पूरी सूचना दें। माननीय सदस्य नियमों का पालन करें। मैं जो कार्यवाही में शब्द आये हैं उनका अध्ययन करके उचित कार्यवाही करूंगा।

एक माननीय सदस्य : ऐसे अधिकारी को उम्र कैद....

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है कि सरकार जनजाति क्षेत्र में छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज लगावे ताकि उन लोगों को रोजगार मिले और उसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्रों में ही नहीं, राजस्थान के पूरे गांवों में काफी गांव ऐसे हैं जहाँ लोगों के पास आबादी में रहने के लिए जमीन नहीं है। वहाँ गांवों के पास सरकार की सिवाय चक जमीन पड़ती है। उसमें लोगों ने बड़े मकान बना लिये हैं और लोगों पर 91 के केसेज, मुकदमे हो रहे हैं। जब लोगों के पास रहने को जमीन नहीं है तो वे जमीन के लिये तहसीलदार के पास जाते हैं वहाँ उनका शोषण होता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये नियम बनाये जावें और एक तारीख निश्चित कर दी जावे कि जिन गांवों के लोगों के पास रहने को जमीन नहीं है और लोगों ने सिवाय चक में बाड़े या मकान बना लिये हैं उनकी जमीनों को रेगूलेराइज करें। इसी प्रकार नगरपालिकाओं में जिन लोगों के पास रहने को मकान नहीं हैं। और उन्होंने खेती की जमीनों पर मकान बना लिये हैं और उन पर 90-ए के मुकदमे चल रहे हैं उनको भी रेगूलेराइज किया जाय।

इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि लाइम स्टोन की खानें आई हुई हैं। कुछ आदिवासी एरिया में आई हुई हैं। उनका 10-10 किलोमीटर का एरिया करके यह अनुसूचित जाति और जनजाति को अलाट की जाय ताकि इन लोगों का विकास हो।

इसी प्रकार जनजाति क्षेत्र में गांवों में मकान बनाने के लिये लोन दिया जा रहा है लेकिन आदिवासी लोन की फार्मेलिटी पूरी करके लोन नहीं ले पाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जनजाति क्षेत्रों में मकान बना कर किश्तों में दिये जायं। यही मेरे कुछ सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, अपनी बात कहने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि जितनी भी राजस्थान रोडवेज की तरफ से जाने वाली बसें हैं, आने जाने वाली से, मैं करीब 9-10 बजे आया तो वहां मैंने देखा कि जितनी भी राजस्थान की V. I. P. कोटा की जाने आने वाली बसें हैं, इन बसों का चक्का जाम कर दिया गया है थोड़ी सी गलती के कारण, मैंने छानबीन करके जानकारी की तो वह क्या थी कि एक कण्डक्टर को सस्पेण्ड कर दिया गया और किस बात पर, कि वह बीमार था। बीमारी के कारण घर चला गया, वहां से जाकर दुवारा दरख्वास्त भेजी कि मैं

Page No. 192

(192)

(श्री चाद खां)

बीमार हूं, अभी ड्यूटी देने के काबिल नहीं हूं इसलिये मेरी छुट्टी बढ़ाई जाय इसलिये सस्पेण्ड किया गया और इसी कारण बसों का चक्का जाम किया गया, कोटा वाली सारी बसों का। बड़े अफसोस की बात है, कितना नुकसान हुआ सरकार का और अभी भी मेरा खयाल है, वह चल ही रहा होगा। अभी बसों का आना जाना बिलकुल बन्द है। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि इसकी जानकारी करने के बाद चक्का जाम है उसको खोला जाय और कंडक्टर को सस्पेण्ड न करके लिखा जाय कि उसे वापस ले लिया जायगा और नौकरी पर लगा दिया जायगा।

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, जैसा आज देश के अन्दर गरीबों के लिये जो कुछ हो रहा है, हर आदमी, हर विधायक कहता है कि गरीबों के लिये क्या हो रहा है? उनके लिये एक रुपया सौ रुपये में से खर्च नहीं किया जा रहा है ? हम देखते हैं जो जाति से चमार हैं पहले जूते गांठता था आज भी वह उसी जगह पर जूता गांठ रहा है और उस कार्य से अपना पेट भर रहा है। मेरे यहां कामां एक कस्बा है और बाकी दो पंचायतें हैं। वहां जाकर आप देखें तो उनकी बस्ती मे न पानी की व्यवस्था है और न बिजली की व्यवस्था है और न कोई सड़क है। वे लोग आज भी गन्दगी में पड़े हुए हैं। मैंने वहां के जिलाधीश को दिखाया भी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से मंजूरी नहीं आ रही है। मैंने कहा कि आप पानी, बिजली, सड़क तो यहां पर पहुंचा सकते हैं। पानी का बंदोबस्त भी नहीं है। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। महज वोट लेने के अलावा कोई बात नहीं है। जो भी फायदा उठा रहे हैं वे जो धनवान हैं, पूंजीपति हैं उनको ही बिजली, सड़क का फायदा मिल रहा है लेकिन गरीबों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह हकीकत है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि जिनके वोटों से आप जीत कर आये हैं, जिनके लिये आप नारे लगाते हो, उनकी ओर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : एक विपक्ष के सदस्य बोलेंगे और उसके पश्चात् केवल दो माननीय सदस्य और बोलेंगे।

समय हो गया है। आर्डर प्लीज। तीन मिनट का समय। श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, आज की इस डिमाण्ड पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट सैशन में भी टौंक नगर के विकास की चर्चा हुई थी। वहां जो गन्दी बस्तियां हैं, जिस प्रकार लोग रहते हैं और सब वार्डों में, सब मोहल्लों में, आज आजादी के 33 साल बाद भी वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है। आज सारा शहर सड़ रहा है, नर्क बना हुआ है। वहां की एक रोड घण्टाघर से बड़े कुए तक आज से 30 साल पहले बनी थी और उसके बाद एक नया पैसा भी उस पर नहीं लगा है। किसी मोहल्ले, गली में सड़क, बिजली की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार आधे घण्टे की चर्चा पर मन्त्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इसके विकास के लिये अनुदान

(श्री महावीर प्रसाद)

दिया जायगा । मुझे अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि आज तक कोई विकास नहीं किया गया है । न तो कोई अनुदान दिया गया है, न विकास की कोई चिन्ता है । आज वहां के लोग, टौंक के लोग, सारे राजस्थान में पिछड़े हुए हैं, अगर राजस्थान में कोई पिछड़ा शहर है तो वह टौंक है । जिसमें टी० बी० के पेशेन्ट ज्यादा से ज्यादा हैं । वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और माइनोरिटी के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहते हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है, उसमें यह चर्चा की गई है कि नगर का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसमें टौंक का कार्य अन्तिम चरण में है । यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा और कब शुरू होगा, उसकी निश्चित तिथि, मंत्री महोदय जवाब देंगे उस समय निश्चित तिथि की घोषणा करेंगे ।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हरिजन हैं वे बड़ी तादाद में रहते हैं । आपका क्राइटेरिया है कि एक हजार के आबादी के पीछे चार हरिजन रखे जावें । टौंक की 80–85 हजार की आबादी है, उस हिसाब से 320–325 हरिजन कर्मचारी वहां पर रखे जाने चाहिए परन्तु वहां पर केवल 155 हरिजन कर्मचारी काम करते हैं । इससे न तो सफाई होती है और न ही उन लोगों को रोजगार मिलता है उनकी गरीबी पिछड़ेपन को देखते हुए टौंक नगर परिषद् को अनुदान दिया जाय क्योंकि यहां की नगर पालिका की कोई आमद नहीं है, आमद के कोई सोर्सेज नहीं हैं । किसी प्रकार की आमदनी की गुंजाइश नहीं है । राज्य सरकार व्यवस्था नहीं करेगी ....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा) : अध्यक्ष महोदय, आज समाज कल्याण विभाग की मांगों पर आपकी अनुमति से मैं कुछ कहना चाहता हूं । समाज कल्याण के नाम से एक कल्पना सामने आती है, जो हमारे समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको आगे लाने का हमारा संकल्प है । परन्तु यह कैसे हो सकता था क्योंकि पिछले 9 महीने से समाज कल्याण विभाग एक महिला के पास था । परन्तु आज जो हमारे नये मन्त्री महोदय आये हैं उन से हम आशा करते है कि हमारी कल्पना पूरी होगी । इसके लिये मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समाज कल्याण विभाग के छात्रावास चलते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं मेरे झुंझनु जिले के बारे में कह सकता हूं । इस जिले का भ्रष्टाचार दूर हो जायगा, यदि मन्त्री महोदय पूरे राजस्थान से

Page No. 194

(१९५)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। वास्तव में आप एक सक्षम मन्त्री साहब होंगे और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने निवेदन किया है इस समाज कल्याण के प्रतिवेदन में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके लिये समुचित व्यवस्था करें। नौकरियों में आरक्षण की घोषणाएं की गई परन्तु आज तक एक भी विकलांग की नियुक्ति नहीं की गई है। विकलांगों को सहायता देनी है। यह सदन की मांग है और विकलांगों के लिये यह अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए उनके लिए जरूर ही व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास के लिए जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक नगरपालिकाएं बुरी है, उस बुराई से हम दूर नहीं हुए हैं कि बीच में सफेद हाथी यू०आई०टी० का और रख दिया गया है। इसकी आज तक जो कार्यवाही रही है उससे सदन अवगत है। इसके ऊपर कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है और उसके फल के रूप में कुछ नहीं पाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जयपुर नगर के मास्टर प्लान की रूपरेखा बिगाड़ी जा रही है, या तो सोसाइटी को बन्द किया जाय या यू०आई०टी० को बन्द कर दिया जाय। यू०आई०टी० को रखना है तो इन सोसाइटीज के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ताकि इन सोसाइटीज का जो अवैध कारोबार है, वह तगड़े, कड़े नियमों के द्वारा रोका जाय ताकि अवैध बस्तियों का निर्माण न हो और आने वाले भविष्य में लाख, डेढ़ लाख के मकान तोड़ने की कोई स्थिति न आ जावे, यह जो गर्भस्थ शिशु है, उसके पहले ही खतम करदें ताकि यह कालेवृक्ष के रूप में नहीं पनपे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की मांग के सम्बन्ध में दो-तीन छोटी बातें आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। डीडवाना में डिग्री कालेज है और आज से डेढ़ वर्ष पहले हरिजनों का एक बोर्डिंग वहां पर चलता था। उसको कुर्क करा लिया। आज वहां पर कोई बोर्डिंग नहीं है और न समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था है। इसलिए मैं मंत्री महोदय को आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि डीडवाना जैसे कस्बे में लाडनू डीडवाना दोनों को मिलाकर एक डिग्री कालेज है। यहा पर हरिजनों के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी व्यवस्था अच्छी तरह चलती थी लेकिन कहते हुए दुख होता है कि पिछले डेढ़ साल से वह कुर्क हो गया है और इन गरीबों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। न तो उनकी कोई सुनवाई है और न झगड़ने के लिये उनके पास पैसा है। इसलिए इस-ओर गौर कर इस बोर्डिंग को वापस हरिजनों को दिलवावें।

(श्री रामधन)

नम्बर दो, लाडनू में अनुसूचित जाति के छात्रावास चलते हैं। वहां पर एक बार तो मैंने जो जुएं का ठेका चलता था, उसको थानेदार से कहकर पकड़वा दिया परन्तु आजकल वहां पर दारू का ठेका चल रहा है। ऐसे लोग जो कर रहे हैं वह सवर्ण जाति का है। गरीब बच्चों के रहने की व्यवस्था थी जो अब नहीं है वह होनी चाहिये। शराब और जुआं का धंधा करें और ऐसा आदमी करे जो गणमान्य आदमी है ? वह यह काम करता है। लाइसेन्स लेकर वे यह काम करते हैं तो लाडनू डीडवाना के लिये मुझे यही कहना था। इन दोनों की ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे। बाकी दूसरी बात म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, तो जब तक नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं होंगे तब तक उनमें सुधार होना असम्भव है। क्योंकि इनमें जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं वे अपना ही काम पूरा नहीं कर पाते हैं। उनको अपने ही काम से फुरसत नहीं है, वे नगर पालिका का क्या काम करेंगे ? इसलिये बार-बार निवेदन करने पर भी आज हालत यह हो रही है। नगर पालिका वहां बसने वालों के परिचय पत्र तक नहीं बना सकी है। गरीब के लड़के को हटाया जाता है और नौकरी के लालच में घर के और दूसरे काम करवाये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका के चुनाव जल्दी से जल्दी करवाये जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो टौंक जिला है।

श्री अध्यक्ष : अब मेरा ध्यान इधर आ गया है उधर नहीं जायगा।

श्री चतुर्भुज : आपको मालूम ही है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एरिया है। वहां पर अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 42 प्रतिशत है जिनका प्रमाण आपके अधिकारी भी मौजूद हैं, वे बता देंगे। हमारे टौंक जिले का जो लोक सभा क्षेत्र है वह भी सरक्षित क्षेत्र है उसी क्षेत्र के एरिया में तीन विधान सभा क्षेत्र हैं यह आप आंकडों से भी जानते होंगे। आप मानेंगे भी इस बात को कि टौंक जिले में जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा है चाहे आप आदिवासियों के नाम पर उदयपुर डिवीजन को मानें, चाहे आप रेगिस्तान के नाम से किसी और एरिया को मानें, किसी को भी कुछ मान लें। लेकिन इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि हमारे यहां बड़ी भारी नदी है जिसके अन्तर्गत 17 हजार एकड भूमि बेकार है, इसके साथ 5 नदी हैं मासी, घासी लोधरा नदी और खारी नदी। उस सारे क्षेत्र में 10 हजार एकड जमीन बेकार पड़ी है उसकी हालत देखकर मैं भर पाया और 1700 एकड़ पहाड़ी इलाका है इन बातों को देखकर कोई ध्यान नहीं है। उनकी पढाई की ओर कोई ध्यान नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति की आज खराब दशा हो रही है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इन आंकड़ों को देखते हुये, इस बात को देखते हुये, निर्वाचन क्षेत्र को देखते हुये राज्य सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति के लोगों के लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड़ की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र देवली में, अध्यक्ष महोदय, वह ऐसा क्षेत्र है जो मिलिट्री का एरिया है वहां पर हर राज्य का हाउस बना हुआ है राजस्थान में और कहीं ऐसा नहीं है। यहां पर जयपुर

(श्री चतुर्भुज)

राजघराने की बात की जाती है, लेकिन देवली में कोटा हाउस, अलवर हाउस, बूंदी हाउस, भरतपुर हाउस सारे राजस्थान के हाउस बने हुये हैं। इसके साथ-साथ पुराने जमाने में हमारे दरबार के समय में जमीन की दशा ठीक थी, आज यह दशा है कि म्यूनिसिपैलिटी की जो हमने 57 से जर्मान दरबार से लेकर के रजिस्ट्री करके आदान-प्रदान किया है उसको आज म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र में, हमारे टौंक जिले मे नहीं मान रहे हैं, उसको अजमेर के क्षेत्र मे मान रहे है या भीलवाड़ा जिले में मान रहे हैं। इसके बावजूद क्या हो रहा है, आज हमारे यहां जो अस्पताल का क्षेत्र है अगर वहां पर कोइ दंगा हो जाता है उसकी रिपोर्ट लिखवाने जाना पड़ता है जहाजपुर और आज हमारे यहां चुंगी क्षेत्र में कोई दंगा हो जाय तो रिपोर्ट करने जायेंगे केकड़ी। यह हालत है। यह हमारी सुरक्षा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मास्टर प्लान बिगड़ रहा है। कोई नाजायज कब्जे करता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वह स्टे ले आता है वह लाखों रुपयों की जमीन पर नाजायज कब्जे कर रहे हैं, कोई अजमेर से स्टे ले आता है और लाखों रुपयों की जमीन हड़प जाता है। मास्टर प्लान बिगड़ रहा है जबकि वह बहुत बढ़िया सिटी है, कोई भीलवाड़ा से स्टे ले आता है ऐसी व्यवस्था हो रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जमीनों पर हमारी मांग है उसके अनुसार उनको नगर पालिका के सुपुर्द किया जाय और उनको जिला टौंक में अंकित करें तो नगर पालिका की व्यवस्था ठीक हो सकती है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज : बस एक सेकण्ड में। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नगर पालिका क्षेत्र में पशु केन्द्र में 8 हजार क्वाटर बने हुये हैं, केन्द्र सरकार ने आठ हजार क्वाटर करोड़ों रुपयों से बनाये है। भारत सरकार ने तो व क्वाटर बना दिये पर आज उनकी व्यवस्था नहीं है, करोड़ो रुपया बर्बाद हो रहा है कोई उसके किवाड़ उतारकर ले जाता है, कोई टीनें उतार कर ले जा रहा है और राष्ट्रीय धन बर्बाद हो रहा है। मैं राज्य सरकार को सुझाव दूंगा और आपके मार्फत भारत सरकार को सुझाव दूंगा कि इस राशि का सुरक्षा करें, वहां पर करोड़ो का धन लगा हुआ है उसको नगरपालिका को ही दे दें। यही आपसे निवेदन करना चाहता हू।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : मैं सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। समाज कल्याण विभाग जो गरीबों के आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिये जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है उसको स्वयं को यह पता नहीं है कि उसके क्षेत्र में किस-किस समाज के इस प्रकार के गरीब लोग हैं जिनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये प्रयास किया जाना है, कार्यक्रम बनाने चाहिये। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि समाज कल्याण विभाग ने जिन ग्रामों में जहां पानी पहुंच चुका है

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

ग्रौर विद्युतीकरण हो चुका है ग्रौर जहां पर हरिजन बस्तियां इन सुविधाग्रों से वंचित हैं, जिन गांवों में पेयजल योजना ग्रा गयी है ग्रौर तीन–तीन सालों से ग्राज जिस स्थान पर हरिजन बस्तियां वंचित हैं वहां पानी नहीं है उनके बारे में कोई प्रयास नहीं किया है । ऐसे गरीब समाज का यह विभाग क्या उत्थान कर सकता है जिसको यह पता नहीं है कि कौनसी बस्ती में रोशनी नहीं है, कौनसी बस्ती में पेयजल की समस्या है । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके बारे में समाज कल्याण विभाग ने कुछ नहीं सोचा है । मैंने पहले इस संबंध में निवेदन कर दिया था मैं यह उम्मीद करके चलता हूं कि उनके लिये समाज कल्याण विभाग कोई योजना तैयार करके काम करेगा । उनके लिये मैं ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय से ग्रनुरोध करूंगा कि कोटखावदा में नट जाति के लिये एक संस्कार सुधार केन्द्र की स्थापना करें जहां पर किसी प्रकार की ग्रार्थिक स्त्रोतों की व्यवस्था हो ग्रौर सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित किया जाय जिससे कि उनका सुधार हो सके ।

इसी प्रकार ग्राम जटवाड़ा में, जहां सांसी जाति रहती है, एक संस्कार सुधार केन्द्र समाज कल्याण विभाग की ग्रोर से चलाया जाना चाहिये । वहां उनकी ग्रार्थिक स्थिति ठीक करने के लिये, उनके लिये ग्राय के साधन जुटायें, कोई उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करें क्योंकि वे निजी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं । विभाग की ग्रोर से ही इस प्रकार की कोई उनकी ग्राय के स्त्रोत की व्यवस्था होनी चाहिये ।

मैं जनजाति विकास के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले के लिये इस मद में 43 लाख रुपयों का प्रावधान रखा था परन्तु दुर्भाग्य है कि विभाग ने ग्राज तक उसमें से केवल 5 लाख रुपये ही खर्च किये हैं बाकी चिकित्सा सुविधा के लिये, शिक्षा के लिये ग्रौर जो भी ग्रन्य विभिन्न मदों के लिये पैसा था उसका बजट वर्ष समाप्त होने जा रहा है पर ग्रभी तक उपयोग नहीं हुग्रा है, उपयोग नहीं कर पाये हैं ।

इसके ग्रलावा जनजाति विकास के क्षेत्र में जो हमारे लघु विकास खण्ड बने हुये हैं उनके लिये मेरा सुझाव यह है कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पिछड़ी जाति के किसान हैं वे सब सामूहिक रूप से तो उन्नत ग्रौजार क्रय कर प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ग्रलग ग्रलग रूप से नहीं कर सकते । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जनजाति विकास कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत वहां पर सामूहिक कृषि की कोई योजना तैयार करें, जैसे ट्यूब वैल ग्रादि की जिससे कि वहां सिंचाई की सुविधा मिल सके । उन्नत ग्रौजारों के लिये इतनी कीमत उनके पास नहीं है कि वह ग्रकेला उनको खरीद सके, उनकी क्षमता नहीं है इसलिये किसान सेवा केन्द्र स्थापित करके वहीं पर सामूहिक रूप से ट्रैक्टर ग्रौर दूसरे ग्रौजार, दवाइयां ग्रादि हैं, वे उनको किसान सेवा केन्द्र से उपलब्ध होनी चाहिये । वहां का किसान खरीद नहीं सकता है ग्रौर किराये पर भी नहीं ले सकता है ऐसे लोगों को किसान सेवा केन्द्र से सम्बन्ध करना चाहिये ।

तीसरा, मेरा नगर पालिका के बारे में इतना ही कहना है कि जो बड़े शहर हैं उनके पास तो ग्राय के स्त्रोत हैं परन्तु जो गांवों की नगरपालिकायें हैं उनकी ग्राय का

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

स्त्रोत नहीं है। इसलिये जब तक उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो जाय तब तक राज्य सरकार को अनुदान देना चाहिये। ताकि वहां की नगरपालिकायें, जो अभी नगरपालिकाओं में परिवर्तित हुई हैं, जिनकी आय के कोई स्रोत नहीं हैं, जहां पर विकास का काम अवरुद्ध हो गया है, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मन्त्री महोदय उत्तर दें उससे पहले श्री प्रभाकरजी स्पष्टीकरण देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, बस एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर रा नगर विकास न्यास रा बाबत दो-तीन बातां अरज करणी है, वठे अध्यक्ष महोदय, विकास रा नाम पर अणूतो पैसो बर्बाद हो रियो है। कम से कम 10 हजार से 60 हजार रो खर्चो हुणो है इत्तो खर्चो हो बारे उपरान्त भी कोई काम नहीं हुओ, वठे धूल उड़े है। एड़ा पैसां कई काम करयो। शहर में जित्ती बस्तियां हैं, वठे लोगां ने घई असुविधा है, वाँ रो निराकरण करनो चहिये वठे सड़कां होनी चाहिये, लाइट री व्यवस्था होनी चाहिये। मैं अरज करूं 26 हजार शिकायता वष 80 सूं यू० आई० टी० और म्यूनिसिपैलिटी में पड़ी है पण रह को भी समाधान नहीं हो यो। लोगां रे वास्ते सड़कां रो काम है, नालियां रो लेवल नहीं होवासूं गन्दा पानी रो निकास नहीं हो रियो है, अगर मैं गलत हूं तो इस्तीफो देवा ने तैयार हूं, उणमां गलत माल ठेकेदार लगा रिया है। ई वास्ते मैं निवेदन करूंला के वाको निराकरण करने री कोशिश की जावे, यो बहुत जरूरी है, लाखों रुपयों रो बजट है सरकार रो, उंको सही उपयोग होवणो चावे। बीकानेर री म्यूनिसिपैलिटी ने कयो बहुत बार, जूनागढ़ रे सारे सूरसागर सू पानी रो निकास नहीं हो रियो है, मोहल्लां रे बीच में गन्दो पाणी फैल रियोहै, ई वास्ते उणरो निराकरण करणो चावे, याही अरज करूं गो।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हनुमान प्रभाकर, यातायात मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री प्रभाकरजी।

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि आज की बहस में तीन बिन्दु माननीय विधायकों द्वारा उठाये गये हैं, एक तो दिलीप प्रभाकर के नाम पर एक प्लाट दिया गया। मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में विरोधी दल के माननीय नेता ने आरोप लगाया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्लाट आवशन में लिया गया था, वहां पर पहले कांटा लगा हुआ था, इसी तरह का एक आरोप लगाया इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहूंगा ...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रेट क्या दी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सवाल जवाब नहीं होगा केवल स्पष्टीकरण होगा।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि प्लाट

(श्री हनुमान प्रभाकर)

प्रावधान से लिया गया है, व्यापारिक प्लाट है, कांटा वहां पर पहले था, वहीं पेरे लगा हुआ है, इसलिए जो आरोप लगाया गया है, वह सर्वथा निराधार है। केवल सदन को गुमराह करने की चेष्टा मात्र है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं होगा, इस पर वाद विवाद नहीं होगा, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : दूसरा, एक प्रश्न था कि उदयपुर में मेरा एक शो रूम बना हुआ है, उसको लेने की बात नगर विकास न्यास द्वारा कही गई है। यह प्लाट नगर विकास न्यास से लिया गया था, उसका निर्माण 67 में हुआ था, 71 में नगर विकास न्यास द्वारा उसके पास 40 फीट की रोड का प्रावधान किया गया। वहीं पर 19 फीट जमीन खाली पड़ी थी। उस व्यक्ति की जमीन थी, जिससे मैंने वह जमीन खरीदी थी नगर विकास न्यास ने 19 फीट जमीन अवाप्त की उसको एवज में दूसरी जमीन दी गई है।

अब यदि नगर विकास न्यास उस भूमि को लेना चाहता है उनकी योजना है कि 40 फीट की सड़क होनी चाहिये, इसको यदि वह उचित समझते हैं तो लें, नहीं उचित समझे तो नहीं ले। शर्तें मन्जूर होंगी तो देने की बात सोचूंगा और मन्जूर नहीं होंगी तो नहीं देने की। अभी नेगोसिएशन कमेटी में पड़ा हुआ है। बात सोचूंगा। इसलिए यह आरोप लगाना कि विकास न्यास ने फैसला कर लिया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है, इस संबंध में मैंने मेरे लड़के को पावर ऑफ अटार्नी दे दी है क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूं और यह मामला नेगोसिएशन कमेटी को दिया हुआ है। जिस व्यक्ति की जमीन थी उसी से अवाप्त की गई है उसको दूसरा भूखण्ड दिया गया है। अगर यू. आई. टी. 40 फुट जमीन लेनी चाहती है तो ले, मुझे शर्तें मन्जूर होंगी तो मैं दूंगा।

तीसरी बात यह कही गई कि मुझे बी.एड. की संस्था मे 40 हजार रुपये दिये गये। पता नहीं किस माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया। मैं उनको चैलेन्ज करना चाहता हूं कि यदि वह कोई भी कमेटी का निर्माण कर दें वह सिद्ध कर देंगे तो मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : बैठ जाओ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

व्यवस्था का प्रश्न

स्पष्टीकरण उपरांत आरोप लगाने वाले सदस्य को विचार व्यक्त करने का अधिकार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सूरजपाल सिंह : नियम बताइये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुछ चार्जेज के बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने....

(व्यवधान)

आप मुझे बोलने देंगे या बोलते ही रहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : कौनसे नियमों के तहत बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चौमू से....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदय ने क्लेरिफिकेशन दिया और माननीय सदस्य ने उनको चैलेन्ज दिया, उन्होंने उसको स्वीकार किया, तो माननीय सदस्य को भी अवसर दिया जाय यह मेरा निवेदन है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्था देने दीजिये । इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसलिए मैं इस आपत्ति को निरस्त करता हूं । मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री महोदय दे रहे हों और यदि वह कोई ऐसा आक्षेप नहीं लगावें जो मानहानिकारक हों अन्यथा एतराज काबिल हो तो माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं होता कि बीच में उठकर बाधा उपस्थित करें । अगर कोई अपमानजनक अथवा जिसमें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता हो तो बाद में आसन की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शान्तिपूर्वक सुनें ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बी. एड. कालेज का....

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । अव्वल तो माननीय सदस्य ने जो प्रातः आक्षेप लगाये थे मन्त्री महोदय पर, नियमों के अन्दर....

श्री गुलाबचंद कटारिया : नियमों के अन्दर लिखा गया है, नियम 273 में, मैंने 10 दिन पहले नोटिस दिया था ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नोटिस आसन के पास ही आते हैं ....

श्री गुलाबचंद कटारिया : मैंने नियम 273 के तहत आपको सूचना पहले दी है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । एक सप्ताह पहले आपने भेजा था, यह ब्लेंक नोटिस कभी नहीं दिया जाता कि मैं फलां के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक मामला उठाऊंगा....

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बिलकुल....

श्री अध्यक्ष : No, No, आर्डर प्लीज । हमेशा व्यवस्था यह होती है कि आज अमुक मामला सदन के समक्ष विचाराधीन है । उस

(श्री अध्यक्ष)
अवसर पर जो नोटिस देते हैं माननीय सदस्य, वह यह कहेंगे उस अवसर पर कि मैं इस तरह का प्रश्न उठाने जा रहा हूं। हो सकता है मानहानिकारक नहीं हो तो भी माननीय सदस्य कहता है कि मानहानिकारक मामले उठाए गए। इसलिए मानहानि के मामले स्वच्छंदापूर्वक यहां उठाये जा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था नहीं दी जा सकती। वह भी कुछ हो तो मन्त्री महोदय जब बोल रहे हैं तो उनका स्पष्टीकरण आपको सुनना चाहिये। आर्डर प्लीज।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
श्री हनुमान प्रभाकर, यातायात मन्त्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हनुमान प्रभाकर : जहां तक बी० एड० कालेज का प्रश्न है, राज्य सरकार को केवल नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके बाद विश्वविद्यालय का काम है, वह संस्था उसके लिए साधन सम्पन्न है या नहीं, वहां पर खोला जा सकता है या नहीं, यह सारा प्रश्न विश्वविद्यालय से संबंधित है। केवल राज्य सरकार नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती है और यदि माननीय सदस्य नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कीमत 40 हजार रुपये मानकर चलते हैं तो यह कांग्रेस राज की बात नहीं है और किसी राज की बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री गुलाबचंद कटारिया : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जायगा।

(व्यवधान)

कोई नियमों में व्यवस्था नहीं है। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचंद कटारिया : फरवरी के महीने में बी० एड० कालेज····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मंत्री महोदय। श्री हरसहाय मीणा। आर्डर प्लीज

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कृपया इसका दुरुपयोग न हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, नहीं तो....

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सदस्य ने एक चार्ज लगाया मंत्री महोदय पर....

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैंने पूरा ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। श्री हर सहाय मीणा।

मांग संख्या 30, 33 व 29 पर विचार

श्री हरसहाय मीणा (समाज कल्याण मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान देश के उन गिने चुने प्रांतों में से है जो

(श्री हरसहाय मीणा)

समाज कल्याण के द्वारा पिछड़े हुये लोगों को, दलित वर्ग को संपन्न लोगों के बराबर लाने की चेष्टा करते रहे हैं। इसके जो कार्यकलाप हैं उसको मैं दो भागों में बांटता हूं। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसे कि माननीय सदस्या, जो कि भूतपूर्व समाज कल्याण मन्त्री भी रही हैं, ने कुछ आंकड़ों पर आधारित बात कही है कि बजट किन्हीं मायने में बहुत कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सन् 1979–80 का जो बजट था 983. 16 लाख, 1980-81 का 1102.36 लाख है और 1981-82 का जो बजट है वह 1174.55 लाख का है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं वैसे अमूमन सदन में एक ही बात पर आज चर्चा रही कि समाज कल्याण के माध्यम से कोई तरक्की नहीं हुई। कोई दलितों का विकास नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जो लोगबाग हैं वे समाज कल्याण की देन हैं, बल्कि मैं यहां तक कहने में भी नहीं हिचकूंगा कि आज जो वातावरण आप देख रहे हैं, इससे समाज कल्याण विभाग ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, निश्चित रूप से इस किस्म की उपलब्धियां हैं कि उनसे सवर्ण व्याकुल हो गये और एक आंदोलन के माध्यम से यह जाहिर करना चाहते हैं कि यह प्रोग्राम उनके हित में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में, मैंने जैसा अभी निवेदन किया, मैंने दो भागों में इस कार्यक्रम को विभक्त किया है, एक है पिछड़े वर्ग का कल्याण, दूसरा है सामान्य समाज कल्याण कार्यक्रम। पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्यों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में हमारी तीन प्रवृत्तियां चलती हैं। शैक्षणिक, विकास कार्य, सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में। शैक्षणिक कार्य के सम्बन्ध में पहले निवेदन करूंगा कि हम छात्रावास भी खोलते हैं। छात्रावास दो तीन किस्म के हैं, इसके अलावा जिन बच्चों को हम छात्रावास में भर्ती दिला सकते हैं, जितनों को हम भर्ती कर सकते हैं, उसके अलावा भी यदि छात्र बच जाते हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। इसके अलावा भी बुक बैंक की स्थापना की हुई है।

इसके साथ-साथ चूंकि दलित वर्ग के लड़के और लड़कियां भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में आयें, उच्च पदों पर भी जायं इसके लिए भी एक अलग से व्यवस्था है और वह है पूर्ण परीक्षा संस्थान। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है वह है आर्थिक विकास कार्य। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनुसूचित जातियों के लिए कम्पोनेन्ट प्लान्ट की योजना भी रखी है उसके अन्तर्गत 40–30 करोड़ की राशि अनुसूचित जाति विकास के लिए निर्धारित की गई जो कि गरीबी से ऊंचा उठाने के लिए एक निश्चित संख्या में राज्य सरकार 1981–82 में टार्गेट अचीव कर लेगी। इसके अलावा मैं कुटीर उद्योग के बारे में भी निवेदन करूं। बेरोजगारी भत्ता भी इसमें दिया जाता है, कृषि कूप निर्माण के ऋण के ब्याज का भी पुनर्भरण किया जाता है। भवन निर्माण हेतु ऋण के ब्याज का भी पुनर्भरण किया जाता है। राजस्थान नहर क्षेत्र में आवासीय निर्माण के लिए भी 750 रु. अनुदान राशि है। राजस्थान नहर क्षेत्र में सहकारी समितियों के लिए भी क्रय के लिए सहायता दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का खनन पट्टे हेतु भी सहायता दी जाती है, चाहे सोसायटी बनाकर उसका उपयोग करें। ज्यादातर सोसायटी

(श्री हरसहाय मीणा)
बनाकर, उसके लिए योजना है। इसके अलावा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी व्यवस्था है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा एवं अस्पृश्यता के बारे में और आर्थिक विकास के लिये भी समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्य किया जाता है। उसके लिये एक प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है प्रत्येक जिले पर जिलाधीश की अध्यक्षता में, उसमें कुछ अधिकारी और जन प्रतिनिधि भी रखे गये हैं जो कि इन विषयों के बारे में कोई प्रतिवेदन आया हो तो उस पर विचार करते हैं, कोई शिकायतें आयी हों तो उनको भी हाथोंहाथ निपटा देते हैं। इसके साथ लोगों को तत्कालीन राहत भी देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तत्कालीन या तात्कालिक।

श्री हरसहाय मीणा : तात्कालिक राहत देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के कार्यकलापों के बारे में सदन के काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री रामरघुनाथ जी ने यह पूछा कि आपने विकलांगों के कल्याण बारे में क्या किया ? मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सात संस्थायें इसके लिए चला रखी हैं जिनका काम मदद करने का है। आप चाहें तो मैं आपको उन संस्थाओं के नाम बता सकता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। विकलांगों के कल्याण के लिए इस वर्ष विकलांग वर्ष मनाया जा रहा है। हमने जो विकलांगों के लिये पहले दो प्रतिशत सीट्स रिजर्व कर रखी थीं सरकारी नौकरियों में वह इस वर्ष से बढ़ा कर तीन प्रतिशत करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन संस्थाओं के माध्यम से विकलांगों के कृत्रिम अंग भी बना कर लगाये जाते हैं। इसी प्रकार जो बहरे हैं उनको श्रवण यंत्र भी दिये जाते हैं ताकि वह सुन सकें। इसके अलावा जो विकलांग साइकिल चला सकते हैं कृत्रिम अंग लगा कर उनके लिये साइकिल भी दी जाती है। इसके अलावा जो विकलांग कृत्रिम अंग लगाने के बाद अगर स्कूटर आदि चला सकते हैं तो उनके लिये पैट्रोल में भी छूट दी गयी है।

इसके अलावा बाल कल्याण केन्द्र भी खोल रखे हैं जहां पर निराश्रितों को शिशु पालन केन्द्र में रखा जाता है। इसके अलावा पालना गृह भी बना रखे हैं तथा मन्द बुद्धि वाले जो बच्चे या मनुष्य होते हैं, उनके भी कल्याण केन्द्र हैं।

इसके अलावा पोषाहार केन्द्र भी समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। इसके अलावा बालकों के पुनर्वास के लिये भी कार्यक्रमों की क्रियान्विति की जाती है। बाल विकास के लिये योजनायें भी समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

महिला कल्याण केन्द्र भी समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। उनके माध्यम से भी जो कार्यक्रम चलाये जाते हैं इसके कुछ संघ भी बनाये गये हैं, तीन चार संघ भी हैं राजस्थान के प्रत्येक कोने-कोने में इस प्रकार की महिलायें हैं, जो कि निराश्रित होती हैं या जिनको सहूलियतों की जरूरत रहती है, उनको भी

(श्री हरसहाय मीणा)
सहूलियतें दी जाती हैं। इनके लिये महिला सदन भी हैं, एक अजमेर में है दूसरा महिला आश्रम गृह जोधपुर में भी है। इसके अलावा मानसिक विक्षिप्त महिला गृह जोधपुर में है, वृद्धावस्था पेन्शन के लिये भी कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते हैं।

इसके अलावा भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम भी समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कल्याण कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। ऐसी योजनाये बनायी गयी हैं जिनसे जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान किया जा सके। शैक्षणिक कार्य के लिये छात्रावास चलते हैं, इसमें प्रथम श्रेणी छात्रों के लिये 173 छात्रावास हैं जिनसे 9 हजार छात्र लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा दूसरी श्रेणी के छात्रों के लिये 130 छात्रावास हैं जिनसे पांच हजार छात्र लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा तीसरी श्रेणी के छात्रावास भी है जो राजस्थान में कुल 91 हैं उनसे 2300 छात्र लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्थान मे 16300 छात्र लाभान्वित होते हैं यह सभी होस्टलों के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। छात्रवृत्ति से जो लोग लाभान्वित होते हैं वह अलग हैं।

श्री अध्यक्ष : रोटियां जो पतली मिलती है उसके बारे में क्या हुआ है ?

श्री हरसहाय मीणा : रोटियां पतली मिलने की शिकायतें आयी हैं उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 54 आदमियों को सस्पेन्ड कर दिया है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ऐसा मैं आश्वासन देता हूं। इसके लिये इन्क्वायरी चल रही है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ कुटीर उद्योग भी समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। 22 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं, बढ़ईगिरी का केन्द्र चल रहा है और एक चर्म उद्योग का केन्द्र चल रहा है, इस प्रकार राजस्थान में कुल मिलाकर 24 केन्द्र प्रशिक्षण के चल रहे हैं। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। जो पोस्ट ग्रेजूएट होते हैं और ग्रेजूएट होते हैं उनमें जो फर्स्ट और सेकिण्ड क्लास छात्र होते हैं उनको भत्ता दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री हरसहाय मीणा : इसी प्रकार भवन निर्माण के लिये भी समाज कल्याण विभाग द्वारा ब्याज का पुनर्भरण किया जाता है वह राजस्थान राज्य गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। लोगों को तीन सौ रुपये प्रति व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे आवासीय समस्या को हल किया जाता है। इसके अलावा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये, जैसे अस्पृश्यता के निराकरण के लिये कानून बनाये हुए हैं। पुलिस विभाग के अन्दर एक अलग से विशिष्ट प्रकोष्ठ बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अत्याचार किसी हरिजन के साथ करता है

(श्री हरसहाय मीणा)
तो उसको कानून के माध्यम से सजा देने का प्रावधान है। यह ऐसा ही मामला है जैसे कि किसी ने हत्या की हो। इसमें दो हजार रुपये तक की सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के मकान की क्षति हो जाती है, वह स्थायी क्षति हो उसको एक हजार रुपये समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाते हैं। अगर आंशिक क्षति होती है किसी के मकान की, उसको 500 रुपये तक की मदद समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। ज्यादा नुकसान के वास्ते एक हजार रुपये की व्यवस्था है। इसी तरह अगर किसी को शारीरिक स्थायी क्षति हो जाती है तो उस व्यक्ति को एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। अगर अस्थायी शारीरिक क्षति होती है, तो उसके लिये 500 रुपये अनुदान देने की योजना है। इसी तरह अगर किसी के साथ बलात्कार कर दिया जाता है तो उस महिला को दो हजार रु. का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जहां विकलांगों को छात्रवृत्ति की सुविधा देने का प्रावधान सरकारी कानून में 18 वर्ष की उम्र के बाद होता था, वहां अब 8 वर्ष की उम्र में ही छात्रवृत्ति सुविधा देने का प्रावधान राज्य सरकार ने कर दिया है। प्रति व्यक्ति 40 रुपये छात्रवृत्ति है। अगर एक ही घर में यानि एक ही परिवार में दो विकलांग होते है, तो 40 के बजाय 60 रुपये की पेन्शन देने की सुविधा है। इसी तरह विकलांग कृत्रिम अंग लगने के बाद अगर धन्धा करना चाहता है तो उसको भी एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है अलग से।

एक माननीय सदस्य : कटमोशन का जवाब दें।

श्री हरसहाय मीणा : कटमोशन का जवाब भी इसी के साथ देता आ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरसहाय मीणा : इसी प्रकार निराश्रित बालकों के लिये सरकार के साथ-साथ स्वयं सेवी संस्थायें कार्यक्रम चलाती हैं और सरकार भी शिशु गृह चलाती है। इसी के साथ समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद जी गुप्ता।

श्री हरसहाय मीणा : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि सभी कटौती प्रस्तावों को अस्वीकृत करते हुए जो मांगें मैंने प्रस्तुत की हैं, उन्हें स्वीकृत कर पारित की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरे इस विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये और इसके लिए जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उन सब के लिए जो मुझे इस कार्य की जानकारी के लिए सहायता दी, इसके लिए मैं उन सबका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, कटमोशन के जरिये बहुत सी बातें सामने आई हैं, एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि यह पुराने तजुर्बेकार हैं और यह उम्मीद है कि इस विभाग का काम यह सक्सेसफुली करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बीस साल पहले मेरे पास यह विभाग बहुत सालों तक रहा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का और टाउन प्ला-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

निंग का । विरोधी पक्ष के नेता महोदय जानते हैं कि म्यूनिसिपल एक्ट को दो बार पायलेट भी किया उसे पास भी कराया और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का भी उसी जमाने में पास हुआ । मैं माननीय सदस्यों को इस बात का निवेदन करना चाहता हूं........

श्री यदुनाथ सिंह : इसीलिए तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस समय जो समस्यायें थीं और इस समय जो समस्यायें हैं उनमें बहुत अन्तर है । मेरे पास अभी 25 दिनों से ही यह विभाग आया है, मैं निरन्तर देख रहा हूं कल जितने कटमोशन आये हैं मैंने सब का अध्ययन किया है । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विभाग की समस्याओं के सम्बन्ध में, चाहे जयपुर की हो या दूसरे शहर की हो, यू.आई.टी. की हो या टाउन प्लानिंग की हो, मैं उन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा ।

मैं माननीय सदस्यों को यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो म्यूनिसिपैलिटी और यू०आई०टी० है, यह कार्य आम जनता की भलाई के लिए करती हैं, शहर की सफाई का कार्य किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति का नहीं है । इसके लिए मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो इस सम्बन्ध में सुझाव आये हैं और आइन्दा भी जो सुझाव आयेंगे, उनका वेलकम करूंगा, उनके बारे में निवेदन करूंगा कि उनमें जो भी उचित कार्यवाही करनी होगी, करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत से शहरों के बारे में, खास तौर से जयपुर के बारे में माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया । पिछली बार टूरिस्ट्स कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें मैं भी गया था । मैंने उस समय भी कहा कि राजस्थान के बड़े बड़े शहर हैं, लोगों ने वहां कश्मीर की तारीफ की तो मैंने कहा कि राजस्थान आर्ट्स का घर रहा है और जयपुर का पुराना सिटी हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि इन्टरनेशनल शहर है, इसकी सुन्दरता को इसके आकर्षण को कायम रखने के लिए इस संबंध में मैंने सबसे अर्ज किया, सरकार कटिबद्ध है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार निरन्तर कार्य करती रहेगी । जैसलमेर के बारे में कहा, इसके लिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जायगी अब तक जो हुआ है, उसके लिए कम्पन्सेशन दिया जा रहा है । कुछ तो दे दिया है बाकी के पेपर्स तैयार हैं ।

अब एक बात माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि टाउन प्लानिंग विभाग के बारे में कई बातें कही गयीं । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, वह सब विभाग की ओर से एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को दे दी गयी हैं । एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने इन्क्वायरी करके सारा मामला डी. ओ. पी. को भेज दिया है । मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी सीनियर आफिसर्स होते हैं उनके मामलों को डी. ओ पी. ही डील करता है वह उसके विचाराधीन है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुछ कायदे कानून और नियम बने हुए हैं, सब माननीय सदस्य जानते हैं । इसलिए उस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सम्बन्ध में जो शिकायतें थीं उन सब की जांच की जा रही है, डी० ग्रो० पी० में कार्यवाही चल रही है इसके अलावा किसी माननीय सदस्य को और शिकायतें हों तो मुझे भेज सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप तो उनको ओ. एस. डी. लगाओ सैक्रेटेरिएट में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि किसी भी ग्राफिसर के खिलाफ शिकायत है, आप जानते हैं कोई ग्राफिसर हो तो मेरे यहां किसी के लिये रियायत नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि उसमें नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही करनी पड़ेगी। सदन में एलीगेशन लगाना, जहां ग्राफिसर अपने को डिफेण्ड कर नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता इसलिए यह बात नियमानुसार नहीं है। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि किसी ग्राफिसर के खिलाफ शिकायत है तो आप लैटर लिखकर भेजिये, मैं कार्यवाही करूंगा। हमारा कानून बना हुआ है कि कोई भी आई. ए. एस. ग्राफिसर कैसा भी हो उसके लिए नियम हैं....

एक माननीय सदस्य : चीफ टाउन प्लानर को तो सस्पेण्ड करना ही पड़ेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी अब तक जो शिकायतें हुई हैं, उनके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही हो रही है। आइन्दा यदि कोई शिकायत होगी तो जरूर जांच करायेंगे। लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ कोई बात कहना उचित नहीं मालूम होता। आप मुझे पर्सनली कहें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यू. आई. टी. के बारे में कोई शिकायत है तो आप मुझे पर्सनली कहें, आकर मिलिये, उस समय यदि शिकायत वाजिब है तो अवश्य कार्यवाही की जायगी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस संबंध में जो भी हो सकेगा किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 29 को पारित किया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अवैध कब्जों को रोकने के लिए, जो 200 गज से ऊपर की जमीन पर कर रहे हैं, यू० आई० टी० एक्ट में क्रिमनल आफेन्स बनाने के लिए क्या मंत्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे? क्या यू. आई. टी. को शहर में कार्य करने की अनुमति देंगे? बीकानेर की मास्टर प्लान की भूमि को डी-कालोनाइज करवाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मेरे प्रश्नों का मंत्री महोदय जवाब देने की कृपा करें।

श्री माधवसिंह दीवान : चुनावों के बारे में नहीं बताया कि क्या करेंगे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव के बारे में....

श्री चतुर्भुज : एक मेरा सुझाव है। देवली नगरपालिका के बारे में एक प्रपोजल दिया था, क्या देवली नगरपालिका सीमा क्षेत्र को शुद्धिकरण करने का प्रयत्न करेंगे, मंत्री महोदय, बता दें?

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न मेरा भी है। जो यू. ग्राई. टी. का प्रशासनिक खर्चा है उसके मुकाबले में यूटिलिटी पब्लिक को कितनी मिलती है ?

श्री ग्रध्यक्ष : जो चर्चा में ग्राये हैं वही प्रश्न उठाये जा सकते हैं, नये प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।

मांगों पर चर्चा समाप्त हुई।

मांगों पर मतदान।

ग्रार्डर प्लीज। ग्रासन पैरों पर है।

मांग संख्या 30, 33 व 29 का पारण

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30, जन जाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,26,99,000-रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33....

(व्यवधान)

जब मांगों पर मतदान हो उस वक्त किसी तरह का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता....

श्री भंवर लाल शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाय कि नगरपालिकाओं के चुनाव माननीय मंत्री महोदय कब तक करा देंगे ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा ग्रौर कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,93,81,000-रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29, नगर ग्रायोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,94,63,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 17 मार्च, 1981 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.13 बजे मंगलवार दिनांक 17 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट– 1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पेपर का कोटा

262. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य को पेपर का कोटा किस आधार पर दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि आज कल पेपर के कोटे की कमी के कारण राज्य के मध्यम वर्ग के नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हाँ, तो केन्द्र से कोटा बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य को केन्द्र से रियायती दर का कागज़ का कोटा देश में कागज की कुल उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुये आवंटित किया जाता है।

(2) जी हां। पेपर का कोटा बढ़वाने हेतु केन्द्र सरकार से निरन्तर पत्र व्यवहार किया गया एवं अधिकारी स्तर पर उच्च स्तरीय वार्ता भी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप पाठ्य पुस्तकों के मद में 275 टन एवं कापियों के मद में 200 टन का अतिरिक्त कागज का आवंटन प्राप्त करने में राज्य सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। इस वर्ष (1981-82) राज्य सरकार के स्तर पर कागज की मांग के अनुरूप कोटा आवंटित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जल प्रदाय योजना पलाना कलां व खुर्द

263. **श्री गुलाबचंद कटारिया** (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जल प्रदाय योजना पलाना कलां व पलाना खुर्द जिला उदयपुर पर आर. सी. सी. एस. आर. निर्माण कार्य का ठेका कितने समय में पूरा करने के लिये कब दिया गया ?

(2) क्या इस कार्य हेतु विभाग द्वारा सीमेंट, एम. एस. चैनल दिया गया है ? इसकी अनुमानित राशि कितनी है एवं कब दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दिया गया माल इस टंकी के निर्माण में लग चुका है एवं टंकी बनकर तैयार हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या आडिट में वसूली योग्य राशि निकाली गयी है ?

उत्तर

(1) उपरोक्त उच्च जलाशय के निर्माण कार्य का ठेका 6 माह में पूरा करने के लिये 28 अप्रेल, 1979 को दिया गया।

(2) विभाग द्वारा जो सीमेंट एवं एम. एस. चैनल ठेकेदार को दी गई उसकी अनुमानित लागत 20,000/– रुपये है। अन्य विवरण संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(3) जी नहीं। कुछ सीमेन्ट नींव के भरने के कार्य में ली गई है। टंकी के कार्य में नींव भरी गई है तथा 1.3 मीटर खम्भे उठाये गये हैं।

(4) जी हां। महालेखाकार राजस्थान की आडिट ने एम. एस चैनल की 11.656 रुपयों की वसूली योग्य राशि निकाली है।

सामान जो ठेकेदार को दिया गया

क्र० सं०	सामान	जारी करने का दिनांक	मात्रा
(1)	सीमेन्ट	31–5–79	200 थैले
(2)	सीमेन्ट	30–3–80	35 थैले
(3)	एम० एस० चैनल 100 × 50 मी० मी०	27–8–79	3.2 टन

गंग नहर, भाखरा व राजस्थान नहर से उपलब्ध जल

264. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) एवं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गंग नहर, भाखरा व राजस्थान नहर के माध्यम से राजस्थान को सन् 1980–81 में राज्य के हिस्से की तुलना में कितना-कितना पानी मिला है और कितना मिलना चाहिये था ?

(2) यदि इस उपलब्धि में कमी रही तो क्यों ? राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गये ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) राजस्थान को पानी की प्राप्ति भाग से कम होने का कारण रोपर, हरिके एवं फिरोजपुर हैड वर्क्स पर पंजाब राज्य का नियन्त्रण एवं पंजाब राज्य द्वारा भाखरा व्यास नियन्त्रन मण्डल के निर्देशों का पालन नहीं करना है। राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप दिनांक 3–10–1977 को प्रधान मंत्री जी ने हैड वर्क्स भाखरा व्यास नियन्त्रण मण्डल को सौंपे जाने का निर्णय दिया था। इस निर्णय की क्रियान्विति के प्रयत्न राज्य सरकार द्वारा लगातार किये जा रहे हैं।

वर्ष 1980-81 (1-4-1980 से 31-1-81) में भाखड़ा, गंगनहर तथा राजस्थान नहर के भाग और प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है:—

अवधि	राज्य का भाग (एकड़ फीट)	प्राप्ति एकड़ फीट	कम/ज्यादा (एकड़ फीट)	कम/ज्यादा का प्रतिशत
1. भाखड़ा				
अ– हरियाणा राज्य से होकर				
1-4-80 से 20-5-80	42926	44790	+ 1864	+ 4.3
21-5-80 से 20-9-80	154714	172434	+17720	+10.8
21-9-80 से 31-1-81	148534	158988	+10454	+ 7.0
योग	346174	376212	+30038	+ 8.7
ब– पंजाब राज्य से होकर				
1-4-80 से 20-5-80	72740	77402	+ 4662	+ 6.4
21-5-80 से 20-9-80	262092	282426	+20334	+ 7.8
21-9-80 से 31-1-81	251702	301610	+49908	+19.8
योग	586534	661438	+74904	+12.8
कुल योग भाखड़ा से	932708	1037650	+104942	+11.2
मिलियन एकड़ फीट	0.933	1.038	+0.105	+11.2
2. रावी व्यास जल गंग नहर तथा राजस्थान नहर में :–				
1-4-80 से 20-5-80	896652	758154	– 140498	– 15.6
21-5-80 से 20-9-80	2153134	1837352	– 315782	– 14.7
21-9-80 से 31-1-81	1622742	1529200	– 93542	– 5.8
योग	4674528	4124706	– 549822	– 11.7
मिलियन एकड़ फीट	4.675	4.125	– 0.550	– 11.7

जिलों में आर्थिक असंतुलन

265. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने राज्य के ऐसे जिलों का जिनमें आर्थिक असंतुलन है, कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) प्रदेश के किन-किन जिलों में आर्थिक असंतुलन है तथा वर्तमान योजना में इन जिलों के आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

(योजना मन्त्री)

उत्तर

(1) क्षेत्रीय असंतुलन के सन्दर्भ में योजना आयोग से वर्ष 1969 में प्राप्त दिशा निर्देशानुसार राज्य में औद्योगिक पिछड़पन से संबंधित कुछ समक राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग को भिजवाये गये थे। सूची सलग्न है।

(2) योजना आयोग द्वारा 16 जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया है। सूची सलग्न है। वर्तमान योजना में जिलवार राशि के आवण्टन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उद्योग विभाग द्वारा सुविधायें उपलब्ध करवायी जा रही है।

योजना आयोग द्वारा राज्य के घोषित पिछड़े जिलों की सूची :–

1. अलवर
2. बांसवाड़ा
3. बाड़मेर
4, भीलवाड़ा
2. चूरू
6. डूंगरपुर
7. जैसलमेर
8. जालोर
9. झालावाड़
10. झुन्झुनू
11. जोधपुर
12. नागौर
13. सीकर
14. सिरोही
15. टोंक
16. उदयपुर

Copy of the Planning Department Letter No. F. 3 (95) Plan/68 dated the 9th Feb. 1970 to the Secretary Planning Commission, Yojna Bhawan, New Delhi.

Sub:–Regional imbalances–recommendations of the Working Group on identification of backward areas and the Working Group on fiscal and financial incentives for starting industries in backward areas.

I am directed to refer to your letter No. YSI/18 (3)/69 dated 10th December, 1969 on the above subject and to say that State Government have applied the criteria suggested in para 3 of your letter with suitable modifications for identification of the economically and industrially backward districts of the State. A statement showing the position of each district in respect of the six selected economic indicators and its relationship with the average for the State is enclosed. The relative position of each district has been calculated by assigning to each district a relative value presuming the state average to be 100 and by adding up all these values by giving equal weightage to each indicator. In this manner, the following districts work out to be below the State average in respect of economic and industrial development.

Total of indices (District-wise) computed on Planning Commission's guidelines for working out industrial backwardness in Rajasthan.

S. No.	State total (average) 600		Ranking in order of backwardness
1.	Ajmer	1231	—
2.	Alwar	356	9
3.	Banswara	227	3
4.	Barmer	203	2
5.	Bharatpur	626	-
6.	Bhilwara	512	13
7.	Bikaner	896	—
8.	Bundi	796	—
9.	Chittorgarh	470	12
10.	Churu	343	8
11.	Dungarpur	234	4
12.	Ganganagar	793	—
13.	Jaipur	985	—
14.	Jaisalmer	426	11
15.	Jalore	194	1
16,	Jhalawar	514	14
17.	Jhunjhunu	274	5
18.	Jodhpur	598	16
19.	Kota	1613	—
20.	Nagaur	279	6
21.	Pali	621	—
22.	S. Madhopur	575	15
23.	Sikar	283	7
24.	Sirohi	470	12
25.	Tonk	386	10
26.	Udaipur	470	12

Note : The State Government had recommended 18 districts (below State average) shown above, for being declared industrially backward, Government of India Planning Commission declared 16 districts as backward and did not include Chittorgarh (Rank 12) and Sawai Madhopur (Rank 15) in the list.

विभिन्न विभाग में कार्यरत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के श्रमिक खिलाड़ी

266. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत श्रमिकों (केजुअल व स्थाई) में कुल कितने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं ?

(2) क्या विभागीय श्रेष्ठ श्रमिक

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
खिलाड़ी को कोई विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ? यदि हां, तो कृपया पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) पिछले दो वर्षों में किस-किस विभाग के कौन-कौन श्रमिक खिलाड़ियों ने राज्य तथा राष्ट्र स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत सत्र में इस प्रश्न को विभिन्न विभागों से संबंध होने के कारण सूचना एकत्रित करने के लिए स्थगित किया गया था ?

(5) यदि हां, तो अब तक क्या सूचना एकत्र की जा सकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार 5 राष्ट्रीय एवं 8 राज्य स्तर के खिलाड़ी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं।

(2) श्रम कल्याण मद से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु खेल कूद का सामान उपलब्ध कराया जाता है। खेल कूद के अभ्यास हेतु कार्यालय समय में समय की छूट दी जाती है।

विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद में भाग लेने को श्रमिकों को पूरी सुविधा दी जाती है। श्रम विभाग द्वारा आयोजित एवं अन्य विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में जब कभी किसी श्रमिक खिलाड़ी को भेजा जाता है तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाता है। राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने हेतु उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा सम्बन्धित खेल परिषद् द्वारा सम्पूर्ण व्यय वहन किया जाता है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्री मण्डल दत्त जोशी ने पिछले दो वर्षों में राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग में प्रथम स्थान एवं राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

(4) जी हां।

(5) उपलब्ध सूचना के अनुसार सूचना उपरोक्त उत्तर में दे दी गई है।

तहसील रामगंज मंडी (कोटा) की खदानें

267. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील रामगंज मंडी (कोटा) की खदानें नियम के विरुद्ध चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि खदान मालिकों ने लीज क्षेत्र से बाहर मलवा डाल रखा है ?

(3) क्या अमृतखेड़ी में किसानों के खेतों का उत्खनन हो रहा है ? यदि हां, तो ए. एस. आई. द्वारा किये जा रहे गैर कानूनी कार्यों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) प्रश्न के भाग (1), (2) व (3) के कारण क्या अतिक्रमण किये जाने से चरागाह, व ग्राम रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि तहसील रामगंज मण्डी (कोटा) की खदानें नियम के विरुद्ध चल रही हैं। समस्त खदानें राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1977 के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टों के तहत नियमानुसार चल रही हैं।

(खनिज मंत्री)

(2) राज्य सरकार की जानकारी में खदानों का मलवा प्रायः लीज क्षेत्र में ही है। इसके अलावा खदानों का मलवा ऐसे स्थानों पर भी डाला जाता है जो या तो बन्जर जमीन है या और किसी अन्य काम में नहीं आ रही है।

(3) विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि अमृतखेड़ी में किसानों के खेतों का उत्खनन हो रहा है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जहां तक ग्राम रास्तों के अवरुद्ध होने का प्रश्न है वर्तमान में कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं है। जहां कहीं खनिज रास्ते में उपलब्ध होने पर खनन कार्य किया गया हो तो वहां वैकल्पिक रास्ते तैयार कर दिये गये हैं। जहां तक चरागाहों का प्रश्न है इस सम्बन्ध मे एक शिकायत प्राप्त हुई थी और जिलाधीश, कोटा के निर्देशानुसार संयुक्त जांच कर विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 4-2-80 एवं 13-2-80 को जिलाधीश कोटा को भेज दी गई है अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है। कुछ खानों के आसपास पूर्व में चरागाह थे जहां वर्तमान मे कुछ मलवे के ढेर लगे हुए हैं। यह मलवे के ढेर पिछले काफी वर्षों से पड़े हुए हैं।

राज्य में लोहे एवं मोम का वितरण

268. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के उद्योग विभाग द्वारा दिये जाने वाले लोहे एवं मोम के कोटे का वितरण का आधार सही नहीं है ? यदि नहीं, तो इनके वितरण का क्या आधार है ? क्या बीकानेर शहर के लघु उद्योगों को निर्धारित कोटा मिला है ? यदि हां, तो गत वर्ष कितना कोटा निर्धारित किया गया एवं कितना मिला ?

(2) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग द्वारा एक जैसे उद्योगों में फर्क किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या एक जैसी औद्योगिक इकाई को समान कोटा दिया जाता है ?

(3) राज्य में ऐसी कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जो कोटा तय करके दी जाती हैं एवं किन-किन उद्योगों को कितनी-कितनी मात्रा में दी जाती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उद्योग विभाग द्वारा दिये जाने वाले लोहे एवं मोम के कोटे का वितरण सही आधार पर किया जाता है। लोहे एवं इस्पात मदों का वितरण इकाइयों के पास-बुक के आधार पर किया जाता है, जिसमें इकाइयों की क्षमता निर्धारण तथा एन्टाइटलमेन्ट अंकित होती है। बीकानेर शहर में गत वर्ष में लघु उद्योगों को निर्धारित कोटे के अनुसार लोहे एवं इस्पात तथा मोम का कोटा नहीं मिला था।

(2) जी नहीं। एक जैसे उद्योगों को समान कोटा ही दिया जाता है।

(3) जो वस्तुएं लघु उद्योगों को उपभोग के लिए कोटा निश्चित करके दी जाती हैं, वे निम्न हैं—

(1) सीमेन्ट
(2) लोहा एवं इस्पात
(3) कोयला
(4) पैराफिन वेक्स
(5) फैटी एसिड

इन वस्तुओं की मात्रा इकाइयों की निर्धारित क्षमता एवं एन्टाइटलमेंट वस्तु की आपूर्ति स्थिति के अनुसार दी जाती है।

पंचायत समितियों में कार्यरत अनुसूचित जाति के अध्यापकों को भवन निर्माण ऋण उपलब्ध कराना

269. श्री बालचन्द्र आर्य वीर(डग):क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति के कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उनको मकान बनवाने हेतु जमीन और उसके निर्माण के लिए ऋण देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना ऋण, किस योजना के अन्तर्गत, किस माध्यम से देने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) 223 पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना के आधार पर 2209 अनुसूचित जाति एवं 1301 अनुसूचित जन जाति के अध्यापक कार्यरत हैं । पंचायत समिति वाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है बाकी 13 पंचायत समितियों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(2) पंचायती राज सेवा के कर्मचारियों को मकान बनाने हेतु भूखण्ड और उसके निर्माण के लिए ऋण दिए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

भाग (1) से सम्बन्धित सूचना

पंचायत समिति का नाम	अनुसूचित जाति के कार्यरत अध्यापकों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कार्यरत अध्यापकों की संख्या
1	2	3
1. जिला बीकानेर		
1. नोखा	19	—
2. लूणकरणसर	5	—
3. कोलायत	4	—
4. बीकानेर	4	—
2. जिला चूरू		
1. रतनगढ़	—	—
2. सरदारशहर	6	—
3. राजगढ़	7	1
4. तारानगर	5	—
5. चूरू	10	—
6. सुजानगढ़	17	—
7. डूंगरगढ़	8	—

1	2	3
3. जिला गंगानगर		
1. रायसिंहनगर	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
2. करणपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
3. सादूंलशहर	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
4. श्री गंगानगर	5	—
5. हनुमानगढ़	12	1
6. नोहर	19	—
7. सूरतगढ़	6	—
8. पदमपुर	7	—
9. भादरा	7	—
10. अनूपगढ़	11	—
4. जिला अलवर		
1. किशनगढ़वास	17	1
2. कोटकासिम	10	1
3. राजगढ़	11	9
4. उमरेण	4	3
5. तिजारा	10	1
6. गोविंदगढ़ (मु० लक्ष्मणगढ़)	15	7
7. कठूमर	13	5
8. मुण्डावर	23	5
9. रामगढ़	9	—
10. रैंणी	5	9
11. बहरोड़	32	2
12 नीमराना	14	5
13. बासूंर	16	7
14. थानागाजी	9	8
5. जिला भरतपुर		
1. डीग	5	—
2. बसेड़ी	4	1
3. नगर	17	1

1	2	3
4. कामां	10	1
5. राजाखेड़ा	9	1
6. धौलपुर	13	—
7. बैर	4	7
8. बयाना	7	4
9. रूपवास	8	1
10. बाड़ी	7	1
11. नदबई	2	2
12. कुम्हेर	7	1
13. सेवर	8	2
6. जिला जयपुर		
1. बस्सी	10	13
2. साँगानेर	3	5
3. झोटवाड़ा	1	—
4. फागी	21	4
5. बाँदीकुई	2	7
6. साँभरलेक	23	5
7. दूदू	16	5
8. गोविंदगढ़	20	3
9. आमेर	19	6
10. जमवारामगढ़	7	12
11. शाहपुरा	11	3
12. विराटनगर	13	7
13. सिकराय	3	7
14. लालसोट	11	17
15. कोटपूतली	21	8
16. दौसा	2	9
17. चाकसू	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
7. जिला झुन्झुनूं		
1. झुन्झुनूं	16	2

1	2	3
2. अलसीसर	8	1
3. बुहाना	15	1
4. खेतड़ी	22	2
5. उदयपुरवाटी	9	3
6. नवलगढ़	42	2
7. चिड़ावा	9	2
8. सूरजगढ़	15	—
8. जिला सीकर		
1. लक्ष्मणगढ़	13	1
2. फतेहपुर	11	—
3. पिपराली	11	—
4. धोद (मु० सीकर)	8	1
5. दांतारामगढ़	28	2
6. श्री माधोपुर	14	5
7. खण्डेला	16	5
8. नीम का थाना	46	10
9. जिला सवाई माधोपुर		
1. मुण्डवा	6	14
2. हिण्डौन	15	16
3. गंगापुर	2	12
4. करौली	8	7
5. सपोटरा	9	12
6. टोडाभीम	4	26
7. सवाई माधोपुर	9	19
8. खंडार	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
9. बौली	7	11
10. नादौती	5	22
11. बामनवास	7	7
10. जिला टोंक		
1. टोंक	13	4

1	2	3
2. मालपुरा	5	—
3. निवाई	10	3
4. देवली	6	5
5. उनियारा (मु० अलीगढ़)	10	4
6. टोडारायसिंह	2	—
11. जिला जैसलमेर		
1. सांकड़ा (मु० पोकरण)	7	
2. जैसलमेर	9	—
3. सम	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
12. जिला अजमेर		
1. श्रीनगर	11	—
2. पीसांगन	16	—
3. जवाजा	21	1
4. मसूदा	15	—
5. केकड़ी	10	5
6. भिनाय	5	—
7. किशनगढ़ (मु० सिलोरा)	8	1
8. अराई	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
13. जिला झालावाड़		
1. झालरापाटन	8	—
2. खानपुर	11	2
3. डग	8	2
4. पिड़ावा (मु० सनेल)	6	3
5. बकानी	3	1
6. मनोहरथाना	6	2
14. जिला बाड़मेर		
1. सिवाना	2	1
2. शिव	12	—

1		2	3
3.	बालोतरा	9	—
4.	चौहटन	21	2
5.	धोरीमना	6	1
6.	बाड़मेर	22	1
7.	बायतू	12	1
8.	सिणधरी	8	—
15.	**जिला बूंदी**		
1.	तालेडा	7	4
2.	हिण्डोली	11	3
3.	नैनवा	15	3
4.	केशोरायपाटन	18	9
16.	**जिला कोटा**		
1.	लाडपुरा	3	3
2.	अन्ता	9	5
3.	बारां	10	3
4.	अटरू	7	3
5.	शाहबाद	1	—
6.	चेचट (मु० खैराबाद)	3	4
7.	सांगोद	10	4
8.	सुल्तानपुर	12	7
9.	इटावा	7	6
10.	छीपाबड़ौद	5	1
11.	छबड़ा	—	2
12.	किशनगंज	5	2
17.	**जिला जालौर**		
1.	आहोर	8	1
2.	जालौर	10	—
3.	सायला	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
4.	भीनमाल	3	—

1	2	3
5. जसवंतपुरा	4	—
6. सांचौर	8	2
7. रानीवाड़ा	18	3
18. जिला जोधपुर		
1. ओसियां	5	1
2. बिलाड़ा	25	—
3. भोपालगढ़	9	—
4. मण्डोर	4	—
5. लूणी	सूचना प्राप्त नहीं हुई ।	
6. शेरगढ़	8	—
7. बालेश्वर	सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।	
8. फलौदी	4	—
9. बाप	4	—
19. जिला सिरोही		
1. पिण्डवाड़ा	24	7
2. सिरोही	21	1
3. शिवगंज	11	6
4. रेवदर	25	2
5. आबूरोड	13	5
20. जिला नागौर		
1. डीडवाना	16	—
2. लाडनू	14	—
3. कुचामन	20	4
4. नागौर	9	—
5. मूण्डवा	4	1
6. जायज	8	—
7. मकराना	12	—
8. परवतसर	11	—
9. डेगाना	10	—

1		2	3
10.	रियां	10	—
11.	मेड़ता	7	—
21.	**जिला पाली**		
1.	बाली	13	3
2.	सुमेरपुर	9	6
3.	खारची	24	3
4.	देसूरी	12	2
5.	रानी स्टेशन	25	2
6.	जैतारण	2	—
7.	रायपुर	13	—
8.	सोजत	17	—
9.	पाली	10	—
10.	रोहट	7	—
22.	**जिला भीलवाड़ा**		
1.	माण्डलगढ़	10	1
2.	शाहपुरा	3	—
३.	सुवाणा	3	—
4.	माण्डल	9	4
5.	आसीन्द	15	2
6.	हुरड़ा	8	1
7.	बनेड़ा	2	—
8.	जहाजपुर	5	7
9.	कोटड़ी	3	1
10.	रायपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।	
11.	सहाड़ा	8	—
23.	**जिला चित्तौड़गढ़**		
1.	बेंगू	8	1
2.	चित्तौड़गढ़	6	1
3.	राशिम	10	—
4.	कपासन	1	—

1		2	3
5.	प्रतापगढ़	15	10
6.	निम्बाहेड़ा	10	—
7.	भादेसर	5	—
8.	डूंगला	4	—
9.	छोटी सादड़ी	4	—
10.	अछनेरा (मु० अरनोद)	5	8
11.	मंसरोहगढ़	1	3
12.	भोपालसागर	4	....
13.	बड़ी सादड़ी	4	....
24.	**जिला बांसवाड़ा**		
1.	गढी	3	23
2.	कुशलगढ़	5	24
3.	सज्जनगढ़	....	40
4.	बागीडोरा	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
5.	भूखिया	8	50
6.	घाटोल	2	37
7.	पीपलखूट	6	35
8.	बांसवाड़ा (मु० तलवाड़ा)	....	20
25.	**जिला डूंगरपुर**		
1.	सागवाड़ा	3	47
2.	सीमलवाड़ा	8	55
3.	डूंगरपुर	3	82
4.	बिछीवाड़ा	10	56
5.	आसपुर	4	70
26.	**जिला उदयपुर**		
1.	कोटड़ा	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
2.	राजसमन्द	7	1

1		2	3
3.	कुंभलगढ़	22	4
4.	रेलमगरा	18	—
5.	आमेट	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
6.	गिर्वा	10	10
7.	बडगांव	4	6
8.	खमनोर	6	2
9.	धरियावद	13	18
10.	सलूंबर	6	6
11.	सराड़ा	10	33
12.	मावली	11	3
13.	खैरवाड़ा	15	87
14.	भिण्डर	6	2
15.	गोगुन्दा	11	2
16.	झाड़ोल	13	21
17.	देवगढ़	4	....
18.	भीम	17	....

राजस्थान विश्वविद्यालय को सेवा में कार्यरत विदेशी नागरिक

270. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विदेशी नागरिकों को नियमित सेवा में लिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को लिया गया है ?

(2) क्या राज्य में नौकरी करने से पूर्व उन विदेशियों ने अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया है ?

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रीमती फ्रेंसिस कृष्णा और श्रीमती यूनीथान कौन से देश की नागरिक हैं ?

(4) क्या भारत सरकार की ओर से इन दोनों कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कुलाधिपति के पास कोई पत्र व्यवहार किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां

(शिक्षा मन्त्री)

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्त) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत की जाती हैं । इस अधिनियम में विदेशी नागरिकों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है । राजस्थान विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में भी इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक अमेरिकन महिला श्रीमती फ्रेन्सिस दयाकृष्ण एवं एक डच महिला श्रीमती जी० जे० यूनीथान सेवारत हैं।

(2) जी नहीं ।

(3) श्रीमती फ्रेन्सिस दयाकृष्ण एक अमेरिकन एवं श्रीमती जी०जे० यूनीथान एक डच महिला हैं।

(4) भारत सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय को मई, 1969 एवं जनवरी, 1977 में सीधा लिखा है कि विदेशी नागरिकों को विश्वविद्यालयों में स्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जावे । अस्थाई आधार पर एक वर्ष के लिए विशेष योग्यता धारक विदेशी को ही रख सकते हैं तथा उनका कार्यकाल बढ़ाते समय भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

(5) जी नहीं ।

ग्राम बिचावा के काश्तकार की भूमि का अवैध अधिग्रहण

271. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या जन स्वस्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम बिचावा के काश्तकार श्री तेज सिंह के खुद काश्त खेत पर ए. ई-एन. वाटर वर्क्स एवं जे. ई.एन. वाटर वर्क्स ने बिना सरकारी हुक्म के प्रलोभन में आकर, भूमि अधिग्रहण करके सरकारी क्वाटर बनाने हेतु नींव खुदवाई है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

(2) सम्बन्धित काश्तकार को क्षतिपूर्ति हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया । परन्तु श्री तेज सिंह की भूमि में लगभग 7.5 मीटर लम्बाई में नींव खुदवाई गई थी जिसे फिर से भरवाकर समतल करवा दिया गया एवं कार्य पुनः सरकारी भूमि में आरम्भ किया गया । किसी अधिकारी के इसमें निलम्बित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(2) चूंकि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया तथा न ही खुदाई के समय फसल बोई गई थी अतः क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला कोटा में परवन लिफ्ट सिंचाई योजना

272. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला कोटा की परवन लिफ्ट सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(5) यदि हां, तो इसका बी. सी. श्यो क्या है ?

(3) इससे कितनी हैक्टेग्रर भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा कितना व्यय अनुमानित है ?

(4) क्या प्रदेश में इस बी. सी. श्यो की अन्य लिफ्ट सिंचाई योजना भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो वे योजनायें कहां की हैं ?

(5) इस लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति कब तक संभावित है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) योजना का बी. सी. रेश्यो 2-51:1 है।

(3) योजना पूर्ण होने पर लगभग 8181 हैक्टग्रर भूमि की सिंचाई हो सकेगी योजना की अनुमानित लागत रु0 34900 लाख है।

(4) जी नहीं।

(5) इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। परियोजना के लिए योजना आयोग की स्वीकृति के लिए प्रयत्न जारी है।

ग्रेनाइट खनिज उद्योग (जालौर)

273. **श्रीमती उज्जला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामिण) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जालौर स्थित ग्रेनाइट खनिज के बारे में कोई सर्वेक्षण हुआ है ? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खनिज के उद्योग के लिये कुछ भूमि सुरक्षित की गई है ?

(3) क्या उक्त उद्योग के लिये पालिश व कटिंग के लिये प्रस्तावित फैक्ट्री लगाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह फैक्ट्री कब तक लगा दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में ग्रेनाइट खनिज के दो नमूने वर्ष 1962 में खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा मैसर्स भारत ग्रेनाइट्स प्राइवेट लि0 बंगलौर को भिजवाये गये थे इन नमूनों की जांच पर यह ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र का ग्रेनाइट पालिश करने योग्य है एवं इसके फलस्वरूप ग्रेनाइट का खनन विभागीय तौर पर प्रारम्भ किया गया।

इसके बाद यह खानें 1970 में राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को स्थानान्तरित की गईं। निगम के भू-विज्ञान विभाग द्वारा जालौर की विभिन्न पहाड़ियों में ग्रेनाइट के लिये सर्वेक्षण का कार्य किया

(खनिज मंत्री)
गया तथा कुछ क्षेत्रों में मानचित्र बनाने का कार्य भी किया गया जैसे की कालाघाटा नून, केषवाना व कालाकाजी इत्यादि। इन क्षेत्रों के अलावा सखलाना, मोकलसर, सियाना मोदरा बोरता आदि क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण किया किन्तु वहां की चट्टानों में वांछित श्रेणी का ग्रेनाइट नहीं मिला। ग्रेनाइट की खानें केशवाना, कालकार्जा, नून, कालाघाटा क्षेत्र में हैं। जो कि अगस्त 79 से राजस्थान खनिज विकास निगम के पास हैं। निगम द्वारा किये गये सर्वेक्षण की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त ग्रेनाइट कटिंग एवं पालिशिंग उद्योग हेतु जालौर में तत्कालीन राजस्थान राज्य खनिज एवं उद्योग विकास निगम ने 5400 वर्ग मीटर भूमि सुरक्षित की थी।

(3) चूंकि पालिस्ड ग्रेनाइट की बिक्री कम होने के कारण जोधपुर की फैक्ट्री पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर सकी है अत: जालौर में उक्त प्रकार की फैक्ट्री की नयी इकाई का अन्तिम निर्णय लेना इस समय सम्भव नहीं हो पा रहा है।

केशोरायपाटन रेलवे स्टेशन से शहर तक बस सेवा

274. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केशोरायपाटन रेलवे स्टेशन से शहर तक सवारियों को लाने ले जाने के लिए जो बस नगर परिषद् द्वारा चलाई जा रही थीं वह बंद कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार क्या सोच रही है? यदि कोई निजी बस चलाना चाहे तो क्या उसे परमिट। लाइसेंस दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त वाहन बन्द कर दी गई हैं। क्योंकि वाहन का परमिट, फिटनेस व टैक्स टोकन नहीं था जो वाहन चलाने के लिये नियमानुसार होना जरूरी है।

(2) वैकल्पिक व्यवस्था विचाराधीन नहीं है क्योंकि वर्तमान मे विभिन्न मार्गों की 8 यात्री बसें 9 बार कस्बे से स्टेशन आती जाती हैं। यदि कोई व्यक्तिगत बस चलाना चाहे तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

डूंगरगढ़ में महाविद्यालय खोलना

275. श्री **रेवतराम** (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ से 100-100 किलोमीटर की परिधि में महाविद्यालय नहीं है और इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 15 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं?

(2) क्या राज्य सरकार वहां महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और किन-किन शर्तों पर?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(शिक्षा मन्त्री)
की अनुशंसा के आधार पर नये महाविद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं।

भीलवाड़ा नगर को मेजा डेम से पेयजल उपलब्ध कराना

276. श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भीलवाड़ा नगर की आबादी हेतु मेजा डेम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाइन डालने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) माह दिसम्बर, 1980 में भीलवाड़ा नगर हेतु 2.15 लाख रुपयों की एक संवर्द्धन योजना स्वीकृत की जा चुकी है। जिससे नगर की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकेगा।

सीकर में सोमावती नदी पर बांध का निर्माण

277. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग सीकर ने सोमावती नदी पर बांध बनाने हेतु राज्य सरकार के उद्योग विभाग से 50 प्रतिशत की अनुदान राशि की स्वीकृति मांगी है ?

(2) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

जिला बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले के भंडार

278. श्री **देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर के पास रोहली एवं कपूरडी ग्रामों में लिग्नाइट कोयले के एक भारी जखीरे का पता चला है ?

(2) यदि हां, तो यह लिग्नाइट कोयला कितने वर्ग किलोमीटर में पाया गया है तथा उसकी परत (थिकनैस) की औसतन मोटाई कितनी है ?

(3) क्या इस कोयले को निकाला जाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है ? यदि हां तो क्या सरकार के पास इसे निकालने अथवा निकलवाने की कोई योजना है ? उस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में कपूरडी रोहली क्षेत्र में लिग्नाइट खनिज उपलब्ध होने का पता लगाया गया है। लिग्नाइट खोज का

(खनिज मन्त्री)

कार्य अक्टूबर, 80 में ही प्रारम्भ किया गया और अब तक चार बोर होल पूरे किये जा चुके हैं जिनमें लिग्नाइट की परत पाई गई है, किन्तु लिग्नाइट भंडार की तादाद का अनुमान कुछ और पूर्वेक्षण कार्य के पूर्ण होने पर ही लगाना संभव हो सकेगा।

(2) इस क्षेत्र में अभी तक के पूर्वेक्षण कार्य के परिणामस्वरूप दो कि०मी० लम्बाई में 0.1 से 3.1 मीटर तक मोटी लिग्नाइट की परतें पाई गईं जो धरातल से 70 से 110 मीटर तक की गहराई में उपलब्ध हैं।

(3) अभी पूर्वेक्षण कार्य प्रारम्भिक अवस्था में ही है अतः विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य सम्पन्न होने एवं उसके वांछित परिणाम प्राप्त होने पर ही इस खनिज के खनन की संभावनाओं एवं आर्थिक पहलू पर विचार करना संभव हो सकेगा।

राजकुमार चार्ल्स की राज्य यात्रा के समय पत्रकारों को नहीं मिलने देना

279. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य के पत्रकारों को इंग्लैण्ड के राजकुमार चार्ल्स से उनकी राज्य यात्रा के अवसर पर नहीं मिलने दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। भारत सरकार के ऐसे ही निर्देश थे।

माचाड़ी-सालोली सड़क का निर्माण

280. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

माचाड़ी से सालोली सड़क कब मंजूर हुई थी ? इसका शेष कार्य कब पूरा किया जावेगा ?

उत्तर

माचड़ी से सालोली सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति 30–11–72 को प्राप्त हुई थी। शेष कार्य को धनाभाव एवं योजना मापदण्डों के अनुसार अभी पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

जिला जैसलमेर में डीजल व पैट्रोल के अतिरिक्त वितरण केन्द्रों की स्थापना

281. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि जैसलमेर जिले में केवल दो स्थानों पर डीजल व पैट्रोल के वितरण केन्द्र हैं ?

(2) क्या सरकार जिले की विशालता (16000 वर्गमील) को दृष्टिगत रखते हुए जिले में और स्थानों पर भी डीजल व पैट्रोल के नये वितरण केन्द्र खुलवाने के लिये प्रयास कर रही है जिससे कि नागरिकों को व किसानों को यह सुविधा अपने नजदीक से नजदीक केन्द्रों पर उपलब्ध हो सके ? यदि हां, तो कितने नये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खुलवाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नये वितरण केन्द्र खोलने का

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)
विचार नहीं है क्योंकि यह कार्य तेल कम्पनियां करती हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर यह लाभदायक नहीं समझती। अलबत्ता जे. लाइसेन्स की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है।

सम्पूर्ण टौंक नगर के लिए पेयजल की व्यवस्था

282. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टौंक): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या टौंक नगर में किन्ही वार्डों एवं मोहल्लों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो किन-किन में और क्यों? नगर के पूर्ण भाग में कब तक पेयजल की व्यवस्था हो जायगी?

उत्तर

जी, हां। जिन वार्डों व गलियों में पाइप लाइनें नहीं हैं उनकी सूची संग्लन है। नगर की पुनर्गठित योजना का कार्य प्रगति में है तथा योजना के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों में पाइप लाइने डालने का प्रावधान रखा गया है। योजना के पूर्ण होने पर समस्त भागों में पेयजल व्यवस्था हो जायगी।

क्र0सं0	वार्ड संख्या	गलियों का नाम
1.	3	1) तम्बोलियों की गली 2) इमाम बाड़ा
2.	4	1) काला बाबा की पी0 एस0पी0 के आगे
3.	6	1) पायगा बहीर
4.	11	1) चौबदारी की गली (ताल कटोरा) 2) बुर्ज के पीछे (ताल-कटोरा)
5.	3	1) शास्त्री नगर 2) नाइयों की गली 3) नायकी की गली
6.	4	1) पहाड़िया सिविल लाइन के पीछे
7.	5	1) गुलजार बाग सबील शाह चौकी के पीछे
8.	18	1) घेर बछेरान (काली-पल्टन) 2) नजीर मोहम्मद खान की गली

जयपुर में नाहरी का नाका, हाउसिंग बोर्ड, रामनगर व शास्त्री नगर आदि उप नगरियों में सफाई की समुचित व्यवस्था करना

283. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने गत सत्र में जयपुर की नाहरी का नाका क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड, रामनगर व शास्त्री नगर आदि कॉलोनीज में सफाई की सुचारू रूप से व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में सफाई नियमित रूप से हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने गत सत्र में इन स्थानों पर कचरा पात्र रखवाने का भी आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक पालना नहीं किये जाने का क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार नियमित सफाई नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी तथा भविष्य में नियमित सफाई हो, इसकी व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) गत सत्र में जो आश्वासन दिया था उसकी प्रतिलिपि सलंग्न है। नाहरी का नाका, व हाउसिंग बोर्ड, रामनगर, शास्त्री नगर आदि कालोनीज में सफाई की नियमित रूप से व्यवस्था चल रही है।

(2) जी, हां। आवासन मण्डल ने हर सैक्टर में पक्का कचरा पात्र मय दरवाजे के बनाया हुआ है। नगर परिषद, जयपुर द्वारा भी कचरा पात्र रखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और दो महीने की अवधि भीतर रख दिये जावेंगे।

(3) उपलब्ध साधनों के अनुसार सफाई की व्यवस्था चालू है।

—

स्वायत्त शासन विभाग

दिनांक 12.8.80

आश्वासन संख्या एवं वर्ष	विषय	आश्वासन
6/80	तारांकित प्रश्न सख्या सं. 488 (379/ खा. मं.) नाहरी का नाका आवासन मण्डल तथा रामनगर कालोनीज में सफाई की नियमित व्यवस्था करने सम्बन्धी श्री श्रीराम गोटेवाला के प्रश्न के बारे में उनके द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न में पूछने पर कि वास्तव में हाउसिंग बोर्ड, रामनगर कालोनी में सफाई की व्यवस्था बिलकुल नहीं है। नालियों में मिट्टी भरी पड़ी है, जो नालियों हैं उनमें मच्छरों का प्रकोप हो रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय एक दिन उधर राउण्ड लेने का समय निकालेंगे, जिससे कि वह अच्छी तरह से वहां की हालत अपनी आंखों से देख सकेंगें, मंत्री महोदय द्वारा कहा गया:-	यह जो अम्बाबाड़ी, नाहरी का नाका, हाजी कालोनी, शास्त्रीनगर, हाउसिंग कालोनी, चन्द्र शेखर की बगीची ये 68 एकड़ के आसपास हैं। इसकी जो ज. सं. है उनके हिसाब से 300 सफाई कर्मचारी नियुक्त है। इसके अलावा अगर कचरा डालने के लिये टैंकर वगैरह की व्यवस्था नही हैं तो वह बना रहे हैं। यह सही है कि रेतीला इलाका है वर्षा के साथ रेत बहकर आती है। नालियों में भरती है। वहां पर 300 कर्मचारी सफाई के लिए लगे हुए हैं। और कहीं पर कोई विशेष समस्या है और है और माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं अवश्य चलूंगा।

———

शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

284. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं? कृपया इनमें से स्नातक, स्नातकोत्तर, सैकण्डरी व हायरसैकण्डरी तथा मिडिल एवं अशिक्षित बेरोजगारों की अलग अलग संख्या सदन की मेज पर रखें ?

(2) इन बेरोजगारों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बेरोजगारों की संख्या क्या है ?

(3) सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अब तक क्या किया तथा आगे क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में शिक्षित एवं अशिक्षित वर्ग के सभी आशार्थी स्वेच्छा से अपना पंजीयन नियोजन सहायता हेतु नियोजन कार्यालयों में करवा सकते हैं। 31 दिसम्बर, 80 को राजस्थान के विभिन्न नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजीका पर कुल 3,61,710 प्रार्थी उपलब्ध थे, जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है:–

1)	अशिक्षित	46,122
2)	साक्षर	68,189
2)	आठवीं पास	77,180
4)	सैकण्डरी	56,868
5)	हायर सैकण्डरी	69,352
6)	स्नातक	39,174
7)	अधि स्नातक	4,825
	योग	361,710

2) इन बेरोजगारों में अनुसूचित जाति के कुल 47468 एवं अनुसूचित जनजाति के 18694 आशार्थी थे जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं:—

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1)	अशिक्षित	11033	5024
2)	साक्षर	12729	4983
3)	आठवीं पास	10696	2501
4)	सैकण्डरी	6372	3116
5)	हायर सैकण्डरी	4964	2070
6)	स्नातक	1402	908
7)	अधिस्नातक	272	92
	योग	47468	18694

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

उत्तर

(3) बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सतत प्रयत्न करती रही है पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु श्रम प्रधान योजनाओं को जिनमें मुख्यतः कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम ग्रामीण विकास, सिंचाई विद्युत, खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग आदि हैं, गति दी गई है एवं उनमें अधिक से अधिक विनियोजन करने के प्रयास किये गये हैं। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को जो रोजगार प्रधान होते हैं, अधिक बल दिया है इनमें मुख्यतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रमों, मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम आदि हैं।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की सभी पंचायत समितियों को ले लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। आधार भूत सुविधायें व सामाजिक सेवाओं में सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, ग्रामीण स्कूल आदि रोजगार प्रधान कार्यों में अधिक से अधिक विनियोजन किया गया है। राज्य में औद्योगीकरण को गति देने के उद्देश्य से जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये हैं। शिक्षित व तकनीकी बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार देने के लिये नई औद्योगिक इकाइयां लगाने में वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें स्वनियोजन की ओर आकर्षित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को वृत्तिका (Stipen) दी जाती है। अल्प शिक्षित व्यक्तियों के लिये व्यसायिक प्रशिक्षण का कार्य क्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर स्वनियोजन तथा नियोजन के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी दूर करने हेतु ग्रामीण युवकों के लिये स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (trysem) के अन्तर्गत उन्हें प्रशिक्षण एवं स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है एवं नियोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। आगे भी इन कार्यक्रमों को अधिक गतिशील बनाकर रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकने की संभावना है।

गुढा-पोंख सड़क तथा मणकसास से नीम का थाना तक सड़क का निर्माण करना

285. श्री **वीरेन्द्रप्रताप सिंह** (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि गुढा से पोंख तक की सड़क का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। परन्तु इस सड़क के बीच में पड़ने वाली बरसाती नदी त्रिवेणी और बांडियां पर कोई पुल या कल्वर्ट नहीं है जिसकी वजह से इस सड़क का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या योजना है और वह कब तक पूर्ण हो जायगी ?

(236)

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

(2) क्या गुढा से नीम का थाना, जो इस क्षेत्र का सबसे पुराना बस रूट है, में से गुढा से पोंख तक प्लान में सड़क निर्माण हो चुका है और पोंख से मणकसास तक अकाल में सड़क निर्माण हो चुका है ? क्या मणकसास से नीम का थाना को जोड़ने की सरकार को कोई योजना है ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु त्रिवेणी और बांडियां नदी पर कोई पुल न होने की वजह से सड़क केवल बरसात के कुछ दिनों को छोड़कर बाकी साल में काम आता है। धनाभाव व निर्धारित मापदण्डों के आधार पर यह कार्य वरीयता में नहीं आता।

(2) जी नहीं। गुढा से नीम का थाना रूट पर गुढा से पोंख तक सड़क का निर्माण कार्य प्लान के अन्तर्गत अभी भी प्रगति में है। पोंख से मणकसास तक पूर्व में समय-समय पर अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य किया गया था पर अभी अधूरा है क्योंकि यह अकाल राहत कार्यों की समाप्ति के साथ बंद कर दिया गया था। इस वर्ष इस अधूरे कार्य को पूर्ण करने की स्वीकृति नहीं है। वर्तमान में मणकसास से मावता सड़क का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत प्रगति में है। मावता से पोंख डामर सड़क पहले ही बनी हुई है।

ग्राम डाबर कलां तथा ग्राम दलवासा में पेयजल व्यवस्था

286. श्री चतर्भुज (टोडारायसिंह) : -क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

क्या जलप्रदाय विभाग, अजमेर का टैंक न. 1 डाबर कलां के पास है ? यदि हां, तो ग्राम डाबर कलां, ग्राम दलवासा के निवासियों को पेयजल सुलभ कराने की व्यवस्था है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, अजमेर जल योजना के अन्तर्गत जलाशय नं० 1 ग्राम चौसला में स्थित है। यह ग्राम डाबर कलां से 3–4 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्राम डाबर कलां एवं ग्राम दलवासा की जनसंख्या को इस जलाशय से पेयजल सुलभ कराने की व्यवस्था नहीं है। जलाशय केवल अजमेर नगर की जलदाय की आवश्यकता हेतु बनाया गया।

श्री नगर (अजमेर) पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता

287. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

अजमेर जिले की श्री नगर पंचायत समिति में दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 5 फरवरी, 1981 तक की अवधि तक कौन जूनियर इंजीनियर कार्यरत था, उक्त जूनियर इन्जीनियर ने इस अवधि में कितने दिन पंचायत समिति श्री नगर में कार्य किया ?

उत्तर

पंचायत समिति श्रीनगर एवं सिलोरा (जिला अजमेर) के लिए श्री के. एम. अग्रवाल कनिष्ठ अभियन्ता नियुक्त किए हुए हैं।

(पंचायत मंत्री)
उप जिला विकास अधिकारी, अजमेर के आदेशों के अनुसार उन्हें 15 दिन पंचायत समिति सिलोरा में एवं 15 दिन पंचायत समिति श्रीनगर में कार्य करना पड़ता है। दिनांक 1-1-81 से 31-1-81 तक श्रीअग्रवाल स. पं. सिरोला में ही कार्यरत रहे। दिनांक 1-2-81 से 24-281 तक वे अवकाश में रहे। इस प्रकार दिनांक 1-1-81 से 15-2-81 तक पंचायत समिति श्रीनगर में उक्त अभियन्ता द्वारा कोई कार्य सम्पादित नहीं किया गया।

शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति

288. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में शिक्षकों के स्थानातन्तरण की क्या नीति है इस सुधार के लिए सरकार भविष्य में क्या नीति निर्धारण करने जा रही है ?

(2) एक अध्यापक एक स्थान पर कितने अर्से तक रहना चाहिए और प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ अध्यापकों को गांवों में उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने क्या नीति अपनाई है ?

(3) शहरों में लम्बी अवधि से एक ही स्थान पर जमे हुए अध्यापकों को हटाने के लिए सरकार ने क्या नीति तय की है ?

उत्तर

(1) स्थानान्तरण नीति संलग्न है। शिक्षक संघों व शिक्षा निदेशालय से नीति में संशोधन हेतु प्रस्ताव मांगे गये हैं प्रस्ताव प्राप्त होने पर नीति में संशोधन हेतु विचार किया जावेगा।

(2) स्थानान्तरण नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विषय विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का पदस्थापन आवश्यकतानुसार किया जाता है, गांवों तथा शहरों के अध्यापकों के लिए अलग प्रावधान नहीं है।

(3) ऐसी कोई नीति नहीं है।

स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्देश

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रकाशित स्थानान्तर सम्बन्धी आदेशों के अतिक्रमण में निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं जो तत्काल प्रभावी होंगे:—

(1) स्थानान्तरण के इच्छुक व्यक्ति अपने प्रार्थना-पत्र निधारित प्रपत्र (परिशिष्ट-अ) पर 1 अप्रेल से 15 मई तक की अवधि में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। 15 मई बाद प्राप्त अथवा गलत प्रपत्र में प्राप्त अथवा अपूर्ण सूचना वाले प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र में कोई ओवर राइटिंग हुई तो भी स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र रद्द माना जायगा।

(2) स्थानान्तरण के इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना पत्र में केवल दो स्थानों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे लेकिन यदि कोई व्यक्ति अन्तर जिला स्थानान्तरण चाहता है तो वह अपना आवेदन स्थान विशेष के लिये न कर केवल जिला विशेष के लिये ही कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति केवल एक जिले के लिये ही आवेदन करेंगे। अन्तर जिला स्थानान्तरण के प्रार्थी का चाहे गये जिले मे किसी भी स्थान पर स्थानान्तरण किया जा सकता है एवं यदि वह स्थानान्तरित स्थान पर नहीं जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।

इस प्रकार 15 मई तक प्राप्त स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्रों को स्थानान्तरण कर्ता अधिकारी अपने कार्यालय में जनरल रिसिप्ट में दिन प्रतिदिन रिसिप्ट करेंगे। उसे पदवार रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे (परिशिष्ट-ब) पदवार रजिस्टर में दर्ज करने के बाद इन प्रार्थना पत्रों को विषयवार रजिस्टर बनाकर उसमें स्थानवार दर्ज रजिस्टर करेंगे। (परिशिष्ट-स) इस प्रकार स्थानवार एवं विषयवार रजिस्टर में दर्ज कर उसकी सूचना आवेदक को दी जावेगी कि उसका प्रार्थना पत्र किस क्रम पर दर्ज रजिस्टर हुआ है। विषयवार दर्ज रजिस्टर करने हेतु निम्न प्रक्रिया होगी:—

(1) वरिष्ठ अध्यापकों के लिए विषयवार अलग अलग रजिस्टर तैयार किये जायेंगे।

(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के लिये निम्न विषयों के अलग-अलग रजिस्टर तैयार किए जायेंगे:—

(1) विज्ञान-भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और गणित
(2) विज्ञान-जूलोजी, बोटनी और रसायन शास्त्र

(3) गृह विज्ञान	(4) वाणिज्य	(5) अंग्रेजी
(6) संस्कृत	(7) उर्दू	(8) सिन्धी
(9) पंजाबी	(10) गुजराती	(11) शेष सामान्य अध्यपक
(12) उद्योग	(13) संगीत	(14) व्यायाम शिक्षक
(15) चित्रकला		

परिशिष्ट–16 मार्च, 1981–परिशिष्ट

नोट:—एक व्यक्ति का एक ही विषय में नाम दर्ज होगा ।

(3) तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के लिए निम्नानुसार अलग रजिस्टर होंगे:—

(1) विज्ञान	(2) यूनिसेफ प्रशिक्षित	(3) उर्दू
(4) सिन्धी	(5) पंजाबी	(6) गुजराती
(7) सामान्य अध्यापक	(8) संगीत	(9) उद्योग
(10) चित्रकला	(11) व्यायाम शिक्षक	(12) संस्कृत

(4) अप्रेल से 15 मई तक प्रार्थना पत्रों को विषयवार एवं स्थानवार अलग कर उनकी वरीयता बनाई जायगी । वरीयता निर्धारण हेतु निम्न प्रक्रिया होगी:—

1) प्रत्येक प्रार्थी का शहर एवं गांव का ठहराव महीनों में गिना जायगा दिनों की गणना को छोड़ दिया जायगा ।

2) इस प्रकार गांवों के ठहराव अवधि में से शहरों की ठहराव अवधि को घटाया जायगा । शेष बची अवधि के अनुसार ही वरीयता गिनी जायगी । अतः इस प्रकार जिसकी गांव की ठहराव अवधि सबसे अधिक है उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा एवं शहर की अवधि यदि अधिक है तो उसका नाम नीचे आयेगा । उदाहरणत: यदि एक अध्यापक का गांवों का ठहराव 18 माह एवं शहर का ठहराव 12 माह है तो 18 – 12 = 6 एवं दूसरे अध्यापक का गांव का ठहराव 20 माह एवं शहर का ठहराव 18 माह है तो 20–18 = 2 माह एवं तीसरे अध्यापक का ठहराव गांव का 3 माह और शहर का 6 माह है तो 3 – 6 = –3 इन तीनों अध्यापकों को वरीयता सबसे पहले + 6 उसके बाद 2 और फिर इसके बाद 3 होगी ।

नोट:— (1) यह ठहराव शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण सेवाकाल अवधि से गिना जायगा न कि किसी पद विशेष का ।

(2) शहर उस स्थान को माना जायगा जो कि नगर पालिका सीमा में आता हो एवं शेष सभी स्थान गांव माने जायेंगे ।

(3) यदि कोई गांव नगरपालिका क्षेत्र में परिणित हुआ है तो जिस तारीख से वह स्थान शहर में परिणित हुआ है उस तारीख से वहाँ का ठहराव शहर के ठहराव में गिना जायगा एवं इससे पूर्व के ठहराव को गांव के ठहराव में गिना जायगा ।

उपरोक्त ठहराव के आधार पर वरीयता निर्धारित कर वरीयतानुसार संबंधित विषय एवं स्थान के लिए आवेदन के नाम दर्ज कर दिये जायेंगे एवं इच्छित स्थान पर सम्बन्धित विषय में जैसे जैसे पद रिक्त होते हैं वैसे वैसे वरीयतानुसार इन लोगों के स्थानान्तरण किये जायेंगे ।

(4) इस प्रकार जो नाम दर्ज रजिस्टर किये जाते हैं उनके सामने स्थानान्तरणकर्ता कार्यालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के लघु हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक होंगे ।

चूंकि जिले के अन्दर स्थानान्तरण चाहने वाले व्यक्ति दो स्थानों के लिये आवेदन कर सकेंगे। अतः प्रत्येक आवेदक का नाम दो जगहों पर होगा। यदि चाहे गये दो स्थानों में से किसी एक स्थान पर आवेदक का स्थानान्तरण हो जाता तो दूसरे स्थान की सूची में से इस व्यक्ति का नाम काट दिया जायगा।

जिस व्यक्ति का भी स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस के अन्दर अन्दर ऐसे व्यक्ति को कार्यमुक्त कर देंगे अन्यथा नियंत्रित अधिकारी द्वारा आदेशों की अवहेलना मानी जायगी।

नये स्कूल खुलने के कारण यदि कोई व्यक्ति 15 मई तक दिये गये अपने प्रार्थना पत्र में इच्छित स्थान में परिवर्तन करना चाहे तो वह 31 अगस्त तक स्थान में परिवर्तन कराकर जहाँ नये विद्यालय खुले हैं वहां के लिए पुनः प्रार्थना पत्र दे सकेगा। ऐसा करने पर पूर्व में प्रार्थी द्वारा दिये गये इच्छित स्थान पर से आवेदक का नाम हटा कर नये स्थान पर जोड़ दिया जावेगा।

यदि किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण उसके द्वारा चाहे गये दो स्थानों के अलावा और किसी जगह किया जाता है तो उसका नाम चाहे गये दोनों स्थानों पर यथावत बना रहेगा।

(5) 15 मई तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार वरीयतानुसार दर्ज रजिस्टर का 10 जून तक प्रार्थी को सूचित कर दिया जायगा कि उसका नाम किस स्थान के लिए किस क्रम पर दर्ज रजिस्टर हुआ है।

(6) स्थानान्तरण करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् जो नाम बच जाते हैं उनके नाम को यथावत दर्ज रजिस्टर में रखा जायगा एवं आगामी वर्ष में निर्धारित अवधि में जो प्रार्थया पत्र आयेंगे उन्हें बचे हुए नामों के नीचे दर्ज रजिस्टर किया जायगा। आगामी वर्ष के प्राप्त प्रार्थना पत्र के नीचे ही दर्ज होंगे एवं उनकी आपसी वरीयता ठहराव के आधार पर ऊपर बताये अनुसार निर्धारित की जायगी। आगामी वर्ष के प्रार्थी पहले वाले प्रार्थियों (यानि गत वर्ष के प्रार्थियों) से, चाहे उनका ठहराव अधिक हो तो भी, वरीयता में ऊपर नहीं रखे जायेंगे।

(7) ऊपर बताई प्रक्रिया के अनुसार वरीयता सूची बना लेने के पश्चात् निम्न कारणों से लोगों को अतिरिक्त वरीयता लाभ दिया जायगाः—

(1) बचे कार्य के आधार पर वरीयता में 4 क्रम का लाभ देना होगा। यह लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को देय होगा जिनकी बोर्ड की परीक्षा परिणाम (बोर्ड की जितनी कक्षाएं पढ़ा रहे हैं उन सब का) गत 3 वर्षों तक 75% से अधिक रहा हो। जो व्यक्ति बोर्ड की कक्षाएं नहीं पढ़ाते उनको यह लाभ देना नहीं होगा।

(2) सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्धियों (पति, पत्नी, पुत्र एवं भाई बहिन) की वरीयता में 2 क्रम का लाभ देय होगा।

नोट:—(1) सशस्त्र सेनाओं से मतलब थलसेना, जल सेना एवं वायुसेना से है। अन्य अर्द्ध सैनिक संगठनों जैसे सी० आर० पी० एफ०, बी० एस० एफ० टैरिटोरियल आर्मी आदि को सशस्त्र सेना में नहीं माना जायगा। सशस्त्र सेना के नाम पर वरीयता लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को सेना की यूनिट के कमाण्डिंग आफिसर का मूल प्रमाण-पत्र एवं सशस्त्र सेना से कार्यरत व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है, इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) उपरोक्त में से केवल एक व्यक्ति को किसी एक ही कारण से वरीयता लाभ देय होगा।

(3) जो भी वरीयता लाभ देय होता है उस लाभ को रजिस्टर में आवेदकों के नाम के सामने लिख दिया जायगा जिसको कि स्थानान्तरण करते समय कन्सीडर किया जायगा। इस अतिरिक्त वरीयता लाभ के कारण वरीयता सूची में नाम ऊपर नीचे नहीं किये जायेंगे।

(8) 30 दिसम्बर के पश्चात् कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जायगा। 30 दिसम्बर के पश्चात् होने वाले खाली पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नति देकर पद भरे जायेंगे। यह पदस्थापन सत्र के अन्त तक के समय के लिये होगा एवं सत्र के अन्त में ऐसे व्यक्तियों को स्थानान्तरित किया जाकर नीति के अनुसार पदस्थापन किया जायगा। इस तथ्य का स्थानान्तरण आदेश में ही वर्णन कर दिया जाय।

(9) प्रशासनिक कारणों से किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण एक स्थान से बाहर किया जा सकेगा लेकिन 30 दिसम्बर के बाद इसके लिये उच्च अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। प्रशासनिक कारणों से जिस व्यक्ति को किसी स्थान से हटाया जाता है तो उसका स्थानान्तरण केवल ऐसे स्थान पर ही किया जायगा जहां के लिए किसी व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया है।

(10) पदोन्नति दिये जाने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति त्यागने की छूट नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने सत्र में पदोन्नति नहीं चाहते वे 15 मई तक अपने पदोन्नति अधिकारी को लिखित सूचना इस आशय की दे दें। 15 मई तक इस प्रकार की लिखित सूचना नहीं देने के बाद यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति आदेश की पालना नहीं करता तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी एवं उसे वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित भी कर दिया जायगा।

(11) पारस्परिक स्थानान्तरण 30 सितम्बर तक सक्षम अधिकारी द्वारा किये जायेंगे लेकिन जो व्यक्ति पारस्परिक स्थानान्तरण करवा लेते हैं उनका नाम आवेदकों की वरीयता सूची में से दोनों स्थानों से हटा दिया जायगा।

(12) उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण के लिये 3 वर्ष का माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का अनुभव वांछनीय होगा एवं इस पर कार्यरत रहने का अधिकतम समय तीन वर्ष होगा।

पदोन्नति पर पदस्थापन वर्तमान स्थान पर न करके नये स्थान पर किया जायगा एवं किसी शहर में भी पदस्थापन नहीं किया जायगा। सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति पर पदस्थापन शहर में नहीं किया जायगा।

यदि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार आदेशानुसार या रेशनेलाइजेशन अथवा अन्य किसी कारण से किसी का स्थानान्तरण आवश्यक हो, उस स्थान से अधिकतम ठहराव वाले व्यक्ति को हटाया जायगा। अधिकतम ठहराव उस स्थान विशेष से गिना जायगा न कि शाला विशेष से। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान पर लगातार कार्यरत था लेकिन बीच में किसी अन्य स्थान पर 6 माह से कम अवधि पर कार्यरत रहा है तो ऐसी स्थिति में इस 6 माह से कम अवधि के ब्रेक को नहीं गिना जायगा उसका वर्तमान स्थान का ठहराव लगातार ही माना जायगा। लेकिन यदि वह इस बीच में किसी अन्य स्थान पर 6 माह से अधिक कार्यरत रहा है तो वर्तमान स्थान में उसका ठहराव लगातार नहीं माना जायगा। अधिकतम ठहराव के निम्न व्यक्तियों को नहीं हटाया जायगा :-

(अ) पति पत्नी यदि साथ ही कार्यरत हैं।

(ब) यदि कोई व्यक्ति अथवा उसका पति, पत्नी, उस पर आश्रित माता पिता एवं सन्तान कैंसर रोग से पीड़ित हो।

(स) यदि किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति में दो साल अथवा उससे कम समय शेष हो।

(13) प्रदत्त शक्तियों के आधार पर स्थानान्तरण करने के लिये निम्नलिखित अधिकारी उनके समक्ष अंकित शिक्षकों-अधिकारियों के लिये सक्षम अधिकारी माने जायेंगे —

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	(क) तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के समस्त प्रकार के स्थानान्तरण (अन्तर-जिला, अन्तर मण्डल आदि) (ख) द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के जिले के अन्दर ही।
(2) उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) (क्षेत्र)	तृतीय वेतन श्रृंखलाओं की अध्यापिकाओं के लिये जिले के अन्दर ही।
(3) मण्डल अधिकारी (क्षेत्र) (छात्र) या (छात्रा)	द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों-अध्यापिकाओं के अन्तर जिला एवं अन्तर मण्डल और वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिकाओं के समस्त स्थानान्तरण।
(4) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)	द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण जिले के अन्दर ही।
(5) निदेशक	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाएं, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक।

नोटः–

(1) छात्र वर्ग से छात्रा वर्ग एवं छात्रा वर्ग से छात्र वर्ग में अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण बिना निदेशक की पूर्व अनुमति के नहीं किये जायेंगे ।

(2) उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) किसी भी तृतीय श्रेणी की अध्यापिका का माध्यमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्थानान्तरण या ऐसे विद्यालय में पद-स्थापन करने से पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक छात्रा से अनुमति प्राप्त करेगी ।

(3) यदि कोई अध्यापक प्रधानाध्यापक स्वयं उसका पति/पत्नी, एवं आश्रित माता पिता कैंसर अथवा हृदय रोग से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति पर इन प्रावधानों का कोई बिन्दू लागू नहीं होगा । हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिये उक्त निर्देशों का अपवाद तभी लागू होगा जब वह उस सत्र में एक माह के लिये उक्त रोग से पीड़ित होकर अस्पताल में उपचार के लिये इन्डोर रोगी के रूप में भर्ती रहा हो । कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पताल के अधीक्षक का प्रमाण पत्र देना होगा । ऐसे व्यक्तियों को उनके रोग के इलाज को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जायगा ।

(4) ये स्थानान्तरण निर्देश शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों एवं उनके समकक्ष अधिकारियों पर ही लागू होगा ।

(5) राज्य सेवा में कार्यरत पति पत्नी को उस स्थानान्तरण निर्देश के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी कर्मचारी के हितों को क्षति पहुंचाये यथा सम्भव एक स्थान पर रखने का प्रयत्न किया जायगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति स्थानान्तरण पर यह महसूस करे कि उसका स्थानान्तरण निर्देशों के विरुद्ध हुआ है तो वह स्थानान्तरण आदेशों की पालना करने के पश्चात् ही संबंधित सक्षम अधिकारी से नये स्थान पर कार्यभार सम्भालने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर-भीतर स्थानान्तरण अधिकारी से ऊपर वाले अधिकारी को लिखित प्रतिवेदन दे सकता है एवं स्थानान्तरण कर्ता अधिकारी से ऊपर वाला अधिकारी प्रतिवेदन की जांच कर यदि स्थानान्तरण निर्देशों के विरुद्ध पाया जाय तो इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर संशोधन कर सकता है । सक्षम अधिकारी ऐसे सभी प्रतिवेदनों का एक रजिस्टर में रिकार्ड रखेगा तथा उक्त अवधि में अपने निर्णय से प्रतिवेदक को अवगत करायेगा ।

ह0
(ललित किशोर)
उप शासन सचिव,
शिक्षा (प्रथम)

२४५

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/संस्था/ई/11472/79/61 दिनांक:-19-4-79

प्रतिलिपि:-

(1) निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर ।

(2) निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

(3) समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी (महिला सहित)

(4) प्रधानाचार्य, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर/अजमेर ।

(5) प्रधानाचार्य, राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स /संगीत संस्थान जयपुर ।

(6) उपनिदेशक, पत्राचार पाठ्यक्रम राज्य शिक्षण संस्थान, उदयपुर ।

(7) उपनिदेशक, व्यावसायिक एवं निर्देशन केन्द्र, उदयपुर ।

(8) प्रधानाचार्य, सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर ।

(9) समस्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी ।
उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र एवं छात्रा संस्थाएं ।)

(10) विशिष्ठ शिक्षण संस्थाएं /कार्यालय/सम्पादक, शिविरा पत्रिका

(11) निदेशालय के समस्त अनुभाग ।

ह०
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर ।

संलग्न :- प्रपत्र अ, ब एवं स

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प 8 (35) शिक्षा/ग्रुप-2/79 जयपुर, दिनांक 20 जून, 1979

स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्देश

इस विभाग के आदेश समसंख्यक दिनांक 23-3-79 द्वारा प्रसारित स्थानान्तरण निर्देशों में निम्न प्रकार से संशोधन परिवर्द्धन किया जाता है:-

(1) तृतीय वेतन श्रृंखला में अन्तरजिला स्थानान्तरण के लिये रिक्त पदों के 10 प्रतिशत तक की सीमा रखी जावे।

(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला में कुल रिक्त पदों की 25 प्रतिशत की सीमा तक पद अन्तर-जिला स्थानान्तरणों से भरे जा सकते हैं, किन्तु ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि जिन विषय के लोगों को आवश्यकता हो वे ही व्यक्ति दूसरे जिलों से स्थानान्तरित किये जावें। सभी अन्तरजिला स्थानान्तरणों में पूर्वदिशा में उल्लिखित बिन्दू संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

(3) नव नियुक्त व्यक्तियों को 3 वर्ष से कम की ग्रामीण सेवा हुए बिना शहर क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा।

ह०
(रुकमणी हल्दिया)
उप शासन सचिव (प्रथम)

क्रमांक प. 8 (35) शिक्षा ग्रुप-2 79 दिनांक 20 जून, 1979

प्रतिलिपिः-

(1) निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त संशोधन/परिवर्धन के अलावा स्थानान्तरण नीति में अन्य कोई परिवर्तन स्थानान्तरण निर्देशों में अभीष्ट नहीं है।
(2) समस्त संयुक्त निदेशक (महिला व पुरुष)
(3) समस्त उप निदेशक (महिला पुरुष)
(4) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (महिला पुरुष)
(5) समस्त वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी,
(6) समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाए)
(7) निदेशक, पंचायत एवं विकास विभाग, जयपुर।
(8) निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
(9) विशिष्ठ शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
(10) निजी सहायक, शिक्षा आयुक्त।
(11) गार्ड फाइल।

ह०
उप शासन सचिव

कुम्हेर क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

289. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य के प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है ?

(2) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के गांव पार, हबीबपुर, ततामढ, भूढौता, मादोनी चित्तौकरी, उसरानी, पचौरा आजऊ, धनवाडा मटावली को कब तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की यह घोषित नीति है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य के 24037 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा। समस्या रहित ग्रामों को अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सेनीटेशन दशक के अन्तर्गत 1981-1990 के मध्य लाभान्वित करने का प्रस्ताव है ।

(2) ग्राम उसरानी, पचौरा, आजऊ एवं धनवाडा में चालू द्वितीय वर्ष में कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है । ग्राम पार, हबीबपुर ततामढ, मादौनी, चितउखरी एवं मेहटोली को वर्ष 1981-82 में स्वीकृत करने का मामला विचाराधीन है । ग्राम मुंढोता समस्या रहित ग्राम है तथा इस ग्राम में पेयजल योजना लागू करने का वर्तमान में विचार नहीं है ।

———————

परिशिष्ट—2

अतारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची

जिला सवाई माधोपुर के सिंचाई बांधों की सूची मय सिंचित क्षेत्र एवं अनुमानित

क्र० सं०	बांधों का नाम		सी० सी० ए० (हैक्टेयर में)	अनुमानित सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2		3	4
1.	मोरेल	सिंचाई परियोजना	22410	23193
2.	ढील	,,	5942	3550
3	सूरवास	,,	4228	2041
4.	मानसरोवर	,,	3055	1955
5.	गलाईसागर	,,	1718	650
6.	कालीसिल	,,	4988	2110
7.	मोरा सागर	,,	7515	3390
8.	विसनसमन्द	,,	2752	1651
9.	नीदर	,,	937	565
10.	रानिला	,,	202	189
11.	नाजीमवाला बामनवास	,,	81	50
12.	नया तालाब लिवाली	,,	449	370
13.	सौभागसागर	,,	70	40
14.	गुरला	,,	65	25
15.	चन्दापुरा	,,	1370	480
16.	गन्डाल	,,	884	50
17.	बनियावाला	,,	346	140
18.	नागतलाई	,,	809	130
19.	नाजिमवाला गंगापुर	,,	289	80
20.	टोकसी	,,	236	320
21.	गंवाली	,,	59	35
22.	पीडिया बनथली	,,	26	16
23.	जोहरीवाला	,,	301	200
24.	बड़ा तालाब नवाजवाला	,,	72	50
25.	राम तालाब	,,	133	80
26.	तेलनवाला	,,	135	110

२४8

1		2	3	4
27.	जादेलाव	सिंचाई परियोजना	40	20
28.	खिरखिरी	,,	456	50
29.	पीडिया सेखपुरा	,,	183	110
30.	फतेहसागर	,,	518	320
31.	होदाहेली	,,	225	80
32.	रोंसी	,,	201	180
33.	नया तालाब केमा	,,	132	96
34.	सिगोलाव	,,	336	70
35.	भगवतगढ़	,,	[illegible]	803
36.	मूई	,,	724	430
37.	पांचोलास	,,	1027	511
38.	देवपुरा	,,	1636	1040
39.	बौल	,,	150	108
40.	जाटवाला	,,	283	170
41.	अनन्तपुरा	,,	73	44
42.	नया तालाब महेश्वा	,,	1012	607
43.	पुराना तालाब महेश्वा	,,	237	148
44.	मोहनपुरा	,,	1270	760
45.	राजोली	,,	340	204
46.	जुन्की	,,	482	289
47.	कोट	,,	619	300
48.	जगरामपुरा	,,	911	547
49.	हरुला	,,	550	268
50.	रोंध	,,	760	468
51.	पावटा	,,	188	113
52.	बड़ा गाव केमा	,,	524	314
53.	सींसवाड़ा	,,	650	390
54.	समसपुर	,,	253	151
55.	सिकन्दपुर	,,	287	172
56.	मामचारी	,,	963	260
57.	मदनपुरा	,,	182	100
58.	रूडपुरा	,,	182	109
59.	रतिबापुरा	,,	61	37

	1	2	3	4
60.	जोरदा	सिंचाई परियोजना	61	37
61.	बैरूड़ा	"	416	281
62.	सिगटोली	"	527	340
63.	मन्डावरा	"	163	97
64.	मैयरामन्जूला	"	140	60
65.	जाबला	"	59	60
66.	टोकसी	"	266	140
67.	रामसागर	"	100	60
68.	बालोती	"	140	84
69.	बिनोरी सागर	"	390	727
70.	गिरधरपुरा	"	पेटाकाश्त	—
71.	ग्राधलवाड़ा	"	"	28
72.	नागोलाव	"	"	196
73.	खारीला	"	"	72
74.	भीमसागर	"	"	80
75.	बन्दावल	"	"	—
76.	घाटानेनवाडी	"	"	
77.	कयामपुरा	"	"	
78.	बावनवाला	"	"	
79.	हजारीवाला	"	"	
80.	बगरूवाला	"	"	
81.	पिलोदा	"	"	
82.	नया तालाब सारोली	"	"	
83.	भूतका	"	"	26
84.	तालुका	"	"	120
85.	मोतीसागर	"	"	
86.	पिपलाई	"	"	
87.	सेनिया की गवारी	"	"	
88.	कल्याणपुरा	"	"	
89.	दोलतपुरा	"	"	
90.	लोवरडाबरा	"	"	
91.	ग्रपरडाबरा	"	"	

Page No. 250

(250)

1		2		3
92.	भूमेन्द्र सागर	सिंचाई परियोजना	पेटाकाश्त	180
93.	रामसागर	,,	,,	24
94.	दुर्गासागर	,,	,,	
95.	डेलरासागर	,,	,,	
96.	सूण्डसागर	,,	,,	
97.	भारजागदी	,,	,,	
98.	भाडोती	,,	,,	
99.	रायपुरा	,,	,,	
100.	जयसागर	,,	,,	
101.	जलसैन	,,	,,	
102.	मदनसागर	,,	,,	60
103.	छावली	,,	,,	
104	रानीपुरा	,,	,,	
105.	रायसेना	,,	,,	
106.	कुण्डमेरा	,,	,,	149
107.	जगर	,,	5190	3000

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 278 की संख्या

जिलेवार ग्रामों की लक्षित संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	ग्राम संख्या
(1)	अजमेर	125
(2)	अलवर	120
(3)	बांसवाड़ा	170
(4)	भरतपुर	90
(5)	बाड़मेर	40
(6)	भीलवाड़ा	80
(7)	बीकानेर	50
(8)	बूंदी	65
(9)	चित्तौड़गढ़	70
(10)	चूरू	54
(11)	डूंगरपुर	105
(12)	गंगानगर	50
(13)	जयपुर	175
(14)	जैसलमेर	20
(15)	जालौर	71
(16)	झालावाड़	90
(17)	झुन्झुनू	150
(18)	जोधपुर	70
(19)	कोट	120
(20)	नागौर	60
(21)	पाली	170
(22)	सवाई माधोपुर	70
(23)	सीकर	10
(24)	सिरोही	70
(25)	टौंक	90
(26)	उदयपुर	175
	कुल	2500

252

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 279 की सूची

माह फरवरी, 1981 तक लगाये गये हैण्ड-पम्पों की जिलेवार सूची

क्र० सं०	जिला	हैण्ड पम्प की संख्या
(1)	अजमेर	306
(2)	अलवर	—
(3)	बांसवाड़ा	316
(4)	बाड़मेर	22
(5)	भरतपुर	111
(6)	भीलवाड़ा	68
(7)	बीकानेर	—
(8)	बूंदी	111
(9)	चित्तौड़गढ़	127
(10)	चूरू	—
(11)	डूंगरपुर	204
(12)	गंगानगर	10
(13)	जयपुर	88
(14)	जैसलमेर	7
(15)	जालौर	125
(16)	झालावाड़	84
(17)	झुन्झुनू	35
(18)	जोधपुर	—
(19)	कोटा	156
(20)	नागौर	—
(21)	पाली	117
(22)	सवाई माधोपुर	12
(23)	सीकर	35
(24)	सिरोही	38
(25)	टौंक	45
(26)	उदयपुर	219
	कुल	2 236

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 283 की सूची

YEAR 1979-80

S. No.	Name or the work	Stipulated Date of start	Stipulated Date of completion	Actual date of completion	Remarks
1	2	3	4	5	6
459—JAIL DEPTT.					
1.	Const. of Wall and Tank at Sub Jail Building at Pratapgarh	6-11-79	5-3-80	Work completed	Work completed.
477—EDUCATION.					
1.	Const. of Ashram School at Rampuria.	10-1-80	9-1-81	Work in progress	Drawing of extension work is finalised (late in 2/81)
2.	Const. of Library Bldg. in Degree College at Pratapgarh.	10-1-80	9-1-81	-do-	Civil work at roof level stand still because UGD share not received.
480—MEDICAL BUILDINGS,					
1.	Const. of Dr. Qtr. at Ambamata.	7-12-79	6-6-80	-do-	10% compensation imposed and work withdrawn.
2.	Const. of subsidiary Health centre at,	7-12-79	6-6-80	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6
3.	Const of Health Ambamata sub centre at Panmodi.	27-11-80	26-5-80	–do–	Roof laid Notices served to the Contractor.
4.	Const. of Mini Health Centre at Thada.	25-2-80	24-2-81	Work completed	Completed.
5.	Const. of Health sub centre at Saripiply.	29-2-80	28-6-80	Work in progress	Due to slow progress 1/2% penalty imposed
6.	—do— Gandher.	29-2-80	28-6-80	–do–	–do–
483 —HOUSING.					
1.	Const. of Vth type Qtr. at Pratapgarh.	29-10-79	28-4-80	–do–	Work almost complete except white wash and painting work. Notice served to contractor.
2.	Const of IVth type Qty. at Pratapgarh.	29-12-79	27-8-79	–do–	–do–
495 —COMMUNITY DEVELOPMENT.					
1.	Const. of I. T. I. Bldg. at Pratapgarh.	10-1-80	9-1-81	–do–	Roof Level notice served to the Contractor.
505 —AGRICULTURE.					
1.	Const. of S. M. Qtr. at Pratapgarh.	7-11-79	6-5-80	Work in progress	Roof level notices served to the contractor.

1	2	3	4	5	6
2.	Const. of Office Bldg. Pratapgarh.	29-10-79	28-4-80	Work in progress	Roof level notices served to contractor.
3.	-do- V E W. Qtr. at Barawarda.	7-11-79	6-3-80	Work completed	Work completed.
4	-do- -do- Panmodi.	26-12-79	25-4-80	Work in-progress	Due to slow progress hence 1/2% compensation imposed.
510—ANIMAL HUSBANDARY.					
1.	Const. of bull shed Bldg. Key village Scheme at Pratapgarh.	7-12-79	6-3-80	-do-	Lintel level 1% penalty imposed due to slow progress.
2.	Const. or Vth type Qtr. at Pratapgarh. (Key village Scheme)	7-12-79	6-3-80	Work not started	Work not started hence 10% compensation imposed.
3.	Const. or Main Bldg. Key Village Scheme Pratapgarh.	10-1-80	9-1-81	Work in progress	Main Bldg. completed except plate form, Notice served to Contractor.
4.	Const. of 2 Nos. Qtr. for Sheep & Wool Deptt. Residential at Sidhipura.	15-3-80	14-9-80	-do-	1/2% compensation imposed due to slow progress.
843—DEPOSIT WORKS					
1.	Const. of 4 No. additional dormatories.	1-12-79	31-7-80	Completed	Wora completed.

1	2	3	4	5	6
2.	Const. of 4 No. additional dormatories Deogarh.	1-12-79	31-7-80	Completed	Work completed.
3.	Const. or Warden and Class IVth servent Qtr. for Girls hostel Salamgarh.	7-12-79	6-6-80	Completed	Work completed.
477—EDUCATION.			YEAR 1980-81		
1.	Const. of one class room at Middle School Koni.	24-11-80	23-5-81	Work in progress	Work completed except joinery and flooring.
2.	Const of one class room at Arnod.	29-1-81	28-6-81	-do-	Work order now issued.
483—HOUSING.					
1.	Const. of residential Qr. in Tribal Area Sub Plan at Bhamoter.	30-9-80	29-7-81	-do-	Work order issued.
2.	-do- 3 No. residential Qr. in Tribal area sub Plan at Arnod.	29-1-81	28-9-81	-do-	Masonary upto roof level completed.
480—MEDICAL.					
1.	Const. of Primary Health Sub-Centre at Ninore.	10-3-81	9-9-81	-do-	Work order issued in 2/81.

1	2	3	4	5	6
510—ANIMAL HUSBANDARY.					
1.	Const. of VIth type Qtr. at Key Village Seheme at Pratapgarh.	12-11-80	11-4-81	Work in progress	Work in progress
843—DEPOSIT 'III'					
1.	Const. of ward Hospital Bldg. Pratapgarh.	30-9-80	29-3-81	-do-	Work is progress.

LIST OF WORKS NOT ALLOTTED TO CONTRACTOR

S. No.	Name or the work	Remarks
459—C. A. O. W. ON PUBLIC WORKS.		
1.	Const. of Sub. Tehsil Bldg. at Basad.	Work not taken up as place has not been decided by the Govt.
2.	Const. of Residential Bldg. at Basad	-do- -do-
3.	Const of Police Station at Subagpura.	Tender invited and under approval.
480—MEDICAL		
1.	Const. of Sub Centre at Sidhpura.	Tender invited and work order yet to be issued.
2.	Const. of Mini Health Centre at Salamgarh.	Tender invited and under approval.
483—HOUSING.		
1.	Const. of 250 M. T. capacity Godawn at Pratapgarh.	Tender invited and and under approval.

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न सं. 388 की सूची

सिटी बसों के रूट्स की सूची

1. मीरशाली से तबीजी वाया सिविल कोर्ट, कलेक्ट्रेट, जे.एल.एन. हॉस्पिटल, मेडिकल कालेज, बजरंग गढ़, नासियाजी, बस स्टेण्ड, गवर्नमेंट कालेज, रैनवाल स्टेशन, रामगंज, डी०ए०वी० कालेज, एम०टी०सी० ।

2. शास्त्री नगर, माखपुरा, वाया लोधाल रोड, जे० एल.एन. हॉस्पिटल नासियाजी, बस स्टेण्ड, आई. टी. आई. रोडवेज निगम वर्कशाप ।

3. नोसर से रेलवे वर्कशाप, रीजनल कालेज, राम नगर चनार घाटी, गंज, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेण्ट कालेज, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेण्ट कालेज, रेलवे हॉस्पिटल ।

4. शास्त्री नगर से रेलवे स्टेशन वाया जवाहर स्कूल, कलेक्टर्स निवास, पुलिस लाइन्स, रेलवे लाइन्स, रेवन्यू बोर्ड, कलेक्ट्रेट, कचहरी रोड ।

5. नोसर मदार वाया रीजनल कालेज, कृष्ण गंज, बजरंगगढ़, क्रोसिंग, जे०एल०एन० हॉस्पिटल, मेडिकल कालेज, इण्डिया मोटर्स, कचहरी रोड, रेलवे स्टेशन, मार्टिन ब्रिज, प्रदीप सिनेमा, मेयो कालेज ।

6. गुलाब बाड़ी से रेलवे स्टेशन वाया सरस्वती विद्यालय, लिंक रोड, सी०आर०पी० हैड क्वाटर्स, डी०एस०आफिस, कलेक्ट्रेट, कचहरी रोड ।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 292 का परिशिष्ट "क" व "ख"

तहसील–सीकर—परिशिष्ट (क 1)

क.स.	नाम ग्राम	नाम अग्निपीड़ित	परिवार के स० की सं०	दिनांक अग्निकाण्ड	अग्नि-काण्ड से क्षति	अनुदान स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	दूजोद	हनुमान पुत्र पूसा जाई	4	8.4.80	800	130=00
2.	कदमा का बास	लालू पुत्र कालू बलाई	6	3.4.80	2,000	300=00
3.	पूरा बड़ी	किशोरसिंह पुत्र मगेजसिंह	4	4.4.80	2,950	300=00
4.	,,	हनुमानसिंह पुत्र मगेजसिंह	7	,,	8,902	350=00
5.	,,	रिछपालसिंह पुत्र मगेजसिंह	4	,,	1,300	200=00
6.	टाटनवा	श्योबक्शाराम पुत्र लादूराम जाट	7	29.4.80	6,515	350=00
7.	पिपराली	गुलाब कंवर स्त्री रामसिंह राजपूत	8	9.4.80	8,375	225=00
8.	चूड़ोली	छोटूड़ी स्त्री जीताराम बलाई	5	18.4.80	2,670	375=00
9	पिपराली	तेजसिंह पुत्र गंगासिंह	4	8.4.80	9,805	300=00
10.	कुशलपुरा	महालूराम पुत्र भूरानायक	7	15.4.80	1,775	290=00
11.	गूगारा	मुहरतड़ी बेवा माना नायक	5	15.4.80	2,640	375=00
12.	कासी का बास	श्योलाराम पुत्र चूनाराम	3	21.4.80	1,175	225=00
13.	सेवा	मुकन्दकंवर बेवा हरिसिंह राजपूत	7	9.5.80	4,175	350=00
14.	मंलासी	देवाराम पुत्र सुरजा राम कुम्हार	5	4.5.80	3,500	375=00
15.	साँवलोदा पुरोहितान	गोपाल पुत्र लालूराम कुम्हार	11	13.5.80	3,190	500=00

Page No. 260

(260)

1 2	3	4	5	6	7
16. श्यामगढ़	प्रभु पुत्र अर्जुन मीणा	7	17.5.80	15.300	350 = 00
17. ,,	सावता पुत्र विलास मीणा	6	12.5.80	800	130 = 00
18. ,,	भागीरथ पुत्र मूंगा मीणा	10	17.5.80	2,000	330 = 00
19. ,,	सरदारा पुत्र अर्जुन मीणा	8	17.5.80	8,400	400 = 00
20. सबलपुरा	पोखराम पुत्र जीवन बलाई	10	24.5.80	5,670	500 = 00
21. मैलासी	चन्द्रा पुत्र देवा कुम्हार	5	4.5.80	3,000	375 00
22. फागलवा	हीरा पुत्र गणपत नायक	5	12 5.80	445	74 = 00
23. कासी का बास	बेगाराम पुत्र चूनाराम जाट	5	21.4.80	1,800	300 = 00
24. भादवासी	भूराराम पुत्र रतनाराम	8	4 6.80	10.100	400=00
25. दामा की ढाणी	पन्नाराम पुत्र जालराम जाट	9	1.6.80	500	80 = 00
26. नागवा	रूपकंवर बेवा पृथ्वीसिंह राजपूत	1	13.6.80	1,590	75 = 00
27. नानी	केशाराम पुत्र नोपाराम जाट	7	2.4.80	3,000	350 = 00
28. ,,	गोपाल पुत्र डालूराम जाट	8	2.4.80	2,600	400 = 00
29. बेरी	प्रभूराम पुत्र देवूराम मीणा	7	2.5.80	1,600	260=00
30. गूंगारा	कालूराम पुत्र नरसाराम जाट	6	15.5.80	2,710	300 = 00
31. लोसलछोटी	किशोर पुत्र बीजाराम	8	20.5.80	5,000	400 = 00
32. टाटनवा	प्रेमसिंह पुत्र जसवन्त सिंह राजपूत	2	17.6.80	2,250	150 = 00
33. ,,	केशरसिंह पुत्र जसवन्त सिंह राजपूत	4	17.6.80	2,325	300 = 00
34. दूजोद	वल्लभ कुमार पुत्र नारायण नाई	8	19.6.80	1,000	160 = 00
35. पिपराली	कालूराम पुत्र घीसाराम कुम्हार	4	27.6.80	4 090	300=00
36. पालवास	नथूसिंह पुत्र बचना दरोगा	4	18.6.80	3,680	300 = 00
37. सेवदबड़ी	केसाराम पुत्र गोपी राम जाट	9	20.9.80	6,181	112 = 00
38. कोलीड़ा	लूणाराम पुत्र भोलाराम बलाई	4	19.9.80	500	20 = 00

Page No. 261

(261)

1 2	3	4	5	6	7
39. कोलीड़ा	रामदेवाराम पुत्र चूनाराम बलाई	7	19,9.80	500	20=00
40. गूंगारा	भगवाना पुत्र गीघा जाट	8	13.8.80	7,050	100=00
41. पलथाना	पेमाराम पुत्र गोविन्दराम बलाई	6	12.11.80	3,000	75=00
42. बेरी	बजरंगलाल पुत्र सोहन	7	18.11.80	4,770	88=00
43. तासरवड़ी	दुर्गालाल पुत्र गणपत राम खाती	7	9.10.80	10,100	88=00
44. मांडोली	मोहन पुत्र गोदू बलाई	1	5.11.80	1,400	19=00
45. सबलपुरा	प्रहलादराम पुत्र भूराराम ब्राह्मण	9	23,10.80	3,500	112=00
46. सबलपुरा	गायत्री स्त्री विश्वनाथ ब्राह्मण	5	23.10.80	3,800	94=00
47. ,,	सुरेन्द्र पुत्र प्रहलादराम ब्राह्मण	5	23.11.80	3,075	94=00
48. कोलीड़ा	पेमाराम पुत्र हनमाना-राम जाट	4	21.11.80	2,375	94=00
49, ,,	द्वारकाप्रसाद पुत्र महा-देवाराम ब्राह्मण	7	23.11-80	1 650	68=00
50. गुढ़ाखुर्द	सरदाराम पुत्र पेमा-राम मीणा	10	11.12.80	4,350	125=00
51. नागवा	दलूड़ी स्त्री मूलाराम बलाई	5	18.12.80	1,125	41=00
52. दौलतपुरा	नागरमल पुत्र ज्वालाप्रसाद नायक	6	28.12.80	3,015	75=00
53. अन खु	बालसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत	5	1.9.80	10,225	94=00
54. सिहोटबड़ी	पदमली बेवा रेखा बलाई	1	7.12.80	1,323	19=00
				2,06071	11,916=00

(262)

तहसील—फतेहपुर—परिशिष्ट-(क 2)

क्र0 सं0	नाम ग्राम	नाम अग्निपीड़ित	परिवार की सदस्य संख्या	अग्निकाण्ड का दिनांक	अग्निकाण्ड से क्षति	अनुदान राशि स्वरूप स्वीकृत राशि
1.	नारसरा	चन्द्राराम पुत्र भोमाराम जाट	7	9.4.80	2,400	350=00
2.	"	भगवान पुत्र कुशलाराम जाट	6	"	6,000	300=00
3.	रसूलपुरा	अजमत पुत्र भोलूखां कायमखानी	7	6 4 80	2,630	350 00
4.	लावन्डा	निजामुद्दीन पुत्र मूसाकाजी	3	8.4.10	2,735	225=00
5.	नाहरसरा	परसूराम पुत्र केसाराम जाट	6	19.4.80	1,000	160=00
6.	फतेहपुर	बोदूराम पुत्र कानाराम खटीक	6	21.4.80	5,850	300=00
7.	दौलताबाद	इन्द्राराम पुत्र गंगाराम गूजर	6	26.4.80	2,075	300=00
8.	शेखीसर	लेखराम पुत्र किशनाराम बलाई	5	28.4.80	4,380	375=00
9.	आलमास	हासमअली पुत्र हनीफकाजी	9	6.5.80	4,220	450=00
10.	रूकनसर	मूंगाराम पुत्र गणपत	3	14.5.80	1,220	200=00
11.	भाखरवासी	नाथी बेवा धन्नाराम सांसी	7	2.12.80	11,300	88=00
12.	रामगढ़	नन्दूलाल पुत्र बालकदास स्वामी	11	18.9.80	14,350	125=00
					58,160	3,223=00

तहसील–लक्ष्मणगढ़–परिशिष्ट "क(3)

क्र0 सं0	नाम ग्राम	नाम अग्निपीड़ित	परिवार के सदस्यों की संख्या	अग्निकाण्ड का दि०	अग्निकाण्ड से क्षति	अनुदान स्वरूप स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	लछमणगढ़	मंगलसिह पुत्र उगमसिह राजपूत	7	22.4.80	4,130	350 = 00
2.	"	मुखाराम पुत्र माणकचन्द जांगीड़	14	16.4.80	7,667	500 = 00
3.	"	नानूराम पुत्र बालूराम माली	2	11.4.80	1,560	150 – 00
4.	खोजासरछोटा	कानूराम पुत्र तेजराम जाट	5	14.4.80	13,657	375 = 00
5.	सेखीवास	रामू पुत्र गोमाराम जाट	7	4.5.80	5,775	350 = 00
6.	लछमणगढ़	दारनी स्त्री भूरसिह दरोगा	3	8.6.80	750	125 – 00
7.	लालासी	ताराचन्द पुत्र गणेशाराम ब्राह्मण	7	3.5.80	4,080	350 = 00
8.	ढहरकावास	नानू पुत्र रुधा मेघवंशी	8	6.5.80	970	160 = 00
9.	किरडोलीबड़ी	चिमना पुत्र लादू मेघवंशी	6	6.5.80	4,370	300 = 00
10.	राजपुरा	गणेशा पुत्र तेमाराम बलाई	9	5.5.80	3,750	450 = 00
11.	लछमनगढ़	भवंरसिह पुत्र श्यामसिह राजपूत	6	22.6.80	748	124 = 00
12.	घिरनियाबड़ा	बालूराम पुत्र मोतीराम जाट	3	22.4.80	8,900	225 = 00

(264)

1	2	3	4	5	6	7
13	राजपुरा	मोटाराम पुत्र चेनाराम जाट	5	15.8.80	7,700	94 = 00
14.	ढहूर का बास	मुकन्दाराम पुत्र जेठा जाट	5	9.10.80	5,700	94 – 00
15.	,,	मोटाराम पुत्र जेठा जाट	4	,,	9,100	71 = 00
16.	खुड़ी छोटी	हेमाराम पुत्र लालाराम हरिजन	6	28.11 80	3,100	75 = 00
17.	बलाश्रा	चतरूराम पुत्र गोपीराम बावरी	12	9.8.80	3,300	125 = 00
18.	तूरणवा	मानसिंह पुत्र नन्दसिंह राजपूत	10	7.9.80	6,700	125 = 00
19.	घाणा	गोविन्दराम पुत्र तेजाराम जाट	5	8 9.80	2,660	94 = 00
20.	भोजासर बड़ा	मुरानुदीन पुत्र पीरूखां ढाढी	15	25.10.80	5,929	125 = 00
21.	रिण	हासमखां पुत्र लावदीखां कायमखानी	4	27.9.80	6,250	75 00
22.	,,	अलाहमदी पत्नी शेरखां	5	11.10.80	1,350	56 = 00
23.	,,	मूलाराम पुत्र भानाराम जाट	5	,,	1,650	68 = 00
24.	,,	मन्नाराम पुत्र भोलाराम जाट	7	1.10.80	1,050	44 = 00
25.	,,	मांगर पुत्र टोडाराम जाट	8	30.9.80	600	25 = 00
26.	,,	भोलाराम पुत्र बालाराम जाट	2	8. 0 80	2,680	38 = 00
27.	,,	तोलाराम पुत्र भोलाराम जाट	3	2 10 80	2,075	56 = 00
28.	,,	पीरूखां पुत्र कमरदीखां कायमखानी	8	25 9.80	2,500	100 = 00
29.	,,	उमरखां पुत्र लादूखां कायमखानी	8	6.10.80	950·00	39 = 00
30.	,,	सुमरखां पुत्र लादूखां	8	,,	1,750	74 = 00
31.	,,	फेजूखां पुत्र लादूखां	9	,,	1,600	66 00
32.	बिड़ोदी छोटी	सीताराम पुत्र मुरलीधर ब्राह्मण	9	6.10.80	11,595	118 = 00
33.	,,	शारदा देवी स्त्री मालीराम	4	,,	8,497	75 = 00
34.	,,	रूकमणी देवी हरीराम ब्राह्मण	5	,,	7,437	84 = 00
35.	,,	रामस्वरूप पुत्र सीताराम	4	,,	8,150	75 = 00
					1,59,580	5,269 = 00

Page No. 265

(265)

तहसील-दांतारामगढ़ क(4)

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम अग्नि पीड़ित	परिवार की सदस्य संख्या	अग्निकाण्ड का दिनांक	अग्नि-काण्ड से क्षति	अनुदान स्वरूप स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुरेरा	उदाराम पुत्र लालाराम गूजर	3	12.4.80	1,609	225 = 00
2.	,,	टीकूराम पुत्र बालूराम गूजर	10	,,	7,200	500 = 00
3.	,,	मोहनराम पुत्र खींवा-राम गूजर	4	,,	1,520	250 = 00
4.	,,	धन्नाराम पुत्र बालूराम	7	,,	5,360	350 = 00
5.	,,	मोटाराम पुत्र खींवाराम	3	,,	2,120	225 = 00
6.	,,	खींवाराम पुत्र चन्दा-राम गूजर	9	,,	1,435	230 = 00
7.	,,	खींवाराम पुत्र चन्द्राराम गूजर	3	,,	875	140 = 00
8.	,,	गोदू पुत्र मोती गूजर	7	,,	6,960	350 = 00
9.	,,	भोलू पुत्र खींवाराम गूजर	5	,,	1,350	225 = 00
10.	,,	रामेश्वर पुत्र गजानन्द गूजर	14	,,	500	80 = 00
11.	,,	नानूराम पुत्र दूलाराम गूजर	8	,,	1,370	225 = 00
12.	,,	जयसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत	10	,,	500	80 = 00
13.	ढेकालीढाणी (कूली)	श्यामाराम पुत्र गोपीराम जाट	8	11.4.80	6,535	400 = 00
14.	,,	नानूराम पुत्र जादू-राम	6	,,	4,300	300 = 00
15.	,,	महादूराम पुत्र जादू-राम जाट	4	,,	4,470	300 = 00
16.	,,	टोड़ाराम पुत्र जादू-राम जाट	6	,,	4,320	300 = 00

1	2	3	4	5	6	7
17.	डूकिया	ज्ञानाराम पुत्र रामधन बावरिया	6	11.5.80	1,595	260 = 00
18.	दांतारामगढ़	छाजूलाल पुत्र नानूराम रैंगर	3	27.5.80	2,510	225 = 00
19.	खोरा	जवारा पुत्र रामधन बावरिया	13	8.4.80	4,350	500=00
20.	पील्या की ढाणी तनबल्लूपुरा	नाथूराम पुत्र बाबूराम जाट	6	10.5.80	6,050	300 = 00
21.	खोरा	ओनाड़ पुत्र जवारा बावरिया	5	8.4.80	2,650	375 = 00
22.	रूघनाथपुरा	भागूराम पुत्र जीवरण बलाई	7	16.6.80	2,280	340=00
23.	खाटू	दामोदर पुत्र बल्लू	8	14.6.80	1,675	270 = 00
24.	,,	रूपनारायण पुत्र जग्गूराम ब्राह्मण	5	14.6.80	3,965	375 = 00
25.	,,	संजय पुत्र सूरजमल ब्राह्मण	9	14.6.80	3,380	450 = 00
26.	शिश्यू	लिछमन पुत्र बिड़दू	10	18.6.80	3,450	500 = 00
27.	धोलासरी	भूराराम पुत्र बालूराम जाट	5	3.10.80	915	37 = 00
28.	खाचरियावास	गन्नो मोहम्मद पुत्र बोदूखां मनियार	2	25.11.80	2,000	33 = 00
29.	,,	पीरूखां पुत्र बोदूखां मनियार	4	,,	1,1000	46 = 00
30.	खुड़	मोहनपुरी पुत्र हरदेवपुरी गोसाईं	6	13.11.80	5,600	75 = 00
31.	रेटा	भीमला पुत्र रामधन बावरी	9	8.10.80	2,400	58 = 00
32.	बाय	बंशीधर पुत्र भूंथाराम आचार्य	7	30.9.80	2,887	88 = 00

1 2	3	4	5	6	7
33. बाजू की ढाणी तन-बाय	नाथूराम पुत्र भाना-राम जाट	7	1.10.80	6,077	88 = 00
34. कोछोर	लादूराम पुत्र दुली-राम जांगिड़	11	30.9.80	3,600	125 = 00
35. भारीजा	भागीरथसिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत	10	29.10.80	7,690	125 = 00
36. जीणवास	रामू पुत्र रूपा बलाई	5	26.9.80	3,400	94 = 00
37. ढाणी मियां तन शिश्यू	श्यामलाल पुत्र छिग-नलाल भंगी	3	3.10.80	2,200	56 = 00
38. डूकिया	छीतरमल पुत्र मुक-न्दा खाती	10	14.10.80	7,970	125 = 00
39. धींगपुर	नारायणराम पुत्र नानूराम कुम्हार	8	21.10.80	5,200	100 = 00
40. ,,	गणपतराम पुत्र नारायण राम	3	,,	2,500	56 = 00
41. ,,	नाथूराम पुत्र पन्ना-राम कुम्हार	5	,,	450	19 = 00
42. ,,	गोविन्दराम पुत्र नाथूराम कुम्हार	8	21.10.80	2,110	88 = 00
43. ,,	सुरजाराम पुत्र नाथूराम कुम्हार	5	21.10.80	1,900	79 = 00
44. पलसाना	गणेशाराम पुत्र मंगलाराम बलाई	7	8.12.80	3,830	88 = 00
45. दांतारामगढ़	रामू पुत्र चूना कुम्हार	5	8.12.80	2,870	86 = 00
46. दांता	डूंगा पुत्र जीवण कुम्हार	4	7.12.80	2,700	75 = 00

1 2	3	4	5	6	7
47. ढाणी बावड़ी वाली तन राम-गढ़	हणमान पुत्र बालू-राम कुम्हार	4	8.12.80	1,300	57 = 00
48. राजपुरा (भीराना)	ओनाड़सिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत	6	8.11.80	1,100	46 = 00
49. खातीवास तन डूंकिया	महादेवा पुत्र रूघा-राम अहीर	6	8.12.80	9,000	75 = 00
50. ,,	लादू पुत्र भगूताराम	3	18.12.80	10,600	56 = 00
51. ,,	चूना पुत्र भगूताराम अहीर	4	18.12.80	6,600	75 = 00
52. ,,	गोविन्दराम पुत्र भगूताराम अहीर	4	,,	7,250	75 = 00
				1,80,578	9,545 = 00

परिशिष्ट 7 (क–5)

तहसील–श्रीमाधोपुर

क्र० स०	नाम ग्राम	नाम अग्नि पीड़ित	परिवार की सदस्य संख्या	अग्निकाण्ड का दिनांक	अग्निकाण्ड से क्षति	अनुदान स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	पृथ्वीपुरा	मूलाराम पुत्र भोपालराम मीणा	4	20.4.80	11,290	300=00
2.	,,	सीताराम पुत्र भोपालराम मीणा	7	,,	12,030	350=00
3.	,,	छीतर पुत्र देलाराम कुम्हार	3	,,	5,870	225=00
4	,,	अमरसिंह पुत्र मूलाराम मीणा.	2	,,	3,870	150=00
5.	,,	कल्याणमल पुत्र शैलाराम मीणा	4	,,	6,520	300=00
6.	,,	दौलाराम पुत्र सेडूराम कुम्हार	8	,,	10,370	400=00
7.	ढाणीटीबा वाली तन गीदा वाला	मुरलीधर पुत्र जगन्नाथ शर्मा	11	11.4.80	14,900	500=00
8.	कोटड़ी	मन्नी बेवा सुन्दर मुसलमान	11	24.4.80	3,100	500=00
9.	ठिकरिया	मोतीराम पुत्र हनुमान जाट	8	23.4.80	2,140	350=00
10.	ज्ञानपुरा	मोठूराम पुत्र बद्रीराम मीणा	4	13.4.80	6,000	300=00
11.	ठिकरिया	भागूराम पुत्र गंगाबक्स जाट	20	23.4.80	8,100	500=00
12.	,,	लिछमन पुत्र हनुमान जाट	10	,,	20,000	500=00
13.	,,	गोविन्दसिंह हनुमान जाट	8	,,	4,500	400=00
14.	रतनपुरा तन नाथूसर	घूड़ा पुत्र मोतीरामजाट	9	19.4.80	1,000	160=00
15.	,,	शोभाराम पुत्र डालूराम जाट	7	19.4.80	1,000	160=00

(270)

1	2	3	4	5	6	7
16.	रामपुरा तन सरगोंठ	मोहनदास पुत्र हनुमान-दास स्वामी	6	5.5.80	1,800	300=00
17.	,,	सुगनसिंह पुत्र गणेशसिंह राजपूत	10	5.5.80	4,410	500=00
18,	,,	गुमानसिंह पुत्र गणेशसिंह राजपूत	5	,,	2,125	350=00
19.	,,	नाथूसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत	9	,,	2,100	350=00
20.	,,	दुर्जनसिंह पुत्र सतीदानसिंह राजपूत	12	,,	14,430	500=00
21.	,,	रामचन्द्रसिंह पुत्र पेमसिंह राजपूत	5	,,	4,400	375=00
22.	,,	रामेश्वरदास पुत्र जोधराम स्वामी	5	,,	7,900	375=00
23.	,,	बोदूसिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत	7	,,	6,125	350=09
24.	,,	चतरूदास पुत्र रामकुवांरदास स्वामी	7	,,	10,460	350=00
25.	,,	रिछपालसिंह पुत्र गणेशसिंह राजपूत	9	,,	3,550	450=00
26.	,,	हरिसिंह पुत्र सतीदानसिंह राजपूत	8	,,	8,000	400=00
27,	,,	भगवतीसिंह पुत्र इन्द्रसिंह	9	,,	1,800	300=00
28.	,,	हरिदास पुत्र रामकुमार दास स्वामी	11	,,	1,500	250=00
29.	रींगस	नाहरसिंह पुत्र हनुमान जाट	5	26.6.80	4,000	375=00
30.	गोविन्दपुरा	रिछपाल पुत्र दुर्गाप्रसाद मीणा	6	6.5.80	10,970	300=00
31.	,,	रामस्वरूप पुत्र रिछपाल मीणा	3	,,	6,450	225=00
32.	,,	मखनराम पुत्र गणपतराम मीणा	4	,,	2,350	300=00
33.	,,	रामकुवांर पुत्र गणपत मीणा	6	,,	6,570	300=99
34.	,,	गणपतराम पुत्र रूड़ाराम मीणा	2	,,	3,630	150=00
35.	,,	जैसाराम पुत्र दुर्गाराम मीणा	2	,,	4,850	150=00
36.	,,	बिदामी बेवा दुर्गालाल मीणा	1	,,	3,300	75=00

1	2	3	4	5	6	7
37.	गोविन्दपुरा	छोटूराम पुत्र रिछपाल मीणा	4	6.5.80	9,600	300 = 00
38.	,,	बन्नाराम पुत्र दुर्गाराम मीणा	5	,,	10,000	375 = 00
39.	मलिकपुर	लादूराम पुत्र अमराराम जाट	4	31.7.80	3,000	300 = 00
40.	बुगराजपुरा	रोशनलाल पुत्र बालूराम रेंगर	7	19.6.80	1,400	58 = 00
41.	होद	ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम मीणा	4	22.9.80	1,975	75 = 00
42.	,,	मोहरूराम पुत्र भूराराम मीणा	4	,,	2,050	75 = 00
43.	,,	बालूराम पुत्र भूराराम मीणा	8	,,	2,700	58 = 00
44.	,,	परताराम पुत्र मोहरूराम मीणा	4	,,	1,810	75 = 00
45.	,,	रामचन्द्र पुत्र भूराराम मीणा	8	,,	2,800	100 = 00
46.	,,	सरस्वती स्त्री भूराराम मीणा	8	,,	2,660	58 = 00
47.	दूधवालों का बास	भालाराम पुत्र हुक्माराम बलाई	12	9.9.80	3,400	125 = 00
48.	छारा	जगदीश पुत्र हणमान जाट	5	14.4.80	1,500	63 = 00
49.	,,	भोलू पुत्र बल्लू जाट	4	,,	1,500	63 = 00
50.	,,	बिड़दू पुत्र बल्लू जाट	6	,,	1,500	63 = 00
51.	,,	फूला पुत्र हीरा जाट	3	,,	1,500	56 = 00
52.	ढाणीबोरा तनठिकरिया	बालूराम पुत्र रेवा बावरिया	3	5.10.80	1,120	46 = 00
53.	,,	मुखा पुत्र रेवा बावरिया	4	,,	1,580	66 = 00
54.	ढाणी सिर-सलातन मऊ	रिछपालराम पुत्र नाथूराम सैनी	4	5.10.80	7,500	75 = 00
55.	,,	बालूराम पुत्र बोदूराम सैनी	5	,,	3,800	94 = 00
56.	,,	मालाराम पुत्र बोदूराम सैनी	5	,,	850	35 = 00
57.	भराल तन मून्डरू	श्यामा पुत्र नारायण जाट	8	15.11.80	1,550	64 = 00
58.	गढ़भोपजी	बिड़दीचन्द पुत्र रूघाराम जाट	12	11.11.80	14,775	125 = 00
59,	रींगस	अर्जुनराम पुत्र कजोड़ जाट	5	12.10.80	3,812	94 = 00
60.	समरथपुरा	फूलसिंह पुत्र सांवतसिंह राजपूत	4	6.11.80	1,800	75 = 00

(272)

1	2	3	4	5	6	7
61.	श्री माधोपुर	नारायणपुत्र मंगलचन्द चेजारा	8	2.12.80	2,050	85 = 00
62.	हथोरा	छोटू पुत्र श्यामा अहीर	6	15.11.80	5,000	75 = 00
63.	,,	मूलसिह पुत्र सार्दुलसिह राजपूत	5	,,	1,460	60 = 00
64,	,,	बोदू पुत्र श्यामा अहीर	6	,,	4,970	75 = 00
5.	,,	नारायण पुत्र श्यामा अहीर	5	,,	3,000	94 = 00
66.	,,	अडीसालसिह पुत्र विजयसिह	3	,,	2,500	66 = 00
67.	,,	ओंकार पुत्र श्यामा अहीर	2	,,	1,800	38 = 00
68.	श्रीमाधोपुर	सीताराम पुत्र शंकरलाल माली	4	20.12.80	7,560	75 = 00
69.	,,	खूबा पुत्र नाथू माली	4	,,	8,760	75 = 00
70.	,,	सुरजा पुत्र नाथू माली	4	,,	5,020	75=00
71.	,,	गंगाराम पुत्र शंकर लाल माली	3	,,	6,290	56 = 00
72.	लिसाड़िया	मुरलीराम पुत्र फूलाराम अहीर	5	25.10.80	1,050	100 = 00
73.	,,	भगवानाराम पुत्र दीपा अहीर	6	,,	1,000	41 = 00
74.	,,	गुल्लाराम पुत्र दीपाराम अहीर	8	,,	2,200	91 = 00
75.	नाड़ा तन थोई	भगवानाराम पुत्र लिछमन-राम माली	7	28.10.80	4,725	88 = 00
76.	,,	लिछमन पुत्र मेघाराम माली	8	,,	3,850	75 = 00
					3,62,757	15,807 = 00

तहसील-नीमकाथाना—परिशिष्ट क (6)

क्र० सं०	नाम ग्राम	नाम अग्निपीड़ित	परिवार की सदस्य संख्या	दिनांक अग्नि-काण्ड	अग्निकाण्ड से क्षति	अनुदान स्वरूप स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	ढाणी खातियान तन हरजनपुरा	सूरजमल पुत्र नारायण जांगिड़	1	13.5.80	4,120	75 = 00
2.	ढाणी भीतरों तन डाबला	बनवारी पुत्र सुखा स्वामी	5	12.4.80	3,700	375 = 00
3.	ढाणी तिलावाली	रामेश्वर सिंह पुत्र चिमनसिंह राजपूत	7	10.4.80	2,175	350 = 00
4.	गणेश्वर	भागीरथ पुत्र छोटूराम गूजर	6	23.4.80	7,745	300 = 00
5.	गुहाला	जगन्नाथ पुत्र पुरा अहीर	13	,,	3,690	500 = 00
6.	महवा	चौथमल पुत्र सूण्डाराम माली	5	10.5.80	3,235	375 = 00
7.	ढाणी सूण्डावाली	मूलचन्द पुत्र सूण्डाराम माली	2	10.5.80	3,330	150 = 00
8.	,,	सूण्डाराम पुत्र चन्द्राराम माली	2	,,	3,685	150 = 00
9.	भूदोली	किशनसिंह पुत्र भूरसिंह	7	10.6.80	2,940	350 = 00
10.	चला	बंशीदास पुत्र चेला चन्द्रादास	8	12.6.80	4,555	400 = 00
11	गांवडी	सूण्डाराम पुत्र तिलोका कुम्हार	3	1.6.80	560	90=00
12.	,,	देवाराम पुत्र भानाराम कुम्हार	4	,,	1,050	175 = 00
13.	,,	धन्नाराम पुत्र भानाराम कुम्हार	4	,,	1,730	280=00
14.	,,	चेताराम पुत्र दीनाराम कुम्हार	5	,,	2,100	350=00

1	2	3	4	5	6	7
15.	गांवड़ी	चिरंजीलाल पुत्र प्रहलाद कुम्हार	3	1.6.80	1,200	200 = 00
16.	ढाणी जोड़ी वाली तनगुहालां	लादू पुत्र खींवा माली	6	18.6.80	2,390	300 = 00
17.	नया बाँस तन भूदोली	मालीराम पुत्र खेताराम मीणा	8	22.6.80	4,910	400 = 00
18.	गोडावास	नर्वदा बेवा नारायणसिंह जाट	3	24.10.80	3,000	56 = 00
19.	,,	सुण्डाराम पुत्र श्योदान जाट	5	,,	1,300	54 = 00
20.	जुगलपुरा	कल्लूराम पुत्र देबूराम सुजार	6	8.10.80	6,110	75 = 00
21.	,,	भंवरा पुत्र देबूराम कुम्हार	6	8.10.80	[illegible],860	75 = 00
22.	पीथमपुरी	सुगनाराम पुत्र मांगूराम जाट	4	9.11.80	3,000	75 = 00
23.	गांवली	मातादीन सिंह पुत्र खुमानसिंह राजपूत	9	30.9.80	3,400	112 = 00
24.	मावंडाखुर्द	भूराराम पुत्र फूलाराम कुम्हार	8	29.10.80	7,370	100 = 00
25.	नीमकाथाना	महेशकुमार पुत्र मोहन-लाल ब्राह्मण	9	17.11.80	2,000	83 = 00
26.	सिरोहीढाणी स्वामी वाली	सुरजाराम पुत्र चन्द्राराम जाट	9	24.10.80	5,600	112 = 00
27.	ढाणीहीरातन नीमकाथाना	भागाराम पुत्र आसाराम जाट	7	22.12.80	3,650	88 = 00
28.	नीमकाथाना छावनी	रामप्रतापसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत	10	13.12.80	4,510	125 = 00
29	गांवड़ी	प्रभूसिंह पुत्र बख्तावरसिंह राजपूत	9	23.8.80	700	300 = 00
					99,615	6,075 = 00

परिशिष्ट (ख)

अग्नि पीड़ितों के प्रार्थना पत्र जिनको स्वीकृति दी जानी है

तहसील फतेहपुर

क्र० सं०	नाम ग्राम	नाम अग्निपीड़ित	परिवार के स० की सं0	अग्निकाण्ड का दिनांक	अग्निकाड से क्षति
1	2	3	4	5	6
1.	गोड़ियाछोटा	केसाराम पुत्र भूदाराम जाट	5	28.12.80	8,570/-
					8,750

तहसील दांतारामगढ़

1.	दांतला	कानाराम पुत्र भवरूराम गूजर	5	9.11.80	4,000
2,	ढाणीचारणवास तन दांता	हीराराम पुत्र देवाराम बलाई	14	28.12.80	3,800
3.	खाटूश्यामजी	मूंगाराम पुत्र रामनाथ जाट	7	21.1.80	6,770
	,,	अमरचन्द पुत्र हनुमान प्रसाद	3	,,	3,730
5.	सीतारामपुरा तन खाटू	सुरजाराम पुत्र गुमानाराम जाट	6	3.2.81	4,300
6.	लिछमा का बास	मोटाराम पुत्र बेगाराम बलाई	10	5.1.81	250
7.	,,	बलदेव पुत्र छोटूराम बलाई	8	,,	500
8,	पचार	रामनाथ पुत्र बोदूराम कुमावत	6	17.12.80	1,500
9.	,,	लादूराम पुत्र बोदूराम ,,	5	,,	1,650
					26,500

तहसील सीकर

1.	कल्याणपुरा तन फागलवा	प्रहलादराम पुत्र ग्यानाराम बलाई	6	3.1.81	3,394
2.	गोकुलपुरा	भींवाराम पुत्र गंगूराम जाट	6	10.1.81	7,0[illegible]0
3.	दूजोद	शिवबक्षाराम पुत्र हीराराम जाट	6	17.1.81	2,000
4.	ताजसर करनावतान	फतेहचन्द पुत्र लादूराम ब्राह्मण	15	16.1.81	4,660
5.	,,	नाथूराम पुत्र रामकुंवार	3	,,	4,600
6.	चन्दपुरा	परताराम पुत्र जालूराम जाट	7	25.1.81	6,000
7.	कुड़ली	पोखर पुत्र मूनाराम जाट	8	30.1.81	2,465
8.	पिपराली	हेमाराम पुत्र बालूराम जाट	10	25.1.81	5,900
9.	कंवरपुरा	रूकमणी स्त्री लालाराम मीणा	8	4.2.81	6,260
					42,2[illegible]9

Page No. 276

(276)

1	2	5	4	5	6
		तहसील लछमनगढ़			
1.	राजास	हरदेवाराम पुत्र लादूराम जाट	5	19.12.80	3,050
2.	हापास	मोटाराम पुत्र भोलाराम जाट	8	15.12.80	3,400
3.	खुड़बड़ी	भागूराम पुत्र रूड़ाराम हरिजन	4	13.12.80	4,870
4.	,,	पतासी बेवा रूड़ाराम ,,	5	,,	4,595
5.	,,	झाबरमल पुत्र इशरराम ,,	7	,,	4,780
6.	ढाणी राजपूतानान तन घाननी	शैतानसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत	12	15.1.81	2,610
7.	खींवासर	चतरपुरी पुत्र गंगापुरी	13	7.12.80	2,250
8.	सिकड़ोला छोटा	गोरधन पुत्र बक्साराम बलाई	6	10.1.81	3,200
9.	भोजासर छोटा	सुखाराम पुत्र कानाराम मीणा	11	3.12.80	5,540
					34,295
		तहसील श्रीमाधोपुर			
1.	गुढ़ातन जैतुसर	गुलरी बेवा रतनाराम बलाई	2	2.1.81	2,225
2.	ढाणीबीडाकी तन जुगलपुरा	चौथूराम पुत्र गोरूराम माली	9	17.12.80	1.470
3.	हथौरा	अर्जुनराम पुत्र गुल्लाराम गुजर	9	30.12.80	3,860
4.	ढाणीहीरा तन मलिकपुर	लादूराम पुत्र अर्जुनराम जाट	4	31.7.80	3,000
					10,555

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूची

नाम नगरपालिका	पद	संख्या
बून्दी	सफाई कर्मचारी	14
अकलेरा	केशियर	1
	सफाई कर्मचारी	5
	भिश्ती	1
	नाकागार्ड	3
	चपरासी	2
झालरापाटन	सब नाकेदार	3
	नाकागार्ड	6
	चपरासी	2
	सफाई कर्मचारी	2
भवानी मंडी	नाकागार्ड	5
	बागवान	1
सुनेल	सब नाकेदार	1
रामगंज मंडी	राजस्व निरीक्षक	1
	कनिष्ठ लिपिक	1
बारां	नाकेदार	1
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
	सफाई कर्मचारी	3
अन्ता	सहायक राजस्व निरीक्षक	1
	कनिष्ठ लिपिक	1
	नाकागार्ड	2
लाखेरी	अमीसर	1
	कनिष्ठ लिपिक	1
	नाकेदार	2
	सफाई कर्मचारी	10

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थाएं) डूंगरपुर
कक्षा 6 से 11 तक आदिवासी लड़कों की संख्या
विद्यालयवार

क्र0 सं0 नाम विद्यालय	कक्षा 6 से 11
उ0 मा0 वि0 :—	
1. डूंगरपुर	296
2. सागवाड़ा	127
3. पुर्न. का. सागवाड़ा	117
4. बनकोडा	74
5. साबला	70
6. सोमलवाडा	228
7. खड़गदा	63
	975
मा0 वि0 :-	
8. डूंगरपुर	113
9. आंतरी	100
10. ओबरी	147
11. पुनाली	90
12. पलोज	81
13. दामड़ी	45
14. आसपुर	9
15. पाल निठाउवा	3
16. रामगढ़	27
17. पुजंपुर	51
18. कनबा	103
19. गामडी आहडा	51
20. चुण्डावाड़ा	128
21. बोखलापाल	—
22. बिछिवाड़ा	131
23. देवल	128
24. विकास नगर	126
25. गन्दवापाल	110
26. करावाडा	119
27. ओबरी	46
28. जेठाना	12
29. ठाकरडा	33
30. गडवा	9
31. मासोर	87
32. भीलूडा	43
33. वरदा	57
34. सरोदा	49
35. घाटा का गांव	45
36. दुआं	108
37. चिकाली	179
38. चितरी	27
39. धम्बोला	65
40. पीठ	44
41. नादिया	37
42. रास्तापाल	104
43. सुराता	48
44. भलाप	69
योग :-	2573

ह०
जिला शिक्षा अधिकारी
डूंगरपुर

उ॰प्रा. वि॰ सूची

क्र॰सं॰ विद्यालय	कक्षा 6 से 8
43. डूंगरपुर नं.–1	40
44. डूंगरपुर नं.–2	129
45. डूंगरपुर नं.–4	9
46. डूंगरपुर नं.–5	59
47. डूंगरपुर नं.–6	70
48. सागवाड़ा नं.–1	40
49. सागवाड़ा नं.–2	90
50. सागवाड़ा नं.–3	27
51. सागवाड़ा नं.–4	65
मान्यता प्राप्त :—	
52. स. अ. 'म'. डूंगरपुर	15
53 सन्तपेट्रिक डूंगरपुर	67
54. सेविधा डूंगरपुर	–
55. सेविधा सागवाड़ा	–
उ. प्रा वि. प. स. डूंगरपुर :	
56. आसेला	79
57. ओंउदाड़िया	50
58. कोलखाण्डा	69
59. कोडा इडवासा	66
60. गुडा मीरेया	79
61. डोगवर	107
62. नरणिया	84
63. पालकी सखण्डा	110
64. बिलडो	99
65. बाल मान्डव	85
66. भीन्डा	119
67. माथुगामड़ा खास	78
68 माथुगामड़ापाल	90
69. रघुनाथपुरा	104
70. बसी खास	49
71. बसी पाल	59
72. सासरपुर	105
73. नया गांव	117
74. हथाई	30
75. हिराता	169
प. स. आसपुर :	
76. इन्दोड़ा	76
77. कतिसोर	16
78. कावजा	16
79. साखंल	35
80. खेड़ा सामोर	25
81. गोल	17
82. देवसा	56
83. पचवासा छोटा	4
84. पारडा इटिवार	14
85. पाल निवाडवा	36
86. पिन्डावल	22
87. वड़ोदा	11
88. वोड़िगामा	4
89. भेमरेड	41
90 माल	33
91. मूगेड	66
92. रायकरे	112
93. रोधां	142
94. लोसवासा	26
प. स. विछिवाड़ा :	
95. सामनिरा	108

क्र०सं	विद्यालय	कक्षा 6 से 8
96.	ओडा बड़ा	56
97.	गामड़ा देवल	82
98.	सामली पास	117
99.	गैलो	99
100.	गलन्दर	190
101.	थूवरा	80
102.	तलैया	288
103.	थाना	76
104.	नवल श्याम	28
105.	वसवाड़ा	92
106.	मांडा	63
107.	मेवाड़ा	137
108.	सावली	84
109.	शिशोद	138
110.	बागदरी	158
	प. स. सागवाड़ा :	
111.	अम्बाड़ा	102
112.	करियाणा	26
113.	कोकापुर	12
114.	खलगदा	56
115.	गामड़ा ब्रा०	91
116.	गोवाड़ी	12
117.	घोटाद	33
118.	भीमपुर	18
119	टामडिया	61
120.	डेचा	82
121.	दीवड़ा बड़ा	22
122.	दीवड़ा छोटा	42
123.	नन्दोड़	13
124.	पादरड़ी बड़ी	58
125.	पादरा	45
126.	खुचिया बड़ा	62
127.	मान्डव	63
128.	वगेरी	56
129.	सामलिया	28
130.	वरबुदनिया	63
131.	कराड़ा	19
	प. स. सोमलवाड़ा :	
132.	भरियता	38
133.	चाड़ोली	130
134.	जसेला	89
135.	भीसावा	117
136.	डूंका	110
137.	डूंडरिया	40
138.	दरियाटी	108
139.	बड़गाना	145
140.	वोडमलो	217
141.	वासिया	84
142.	भीमई	41
143.	मन्डली	42
144.	रामसोर	–
145.	रातड़िया	63
146.	वेडसा	69
147.	सरथुना	71
148.	सिलोही	11
149.	सौथल	111
	कुल :	7126

जनजाति क्षेत्र (आबू रोड) अन्तर्गत अध्ययनरत जनजाति के छात्रों की कक्षावार एवं विद्यालयवार सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कक्षावार सं. कक्षा 6	7	8	9	10	11	योग
1.	रा० उ० मा० विद्यालय आबूरोड	–	4	2	10	6	3	—25
2.	रा० उ० मा० विद्यालय आबूपर्वत	20	11	12	5	8	5	—61
3.	रा० मा० विद्यालय ओर	14	5	1	1	1	–	– 22
4.	रा० मा० विद्यालय सांपुर	2	2	1	11	–	–	—16
5.	रा० मा० विद्यालय किवरली	2	–	1	1	1	–	— 5
6.	रा० मा० विद्यालय (वालिका) आबूपर्वत	–	–		3	–	–	3
7.	वैदिक कन्या मा० विद्यालय आबूरोड	–	–	1	–	–	–	— 1
8.	रा० उ० मा० विद्यालय गिरवर	3	5	1	–	–	–	9
9.	रा० उ० मा० विद्यालय तरतोली	3	2	–	–	–	–	5
10.	रा० उ० मा० विद्यालय आकराभट्टा	16	13	9	–	–	–	38
11.	रा० उ० मा० विद्यालय मूंगथला	7	6	1	–	–	–	14
12.	रा० उ० मा० विद्यालय मावल	1	–	–	–	–	–	1
13.	रा० उ० मा० विद्यालय गांधीनगर	7	3	4	–	–	–	14
14.	रा० उ० मा० विद्यालय आबूरोड	8	1	4	–	–	–	13
	योग :—	83	52	37	31	16	8	27

जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही
सिरोही

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर राजस्थान

नाम विद्यालय	छात्र	छात्रा अनु०जनजाति	योग	नाम विद्यालय	छात्र	छात्रा अनु०जनजाति	योग
1. उ.मा.वि. कंवरपदा	18	–	18	2. गु.गो.सि. उ०मा०वि०	55	–	55
3. ,, नाथद्वारा	2	–	2	4. उ.मा.वि. कुरावड	28	–	28
5. ,, बम्बोरा	9	–	9				
6. ,, देलवाड़ा	39	–	39	6. ,, गोगुन्दा	29	–	29
7. ,, खेरवाड़ा	229	–	229	8. ,, ऋषभदेव	225	–	225
9. ,, थरियापद	69	–	69	10. ,, मावली	30	–	30
11. ,, फलासिया	53	1	53	12. ,, चावण्ड	49	–	49
13. ,, वल्लभ नगर	04	–	04	14. ,, सलुम्बर	40	–	40
15. ,, भीण्डर	09	–	09	16. ,, फतह नगर	10	–	10
17. मा०वि० अम्बा माता	21	–	21	18. फतह मा० वि०	75	–	75
19. ,, सविना खेड़ा	26	–	26	20. मा० वि० धानमण्डी	20	–	20
21. ,, मॉडल	10	–	10	22. ,, देबारी	11	–	11
23. ,, प्रताप नगर	16	3	16	24. ,, भूपालपुरा	05	–	05
25. ,, बेदला	06	–	06	26. ,, भूवाणा	02	–	02
27. ,, मदार	04	–	04	28 ,, कटार	02	–	02
29. ,, कैलाशपुरी	09	–	09	30. ,, चेजा	0	–	04
31. ,, लोसिंग	02	–	02	32. ,, जावरमाईन्स	31	3	34
33. ,, नाई	33	–	33	34. ,, देबारी	04	–	04
35. ,, कानपुर	28	–	28	36. ,, लकड़वास	11	–	11
37. ,, बरापाल	70	–	70	38. ,, टिड़ी	08	4	112
39. ,, साकरोदा	16	–	16	40. ,, जगत	06	–	06
41. ,, पलाना	–	–	–	42. ,, घासा	–	–	–
43. ,, ईण्टाली	02	–	02	44. ,, सनवाड़	–	–	–
45. ,, धामला	09	–	09	46. ,, सालेरावला	01	–	01
47. ,, चन्द्रेसरा	–	–	–	48. ,, डोरोदा	12	–	12
49. ,, मेनार	–	–	–	50. ,, कोनड़	10	–	0
51. ,, रूड़ेड़ा	05	–	05	52. ,, मोडी	04	–	04
53. ,, बुधवास	08	–	08	54. ,, ईण्टालीखेड़ा	17	3	20

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
55. मा० वि.	गिगला	04	–	04	56. मा० वि.	भम्राना	32	–	32
57. ,,	वाछेड़ा फला	13	–	13	58. ,,	पारतोला	11	–	11
59. ,,	कुंए	06	–	06	60. ,,	मुंगाणा	22	–	22
61. ,,	तसाड़िया	29	–	29	62. ,,	खुंता	03	–	03
63. ,,	ओगणा	05	–	05	64. ,,	कोल्यारी	10	–	10
65. ,,	ओडा	16	–	16	66. ,,	वाघपुरा	21	1	22
67. ,,	बड़ा बाजार नाथद्वारा	03	–	03	68. ,,	कोठारिया	04	–	04
					69. ,,	खामनोर	01	–	01
70. ,,	सेमा	03	–	03	71. ,,	गांवगुडा	01	–	01
72. ,,	मालोर	–	–	–	73. ,,	सोया काखेड़ा	01	–	01
74. ,,	शिशोदा	–	–	–	75. ,,	बड़ा भाणजा	02	–	02
76. ,,	झाडोल	33	2	35	77. ,,	सेमारी	54	–	55
78. ,,	देवपुरा	31	–	31	79. ,,	सराड़ा	80	3	83
80. ,,	परसाद	24	3	27	81. ,,	बेजड़	04	–	04
82. ,,	टोकर	54	1	55	83. मा० वि०	सल्लोड़ा	07	–	07
84. ,,	अदवास	09	–	09	85. ,,	कोटड़ा	110	–	110
86. ,,	वास	–	–	–	87. ,,	कमोल	03	–	03
88. ,,	सायरा	01	–	01	89. ,,	नान्देशमा	06	–	06
90 ,,	[illegible]	155	11	166	92. ,,	जवास	53	5	58
91. ,,	नया गांव	92	8	100	94. ,,	बावलवाड़ा	91	1	92
93. ,,	कल्याणपुर	—	–	—	96. ,,	भाणदा	45	–	45
95. ,,	आडीवली	41	–	41	98. ,,	सेमल	03	–	03
97 ,,	सिसारमा	15	–	15	100. ,,	पाटिया	75	–	75
99. ,,	दरोली	02	–	02	102. ,,	मेरिया	05	–	05
101. ,,	भोपालपाल	14	2	16	104. ,,	भट्टयानीचौहट्टा (उदयपुर)	01	–	01
103. ,,	फलासिया	05	–	05					
105. ,,	खेमली	06	–	06	107. ,,	साकरोदा (मावली)	12	–	12
106. ,,	थांलया	–	–	–					

Page No. 284

(284)

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	उ.प्रा.वि. गुडली	01	–	01	2.	उ.प्रा.वि. वली	07	–	07
3.	,, तितरड़ी	07	–	07	4.	,, गिरवी(गिर्वा)	02	–	02
5.	,, भलो का गुड़ा	–	–	–	6.	,, प्रतापपुरा	26	2	28
7.	,, मटून	—	–	—	8.	,, कलड़वास	06	–	06
9.	,, बांरा	44	1	45	10.	,, भींतड़ाकला	02	–	02
11.	,, चणावदा	15	–	15	12.	,, जावर	29	3	32
13.	,, वेमला	05	–	05	14.	,, उमरेड़ा	19	–	19
15.	,, सरू	11	–	11	16.	,, पडुना	105	7	112
17.	,, कावा	07	7	07	18.	,, डोडावली	56	1	57
19.	,, वाटी	—	–	–	20.	,, नेडव	–	–	–
21.	,, कदवाल	01	–	01	22.	,, त्रावावली	–	–	–
23.	,, रामा	04	–	04	24.	,, थूर	03	–	03
25.	,, शोभागपुरा	08	–	08	26.	,, बड़ी	11	–	01
27.	,, घोडच	—	–	–	28.	,, भुवावा	07	–	07
29.	,, नेगड़िया	–	–	–	30.	,, इसवाल	01	–	1
31.	,, ढिकली	01	–	01	32.	,, बड़गांव	01	–	01
33.	,, तापेटिया	11	–	11	34.	,, गिरवीं	04	–	04
35.	,, कड़िया	03	–	03	36.	,, धार	–	–	–
37.	,, नवानिया	02	–	02	38.	,, करणपुर	04	–	04
39.	,, हिंसा	02	–	02	40.	,, खरनाण	–	–	–
41.	,, महाराज की खेड़ी	15	–	15	42.	,, नूंदा	09	–	09
					43	,, पागन्दा	12	–	12
44.	,, भटेवर	02	–	02	45.	,, माण्डा	07	–	07
46.	,, वाना	03	–	03	47.	,, मान की टून	–	–	0–
48.	,, केद रिया	01	–	01	49.	,, अमरपुरा	02	–	02
50.	,, सिहाड़	03	–	03	51.	,, निमडी	01	–	01
52.	,, कुण्डई	08	–	08	53.	,, बांगडा	–	–	0–
54.	,, माजावड़ा	–	–	–	55.	,, अड़िन्दा	–	–	0–
56.	,, थरियावद	–	–	–	57.	,, पारेल	16	–	0–
58.	,, बलिचा	04	–	04	59.	,, कालीभींत	06	–	06
60.	,, अगड़	07	–	07	61.	,, माण्डवी	01	–	01
62.	,, पीपलीया	09	–	09					

Page No. 285

(285)

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
63.	उप्रावि गोठड़ा	12	–	12	64.	उप्रावि केशदियाबाद	14	–	14
65.	,, लिम्बरवाड़ा	08	1	09	66.	,, मानपुर	–	–	–
67.	,, खाखड	01	–	10	68.	,, ब्राह्मणों का सेरवाड़ा	04	–	04
69.	,, मादड़ी	31	02	33					
70.	,, सड़ा	58	02	60	71.	,, मगवास	14	–	14
72.	,, गरणवास2	28	02	30	73.	,, थोबावाड़ा	04	–	04
74.	,, झाडोल	22	–	22	75.	,, बिछीवाड़ा	30	–	30
76.	,, गोराणा	06	–	06	77.	,, डैया	24	02	26
78.	,, नालवा	25	1	26	79.	,, केरेल	16	–	16
80.	,, बिकरनी	09	–	09	81.	,, मामेर	42	01	43
82.	,, मालवा का चोर	17	–	17	83.	,, पडावली	02	–	02
84	,, झेड़	21	–	21	85	,, साईडेम	08	–	08
86.	,, जुड़ा	–	–	–	87.	,, समीजा	–	–	–
88.	,, मादड़ा	–	–	–	89.	,, महाड़ी	02	01	03
90.	,, क्यारी	09	–	09	91.	,, बगडून्दा	03	–	03
92.	,, भानपुरा	–	–	–	93	,, करदा	02	–	02
94.	,, सेमड़	–	–	–	95.	,, जसवन्त गड़	02	–	02
69.	,, तरपाल	02	–	02	97.	,, पदराड़ा	–	–	–
98.	,, रावलीयां कलां	03	–	03	99.	,, ढोल	–	–	–
100.	,, ब्राह्मणों का कलवाना	01	–	01	101	,, छाती	02	–	02
					102.	,, पुनावली	02	–	02
103.	,, ओबरा	04	–	04	104.	,, ढिकोड़ा	02	–	02
105	,, गोगुन्दा	13	–	13	106.	,, वरवाड़ा	05	–	05
107	,, ढेलाना	98	04	102	108.	,, भूधर	35	–	35
109	,, सायोली	63	05	68	110.	,, बिलड़ा ग. महावत	64	–	64
111.	,, मसागों की ओबरी	68	15	85					
					112.	,, धाणा(खेर०)	16	01	17
113.	,, कानपुर कातर-वास	72	02	74	114.	,, कनबई	99	–	99
					115.	,, बरोठी ब्राह्मणान्	25	02	27
116.	,, कोजावाड़ा	32	–	32					
117.	,, घोडी	110	09	119	118.	,, सरेरा	61	02	63
119.	,, हुण्डगावाड़ा	14	04	18	120.	,, खांडी ओबरी	83	04	87

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
121.	उ.प्रा.वि. सुबेरी	38	02	40	122.	उ.प्रा.वि.कारछा	57	04	61
123.	,, करावाड़ा	16	–	16	124.	,, ऋषभदेव	113	02	115
125.	,, डेरा	53	06	69	126.	,, खैरवाड़ा छावनी	43	–	43
127.	,, बलिचा	45	01	46	128.	,, सागवाड़ा	–	–	–
129.	,, भाटिया कागर	59	11	70	130.	,, बड़गांव (सराड़ा)	–	–	–
131.	,, सगतड़ा	04	–	04	132.	,, रठोड़ा	18	–	18
133.	,, कुण्डा	11	–	11	134.	,, सुरखण्ड का खेड़ा	10	–	10
135	,, थाणा (सराड़ा)	08	–	08	136.	,, नईभर	01	–	01
137.	,, वीरपुरा	21	–	21	138.	,, बडावली	02	–	02
129.	,, महुवाड़ा	21	01	22	140.	,, काली घाटी	17	02	10
141.	,, डींगरी	09	–	09	142.	,, बलुग्रा	52	–	52
143.	,, सदकरी	27	02	29	144.	,, खरवड़	40	–	40
145.	,, नेवातलाई	40	01	41	146.	,, जावद	–	–	–
147.	,, नठारा	30	03	33	148.	,, बोरीपाल	08	–	08
149.	,, ढूंढिया	02	–	02	150.	,, फलीचड़ा	–	–	–
151.	,, भानबसोल	–	–	–	152.	,, नाहरमगरा	20	–	20
153.	,, गुडली	–	–	–	154.	,, डबोल	04	01	05
155.	,, सिन्दू	10	–	10	156.	,, ग्रातोलियों की मादड़ी	01	–	01
157.	,, बेवाना	02	–	02					
158.	,, खेमपुर	02	–	02	159.	,, जावड़	–	–	–
160.	,, नंगेड़ी	–	–	–	161.	,, मावली गांव	15	–	15
162.	,, बड़ा पलाना	0	–	01	163.	,, म'णा'ा वास	–	–	–
164.	,, वड़ गांव	–	–	–	165.	,, वारध लिया	–	–	–
166	,, वामनिया	02	–	02	167.	,, करावली	01	–	01
168.	,, उथरदा	06	–	06	169.	,, बम्मी	02	–	02
170	,, सराड़ी	03	–	03	171.	,, शेपपुर	04	–	04
172.	,, गुड़ेल	–	–	–	173.	,, खरका	10	–	10
174.	,, खेराड़	09	–	–	175.	,, गांवड़ा पाली	21	–	21
176.	,, ग्रोरवाडिया	03	–	03	177.	,, धनोड़ा	01	–	21
178.	,, डाल	04	–	04	179.	,, डगार	08	–	08
180.	,, जताना	–	–	–	181.	,, होड़ा	02	–	02

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
182.	उ.प्रा.वि. थड़ा	–	–	–	183.	उ.प्रा.वि. जाम्बुड़ा	03	–	03
184.	,, समोड़ा	16	–	16	185.	,, देवगांव	02	–	02
186.	,, करांकला	04	–	04	187.	,, नूली	–	–	–
188.	,, मोलेला	–	–	–	189.	,, कूंठवा	02	–	02
190.	,, नमाना	01	–	01	191.	,, करौली	–	–	–
192.	,, ऊपली ओडन	02	–	02	193.	,, मचीन्द	–	–	–
194.	,, सलोदा	03	–	03	195.	,, परावल	–	–	–
196.	,, ऊथनोल	–	–	–	197.	,, उनबास	–	–	–
198.	,, बामन हेड़ा	–	–	–	199.	,, पाखण्ड	01	–	01
200.	,, कोशीवाड़ा	–	–	–	201.	,, फतहपुर	–	–	–
202.	,, टांटोल	02	–	02	203.	,, बागोल	–	–	–
204.	,, कराई	12	–	12	205.	,, ब्रह्मपोल (उदय)	–	–	–
206.	,, सुन्दवास (उदयपुर)	04	–	04	207.	,, नानानगरी	02	–	02
208.	,, गोवर्धनविलास	02	–	02	209.	,, नावघाट	–	–	–
210.	,, किशनपोल	11	02	13	211.	,, पुराना स्टेशन	17	01	18
212.	,, सूरजपोल टेकरी	01	–	01	213.	,, आयड़	–	–	–
					214.	,, रेलवे ट्रनिंग स्कूल	06	–	06
215.	,, गणेशघाटी	03	–	03					
216.	,, बिलोचिस्तान कॉलोनी	02	–	02	217.	,, पानेरिया की मादड़ी	02	02	04
218.	,, रावजी का हाटा से०-11	–	–	–	219.	,, हिरणमगरी	02	–	02
					220.	,, गिरवरपोल	10	–	10
222.	,, रावलीपोल	02	–	02	221.	,, सुरजपोल भीण्डर	–	–	–
223.	,, नई हवेली नाथद्वारा	03	–	03	224.	,, सिहाड	06	–	06
225.	,, नाथूवास	08	01	09	226.	,, जोधनिवास संलु.	21	–	21
227.	,, गांधी चौक, सलु.	02	–	02					
		2707	105	2812			2879	62	2941

Page No. 288

(288)

जनजाति के उपयोजना क्षेत्र में अध्ययनरत जनजाति के बालकों का विवरण, छात्रवृत्ति विवरण
तारांकित प्रश्न सं० 235

क्र० सं०	नाम विद्यालय	जनजाति के अध्ययनरत बालक कक्षा 6	7	8	9	10	11	कक्षावार योग	जनजाति के बालकों ने जिन्होंने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया : कक्षा 6	7	8	9	10	11	योग	जिनकी छात्रवृत्ति चुकाई गई कक्षा 6	7	8	9	10	11	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	राज उ. मा. वि. प्रतापगढ़	–	–	23	47	26	10	106	—	—	—	3	1	1	5	–	–	–	3	1	1	5
2.	बिच्या मा० वि. प्रतापगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	राज. मा. वि. बरनोंद	12	14	8	6	5	6	51	5	5	3	6	5	3	27	5	5	3	6	5	3	27
4.	भ० प० प्रतापगढ़	–	–	1	2	1	–	04	–	–	–	2	1	–	3	–	–	–	2	1	–	3
5.	राज० मा० वि० दलोट	37	19	8	21	5	–	90	32	19	–	16	4	–	76	32	19	–	16	4	–	79
6.	रा० मा० वि० कुलदाना	10	16	3	5	1	–	25	10	6	3	5	1	–	25	10	6	3	5	1	–	25
7.	रा० मा० वि० घमसोर	9	6	1	5	2	–	23	9	6	1	5	1	–	23	9	6	1	5	2	–	23
8.	रा० मा० वि० कोरी	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	रा० मा० वि० बड़ा	2	1	1	1	–	–	5	2	1	1	1	–	–	5	2	1	1	1	–	–	5
10.	रा.उ.प्रा.वि. पार प्रतापगढ़	1	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1
11.	रा.उ.प्रा.वि. डोम प्रतापगढ़	5	5	5	–	–	–	13	3	1	1	–	–	–	7	3	1	3	–	–	–	7
12.	रा. उ. प्रा. वि. आलमगढ़	6	14	9	–	–	–	28	6	14	8	–	–	–	28	6	14	8	–	–	–	28
13.	रा. उ. प्रा. वि. कोटडी	18	3	2	–	–	–	23	17	3	2	–	–	–	22	17	3	2	–	–	–	22
14.	राज. उ. प्रा. वि. दुपना	3	3	2	–	–	–	8	2	3	2	–	–	–	7	2	3	2	–	–	–	7
15.	राज. प्रा. वि. थोर्डीलापसी	9	3	4	–	–	–	16	7	2	3	–	–	–	12	7	2	3	–	–	–	12
16.	राज. उ. प्रा. वि. पादली	4	2	5	–	–	–	11	4	2	5	–	–	–	11	4	2	5	–	–	–	11
17	राज. उ. प्रा. वि. निनोद	3	2	3	–	–	–	8	2	2	2	–	–	–	6	2	2	2	–	–	–	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.	राज. उ. प्रा. वि. नागोदी	10	10	15	–	–	–	35	6	9	16	–	–	–	31	6	9	16	–	–	–	31
19.	,, ,, वकूण्दी	9	7	5	–	–	–	21	9	7	4	–	–	–	20	9	7	4	–	–	–	20
20.	रा.उ.प्रा.वि. सालवसीथाना	1	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	2
21.	रा.उ.प्रा.वि. घोरिया दिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	रा.उ.प्रा.वि. गादेला	3	2	1	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	5
23.	,, ,, कुणी	3	2	–	–	–	–	5	3	2	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	5
24.	,, ,, रासमेयान्थ	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1
25.	,, ,, बारवारबा	24	4	2	–	–	–	30	19	4	2	–	–	–	25	19	4	2	–	–	–	25
26.	,, ,, खेरोठ	9	4	3	–	–	–	16	7	4	1	–	–	–	14	7	4	3	–	–	–	14
27.	,, ,, बरमण्डल	2	1	1	–	–	–	4	2	1	4	–	–	–	4	2	1	1	–	–	–	4
28.	,, ,, नवलेश्वर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	,, ,, सुहागपुर	44	20	9	–	–	–	73	42	20	9	–	–	–	71	42	20	9	–	–	–	71
30.	,, ,, देवगढ़	13	9	13	–	–	–	35	13	9	12	–	–	–	34	13	9	12	–	–	–	34
31.	,, ,, बम्बोर	8	10	3	–	–	–	21	7	10	3	–	–	–	20	7	10	3	–	–	–	20
32.	,, ,, गेयर	3	7	3	–	–	–	13	3	6	2	–	–	–	11	3	6	2	–	–	–	11
33.	,, ,, पानमोडी	4	1	–	–	–	–	5	4	1	–	–	–	–	5	4	1	–	–	–	–	5
34.	राज.उ.प्रा.वि. जमदाविद	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
35.	,, ,, बासडः	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
36.	,, ,, बासडी	4	1	–	–	–	–	5	4	1	–	–	–	–	5	4	1	–	–	–	–	5
37.	,, ,, मर्राडया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38.	,, ,, रठाजना	1	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	2
39.	,, ,, पीलू	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
40.	,, ,, डाबडा	4	2	–	–	–	–	6	4	2	–	–	–	–	6	4	2	–	–	–	–	6

Page No. 290

(290)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41.	रा.उ.प्रा.वि. नई नट तापगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42.	,, ,, नरवोदिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43.	,, ,, प्रतापगढ़	–	–	–	3	1	–	4	–	–	–	3	1	–	4	–	–	–	3	1	–	4
	योग	260	161	131	91	41	16	700	225	139	95	41	15	4	519	225	139	95	41	15	4	519

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (समाज कल्याण विभाग के माध्यम से) प्लान मद 39,300 रुपये स्वीकृत कुल 59,300 रुपये स्वीकृत ।
दो माह का राशि खर्च 7780–00 रुपये । नोन प्लान मद 20,000 रुपये स्वीकृत

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, बांसवाड़ा (राजस्थान)

प्रश्न संख्या 235 की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	विद्यालय में जनजाति के कक्षा 6 से 11 तक छात्र/छात्रों की संख्या	छात्रवृति हेतु आवेदन देने वाले छात्रों की संख्या	कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गई	छात्रवृति नहीं मिलने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	उ.मा.वि. नूतन बांसवाड़ा	59	59	59	शत प्रतिशत दी गई।
2.	नगर उ. मा. वि बांसवाड़ा	195	126	126	अनुतीर्ण होने वाले छात्रों को नहीं दी गई।
3.	उ.मा.वि. खान्द	72	49	49	अनुतीर्ण छात्र एवं छात्रावासी छात्राओं को नहीं दी गई।
4.	„ जोलाना	206	145	145	„ „
5.	„ लोहारिया	64	29	29	„ „
6.	„ गढी	142	109	149	„ „
7.	„ घाटोल	143	102	102	„ „
8.	„ कुशलगढ़	196	150	150	„ „
9.	„ बागीदौरा	136	94	94	„ „
10	„ बालिका बांसवाडा	16	8	8	„ „
11	„ मा० वि० तलवाडा	39	36	36	अनुतीर्ण होने वाले छात्रों को नहीं दी गई।

1	2	3	4	5	6
12	मा.वि माहोडेम	40	34	34	अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को नहीं दी गई।
13	,, कूषड़ा	66	53	53	,, ,,
14	,, चिड़िगवाला	96	80	80	,, ,,
15.	,, पालोदा	26	19	19	,, ,,
16.	,, खोड़न	50	22	22	,, ,,
17.	,, सरेड़ी बड़ी	38	28	28	अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को नहीं दी गई
18.	,, अरथूना	112	57	57	एवं छात्रावासी छात्रों को नहीं दी गई।
19.	,, पुरतापुर	14	8	8	,, ,,
20.	,, बोरी	93	42	42	,, ,,
21.	,, आंजना	28	27	27	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
22.	,, डडूका	36	34	34	,, ,,
23.	,, मो. का गढ़ा	69	49	49	,, ,,
24.	,, भोमपुर	29	22	22	,, ,,
25.	,, मंगड़ा	70	15	15	अनुत्तीर्ण एवं छात्रावासी को नहीं दी गई।
26.	,, नरबालो	96	81	81	अनुत्तीर्ण को नहीं दी।
27.	,, मोटागांव	35	32	32	,, ,,
28.	,, बडोला राठोर	70	57	57	,, ,,
29.	,, खमेरा	111	52	52	
30.	,, देवदा	141	60	60	

1	2	3	4	5	6
31.	मा. वि. मुन्डासोल	72	45	45	अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को नहीं दी गई।
32.	„ दानपुर	96	42	42	„ „
33.	„ घन्टालो	228	140	140	„ „
34.	„ छोटी सरवा	62	52	52	„ „
35.	„ सज्जनगढ़	167	67	67	अनुत्तीर्ण एवं छात्रावासी छात्रों को नहीं दी गई।
36.	„ छोटाडूंगरा	127	95	95	अनुत्तीर्ण को नहीं दी।
37.	„ ताम्बेलरा	107	90	90	„ „
38.	„ बडोदिया	73	54	54	„ „
39.	„ छोच	45	42	42	„ „
40.	„ नोगाना	78	63	63	„ „
41.	„ कलिजरा	165	47	47	अनुत्तीर्ण एवं छात्रावासी को नहीं दी गई।
42.	„ गांगडतलाई	105	96	96	अनुत्तीर्ण को नही दी।
43.	„ सल्लोपाट	45	31	31	„ „
44.	„ चांदरवाडा	141	90	90	अनुत्तीर्ण एवं छात्रावासी को नहीं दी गई।
45.	„ आनन्दपुरी	284	202	202	„ „
46.	बा.मा.वि कुशलगढ़	6	4	4	अनुत्तीर्ण को नहीं दी।
47.	„ परतापुर	–	–	–	„ „
48.	„ बागोदोरा	2	2	2	„ „
49.	„ घाटोल	–	–	–	– –
	योग	4091	2781	2781	

1	2	3	4	5	6
1.	उ.प्रा.वि. पृथ्वीगंज	3	3	3	शत प्रनिशत को दी गई ।
2.	,, कुशलबाग	35	35	35	अनुत्तीर्ण होने से नहीं दी गई ।
3.	,, कन्धारवाडी	3	2	2	,, ,,
4.	,, बौदिच्यवाडा	7	4	4	,, ,,
5.	,, वोसवालवाडा	3	2	2	,, ,,
6.	,, नागरवाड़ा	–	–	–	– –
7.	,, मोहनकोलोनी	31	23	23	,, ,,
8.	,, नई आबादी	39	32	32	,, ,,
9.	,, सूरजपोल	13	11	11	,, ,,
10.	,, कालिकामाता	23	17	17	,, ,,
11.	,, प्रथम कुशलगढ़	28	28	28	शत प्रतिशत को दी गई ।
12.	,, नवीन कुशलगढ़	37	24	24	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई ।
13.	,, सुरबानिया	19	18	18	,, ,,
14.	,, नया गांव	50	41	41	,, ,,
15.	,, ठिकरियां	15	13	13	,, ,,
16.	,, सुरपुर	20	18	18	,, ,,
17.	,, कोहाला	16	15	15	,, ,,
18.	,, कुण्डला	33	33	33	शत प्रतिशत को दी गई ।
19.	,, सुन्दनपुर	13	13	13	

1	2		3	4	5	6
20.	उ. प्रा. वि.	टामटिया अड़ा	11	10	10	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
21.	,,	तेजपुर	45	42	42	,, ,,
22.	,,	सालिया	17	16	16	,, ,,
23.	,,	खान्दू	18	17	17	,, ,,
24.	बा. ,,	खान्दू	4	3	3	,, ,,
25.	,,	नल्दा	37	35	35	,, ,,
26.	,,	तलवाड़ा	50	42	42	,, ,,
27.	,,	सोमापुर	13	10	10	,, ,,
28.	उ. प्रा. वि.	चलकिया	14	14	14	शत प्रतिशत को दी गई।
29.	,,	सामरियां	38	31	31	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
30.	,,	खाटवाडा ([illegible]वाडा)	28	27	27	,, ,,
31.	,,	मेतवाल।	1	1	1	शत प्रतिशत को दी गई।
32.	,,	आसोड़ा	16	15	15	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
33.	,,	रेयाना	10	9	9	,, ,,
34.	,,	कोटड़ा	39	31	31	,, ,,
35.	,,	म.गा.परतापुर	39	11	11	,, ,,
36.	,,	पांचवाड़ा	33	31	31	,, ,,
37.	,,	आमजा	29	27	27	,, ,,
38.	,,	मोटो बस्ती	36	31	31	,, ,,

1	2		3	4	5	6
39.	उ. प्रा. वि.	खेड़ा	9	9	9	शत प्रतिशत को दी।
40.	,,	बजवाना	49	32	32	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
41.	,,	बालन	11	10	10	,, ,,
42.	,,	रोहीड़ा	23	20	20	,, ,,
43.	,,	नाहली	41	39	39	,, ,,
44.	,,	भीमसौर	23	23	23	शत प्रनिशत को दी गई।
45.	,,	मादल्दा	17	16	16	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
46.	,,	परतापुर	14	12	12	,, ,,
47.	,,	मौर	4	3	3	,, ,,
48.	,,	हीम्मत गढ़ी	21	21	21	शत प्रततिश को दी गई
39.	,,	सून्दणो	15	14	14	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
50.	,,	भड़स	15	14	14	,, ,,
51.	,,	बिलोदा	5	4	4	,, ,,
52.	,,	टामटिया राठोर	60	54	54	,, ,,
53.	,,	अडोर	54	24	24	,, ,,
54.	,,	ओडवाड़ा	50	49	49	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
55.	,,	गानोडा	21	17	17	,, ,,
56.	,,	भगोरा	2	—	—	,, ,,
57.	,,	चन्दूजी का गढ़ा	29	25	25	,, ,,

1	2	3	4	5	6
58.	उ. प्रा. वि. देलवाड़ा	47	47	47	शत प्रतिशत को दी गई।
59.	,, मन्डेलापाड़ा	13	12	12	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
60.	,, बस्सीवाड़ा	10	10	10	शत प्रतिशत को दी गई।
61.	,, बड़ी पडाले	24	18	18	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
62.	,, सेनावासा	53	46	46	,, ,,
63.	,, डूंगरिया	47	43	43	,, ,,
64.	,, बामनपारड़ा	47	42	42	,, ,,
65.	,, खेरवा	45	43	43	,, ,,
66.	,, मोटाटाण्डा	1	1	1	शत प्रतिशत को दी गई।
67.	,, बड़लिया	7	6	6	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
68.	,, अमर सिंह का गढ़ा	37	20	20	,, ,,
69.	,, ला.ब.घाटोल	30	20	20	,, ,,
70.	,, पडोला गोर्धन	30	27	27	,, ,,
71.	,, बड़ाना	23	22	22	,, ,,
72.	,, जगपुरा	12	12	12	शत प्रतिशत को दी गई।
73.	,, बाड़गुन	35	30	30	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
74.	,, अमरथन	32	32	32	शत प्रतिशत को दी गई।
75.	,, दूकवाड़ा	—	—	—	— —
76.	,, पांचलवासा	14	14	14	शत प्रतिशत को दी गई।

1		2	3	4	5	6
77.	उ. प्रा. वि.	छोटीसरबन	100	१5	15	अनुत्तीर्ण एवं छात्रावासी को नहीं दी गई।
78.	,, ,,	पीपलखूंट	25	23	23	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
79.	,, ,,	खेमलीकी	26	22	22	,, ,,
80.	,, ,,	घोडीतेजपुर	18	18	18	शत प्रतिशत दी गई।
81.	,, ,,	दनाक्षर्री	9	9	9	,, ,,
82.	,, ,,	नापला	17	16	16	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
83.	,, ,,	बोरी	27	26	26	,, ,,
84.	,, ,,	केफर	19	18	18	,, ,,
85.	,, ,,	डूंगलावानी	20	19	19	,, ,,
86.	,, ,,	बड़वास	27	21	21	,, ,,
87.	,, ,,	बड़ी सरवा	12	8	8	,, ,,
88.	,, ,,	ग्रोंकाला	37	29	29	,, ,,
89.	,, ,,	लोहारिया	44	42	42	,, ,,
90.	,, ,,	मोहकमपुर	13	9	9	,, ,,
91.	,, ,,	रामगढ	62	49	49	,, ,,
92.	,, ,,	टिमेडा बड़ा	69	67	67	,, ,,
93.	,, ,,	ग्रखेपुर	25	21	21	,, ,,

1	2	3	4	5	6
94. उ.मा.वि.	कोटाडा राणना	32	32	32	शत प्रतिशत दी गई।
95. ,, ,,	कन्सारथाड़ी	39	36	36	अनुत्तीर्णों को नहीं दी गई।
96. ,, ,,	मछारासांथ	23	19	19	,, ,,
97. ,, ,,	सागवा	38	30	30	,, ,,
98. ,, ,,	सत्तरवाड़ा	38	35	35	,, ,,
99. ,, ,,	डूंगराबड़ा	—	—	—	,, ,,
100. ,, ,,	बावड़ीपाड़ा	9	8	8	,, ,,
101. ,, ,,	लसोड़िया	37	35	35	,, ,,
102. ,, ,,	चोकला	16	13	13	,, ,,
		790	620	620	
103. ,, ,,	करणी	59	35	35	अनुत्तीर्णों को नहीं दी गई।
104. ,, ,,	टिम्बो	26	23	23	,, ,,
105. ,, ,,	नागावाड़ा	24	24	24	शत प्रतिशत दी गई।
106. ,, ,,	शेरगढ़	39	38	38	अनुत्तीर्णों को नहीं दी गई।
107. ,, ,,	बोडगामा	16	14	14	,, ,,
108. ,, ,,	राखी	28	22	22	,, ,,

1	2	3	4	5	6
109. उ. प्रा. वि.	लनकाई	25	20	20	,,
110. ,, ,,	घासला	8	7	7	,,
111. ,, ,,	सुभाला	16	16	16	शत प्रतिशत को दी गई।
112. ,, ,,	बागडोरा	25	21	21	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई
113. ,, ,,	पिण्डारमा	10	10	10	शत प्रतिशत को दी गई।
114. ,, ,,	घठाऊला	7	7	7	,,
115. ,, ,,	रोहनवाड़ी	23	23	23	,,
116. ,, ,,	हाण्डी	17	14	14	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
117. ,, ,,	खोडालीम	28	28	28	शत प्रतिशत दी गई।
118. ,, ,,	लांथा	74	60	60	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
119. ,, ,,	मडगोला	54	30	30	,,
120. ,, ,,	कलबा	53	43	43	,,
121. ,, ,,	नाहरपुरा	87	66	66	,,
122. ,, ,,	मूलेर	44	42	42	,,
123. ,, ,,	बरेठ	54	52	52	,,
124. ,, ,,	बडलिया	68	64	64	,,
124. ,, ,,	उदयपुरा	49	48	48	,,
126. ,, ,,	थापडा	26	24	24	,,

1	2	3	4	5	6
127. उ. प्रा. वि.	डोकर	31	23	23	अनुत्तीर्ण को नहीं दी है।
128. ,, ,,	सन्दोव	15	—	—	,,
129. ,, ,,	बा० नागरवाड़ा	—	–	–	अनुत्तीर्ण को नहीं दी गई।
130. ,, ,,	बा० वोरी	4	3	3	शत प्रतिशत दी गई।
131. ,, ,,	बड़ोदिया	1	1	1	
	योग	3504	2944	2944	

नोटः—उपरोक्त छात्रों को जुलाई, 80 से फरवरी, 81 तक के मुगतान के लिए 6,47,020.00 की रकम खर्च की गई।

302

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 302 की सूची)

सन् 1975-76 में अल्प भाषायी अध्यापकों के आवंटित पदों का विवरण

क्रम. सं. 1	जि. शि. अ. 2	(छात्र/छात्रा) 3	आवंटित पद 4
1.	जि. शि. अ. (छात्र)	अजमेर	51
2.	,, ,,	गंगानगर	58
3.	,, ,,	जयपुर प्रथम	24
4.	,, ,,	जयपुर द्वितीय	20
5.	,, ,,	चूरू	20
6.	,, ,,	झुन्झुनू	20
7.	,, ,,	टोंक	40
8.	,, ,,	झालावाड़	10
9.	,, ,,	सिरोही	01
10.	,, ,,	भीलवाड़ा	10
11.	,, ,,	भरतपुर	06
12.	,, ,,	नागौर	11
13.	,, ,,	अलवर	27
14.	,, ,,	जोधपुर	30
15.	,, ,,	कोटा	31
16.	,, ,,	करोली	06
17.	,, ,,	पार्ली	01
18.	,, ,,	चित्तौड़गढ़	07
19.	,, ,,	उदयपुर	43
20.	,, ,,	बीकानेर	10
21.	,, ,,	सीकर	05
22.	,, ,,	बून्दी	03
23.	जि. शि. अ. (छात्रा)	कोटा	13
24.	,, ,,	अजमेर	10
25.	,, ,,	बीकानेर	06
26.	वि. उप जि.शि.अ.	ब्यावर	16
27.	,, ,,	सवाई माधोपुर	07
28.	,, ,,	धौलपुर	01
29.	जि. उप. शि. अ. (छात्रा)	उदयपुर	01
30.	,, ,,	जयपुर	15
31.	,, ,,	झालावाड़	01
32.	,, ,,	गंगानगर	05
33.	,, ,,	सीकर	01
			500

Appendix 'A'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
EDUCATION (GR. I) DEPARTMENT

The Director,
Primary & Secondary Education,
Rajasthan, Bikaner.

No. F. 9 (10) Edu/Gr./75 Dated 17th May, 1975.

Sub:—Creation of posts and incurring of expenditure during 1975-76.

I am directed to convey sanction of the Governor to incur an expenditure not exceeding to Rs. 74·10 lacs (Seventy four lacs and ten thousand) only and to the creation of posts for the offices/institutions as detailed in the enclosed appendixes B to S, on temporary basis for a period of one year with effect from the date they are filled in upto 29.2.76.

The qualifications and other conditions for these posts shall be as laid down in the respective Service Rules already promulgated.

The expenditure will be chargeable to the budget head shown in the said appendixes.

This issues with condcurrence of Finance Department vide their memo No. 7.7 (5) FD/E xp-I/75/480 dated 2.4.75.

Yours faithfully,
Sd/-
(Lalit Kishore)
Officer on Special Duty.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. F.D. Expenditure I with one spare copy.
2. The Planning Department.
3. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Education Gr. II/A.A.U. Guard File.

Officer on Special Duty.

Dheer

Appendix 'B'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

EDUCATION DEPARTMENT

Name of Scheme:—	Upgrading of Primary Schools to Upper Primary Schools and addition of Classes (Boys Schools).
Provision earmarked :	Rs. 49·41 lakhs.
Chargeable head :—	277—Education–A—Primary–(a) Govt. Primary Schools— 1. Upper Primary School for Boys. (1) Regular Boys schools (Plan Expenditure.)

Details of Posts And Other Expenditure

S. No.		No of Post	Scale No.	Provision 1975–76 (7 months) (1.8.74)
	Salaries–			
1.	**(II) Pay of Establishment** Third grade teachers on addition of class VIII to 1175 Schools raised in 1973–74.	1836	(7)	17,35,000
	Third grade teachers on addition of Class VII to 403 Schools raised during 1974–75 @Rs. 135/- P.m.		Total (II)	17,35,000

(III) Allowances & Honoraria

Dearness allowance—		
1837 (98)		12,59,000
Adhcc relief–1836 (38)		4,88,000
Headmaster allowance @ 10/–p.m. to 1179 schools raised in 1973–74 on addition of class VIII		83,000
Additional Dearness Allowance		
(i) Cash Payment		7,66,300
(ii) Suspense.		69,700
	Total (III)	26,66,000
	Total (I)	44,01,000
2. Travel Expenses.		1,74,000
3. Medical Charges		1,83,000
6. Machinery and equipment/		Non-Rec.
Tools and Plant. (Equipment and apparatus for 1282 schools).		1,83,000
Total	47,58,004	1,83,000
Grand Total	49,41,000	

306

Appendix 'C'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme :	Upgrading of Primary Schools to Upper Primary Schools and Addition of Classes (Girls Schools)
Provision earmarked :—	Rs :—40 lacs
Chargeable Head :—	277—Education—A—Primary— (a) Govt. Primary School. I. Upper Primary School for Girls. II. Regular Girls Schools (Plan Expenditure).

Detail Of Posts And Other Expenditure

S. No.	No. of Posts	Scale No.	Provision 1975-76
			(7 months) 1.8.74
1. Salaries			
(II) Pay of Establishment			
Third grade teachers on addition of class VIII to 179 schools raised in 1973-74. Third grade teachers on addition of Class VII to 7 Schools raised in 1974-75 @ 140/- p.m.	270	(7)	2,65,000/-
		Total (II)	2,65,000/-

Page No. 307

307

(III) Allowacce & Honraria–

Dearness allowance			
270 (98)		1,85,200	
Adhoc relief–270 (98)		71,800	
Headmaster allowance		12,000	
@ 10/-p.m. to 179			
schools raised in 1973–74.			
Additional Dearness Allowance			
(i) Cash payment.		1,14,580	
(ii) Suspense.		10,420	
	Total (III)	3,94,400	
	Total (I)	6,59.000	
2. Travel Expenses.		27,000	
3. Medical Charges.		27.000	
7. Machinery and equipment/			Non-Rec
Tools & Plant–			27,000
(Equipment and aqparatus)			
	Total	7,13,000	27,000
	Grand Total	7,40,000	

308

Appendix 'D'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of scheme :—Upgrading of Primary Schools to Upper Primary Schools and Addition of Classes in Tribal Area.

Provision earmarked :—Rs. 4.91 lacs.

Chargeable Head :— 288–Social Security and welfare—

(E) Welfare of other+Backward Classes.

1. Education—

(V) Running of various schools through the age of Director, Primary and Secondary Education.

(3) Upper Primary Schools for Boys.

Details of Posts and other Expenditure

S.No.		No. of Posts	Scale No.	Provision (1975–76)
				1.8.75
1.	Salaries			
(II)	**Pay of Establishment**			
	Third grade teachers on addition of Class VIII to 120 schools raised in 73–74 @ 11/2 teacher per school @ 140/–p.m.	180	(7)	1,76,000
	Total : (II)			1,76,000

(III) **Allowances & Honoraria**

Dearness allowance– 180(98)		1,23000
Adhoc Relief–180(38)		47,000
Headmaster allowance @ Rs. 10/–p.m. to 120 schools raised in 73–74		8,000
Additional Dearness Allowance		
(i) Cash		76,000
(ii) Suspenses.		7,000
	Total :–(III)	2,61,000
	Total :–(I)	4,37,000

2.	Travel expenses.		18,000
3.	Medical charge.		18,000
5.	Machinery & equipments/ Tools and Plants— Equipment and apparatus		Non-Rec. 18,000
	Total	4,73,000	18,000
	Grand Total	4,91,000	

(310)

Appendix 'E'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of scheme : Upgrading of Primary School to Upper Primary Schools and Addition of Classes in Tribal Areas.

Provision earmarked : Rs. 0.37 lacs.

Chargeable Head : 288–Social Security and Welfare—

(E) Welfare of other Backward Classes–

1. Education–

(V) Running of various schools through the agency of Director, Primary and Secondary education.

(4) Upper Primary Schools for Girls.

Details of Posts and other Expenditure

S.No.		No. of Posts	Scale No.	Provision 1975–76
				(1.8.75)
1.	**Salaries**			
	(II) Pay of Establishment			
	Third grade teachers on addition of Class VIII to schools raised in 73–74 @ 1 1 · ?– teachers for 9 school @ 140/– p.m.	14	(7)	13,700
			Total (II)	13,700

(III) Allowances & Honoraria

Dearness allowance 14 (98)		9,600
Adhoc relief 14 (38)		3,100
Headmaster allowance @ 10/- p.m. to 9 schools raised in 1972-73.		600

Additional Dearnaas Allowauce

(i)	Cash Payment		5,500
(ii)	Suspense		500
		Total (III)	19,000
		Total (I)	33,000

2.	Travel expenses.	2,000	
3.	Medical Charges.	1.000	
5.	Machinery & equipment	Non-Rec.	
		1,000	

Tools and Plant

Equipment and apparatus.			
	Total	36,000	1,000
	Grand Total	37,000	

(3R)

Appendix 'F'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of scheme :— Upgrading of Primary Schools to Upper Primary Schools and Addition of Classes (in Rajasthan Canal Area).

Provision earmarked :— Rs. 0.37 lac.

Chargeable Head :— 308–Area Development (a) Ayacut Development Rajasthan Canal Area through the agency of Director Primary and Secondary Education.

(V) Upper Primary Schools for Boys (Plan Expr.)

Details of Posts and other Expenditure

S.No.		No. of Posts	Scale No.	Provision 1975–76
				1.8.75
1.	**Salaries**			
(II)	**Pay of Establishment**			
	Third grade teachers on addition of class VIII to 9 schools raised in 1973–74 @ 1½ teachers @ Rs. 140/– p.m.	14	(7)	13,700

3B

(III) Allowances & Honoraria

Dearness allowance—14(98)		9,600
Adhoc relief 14(38)		3,100
Headmasters allowance @ Rs. 10/- p.m. to 9 schools raised in 1973-74		600
Additional Dearness allowance		
(i) Cash payment		5,500
(ii) Suspense		500
	Total III	19,300
	Total I	33,000

2. Travel Expenses.		2,000	
3. Medical charges.		1,000	
5. Machinery & equipment			
Tools & Plant			Non-Rec.
Equipment & Apparatus			1,000
	Total (1 to 5)	36,000	1,000
	Grand Total	37,000	

r

Appendix 'G'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

EDUCATION OF DEPARTMENT

Name of scheme :— Upgrading of Primary Schools to Upper Primary Schools and Addition of classes in Rajasthan Canal area.

Provision earmarked :— Rs. 0·16 lac.

Chargeable Head :— 308–Area Development (a) Ayacut Development IV Development of Rajasthan canal Area--
(vi) Upper Primary Schools for Girls (7 months).

Details of Posts and other Expenditure

S.No.	No. of Posts	Scale No.	Provision 1975–76
1. **Salaries**			
(II) **Pay of Establishment**			
Third grade teachers on addition of class VIII to Schools raised in 73–74 @ 1½ teachers for 4 Schools @ 140/-p.m.	6	(7)	5,400
		Total (II)	5,400

(III) Allowances & Honoraria

Dearness allowances-6(98)		4,000	
Adhoc Relief 6(38)		1,500	
Headmaster allowance			
@ 10/-p.m. to 4 schools raised in 73-74		300	
Additional Dearness Allowance			
(i) Cash payment		2,550	
(ii) Suspense		250	
	Total (III)	8,600	
	Total (I)	14,000	
2. Travel Expenses.		1,000	
5. Machinery & Equipment			
Tools & Plants			Non-Rec.
Equipment and apparatus			1,000
	Total	15,000	1,000
	Grand Total	16,000	

(316)

Appendix 'H'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme :—	Art and culture (2) Improvement of existing libraries.
Provision earmarked :—	Rs. 1·50 lacs.
Chargeable Head :—	278 Art and Culture (e) Public libraries.

Detail of Posts And Other Expenditure

S. No.	No. of posts	Scale No.	Provision 1975-1976 non-recurring.
10. Machinery and equipment./ **Tools and Plants**			
Furniture and equipment			
(i) Divisional Libraries $4 \times 4,000 = 0·16$			78,000
(ii) District Libraries $24 \times 2,000 = 0·48$			
(iii) Teh. Libraries $9 \times 1,500 = 0·14$			

11. Material and Supplies	
Library Accessories & Binding	62,000
12. Payment for professional and special services. (Library seminars and work-shops).	10,000
Total	1,50,000

318

Appendex 'I'

GOVRENMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme :-	3. Govt. Sec. Schools
Provision earmarked :—	Rs. 0·33 lacs
Chargeable Head	277-Education B, Secondary (c) Govt. Secondary Schools (I) Boys Schools (Plan Expenditure)

Details of Posts And Other Expenditure

S. No.		No. of Posts	Scale No.	Provision 1975-76
1. **Salaries**				
(II) **Pay of Establishment**				
	Second grade teachers for Class X © Rs. 200/-p.m.	4	(11)	5,600
	L. D. C. © 110/-p,m.	2	(12)	1,560
	Waterman cum Farash	2	(1)	840
			Total (II)	8,000
(III) **Allowance & Honoraria**				
	Dearness allowance 4 (122) 2(98) 2(71)			5,800
	Adhoc Relief 6(38) 2(29)			2,000

Additional Dearness allowance

(i) Cash Payment			2,900
(ii) Suspense.			300
	Total (III)		11,000
	Total (I)		19,000
2. Travel Expenses.			1,000
6. Mechinery and equipment			
Tools and plant			
Furniture and equipment			10,000
@ 5000/-per school for 2 schools.			
12. Library @ 1500/-for 2 schools			3,000
	Total	20,000	13,000
	Grand Total	33 000	

(320)

Appendix 'J'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATIO..

Name of scheme :-- 3. Govt. Secondary Schools (2) Additional teachers for Secondary/Higher Secondary Schools.

Provision earmarked : Rs. 3.77 lacs.

Chargeable Head : 277-Education-(B.) Secondary, (C) Govt. Secondary, Schools (1) Boys Schools (Plan Expenditure).

Details of Posts and other Expenditure

S.No.		No. of Posts	Scale No.	Provision 1975-76
				(1.6.75)
1. Salaries				
(II) Pay of Establishment				
Senior teachers @	270/p.m.	20	(15)	37,800
Second grade teachers @ 200/-p.m.		90	(11)	1,26,000
			Total (II)	1,64,000
(III) Allowances & Honorarla				
Dearness allowance- 20 (146) 90 (122)				97,300

Adhcc relief– 20 (42) 90 (39)			29,700
Additional Dearness Allowance			
(i) Cash Payment			48,500
(ii) Suspense.			4,500
	Total (III)		1,80,000
	Total (I)		3,44,000
2. Travel Expenses.			11,000
3. Medical Charges			11,000
6. Machinery and equipment/			
Tools and Plant			**N-R.**
Funiture			11,000
	Total 3 (2)	3,66,000	11,000
	Grand Total	3,77,000	

322

Appendix 'K'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme :	3. Govt. Secondary School 6 (1) Introduction of Science & Maths (2)
Provision earmarked :—	0·22 lacs
Chargeable Head :—	277-Education-B. Secondary (C) Govt. Secondary Schools (1) Boys Schools (Plan Expenditure)

Details of posts and other expenditure

S. No.	No. of Posts	Scale No	Provision 1975-76
			1.8.75
1. Salaries			
(II) Pay of Establishment			
Second grade teachers @ 200/-p.m.	2	(11)	3,000
Laboratory Boys @ 60/-p.m.	2	(2)	1,000
		Total (II)	4,000
(III) Allowance and Honoraria			
Dearness allowaace 2 (122) 2 (71)			3,000
Adhoc Relief 2 (38) 2 (2)			1,000

Additional Dearness Allowance

(i) Cash payment.			1,460
(ii) Suspense.			140
	Total (III)		6,000
	Total (I)		10,000
2. Travel Expenses.			1,000
3. Medical Charges.			1,000
7. Machinery and Equipment			**Non-Rec**
Tools & Plant–		–	1,000
Science apparatus			
11. Laboratory		1,000	8,000
	Total 6(1) (a)	13,000	9,000
	Grand Total	22,000	

(324)

Appendix 'L'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme:--	3. Govt. Seondary Schools 6 (1) Cntroduction of Science Biology in Secondary Schools (2)
Provision earmarked :	Rs. 022 lacs.
Chargeable head :—	277—Education B. Secondary (C) Govt. Secondary Schools (1) Boys Schools (Plan Expenditure).

Details of Posts And Other Expenditure

S. No.		No of Post	Scale No.	Provision 1974–75 (3 months)
	Salaries–			
1.	(II) **Pay of Establishment**			
	Second grade teachers @ 200/–p.m.	2	(II)	3,000
	Lab Boys	2	(2)	1,000
		Total (II)		4,000
(III)	**Allowance & Honoraria**			
	Dearness allowance 2(122) 2(71)			3,000
	Adhoc Relief 2(38) 2(29)			1,000
	House Rent Allowance			400

Additional Dearness Allowance

(i) Cash Payment			1,460
(ii) Suspense.			140
	Total :–(III)		6,000
	Total :–(I)		10,000
2. Travel expenses.		1,000	
3. Medical charges.		1,000	
5. Machinery & equipments/			N. S.
Tools and Plants—			1,000
Science apparatus.			
		1,000	8,000
11. Laboratory			
	Total (1) (b)	13,000	9,000
	Grand Total	22,000	

(326)

Appendix 'M'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of schools :—	3. Govt. Secondary Schools 6. Improvement of Scheme teaching 1 (c) Introduction of Scheme Maths in 2. Higher Secondary schools (75-76)
Provision earmarked :—	Rs. 0.54 lacs.
Chargeable Head :—	277 Education B. Secondary (c) Govt. Secondary School (1) Boys schools.

Details of posts and other expenditure

S.No.	No. of Posts	Scale No.	Provision (1974-75)
1. **Salaries**			
(II) **Pay of Establishment**			
Senior teachers @ 270/ p. m.	6	(15)	11,400
Laboratory Assistants.	2	(7)	1,600
Laboratory Boy	2	(2)	1,000
	Total : (II)		14,000

(III) Allowances & Honoraria

Dearness allowance 6(146) 2(98) 2(71)			8,500
Adhoc Relief 6(42) 2(38) 2(29)			2,500

Additional Dearness Allowance

(i) Cash Payment			4,600
(ii) Suspense			400
	Total (III)		16,000
	Total (I)		30,000

2. Travel Expenses.		1,000	
3, Medical Charges.		1,000	
6. Machinery and equipment/ Tools and Plant.			Non-Rec.
Science apparatus			4,000
11. Laboratory		3,000	15,000
	Total 6(1)(c)	35,000	19,000
	Grand Total	54,000	

(328)

Appendix 'N'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Schools	3. Govt. Secondary Schools (7) Imporvement of schools 1. Schools Equipment
Provision Earmarked	Rs. 1.50 lac.
Chargeble Head :—	277 Education B-Secondary (c) Govt. Secondary Schools (1) Boys Schools

Details of posts and other expenditure

S.No.		No. of Posts	Scale No.	Provision 1975-76
4.	Machinery and equipment/ Tools and Plant.			
	Furniture and equipment			1,00,000
4.	Machinery and equipment/ Tools and Plants			
	Furniture and equipment			50,000
			Grand Total	1,50,000

Appendix 'O'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Schools	3. S. Govt. Secondary Schools 7. Improvement of Schools 2. Science equipment
Provision earmarked–	Rs. 1.00 lac.
Chargeble Head	277 Education B. Secondary (c) Govt. Secondary Schools (1) Boys Schools (Plan Expenditure)

Details of posts and other expenditure

S.No.		No. of Posts	Scale No.	Provision 1975–76
11.	Laboratory Science equipment			60,000
	(II) Girls Schools			
13.	Laboratory Science equipment			40,000
	Grand Total			1,00,000

Appendix 'P'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme :– 3. Govt. Secondary Schools

7. Improvement of School

(3) Improvement of School Libraries (Plan expenditure)

Provision earmarked :— Rs. 1·50 lac.

Details of posts and other expenditurte

S. No,	No. of Posts.	Scale No.	Provision 1975–76
12. Library			
(II) Purchase of Libarary Books. & Furniture @1000/–per school for 100 Schools.			1,00,000
			1,0,000

(II) Girls Schools

14. Library			
(II) Purchase of Library Books and furniture for 50 Girls Secondary Schools @1000/- per schools.			50,000
			50,000
		Grand total	1,50,000

Appendix 'Q'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme	3. Govt. Secondary Schools. 10 (1) Opening of Commerce Subjects (5)
Provisiou earmaked :—	Rs. 0·30 lac.
Chargeable Head :—	277 Education B. Secondary (c) Govt. Secondary School (1) Boys Schools (Plan expenditure.)

Details of posts and other expenditure.

S. No.	No. of Posts	Scale No.	Provision 1975-76
			(1.8.75)
1. Salaries			
(II) **Pay of Establishment**			
Second grade teachers			
@ 200/-p m.	5	(11)	7,000
Class IV Servants.	5	(1)	2,000
		Total (II)	9,000
(III) **Allowance and Honoraria**			
Dearness allowance			7,000
5(122) 5(71)			
Adhoc Relief			2,500
5(38) 5(29)			

332

Additional Dearness Allowance

(i) Cash Payment.			3,200
(ii) Suspense.			300
	Total (III)		13,000
	Total (I)		22,000
2. Travel Expenses.			1,000
3. Medical Charges.			1,000
4. Office Expenses			1,000
6. Machinery & Equipment/ **Tools and Plant.**			N. Rec.
Furniture and equipment.			5,000
	Total	25,000	5,000
	Grand total	30,000	

Appendix 'R'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme :—	3. Govt. Secondary Schools. 10 (3) Opening of New subjects in class XI. Arts and Commerec.
Provision earmarked :—	Rs. 0.27 lacs.
Chargeable Heads :—	277 Education B. Secondary (C) Govt. Secondary Schools (1) Boys Schools (Plan expenditure)

Details of posts and oiher expcnditurc

S.No.	No. of Posts	Scale No.	Provision 1975-76 (1.8.75)
1. **Salaries**			
(II) **Pay of Establishment**			
Senior teachers for Ars and Commerce in XI Class @ 270/-p.m.	4	(15)	7,500
Second grade teacther @ 220/- p.m.	1	(11)	1,500
	Total (II)		9,000

334

(III) Allowances & Honoraria			
Dearness Allowance			
4(146) 1(122)			5,000
Adhoc Relief			
4(42) 1(38)			1,500
Additional Dearness Allowance			
(i) Cash Payment			3,000
(ii) Suspense			500
	Total (III)		10,000
	Total (I)		19,000
2. Travel Expenses.			1,000
3, Medical Charges.			1,000
4. Office expenses.			1,000
6. Machinery and equipment/ Tools and Plants			N.R.
Furniture and equipment			5,000
	Tatal	22,000	5,000
	Grand Total	27,000	

Appendix 'S'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

Name of Scheme—	3. Govt. Secondary Schools. Upgrading of Upper Primary Schools to Secondary Schools and Addition of Classes X to Secondary Schools raised during 1974-75 (2 School)
Provision earmarked—	Rs. 0.33 lac.
Chargeble Head—	308—Area Development (a) Ayacut Development IV Development of Rajasthan Canal Area through the Agency of Director, Primary & Secondary Education (VIII) Secondary Schools for Boys (Plan Expenditure).

Details of posts and other expenditure

S.No.		No. of Posts	Scale No.	Provision 1975-76 (1.8.75)
1.	Salaries			
(II)	**Pay of Establishment**			
	Second grade teachers for Class X @ Rs. 200/-p.m.	4	(11)	5,600
	L.D.C @ 110/- p.m.	2	(7)	1,560
	Watermen-cum-Farash	2	(1)	840
			Total (II)	8,000

336

(III) Allowances and Honoraria

Dearness allowance			
4(122) 2(98) 2(71)			5,800
Adhoc Relief			
6(38) 2(29)			2,000
Additional Dearness Allowance			
(i) Cash Payment			2,900
(ii) Suspense			300
	Total (III)		11,000
	Total (I)		19,000
2. Travel Expenses			1'000
6. Machinery and equipments/ Tools and Plant			N. R.
Furniture and equipment @ 5000/- per school for 2 schools.			10,000
12. Library @ 1,500/-			3,000
	Total	20,000	13,000
	Grand Total	33,000	

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 303 की सूची

[राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर के उपहार द्वारा वर्ष 1979-80 और 80-81 में जिन फर्मों से स्टेशनरी खरीदी गई, उसका मानचित्र ।]

1979-80

S No.	Name of Party	Amount
1	2	3
1.	M/s Associated Agencies	17143·57
2.	M/s Ashok Traderso	180076·21
3.	M/s Aristo Duplicators	70844·80
4.	M/s Asion Printors & Stationers	950·06
5.	M/s Bhagirath Nand Lal	199301·96
6.	M/s Bharat Carban Rebbine	80860·?4
7.	M/s Book & Stationary Empotin	18419·30
8.	M/s Chenmay Kiran Printers	189916·66
9.	M/s Combin Pv. Ltd.	6451·86
10.	M/s Dev Kiran Bros	68930 93
11.	M/s Delex Papir Traders	52848·00
12.	M/s Eagla Enterprises	190696·67
13.	M/s Educational Equipment & Allied	50183·66
14.	M/s Girdhar Plastec	10336·61
15.	M/s Gyan General St.	3019·89
16.	M/s Haryan Traders	93168·66
17.	M/s Indian Duplicators	150424·11
18.	M/s Jain Glass House	5585·00
19.	M/s Jaipur Paper Mart	14855·08
20.	M/s Korse (Indian) Ltd.	198925·21

Page No. 338

(338)

1	2	3
21.	M/s Krishna Book & St. Mart	69045·42
22.	M/s K.B. Industries	5288·05
23.	M/s Karuna Prakashan	16618·78
24.	M/s Kumar Bros	13155·00
25.	M/s Kid Matal & Hallaware Maf.	2975·46
26.	M/s Karm Chand Thapers Book	2124·11
27.	M/s Laaxmi Agencies	83348·87
28.	M/s Monu Sons	37291·95
29.	M/s Mukul Agencies	764·64
30.	M/s Maheshwari Manufacture	7200·00
31.	M/s Narsingh Das Kishan Lal	301538·44
32.	M/s Nand Lal Gopal Lal	14699·12
33.	M/s Nathani Trading	4650·00
34.	M/s Paper Traders	1743·37
35.	M/s Paper Sales Agences	6063·36
36.	M/s Paper Sales Centres	11905·52
37.	M/s Raj Mani Enterprises	48585·00
38.	M/s Rajesh Trading Co.	135132·54
39.	M/s Rastogi Sales Agencis	60159·25
40.	M/s Rastogi Bros	503·50
41.	M/s Rastogi Paper Mart.	15893·07
42,	M/s Rastogi & Co.	141220·89
43.	M/s Raj. Co. Printers & Stationers	14657·00
44.	M/s Shyam Printers & Allied	106985·73
45.	M/s Shourie Duplicators	138285·79
46.	M/s Scot Duplicators	188660·69
47.	M/s Sharma Manufacture	35235·25

1	2	3
48.	M/s Sasta Pustak Bhandar	612·50
49.	M/s Sanghvi Ccrporation	1818·55
50.	M/s Sulekha Works Ltd.	6951·48
51.	M/s Trade Way's	190154·79
52.	M/s Travaui Manufacture	11530 00
53.	M/s Two Bros	33268 04
54.	M/s Tomer Enterprises	4252·50
55.	M/s Varddhaman Printers	8328·70

1980-81

1.	M/a Associated Agencies	68525 15
2.	M/s Agrwal Bros.	38282·66
3	M/s Aristo Duplicators	11668·40
4,	Ashok Traders	20096·52
5.	M/s Bhagirath Nand Lal	66535·72
6·	M/s B.C.R.	54891·62
7.	M/s Chinmay Kiran Printer	63509·72
8.	M/s Dalhi Paper Pridued Co.	3128·54
9.	M/s Deepak Industries	6602·40
10.	M/s Educational Equipment	56099·90
11.	M/s Eagle Entreprises	34520·00
12.	M/s Hindustan Paper Mart.	21703·04
13.	M/s Haryana Traders	57726 02
14.	M/s Indian Duplicators	61245·48
15.	M/s Kores (I.) Ltd.	123676·99
16.	M/s Krishna Book & St. Mart.	8910·63

Page No. 340

1	2	3
17.	M/s Karan Chandra Thapers Co.	9752·40
18.	M/s Laxmi Agencics	97733·76
19.	M/s Manu Sons	16427·00
20.	M/s Nand Lal Gopal Lal	3599·59
21.	M/s Narsingh Das Kishan Lal	64529·93
22.	M/s Raj. Mani Enterpries	67786·31
23.	M/s Rajesh Trading Co.	29187·52
24.	M/s R.M. Industries	10147·15
25.	M/s Rastogi Paper Mart.	16979·89
26.	M/s Shyam Printer Allied Indust.	67003·04
27.	M/s Seot Duplicators	77149·59
28.	M/s Shorio Duplicators	45598·50
29.	M/s Sharma Manufaeture	14155·39
30.	M/s Two Bros.	43704·98
31.	M/s Triveni Manufacture	42528·98
32.	M/s Trade ways	85215·41

(निविदा विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)